अध्यक्ष माला, खंड 28, अंक 46

बुधवार, 6 मई, 1987
16 वैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 41 से 50 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।][1]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 28, आठवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 46, बुधवार, 6 मई, 1987/16 वैशाख, 1909 (

विषय	पृष्ठ
कोलम्बियाई संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 921 से 925, 927 और 928	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—150
तारांकित प्रश्न संख्या : 920, 926 और 929 से 942	23—39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9159 से 9297 और 9297-क	39—148
सभा पटल पर रखे गए पत्र	150—157
राज्य-सभा से संदेश	157
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	158
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति छत्तीसवां प्रतिवेदन	158
समिति के लिए निर्वाचन : सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	158
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के लिए निर्वाचन के बारे में घोषणा	158—159
नियम 377 के अधीन मामले	159—163
(एक) उत्तर प्रदेश में आगरा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता श्री निहाल सिंह जैन	159
(दो) देश में, विशेषकर बोरीवली स्टेशन पर, लाइसेंसधारी रेल कुलियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता श्री अनूप चन्द शाह	160

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में आदिवासियों को समय पर और सस्ता न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता श्री मानकुराम सोढी	160
(चार) राजस्थान के कोटा जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों की अदायगी संबंधी प्रक्रिया को सरल तथा सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता श्री शांति धारीवाल	161
(पांच) दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के समीप लद्दाख बौद्ध विहार के परिसर में अनधिकार कब्जों को बेदखल करने/हटाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता श्री पी० नामग्याल	161
(छह) शल्क-लाक्षा के आयात पर प्रतिबंध लगाने और शल्क-लाक्षा निर्यात संवर्धन परिषद में कच्ची लाक्षा के उत्पादकों के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करने की आवश्यकता डा० फुलरेणु गुहा	162
(सात) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार के जहानाबाद क्षेत्र में, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	162
(आठ) हाल ही में हुई वर्षा और ओलावृष्टि से जिन राज्यों की फसलें नष्ट हो गई हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता श्री बलवंत सिंह रामूवालिया	163
(नौ) आन्ध्र प्रदेश में बिजली कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति करने की आवश्यकता श्री श्रीहरि राव	163
भारत-अमरीकी संबंधों के बारे में चर्चा [जारी]	164—207
श्री सैयद शहाबुद्दीन	164
श्री जैनुल बशर	168
डा० एस० जगतरक्षकन	173
श्रीमती गीता मुखर्जी	175
श्री बृजमोहन महन्ती	180
श्री वीर सेन	185
श्री दिनेश गोस्वामी	189

विषय	पृष्ठ
श्री के० नटवर सिंह	193
जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक	207—220
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	207
श्री राम रतन राम	210
श्री बसुदेव आचार्य	213
श्री भद्रेश्वर तान्ती	214
श्री राम निवास मिर्धा	215
खंडों पर विचार	
खंड 2 से 17 और 1	219—220
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम निवास मिर्धा	220
गोआ, दमण और दीव खनन रियायत (उत्सादन और खनन पट्टा के रूप में घोषणा) विधेयक	220—236
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वसंत साठे	220
श्री सी० सम्बु	223
श्री शान्ताराम नायक	225
श्री सत्यगोपाल मिश्र	228
डा० दत्ता सामन्त	230
श्री अनादि चरण दास	232
खंडों पर विचार	
खंड 2 से 22 और 1	236
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वसंत साठे	236

लोक सभा

बुधवार, 6 मई, 1987/16 वैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० समवेत हुई ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

कोलम्बियाई संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है ।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से कोलम्बियाई सीनेट के उपाध्यक्ष महामहिम डा० क्रिस्टो तथा कोलम्बियाई संसदीय शिष्ट मंडल के माननीय सदस्यों का, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है ।

शिष्ट मंडल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार हैं :

(1) सीनेटर डा० तुरबे

(2) सीनेटर डा० रुएदा

(3) सीनेटर डा० बारूच

(4) सीनेटर डा० मार्टिन लियीज

(5) सीनेटर डा० सेदानो

(6) डा० फलोरियन संसद सदस्य

(7) डा० अयाला संसद सदस्य

(8) डा० बोर्रे संसद सदस्य

(9) डा० सिल्वा संसद सदस्य

(10) डा० तुरबे संसद सदस्य

शिष्ट मंडल 2 मई, 1987 को दिल्ली पहुंचा । वे अब विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं । हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका आवास सुखद और उपयोगी रहे । उनके माध्यम से हम राष्ट्राध्यक्ष, सीनेट तथा प्रतिनिधि चैम्बर सरकार तथा कोलम्बिया के मित्रवत लोगों को अपना अभिवादन तथा शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं ।

[अनुवाद]

नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र की लागत

*921. डा० वी० वेंकटेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरोरा स्थित परमाणु विद्युत परियोजना की लागत बढ़कर 800 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है;

(ख) इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत कितनी थी ; और

(ग) नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कितनी अवधि तक कार्य करेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) और (ख) परियोजना की मूल संस्वीकृत लागत 1972 के मूल्य स्तर पर 209.89 करोड़ रुपये थी। इसे 1982 के मूल्य स्तर के आधार पर संशोधित करके 399.64 करोड़ रुपए कर दिया गया।

(ग) हालांकि नरोरा परमाणु बिजलीघर को उसके डिजाइन के अनुसार 25 वर्ष तक काम करना चाहिए, तथापि आशा है कि वह कहीं ज्यादा लम्बे समय तक सुरक्षित रूप से बिजली पैदा कर सकेगा।

डा० वी० वेंकटेश : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी को विदित है कि हमारे देश की अनभिज्ञ अशिक्षित तथा पददलित जनता भारत के युवा तथा मेधावी प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें 21वीं सदी में ले जाए जाने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। महोदय, अन्यथा फिर भी हम 21वीं सदी में चले भी जाएंगे··· (व्यवधान) महोदय, हम इसके बावजूद भी पहुंचेंगे।

इसकी परियोजनागत लागत लगभग 399.64 करोड़ रुपये है और इस परियोजना की कार्य अवधि केवल 25 वर्ष होगी।

अध्यक्ष महोदय : बाद का आधा उत्तर भी पढ़िए।

डा० वी० वेंकटेश : इसलिए, इस परियोजना को कार्य अवधि के पश्चात सुरक्षित रखने के लिए हमें इसे 25000 साल और सुरक्षा देनी होगी। अतः, क्या लागत बैठेगी ? वास्तव में, देश भर में हो-हल्ला मच रहा है। वे इस प्रणाली को बन्द करवाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए।

डा० वी० वेंकटेश : इसीलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहता था क्योंकि नरोरा परियोजना भूकम्पीय क्षेत्र तथा गांगेय तट पर स्थित है तथा यह दिल्ली से मुश्किल से 150 कि० मी० दूर है। महोदय, आप जानते हैं कि पूरी चौकसी के बावजूद किसी भी क्षण कोई भी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन दुर्घटनाएं रोकी भी जा सकती हैं। परहेज इलाज से बेहतर है। यह एक सार्वभौम सत्य है।

अध्यक्ष महोदय : आप अब प्रश्न पूछिये ।

डा० बी० वेंकटेश : इसीलिए, मैं पूछ रहा हूं कि क्या प्रधान मंत्री महोदय नरोरा संयंत्र को बन्द करेंगे जिससे परमाणु खतरों से बचा जा सके जिनकी कि दिल्ली तक पहुंचने की संभावना है। नरोरा के निकट अनेकों ऐतिहासिक स्थान है।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली में ही नहीं अन्यथा भी लोगों का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है।

डा० बी० वेंकटेश : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री महोदय इस संयंत्र को बन्द करेंगे अथवा क्या वे इस देश के समाजशास्त्रियों तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के स्वतंत्र विशेषज्ञता-पूर्ण मत जानना चाहेंगे।

श्री के० आर० नारायणन : मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि सरकार का नरोरा संयंत्र पर चल रहे कार्य को रोकने का कोई इरादा नहीं है। हमारा इस परियोजना पर कार्य करके इसे पूरा करने का प्रस्ताव है। माननीय सदस्य ने परमाणु ऊर्जा के जिन खतरों की बात कही है, हम उनसे पूरी तरह अवगत हैं। हमने ऐसे खतरों के विस्फोट से बचने के लिए सभी संभव पूर्वोपाय कर लिए हैं। आज की दुनिया में परमाणु ऊर्जा जीवन का एक सत्य है। वास्तव में, अनेकों देशों ने इसे विद्युत के स्रोत के रूप में अपनाया है। फ्रांस जैसे देश में साठ प्रतिशत से भी अधिक विद्युत उत्पादन परमाणु संसाधनों से किया जाता है और हमें इस प्रौद्योगिकी को अपनाने में संकोच नहीं होना चाहिए जबकि दुष्प्रभावों विशेषकर विकिरण अथवा किसी अन्य आकस्मिक खतरे को वश में रखने के सभी एहतियात जब हम बरत रहे हैं।

डा० बी० वेंकटेश : इन्होंने सभा को यह जताया है कि दुनिया भर में अनेकों देश परमाणु ऊर्जा अपना रहे हैं। परन्तु सर्वत्र ही दो विकल्प हैं कि क्या परमाणु ऊर्जा को अपनाया जाए अथवा परम्परागत ऊर्जा को। हमारे देश में हमारे पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं; काफी पानी उपयोग किए बिना ही समुद्र में बह जाता है, सूखे की स्थिति के साथ ही काफी बाढ़ आती है। हम जन साधारण पर करोड़ों रु० खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न तो करते नहीं हैं हर समय वक्तृता करते रहते हैं। आपके साथ यही समस्या है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

डा० बी० वेंकटेश : मैं प्रश्न ही बना रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सदा ही प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं तथा प्रश्न के प्रभाव को खत्म कर देते हैं।

डा० बी० वेंकटेश : ये दुर्घटनाएं केवल भारत में ही नहीं हो रहीं वरन्, दुनिया भर में होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : पुनः आप तालमेल कर रहे हैं, अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो० मधु दंडवते : कहिए, कि क्या······

डा० बी० वेंकटेश : क्या सरकार·········(व्यवधान) यह एक गम्भीर समस्या है। मैं चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा आदमी हूं और मुझसे आप लोगों के जीवन रक्षा की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप डॉक्टर हैं तो भगवान बचाये।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश : इसलिए मैं प्रधान मन्त्री महोदय से ही सीधे प्रश्न करना चाहता हूं। दुनिया भर के देश परमाणु ऊर्जा का आश्रय ले रहे हैं; ऊर्जा का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय प्रधान मन्त्री महोदय दुर्घटनाओं आदि से बचने के लिए सुरक्षा उपायों का पता लगाने के लिए दुनिया के अन्य देशों से बातचीत करेंगे।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय सदस्य ने बड़ी तर्कसंगत बात उठाई है। हम पहले ही सुरक्षा कारकों सुरक्षा उपायों तथा दुर्घटना की स्थिति में उपचारात्मक व्यवस्था के बारे में सोचने और करने लग गए हैं तथा अपने चालू परमाणु बिजली घरों के लिए अपेक्षित उपाय करने लगे हैं। दुर्घटनाओं और उनके घटने की स्थिति में सहायता लेने के लिए हमने कुछ देशों से बात भी की है। हम इसे गम्भीरता से ले रहे हैं। इस वक्त हमारे सभी ऊर्जा संयंत्र ठीक से कार्य कर रहे हैं। हमारा सुरक्षा रिकार्ड अच्छा है। माननीय सदस्य को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे बताया गया है, मेरी बात में सुधार किया जा सकता है कि सामान्य तापीय बिजली घर से उत्सर्जित विकिरण एक परमाणु बिजली घर द्वारा वायुमंडल में छोड़े गए विकिरण से अधिक होता है।

[हिन्दी]

श्री आनन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जो चेरनोबिल में एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए क्या हमारे वैज्ञानिकों ने कोई ऐसी चीज निकाली है जिसके अनुसार हमारे नरौरा प्लांट में कोई तबदीली की गई हो, उसके बेसिक डिजाइन में कोई परिवर्तन लाने की बात की गई है या नहीं और अगर कोई पोस्ट एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए क्या कोई सतर्कता बरती गई है। बम्बई में जो दुर्घटना हुई थी, उसमें कुछ लोग अनजाने में पैंसिल चुरा ले गए थे, उससे काफी लोग घायल हुए और अस्पताल गए। इसलिए वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि अगर कोई घटना हो तो क्या करना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि नरौरा के आस पास के इलाकों में इस तरह की एजूकेशन देने के लिए क्या किया गया है, ताकि वहां के लोगों को बताया जा सके कि ऐसे केसेस में उनको किस तरह से काम करना चाहिए और इसके अलावा क्या चेरनोबिल दुर्घटना को देखते हुए इस प्लांट में कोई बेसिक परिवर्तन किया गया है ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा कि इस संयंत्रों की रूपरेखा बनाते तथा इसका निर्माण करते समय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सुरक्षा उपायों की सभी तरह से व्यवस्था की जाती है। सर्वप्रथम किसी भी सम्भव विकिरण अथवा दूसरी तरह के खतरों से निपटने के लिए सभी अभियांत्रिकी यंत्र सज्जा इन संयंत्रों में की गई है। मैंने इस सदन में कई बार उल्लेख किया है कि खतरे की स्थिति में दोहरे नियंत्रण तथा संयंत्र के स्वतः बन्द हो जाने जैसी प्रणाली को इस डिजाइन में लगाया गया है। हमने इस संयंत्र के रख-रखाव एहतियात के प्रबन्ध भी किए हैं और वहां काम कर रहे लोगों को किसी सम्भव विकिरण से

बचने हेतु शैक्षिक जानकारी भी दी जा रही है। अभ्यास भी किए गए हैं और अपने सभी परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा उपायों के किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी वास्तव में गठित की गई है। इस प्रकार मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इन संयंत्रों के निर्माण अथवा परिचालन में कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है। नरोरा में भूकम्पीय क्षेत्र के संबंध में कुछ कहा गया था। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि पूरा जापान देश भूकम्पीय क्षेत्र है। जापान में 31 से ऊपर रियेक्टर लगे हुए हैं। हमने वास्तव में नरौरा संयंत्र में सभी तरह के भूकम्प विरोधी सुरक्षा उपाय किए हैं।

श्री आनन्द सिंह : यह बहुत अच्छी बात है कि कामगारों को अनुदेश दिए जा रहे हैं परन्तु इन संयंत्रों के आसपास रहने वाली ग्रामीण जनता को भी शिक्षित किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए।

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, आस-पास की जनता तथा सामान्य जनता को भी परमाणु विकिरण के सम्बन्ध में शिक्षित किया जा रहा है कि वह कैसे अपना बचाव करें।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, यह प्रश्न मुख्यतः लागत तथा संयंत्रों की लागत व उनके संशोधन से संबंधित है। प्रश्न तथा उत्तर दोनों ही विषय से अलग हैं। प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या इसमें संशोधन करके इसे 800 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। आपने न तो हां कहा न ही ना कहा, आपने केवल आंकड़े दिये हैं कि 1972 के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमानतः 399 करोड़ रुपये का है। क्या अब फिर इसे संशोधित करके 800 करोड़ रु० कर दिया गया है जिन पर हमने विचार करना है, क्योंकि आपने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। यदि आप प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहेंगे तो ऐसा लगता है कि आप इससे सहमत हैं? क्या इसका उत्तर हां है या नहीं? चूंकि सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जिसे 1987 के प्रारम्भ में तैयार होना था, का निर्माण पूरा हुआ है अथवा नहीं। या फिर इसमें भी अधिक समय या अधिक लागत लगेगी।

श्री के० आर० नारायणन : इस प्रश्न कि क्या संशोधित प्राक्कलन 800 करोड़ रु० कर दिया गया है, का उत्तर है 'नहीं'। हमने उत्तर में निश्चित रूप से कहा था कि संशोधन 399 करोड़ रु० तक का है। इसके बाद लागत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

जहां तक बेकार पदार्थ संबंधी मैनेजमैंट का संबंध है, जैसा कि आप जानते हैं एक संयंत्र निर्माणाधीन है। इसलिए बेकार पदार्थों को संसाधित करने के लिए भी एक संयंत्र का निर्माण किया जाएगा।

जहां तक अन्य संयंत्रों का सम्बन्ध है, हमारे पास न केवल प्रौद्योगिकी ही है प्रत्युत बेकार पदार्थों के भंडारण, पुनर्संसाधन तथा उसके रखने का भी इन्तजाम है।

आयल इण्डिया लिमिटेड को विश्व बैंक से ऋण

•922. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में आयल इण्डिया लिमिटेड को नए खोज कार्यों और उत्पादन बढ़ाने की नई योजनाओं के लिए 14 करोड़ डालर का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) आयल इण्डिया लिमिटेड इस ऋण का किस प्रकार उपयोग करेगा; और

(घ) देश में तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी और आयात में कितनी कमी आएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) ने हाल ही में आयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम परियोजना हेतु भारत को 14 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण देने की स्वीकृति दी है। तथापि ऋण करारों पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ख) यह ऋण 20 वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि भी सम्मिलित है तथा इस बात पर विश्व बैंक के उधार की लागत से सम्बद्ध परिवर्तनीय ब्याज, जो इस समय 7.92 प्रतिशत है, लगेगा। इस ऋण पर, संवितरित न की गई शेष राशि पर, 0.75 प्रतिशत की दर से वार्षिक वचनबद्धता प्रभार भी लगेगा। ये अन्तर्राष्ट्रीय व पुनर्निर्माण और विकास बैंक की मानक शर्तें हैं।

(ग) इस परियोजना में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : (i) उत्पादन सुधार योजनाओं का अनुप्रयोग जैसे कि इनफिल ड्रिलिंग, प्रेशर मेन्टेनेन्स, हाइड्रोलिक फेकचरिंग सहित कुओं का कार्य तथा असम के आंशिक रूप से खाली हो चुके तेल के कुछ क्षेत्रों में संवर्धित तेल प्राप्ति की तकनीकों का अनुप्रयोग; (ii) असम के कुछ तेल कुओं में सम्बद्ध गैस आपूर्ति तन्त्र तथा गैस रि-इन्जेक्शन स्कीम का कियान्वयन; (iii) हाई रिजोलुशन सीसमिक डाटा के अभिग्रहण और प्रतिपादन के लिए खोज करना तथा अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई आदि; और (iv) आयल इण्डिया लिमिटेड की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत बनाने, आंकड़ों के अधिग्रहण तथा उन्हें संसाधित करने, ड्रिलिंग कार्य तथा अनुसंधान और विकास के लिए उपकरणों की खरीद व गहत प्रशिक्षण के लिए संस्थान का निर्माण करना।

(घ) उत्पादन सुधार योजनाओं से 20 वर्षों में 200 लाख मी० टन के संवर्द्धित तेल का उत्पादन होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्तर्गत अन्वेषणात्मक कार्यों से लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है, जिनके बारे में अभी इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता।

श्रीमती गौरी शंकर राजहंस : मैं जानना चाहूंगा कि ऋण की स्वीकृति कब दी गई तथा समझौते पर हस्ताक्षर कब किए जाएंगे। ऐसे समाचार मिले हैं कि विश्व बैंक समझौते पर हस्ताक्षर करने में हिचक रहा है। मैं सही स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, ऋण के लिए अभी हाल ही में मंजूरी प्राप्त हुई है। मेरे विचार से समझौते पर हस्ताक्षर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं तथा अगले एक या दो महीने में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : ऐसे समाचार मिले हैं कि यह समझौता राजस्थान अरुणाचल प्रदेश आदि की किसी विशेष परियोजना के लिए है। क्या ऐसी कोई शर्त है कि ये निधियां केवल इन्हीं परियोजनाओं के लिए ही प्रयुक्त की जाएंगी या क्या इसमें कोई लचीलेपन की कोई गुंजाइश रहेगी जिससे भारत सरकार देश में कहीं भी ऐसी ही अन्य परियोजनाओं के लिए भी इनका प्रयोग कर सकें।

श्री ब्रह्म दत्त : भारतीय ग्रामीण विकास बैंक का हर ऋण कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ही अभिप्रेत होता है। हम परियोजनाओं का ब्यौरा उन्हें भेजते हैं तथा उसके बाद वे ऋण की मंजूरी देते हैं तथा निधियों को इधर-उधर दूसरी परियोजनाओं में खर्च करना भी वांछनीय नहीं है।

श्री रेबुपद दास : यह देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में अन्वेषण कार्य ने अभी तक तेजी नहीं पकड़ी है, मैं जानना चाहूंगा कि विश्व बैंक से लिए गए ऋण से क्या पश्चिम बंगाल में तटीय और उपतटीय अन्वेषण कार्य में अगले महीनों में काम तेजी से शुरू होने में सहायता मिलेगी।

श्री ब्रह्म दत्त : जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, हमने सोवियत संघ से एक अलग व्यवस्था की है। यह ऋण आयल इण्डिया लि० द्वारा लिया जाएगा तथा उनका पश्चिमी बंगाल से बहुत ही कम वास्ता है। यह तो मुख्यत: असम में हमारी प्रणाली को सुधारने के लिए है। इसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी शामिल है।

[हिन्दी]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की गंजबासोदा शाखा में अनियमितताएं

*923. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की गंजबासोदा शाखा द्वारा ऋण देने के मामलों में अनियमितताओं का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि वर्ष 1986-87 में, शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उसकी गंजबासोदा शाखा द्वारा ऋण देने के मामले में किसी प्रकार की अनियमितता की उसे कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष जी, जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो दो स्थिति सामने आती हैं। एक तो इन्डीविजुअल केस रख। जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि एक केस रखने से सब

पर प्रकाश जाएगा और हम ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं और जब वेग रखते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है। इस किस्म के केसेज रखे जाएं तो उनका भी सही जवाब नहीं आता है तो दिक्कत होती है और आप भी मना करते हैं। मान्यवर, पिन्डेरणु ब्रह्मांडे, जो व्यक्ति है और समाज है। मैंने एक स्पेसिफिक बैंक का उदाहरण देकर कहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से शिक्षित बेरोजगारों को कुछ काम देने के ख्याल से भारत सरकार ने, इंदिरा जी ने और वर्तमान सरकार ने सारी कुछ स्कीम्स चलायीं और सारा सदन जानता है कि बैंक सारे मन्सूबे पर पानी फेर रहे हैं। कोई न कोई तकनीकी कारण बताकर के उन शिक्षित बेरोजगारों को यहां से वहां दौड़ रहे हैं और उनसे नाजायज पैसा ले रहे हैं। मैंने एक स्पेसिफिक बैंक के बारे में सवाल पूछा था और जिसके बारे में पूछा था उसी बैंक की अथारिटी से जांच करा ली गई। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मैंने बैंक आफ इन्दौर की अथारिटी से जांच करा ली है और ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस पर कोई आरोप हो उसी से उसकी जांच कराने का क्या औचित्य था ? वहां पर जन नेताओं ने, समाज सेवियों ने कई दरख्वास्तें दीं और प्रदर्शन किए।

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल पते का है, आप उसी से सम्बन्धित पूछिए।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें की गई थीं, क्या उन्हें शिकायतों की जांच करने के लिए कहा गया था ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यहां माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा है कि क्या कोई इसमें अनियमितता की गई है। इसका उत्तर यह है कि ऋण देते समय कोई अनियमितता नहीं हुई है। अन्य मामलों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ऋण देने में कोई विलंब हुआ है। इसकी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार योजना के क्रियान्वयन के समय सामान्यतः इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जहां भी शिकायत प्राप्त हुई है वहां कार्यवाही की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई बाधा या शिकायत न हो। शिकायतों की जांच की गई है तथा कोई अनियमितता नहीं हुई है। यही उत्तर हमने दिया है। यदि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हैं तथा उनके पास किसी विशिष्ट मामले का ब्यौरा है तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। हम इसकी जांच करेंगे। मैंने तो भारतीय रिजर्व बैंक से भी ऐसे विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम जो आरोप आपको देंगे आप उसकी जांच करायेंगे। मेरा सवाल था कि क्या शिक्षित युवाओं को जो कि बेरोजगार हैं, रोजगार उपलब्ध कराने की योजना मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखाओं से ऋण देने का पता चला है। इसके जवाब को आपने सीमित कर दिया कि स्टेट बैंक आफ इंदौर में वर्ष 1986-87 में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मैंने पूछा था उस बैंक की शाखा के बारे में, आपने महज 1986-87 के बारे में बताया कि हमने जांच कराई है। और जांच भी आपने स्टेट बैंक आफ इंदौर से ही कराई है। जिस पर गड़बड़ी का आरोप उसी से पूछना और उसको भी लिमिट कर देना। अधिकारियों ने

इतने बड़े प्रश्न को इतना कम कर दिया है कि कोई सप्लीमेंटरी होगी या अध्यक्ष जी कहेंगे तो कह देंगे कि 1986-87 की जांच कराई है। आप पता लगायें। दरख्वास्तें जो जन प्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने दी और वहां प्रदर्शन किए और आपके अधिकारियों ने वहां जाकर समझौता किया था कि यह गलतियां नहीं होंगी। जब भारत सरकार की नीति है तो ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियतें मिलें।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें, अगर आप भाषण करेंगे तो दूसरे सवालों का क्या होगा ?

श्री राजकुमार राय : आप क्या दूसरी एजेंसी से इसकी जांच करायेंगे, बैंक अधिकारियों को छोड़ कर ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : इस बैंक का 18 आवेदन पत्रों का लक्ष्य था। सभी मामलों में, अर्थात सभी 18 आवेदन पत्रों के मामलों में उन्होंने ऋण की मंजूरी दी है। 3.11 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।

यदि वह जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो हम इस पर ध्यान देंगे।

उनका लक्ष्य 18 आवेदन पत्रों का था। उन्हें 28 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसलिए 10 आवेदन पत्रों को रद्द किया गया। उन 18 आवेदन पत्रों में राशि की मंजूरी दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : जब मंत्री जी खुद डिफेंस कर रहे हैं तो हम क्या करें। ऐसे घपले रोज हो रहे हैं, इसको डिफेंस करने से अच्छा है कि सदन के सामने लायें। जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उन्हें दण्ड दिया जाए।

श्री शान्ति धारीवाल : इस पर हाफ-एन-आवर की चर्चा होनी चाहिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और समस्या है।

श्री राजकुमार राय : इस पर मान्यवर, आधे घंटे की चर्चा करवायें·····

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति मिलनी चाहिए, उसी में हमारे बहुत से प्वाइंट्स कवर हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : भगवन्, कोई सुने तो, आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने तो आपको सुन लिया है·····(व्यवधान)···

आपकी बात बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनी गई है, यदि आप सुन लें तो···

पांच-सात बोल रहे हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने देते···

ठीक है, मैंने सुन ली है आपकी बात···

सवाल सिर्फ यही है कि हाफ-एन-ऑवर की अनुमति आपको मिल जाएगी लेकिन मिलेगी कैसे, अगर टाइम होगा। यदि टाइम नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। अब आप बोलिए।

प्रो० मधु दण्डवते : इनका सवाल यह है कि जिनके ऊपर आरोप हैं, वही इन्क्वारी करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही तो सवाल मैंने पूछा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तर्जुमा उसी का किया है।

[अनुवाद]

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : देश के सभी प्रमुख बैंकों के द्वारा रोजगार तथा बेरोजगार व्यक्तियों को वित्त प्रदान करने के संबंध में इतनी शिकायतें आई हैं तथा सभी का यह उत्तर मिलता है मामले की वरिष्ठ अधिकारियों के दल द्वारा जांच की जा चुकी है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय अचानक जांच करने के लिए कोई ऐसा तन्त्र बना रहे हैं ताकि विशेष क्षेत्रों में जाकर यह पता लगाया जा सके कि विभिन्न बैंकों द्वारा कितना वित्त प्रदान किया जा रहा है तथा यह देखा जा सके कि लोगों ने वित्त मौके पर अथवा शपथ देकर के प्राप्त किया है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय जांच ब्यूरो या कोई और ऐसी समिति या अधिकारियों का दल है जो मौके पर जाकर अर्थात किसी एक बैंक में जाकर यह जांच कर सके। क्या सरकार इसके लिए तैयार है ?

प्रो० मधु दण्डवते : वह फेयरफैक्स की जांच के लिए नहीं वरन आंतरिक जांच के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम जांच कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरे विचार से मंत्री महोदय भी साफ बोलने वाले हैं। वे किसी भी प्रकार की जांच करवा सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता समझता हूं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मैं भी व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहा हूं.....(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनें.....

इसके अलावा यदि आंतरिक प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच संतोषजनक नहीं है तो हम भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में जांच करने के लिए कहेंगे। यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार अनियमितता या धोखाधड़ी हुई तो सतर्कता विभाग भी मौजूद है।

यदि कोई अपराध या धोखाधड़ी हो ही जाती है तो कार्यवाही की गई है। माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जब भी कोई शिकायत की जाती है कि दाण्डिक अपराध हुए हैं तो हमने कार्यवाही की है। यहां तक कि सी०बी०आई० ने जांच करने के बाद मुकदमा चलाया है। यही नहीं, हमने बैंक कर्मचारियों के घरों में भी छापे भी डाले हैं। यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो वे मामले को मेरी जानकारी में लायें। हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, स्टेट बैंक आफ इन्दौर की जिस शाखा की यहां चर्चा की जा रही है, मंज बांसौदा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। यह ठीक है कि उसमें हो रही इर-रैगुलैरिटीज की शिकायत की गई, उसकी जांच भी हुई और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध

कार्यवाही भी हुई, इसमें कोई दो मत नहीं हैं और इसके लिए मैं मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा लेकिन हमें देखना चाहिए कि कठिनाई कहां पर है। राज्य शासन या केन्द्रीय सरकार की ओर से स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित होता है, वह काफी देर से होता है। मुझे याद है 1986-87 में अक्तूबर-नवम्बर मास में इस योजना के लक्ष्य बैंकों को दिए गए और जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में जाकर उनको वहां से फाइनैंस हो पाया। जब साल भर का काम तीन महीने में करना होता है तो नेचुरली केसेज में डिले हो जाया करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप 1987-88 का लक्ष्य कब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपलब्ध करवा देंगे जिससे कि आपकी योजना को सही रूप से क्रियान्वित करने में देर न हो और समय से बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण भी उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : लक्ष्य वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। इसका निर्धारण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जब भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वित्त मंत्रालय विशेषतया बैंकिंग प्रभाग का यह कर्त्तव्य होता है कि इसका कार्यान्वयन करे। मैंने अभी-अभी माननीय सदस्य को आश्वासन दिया है यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लक्ष्य प्राप्त हों, और यह भी कि उचित कार्यान्वयन हो।

मैं न केवल व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम का बल्कि रोजगार स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा हूं। जहां तक लक्ष्य निर्धारण का संबंध है मैं उद्योग मंत्री तक माननीय सदस्यों की भावनाओं को पहुंचा दूंगा। हम यह भी देखेंगे कि प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जायें।

इण्डियन बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

*924. **श्री एस० तंगराजु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन बैंक में सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कितने स्थान बकाया चले आ रहे हैं;

(ख) क्या वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कोई रोस्टर प्रणाली रखी जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सभी संवर्गों में आरक्षित बकाया चले आ रहे रिक्त स्थानों को भरने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इण्डियन बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1986 को बैंक में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की पिछली बकाया का ब्यौरा इस प्रकार है :

I. सीधी भर्ती

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	2	13
लिपिक	142	96
अधीनस्थ कर्मचारी	15	32

II. पदोन्नति

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग जूनियर मैनेजमेंट स्केल— 1	23	114

(ख) और (ग) बैंक ने बताया है कि वह उन सभी पदों के लिये जिन पर आरक्षण लागू होता है, सीधी भर्ती और पदोन्नतियों का रोस्टर रख रहा है।

(घ) बैंक ने बताया है कि उसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पदों में पिछली बकाया को समाप्त करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे—लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग के जूनियर मैनेजमेंट स्केल-1 में पदोन्नतियों की लिखित परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार में न्यूनतम अंक निर्धारित करना; भर्ती पूर्व और पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण देना और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के माध्यम से विशेष भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना; बैंक द्वारा आयोजन भर्ती/पदोन्नति परीक्षाओं के साक्षात्कार के पैनल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का एक सदस्य रखना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये रखे गये वर्तमान आरक्षण के अलावा पिछली बकाया को ध्यान में रखते हुये बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के पास मांग पत्र भेजना आदि।

श्री एस० तंगराजू : जैसाकि इण्डियन ओवरसीज बैंक ने किया है, इण्डियन बैंक सीधी नियुक्ति और वेतनमान पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित ब्रोशर के अध्याय चार के पैरा तीन में दी गई पदोन्नति-नीति की क्यों नहीं अपनाता ? दक्षिण आधारित दोनों राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्तर क्यों है ? साथ ही भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के 1985 के 680 वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के बावजूद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के आरक्षण लागू क्यों नहीं होता।

यह न्यायादेश निम्नानुसार है :

"चयन पद्धति के द्वारा की गई पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

के कर्मचारियों को दी जाने वाली रियायत से यह बिल्कुल स्पष्ठ हो जाता है कि आरक्षण का नियम श्रेणी एक और दो के अधिकारियों के चयन द्वारा पदोन्नति पर भी लागू होता है।"

श्री जनार्दन पुजारी : हमें भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन करना है तथा इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बैंकों को कहा गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश का संबंध है, मैं माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी दूंगा।

श्री एस० तंगराजू : आपके उत्तर के अनुसार बकाया रिक्तयों को भरने के लिए अनु० जाति और अनु० जनजाति के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड ने कितनी बार विशेष परीक्षाएं आयोजित की हैं ? मैं माननीय मंत्री महोदय से और अधिक विवरण चाहता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : ये विवरण भी मैं माननीय सदस्य को विस्तारपूर्वक दूंगा। यहां इतना अधिक विवरण दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों को पूरा विवरण दूंगा।

श्री उत्तम राठौड़ : बैंक अपने स्टाफ को काफी अच्छा वेतन देते हैं। इसके बावजूद भी हमने पाया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में रिक्तियां हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है। आप कृपया यहां मंत्री जी के द्वारा दिए गए विवरण को देखें। सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति के शीर्ष के अन्तर्गत अधिकारियों के समक्ष 13 संख्या दी गई है। क्लर्क के समक्ष 96 और उप स्टाफ के समक्ष 32; जबकि पदोन्नति के मामले में 114 अनुसूचित जन जाति और 23 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं। इसके क्या कारण हैं ? क्या शिक्षा उन तक नहीं पहुंची या लड़के इन सेवाओं को करने में शर्म महसूस करते हैं ? सभी सभाओं में सभी परिषदों में और संसद में उनके लिए जितना आरक्षण किया गया है उसकी संख्या पूरी है किंतु ऐसा कैसे है कि आपको यहां पर लोग नहीं मिलते ? क्या आप यह पता लगाने के प्रयास करेंगे कि सेवाओं में लोगों के शामिल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि कुछ मामलों में अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी योग्यता के लिए उन्हें दी गई छूट के बावजूद भी पास नहीं हो पाते ऐसे मामलों में हमने उनके लिए प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी हैं। पदोन्नति के मामले में भी हम उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न देने के कारण हमें बकाया रिक्तयों के शुरू करने में बहुत कठिनाई हो रही है। किन्तु इस संबंध में उपाय किए जाएंगे। मैं मानता हूं कि सभी प्रयासों के बावजूद भी हमें अनुसूचित जनजाति के लोग मिलना कठिन है।

श्री पी० कुलनदईवेलु : जहां तक सरकार का संबंध है, जनजातीय क्षेत्रों और जनजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में दूर-दूर तक यात्रा की है। अब तक किसी भी प्रधान मंत्री ने ऐसा नहीं किया। जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक दौरा लगाने के लिए मैं प्रधान मंत्री की अभिशंसा करता हूं। यह सच है, यह तथ्य है। महोदय, किसी समय यदि हम तारीफ करना चाहते हैं तो करनी चाहिए। विरोधी पक्ष का रवैया ऐसा क्यों है। मैं नहीं जानता। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यह कह रहा हूं कि क्यों कि यह प्रश्न-काल है, उन्हें कहना चाहिए कि "क्या मैं प्रधान मन्त्री की तारीफ कर सकता हूं।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह बिलकुल स्पष्ट है कि वह विरोध पक्ष में नहीं हैं। उनकी सीट कहीं और आबंटित की जानी चाहिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मेरा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए विवरण में यह बताया गया है कि सीधी भर्ती में भी रिक्तियां शेष पड़ी हैं। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है अधिकारी संवर्ग में 13, क्लर्क संवर्ग में 96, सब-स्टाफ में 32 और पदोन्नति के मामले में भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जे० एम० सी० संवर्ग में 114 रिक्तियां शेष हैं। ये रिक्तियां शेष क्यों हैं और कितने समय से यह बकाया चल रही हैं ? क्या यह उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण है ? यदि यह उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण है तो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आगे आने देने के लिए नियमों में ढील क्यों नहीं दी जाती ?

श्री जनार्दन पुजारी : बकाया को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं और बकाया में कमी भी आयी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हमारा प्रयास यही होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सब प्रकार की सहायता पहुंचाई जाये। माननीय प्रधान मन्त्री उनकी स्थितियों में सुधार लाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि हमारे द्वारा प्रशिक्षण देने के बावजूद भी प्रशिक्षण का प्रत्युत्तर उत्साहवर्धक नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कितने लोग प्रशिक्षण में उपस्थित हुए। तो मैं उन्हें इसकी जानकारी दे सकता हूं। हम और अधिक प्रशिक्षण देने के यथासंभव प्रयास करेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू : हमें उनका उद्धार करना है।

श्री जनार्दन पुजारी : हम देखेंगे कि उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे आगे बढ़ें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री तुलसी राम। अब आप इनसे दोहा सुनिए।

श्री बी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे थे कि अपोजीशन वाले कुछ ऐसा करते हैं, मैं कहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, वे पहले कांग्रेस दल के थे।

श्री वासुदेव आचार्य : लेकिन आप नहीं थे।

प्रो० मधु दण्डवते : वे पहले कांग्रेसी थे, और किन्तु वे कैसे कांग्रेसी हैं।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम : प्रधान मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं। यह कह रहे हैं कि अपोजीशन वाले अपील कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रधान मन्त्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप खुश हैं क्या ? यह मैं पूछ रहा हूं।

मंत्री जी कहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोग काबिल नहीं होते हैं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा।

श्री वी० तुलसी राम : उतने योग्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं यह नहीं कहा। उन्होंने यह कहा है कि क्वालिफाई नहीं करते।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : हो सकता है अनुवाद में कुछ गलती हो गई होगी। पुजारी जी अंग्रेजी में बोल रहे थे, आप हिन्दी में सुन रहे थे।

श्री वी० तुलसी राम : अनुवाद में अगर ऐसा हो गया तो यह सदन गड़बड़ में पड़ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आज तक नहीं पड़ा तो आगे नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : वास्तव में भाषण से अनुवाद बेहतर है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : यह आपको पता है, जहां भी एप्वाइंटमेंट का सवाल आता है, चाहे बैंक में हो चाहे आफिसेज में हो, उसमें लिख देते हैं—नान सूटेबल, वह काबिल नहीं है, सूटेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है और कुछ दिन बाद वह फाइल जनरल कैंडीडेट के लिए ऊपर के अधिकारी के पास भेज देते हैं। फिर जनरल कैंडीडेट के लिए एप्रूवल देकर जनरल कैंडीडेट को भरते हैं। यह प्रथा चली आ रही है हर डिपार्टमेंट के अन्दर और हर बैंक में, तो क्या इसके लिए मंत्री जी कोई इंक्वायरी करवायेंगे और क्या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में कोई डायरेक्टर, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट का हो या शैड्यूल्ड ट्राइब का हो, रखने का उनका विचार है ताकि वह वहां पर शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके ? यह बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा सरकार करेगी। प्रधान मंत्री ने राष्ट्र से यह वायदा किया है। जहां तक बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का संबंध है प्रत्येक बोर्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।

देश में निर्मित इलेक्ट्रानिक पुर्जों की खरीद

*925. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार, रक्षा और कम्प्यूटर क्षेत्रों द्वारा देश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बहुत कम खरीदे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पुर्जों के उत्पादन और इनकी खरीद में इस समय कितना अन्तर रहता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० नारायणन) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) : व्यावसायिक क्षेत्र अर्थात् दूर संचार, प्रतिरक्षा तथा कम्प्यूटरों के लिए इस समय संघटक पुर्जों का स्वदेशी आधार प्रचुर मात्रा में आयात किए जा रहे संघटक-पुर्जों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में, विशेषकर कनेक्टरों, रिले, मुद्रित परिपथ बोर्डों, संकर परिपथों तथा बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों/ बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों (एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई०) के क्षेत्रों में, भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया है तथा किया जा रहा है। आमतौर पर व्यावसायिक क्षेत्र के लिए स्वदेश में उत्पादित संघटक-पुर्जों की बिक्री के बारे में कोई समस्या नहीं है।

श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि देश में पुर्ज उद्योग को बचाने के लिए कौन से वास्तविक एवं विशेष कदम उठाये गए हैं एवं उठाए जाने का प्रस्ताव है।

श्री के० आर० नारायणन : हमने देश में निर्मित बिजली के पुर्जों के उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें लाइसेंस सुविधाओं को उदार बनाना, कुछ सीमा तक ड्यूटी से राहत देना तथा कुछ अन्य मदों के आयात के लिए भी ड्यूटी में छूट देना शामिल है जिससे देश में पुर्जों के उत्पादन में सहायता मिलेगी और इसी प्रकार देश में निर्मित बिजली के पुर्जों के उत्पादन को बढ़ाने व प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं।

श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : देश में निर्मित पुर्जों के उत्पादन के लिए सरकार ने कौन से कदमों को उठाने का प्रस्ताव किया है ? इस समय देश में निर्मित पुर्जों की कौन सी विभिन्न किस्मों का सेमी कंडक्टर्स लि०, चंडीगढ़ द्वारा उत्पादन किया जा रहा है ? अथवा एस०सी० एल० द्वारा देश में निर्मित पुर्जों का उत्पादन एक सीमित रेंज क्यों कर रहा है जबकि स्वदेशी पुर्जे किसी भी बिजली की आइटम के लिए आधार बनाते हैं।

श्री के० आर० नारायणन : सेमी कंडक्टर कम्पलैक्स इनटीग्रेटिड सरकिट्स उत्पादन करने वाली एक बड़ी फैक्ट्री है। उन्होंने वास्तव में 5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन चिप्स का उत्पादन किया और अब वे 2 माइक्रोन उत्पादन की योजना बना रहे हैं, यह भी सच है कि ये सीमित संख्या में ही चिप्स का उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के चिप्सों के उत्पादन में अभी भी मितव्ययी नहीं होगा। किन्तु वे मुख्यतः उन चिप्सों का उत्पादन कर रहे हैं जिनकी हमारे विद्युत उद्योग को तत्काल आवश्यकता है तथा हमारा यह उद्देश्य है कि जितना शीघ्र संभव हो सके इसका विस्तार किया जाए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में बताया है कि व्याव-

सायिक क्षेत्र के लिए इस समय संघटक पुर्जों का स्वदेशी आधार प्रचुर मात्रा में आयात किए जा रहे संघटक-पुर्जों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। उस दिन प्रधान मंत्री ने बहुत ही ठीक बताया था कि कुछ संघटक जो बाहर से आयात किए जा रहे हैं, भारत में विनिर्मित होने वाले संघटकों की तुलना में बहुत सस्ते हैं तथा इस प्रकार इन पर निवेश की जा रही एक बड़ी राशि व्यर्थ ही चली जायेगी। उन्होंने अपने उत्तर के पिछले भाग में कहा है कि इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया है तथा किया जा रहा है। अतः क्या अब मंत्री महोदय माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य को देखते हुए अपने उत्तर में कुछ संशोधन या परिवर्तन करेंगे ?

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, दोनों वक्तव्यों के बीच बिल्कुल भी विरोध नहीं है। अतः माननीय सदस्य ने जिसका उल्लेख किया उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आयात किए जा रहे कुछ संघटक पुर्जों के संबंध में ये निश्चित रूप से सस्ते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं उस बारे में पूछ रहा हूं, उल्लेख आपने अपने लिखित उत्तर में किया है।

श्री के० आर० नारायणन : यदि कुछ संघटक सस्ते भी हैं, तो भी हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। हम उनका देश में ही निर्माण करने का प्रयत्न करेंगे।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। मैंने कुछ दिन पहले ही सदन में यह अच्छी तरह से स्पष्ट किया था कि कुछ ऐसे पुर्जे हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारा जाना जरूरी है तथा हम इन क्षेत्रों में जायेंगे, चाहे हमें इसकी कुछ कीमत देनी पड़े। यह निवेश विकास के लिए तथा राष्ट्र के निर्माण को मजबूत बनाने के लिए है तथा हम इस प्रकार के निवेश कर रहे हैं। मैंने जो कहा था वह यह था कि हमें एक ही समय पर बहुत से कार्यों को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें अवश्य ही कुछ ऐसे क्षेत्रों को लेना चाहिए जो अधिक संगत हैं और तब उन क्षेत्रों की गहराई में जायें तथा देखें कि हम वास्तव में उन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं, हम यही करें रहे हैं। इसे उत्तर में तथा जो वक्तव्य मैंने दिया उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है।

श्री अमल दत्त : महोदय, पिछले दशक के दौरान जो कुछ हुआ मुझे लगता है कि दुर्भाग्यवश वही पुनरावृत होने जा रहा है। कम से कम पच्चीस वर्षों के लिए इलैक्ट्रानिक विकास के संबंध में निष्क्रिय रहने के बाद, हमने टेलीविजन स्टेशनों पर काफी धन व्यय करके टेलीविजन युग में प्रवेश किया तथा बहुत से लोगों ने टेलीविजन खरीदे जिन्हें बाहर से आयात किए गये पुर्जों को इकट्ठा करके केवल यहां संयोजन किया गया था। इनका बहुत थोड़ा सा ही भाग भारत में बना था। जिसके परिणामस्वरूप हमने टेलीविजन के माध्यम से इलैक्ट्रानिक्स क्रांति का एक अवसर खो दिया। हम दूर संचार में भी यही करने जा रहे हैं क्योंकि हम फिर से एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं अर्थात् हम पुर्जे यहां बनाने के स्थान पर बाहर से एक्सचेंज आयात कर रहे हैं। अतः हमें यह सब करने के लिए योजना व धैर्य से काम करना चाहिए। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि एक्सचेंज जो हमें सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान चाहिए उसके संबंध में हमारे क्या विचार हैं, किस सीमा तक हम एक्सचेंज आयात करने जा रहे हैं तथा कहां तक हम यहां इन संघटकों का निर्माण करने वाले हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : आठवीं पंचवर्षीय योजना में वे यहां नहीं होंगे।

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, हमारा विचार दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ने का तथा साथ ही साथ आवश्यक पुर्जों का उत्पादन देश में करने का है। एक कदम आगे बढ़ने के लिए तथा आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर परिश्रम आवश्यक है तथा आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि विदेशों में उपलब्ध उच्च टेक्नालोजी को प्राप्त करें तथा उसे विकसित करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य उन उपायों का अनुसरण करना नहीं है जैसा कि केरल सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं कि कार्यालयों तथा विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोग का निबंध किया जाए। हम आगे बढ़ रहे हैं तथा हमारा विचार है कि विकास के लिए यह सहायता आवश्यक है।

श्री अमल दत्त : टेलीफोन एक्सचेंज के संबंध में क्या है ?

श्री के० आर० नारायणन : टेलीफोन एक्सचेंज के संबंध में माननीय सदस्य ने स्कूड्राईवर टेक्नॉलोजी का उल्लेख किया है। किन्तु इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्र में, केवल 25 प्रतिशत उत्पादन का आयात किया जा रहा है तथा शेष आज भी भारत में विनिर्मित हो रही है। अत: यह स्कूड्राईवर टेक्नॉलोजी का प्रश्न नहीं है, यह तीव्र विकास है, यह उपस्करों तथा संघटक पुर्जों के विनिर्माण क्षमता का रचनात्मक विकास है। माननीय सदस्य ने पूंजी निवेश के संबंध में पूछा है। हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में संघटक पुर्जों के उद्योग में विकास के लिए काफी भारी पूंजी का निवेश किया है तथा यदि वे चाहते हैं तो आंकड़े उपलब्ध हैं मैं उन्हें पढ़ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री अमल दत्त : आप वे आंकड़े मुझे भेज सकते हैं।

श्री के० आर० नारायणन : मैं वे आंकड़े आपको भेज दूंगा।

माचिस की डिब्बियों का उत्पादन

*927. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीनों से और मशीनों की सहायता के बिना माचिस की डिब्बियों का प्रति वर्ष कितना औसत उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या कुछ वर्षों से मशीनों से बनाई जाने वाली माचिसों के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1980-81 और 1985-86 में पृथक-पृथक मशीनों से और मशीनों की सहायता के बिना बनाई गई माचिसों पर, उत्पाद-शुल्क की दर क्या-क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1986 के लिए मशीनीकृत और गैर-मशीनीकृत क्षेत्रों द्वारा माचिसों के वार्षिक उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

मशीनीकृत क्षेत्र (मैसर्ज विमको)	—	250.4	लाख गुरूस माचिस की डिब्बिया
गैर-मशीनीकृत क्षेत्र	—	1300	लाख गुरूस माचिस की डिब्बियां

(ख) मशीनीकृत क्षेत्र (विमको) में वर्ष 1981 से 1986 तक माचिसों के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	उत्पादन (50-50 तीलियों की मिलियन गुरूस डिब्बियों में)
1981	29.75
1982	29.05
1983	29.09
1984	28.22
1985	28.36
1986	25.04

उल्लिखित आंकड़ों से पता चलता है कि 1986 में विमको द्वारा माचिसों के उत्पादन में काफी कमी आई थी।

(ग) 1986 में विमको द्वारा माचिसों के उत्पादन में कमी आने के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिनमें गैर-मशीनीकृत क्षेत्र द्वारा माचिसों के उत्पादन में वृद्धि होना भी शामिल है।

(घ) 1980-81 और 1985-86 में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित माचिसों पर उत्पादन शुल्क की दरें नीचे दी गई हैं :—

1980-81

क्षेत्र	शुल्क की दरें (50-50 तीलियों की प्रति गुरूस डिब्बियों पर रुपयों में)			
	गत्ते वाली			लकड़ी की परत वाली (विनिअर)
	केवल भीतरी	केवल बाह्य	बाह्य और भीतरी दोनों	
मशीनीकृत क्षेत्र	6.96	7.20	6.60	7.20
गैर-मशीनीकृत मध्यम क्षेत्र	4.26	4.50	3.90	4.50
कुटीर उद्योग क्षेत्र	1.36	1.60	1.00	1.60

1985-86

		गत्ते और लकड़ी की परत वाली, दोनों ही तरह की माचिसों के लिए शुल्क की दरें (50-50 तीलियों की प्रति गुरुस डिब्बियों पर रुपयों में)		
दिनांक	मशीनीकृत क्षेत्र	अर्ध मशीनीकृत (जिसमें 20 लाख रुपए से अनधिक पूंजी निवेश हो)	गैर-मशीनीकृत (जिसमें 1500 लाख तीलियों से अधिक की वार्षिक निकासी हो)	कुटीर उद्योग क्षेत्र (जिसमें 1500 लाख माचिसों से अनधिक की वार्षिक निकासी हो)
1.4.85 से 7.5.85 तक	6.85	5.15	4.50	1.60
8.5.85 से 31.3.86 तक	5.85	4.15	3.50	1.60

श्री एस० जी० घोलप : महोदय, भारत में केवल 5 विमको माचिस के यंत्रीकृत कारखाने हैं और उन 5 में से एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। महोदय, कुटीर उद्योगों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि यंत्रीकृत क्षेत्र को 7 लाख से अधिक माचिस की डिब्बियों का उत्पादन नहीं करना चाहिए। परन्तु वास्तव में 7 लाख डिब्बियां बना रहे हैं। वर्तमान समय में कुटीर और यंत्रीकृत क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क में भिन्नता है। उत्पाद शुल्क का अंतर वर्ष 1979 में 1.47 रु० तथा वर्ष 1986 में 4.25 रु० था। चूंकि दोनों में उत्पाद शुल्क में पर्याप्त अन्तर है, यंत्रीकृत क्षेत्र का उत्पादन बाजार में बिक्री योग्य नहीं है अतः कामगारों को काम नहीं मिल रहा है। इसलिए भारत में सभी यूनियनों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए तथा वर्ष 1985 में पूर्व उत्पाद शुल्क में जो अन्तर था उसे जारी रखना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसकी जांच की है। उन्होंने इस संबंध में क्या निर्णय लिए हैं?

श्री जनार्दन पुजारी : यंत्रीकृत क्षेत्र के लिए उत्पाद शुल्क 5.85 रुपये है और कुटीर उद्योग के लिए यह 1.60 रुपये है। यह सही है कि कुछ भिन्नता है और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है। अभी बढ़ाये जाने वाले शुल्क के संबंध में सरकार विचार कर रही है कि क्या कोई परिवर्तन किया जाये।

श्री एस० जी० घोलप : यूनियनों ने सुझाव दिया है कि कुटीर क्षेत्र में केवल लकड़ी की माचिस की डिब्बी तथा कार्ड-बोर्ड बाक्सों पर उत्पाद शुल्क की दर सीमित की जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : वनों की सुरक्षा तथा संरक्षण के उद्देश्य से हमने कार्ड बोर्ड डिब्बी के उत्पादन के लिए यंत्रीकृत क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं मद्रास में विमको कारखाने की यूनियन का नेता था। हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखाने का आधुनिकीकरण किया। अब अत्यधिक उत्पाद शुल्क के कारण आधुनिकीकरण से संबंधित स्थिति जटिल हो रही है तथा कारखाने को मुख्यत: उच्च उत्पाद शुल्क के कारण आज बन्द करना पड़ा है। कामगारों को जबरन छुट्टी दी जा रही है। क्या ऐसी नीति है कि वे उत्पाद शुल्क के माध्यम से आधुनिकीकृत उद्योग को रुग्ण बनाना चाहते हैं ? यदि ऐसा ही है तो वर्तमान उत्पाद शुल्क सही है अन्यथा केवल जो विकल्प दिखाई देता है वह यह है कि उत्पाद शुल्क में अन्तर को कम किया जाए। महोदय, मैं सरकार से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहले अन्तर कार्ड बोर्ड डिब्बी पर आधारित था। यहां तक कि आज कुटीर उद्योग भी माचिसों के लिए कार्ड बोर्ड की डिब्बी बना रहे हैं और ऐसी स्थिति है जहां अंतर इतना अधिक है कि लगभग 50,000 कामगार बेरोजगार हो रहे हैं तथा रुग्ण उद्योग बंद हो रहे हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में गंभीर है या यूं ही इस पर विचार कर रही है ? क्या वे उत्पाद शुल्क के अन्तर को कम करेंगे ? यह एक सीधा प्रश्न है।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैंने बताया है कि रोजगार बढ़ाने के लिए तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क की दर कम है तथा वास्तविकता यह है कि यंत्रीकृत क्षेत्र इससे प्रभावित है और क्या शुल्क को और कम किया जाए, यह बात विचाराधीन है। मैं पहले इस मुद्दे का उल्लेख कर चुका हूं।

श्री आशुतोष लाहा : महोदय, विमको का एक कारखाना मेरे क्षेत्र में है और यह इस वर्ष 4 अप्रैल से बन्द पड़ा है। इसका कारण यह है कि वहां यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क में काफी अन्तर है। लेकिन लाभ किसे मिल रहा है ? मैं यंत्रीकृत क्षेत्र या कुटीर उद्योग के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि लाभ किसे मिल रहा है ? वास्तव में उत्पाद शुल्क में अंतर काफी अधिक है। बिचौलियों को इसका लाभ मिल रहा है। यह उपभोक्ताओं या विनिर्माताओं को नहीं मिल रहा है। दो प्रकार के विनिर्माता हैं—गैर यंत्रीकृत क्षेत्र और यंत्रीकृत क्षेत्र के निर्माता। यंत्रीकृत क्षेत्र 5 रुपये प्रति गुरुस की कीमत पर बेच रहा है वे 95 पैसे लाभ ले रहे हैं। खुदरा उपभोक्ता कीमत 25 पैसे प्रति डिब्बी है। व्यापारियों के लाभ के अंतर की प्रतिशतता 89 है। टाइना विनिर्माताओं की बिक्री की कीमत 80 रुपये प्रति गुरुस डिब्बी है। खुदरा उपभोक्ता कीमत 25 पैसे प्रति डिब्बी है तथा व्यापारियों के लाभ का अंतर 125 प्रतिशत तक आ गया है, जबकि यंत्रीकृत क्षेत्र में कीमत 145 रुपये प्रति गुरुस डिब्बी है, खुदरा उपभोक्ता कीमत 25 पैसे प्रति डिब्बी है तथा व्यापारियों के लाभ का अंतर 24 प्रतिशत है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं कि लाभ कौन ले रहा है। यदि उसी समय अंतर कम किया जाता है तो सरकार 52 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर सकती है।

श्री जनार्दन पुजारी : ये सभी पहलू विचाराधीन हैं, हम उनकी जांच कर रहे हैं तथा मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 17.3.85 और 7.5.1985 के बीच हमने शुल्क को 6.85 पैसे से कम करके 5.85 पैसे कर दिया है। दिनांक 8.5.1985 को इसे 5.85 पैसे तक कम कर दिया गया है और हम अभी भी जांच कर रहे हैं। मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय यह राजस्व का एक मामूली प्रश्न नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय भी ऐसा ही कह रहे हैं। यह रोजगार अवसरों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से औद्योगिक नीति अपनाने का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : यंत्रीकरण को निरुत्साहित करना।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक विकासशील राष्ट्र में यंत्रीकरण या आधुनिकीकरण में इस प्रकार विभेद नहीं करना चाहिए। क्या सरकार को पता है कि माचिस की डिब्बी का उत्पादन ऐसा कार्य है जिसे यंत्रीकरण या आधुनिकीकरण के बिना भी चलाया जा सकता है और विमको जैसी कंपनियों को एक बार के लिए या हमेशा के लिए बन्द किया जा सकता है।

श्री जनार्दन पुजारी : यंत्रीकृत क्षेत्र को बन्द करने की सरकार की इच्छा नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं सभी क्षेत्रों में यंत्रीकरण को बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं केवल माचिस की डिब्बी के बारे में कह रहा हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : हां माचिस की डिब्बी के लिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सरकार का उद्देश्य और नीति कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने की है तथा शुल्क 1.60 पैसे से कम करने की कुटीर उद्योगों की मांग भी है तथा हम इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप विमको की मांग पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि सरकार की वर्तमान पालिसी की वजह से विमको फैक्ट्री के लगभग 50-60 वर्कर्स बेरोजगार होने जा रहे हैं। बरेली में, मेरे क्षेत्र में एक इन्डस्ट्री है। वहां इस तरह की स्थिति है। मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि इडस्ट्रीज जिंदा रहे, वहीं दूसरी तरफ एक ही परिवार की लगभग 150 इंडस्ट्रीज को कोटेजे इंडस्ट्री के नाम पर बड़ी छूट दे रहे हैं जिनकी वजह से विमको इंडस्ट्रीज हिन्दुस्तान में बढ़ती जा रही है और हमारे वर्कर्स बेकार होते जा रहे हैं, इन सब बातों को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी अपनी पालिसी पर पुनः विचार करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे ताकि और इंडस्ट्रीज भी जिंदा रह सके ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, हम यंत्रीकृत क्षेत्र और कुटीर क्षेत्र की कठिनाइयों की जांच कर रहे हैं और हम उनका समाधान करेंगे।

प्रदूषण रोधी कार्यक्रम

*928. **डा० टी० कल्पना देवी** : **क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1986-87 के दौरान कौन-कौन से प्रदूषण रोधी कार्यक्रम आरम्भ किए थे;

(ख) ये कार्यक्रम किन-किन स्थानों पर आरम्भ किये गये थे; और

(ग) इसके अंतर्गत कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कार्यक्रमों में वायु और जल की गुणवत्ता की मानीटर करना, मानकों का निर्धारण तथा उनका कार्यान्वयन शामिल है।

(ख) ये कार्यक्रम देश भर में शुरू किए गए हैं।

(ग) उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) जल और वायु की गुणवत्ता को मानीटर करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है;

(2) चरणबद्ध आधार पर कार्यान्वयन के लिए मुख्य प्रदूषक उद्योगों के बहि:स्रावों और उत्सर्जनों के मानक निर्धारित कर दिए गए हैं; और

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू कर दिया गया है जो एक व्यापक कानून है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण के सभी पहलुओं का समावेश है।

डा० टी० कल्पना देवी : महोदय, भारत में लगभग हर वर्ष 10 लाख टन कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। महोदय, इन कीटनाशक दवाइयों में से 70 प्रतिशत पर पश्चिमी देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन में भारत के खाद्य पदार्थों का बाहर विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि उनमें से 50 प्रतिशत कीटनाशक दवाइयों से संदूषित थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने प्रदूषण को कम करने तथा स्वास्थ्य के लिए खतरे को कम करने के लिए कीटनाशक दवाइयों के अनावश्यक एवं बेकार उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमें सन् 2000 तक सबका अच्छा स्वास्थ्य के स्थान पर किसी का भी अच्छा स्वास्थ्य नहीं का सामना करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा "लीजिंग" व्यवसाय

*920. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कोई उपक्रम "लीजिंग" व्यवसाय कर रहे हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान सरकारी क्षेत्र में लीजिंग व्यवसाय का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) लीजिंग कम्पनियां, कमोबेश, गैर सरकारी क्षेत्र में ही हैं। कुछ एक राष्ट्रीयकृत बैंकों की लीजिंग कम्पनियों अथवा सहायक कम्पनियों का संवर्धन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय रेलों तथा अन्यों के लिए वित्त पोषण तथा लीजिंग की व्यवस्था करने के प्रयोजन से दिसम्बर, 1986 में भारतीय रेलवे वित्त निगम की स्थापना भी की गई थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने उपस्कर लीजिंग योजना को पुरः स्थापित करने का निश्चय भी किया है।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र में लीजिंग के कारोबार को फैलाने का प्रस्ताव इस कारोबार की व्यवहार्यता और सक्षमता पर ही निर्भर करता है; किन्तु सरकारी क्षेत्र के एककों पर इस कारोबार को चलाने में कोई पाबंदियां नहीं हैं, बशर्ते कि यह कारोबार उन एककों के संस्थान नियमों में विहित उद्देश्य मूलक खण्ड के उपबंधों के अनुरूप हों। सरकार के पास लीजिंग कार्यों के विस्तार के लिए कोई भी विनिर्दिष्ट प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान योजनायें

* 926 **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में युवा वैज्ञानिकों को विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपने अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं और वे किन-किन अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान करने के लिए युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने की भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. **युवा वैज्ञानिकों के लिए योजना** : इस योजना के अंतर्गत ऐसे युवा वैज्ञानिक (35 वर्ष की आयु तक) आते हैं, जिनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण है। इसे छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में शुरू किया गया था और यह सातवीं योजना अवधि में भी जारी रखी गई है, जिसमें युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन और सहायता देने पर अधिक बल दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, वैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं में अनुसंधान के लिए तथा बैठकों और संगोष्ठियों और परिसंवादों में आपसी विचार-विमर्श के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रशिक्षण पाठयक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा सहायता दी जाती है तथा उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं।

2. **युवा वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद** : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद योजना के एक भाग के रूप में, युवा अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं को सहायता देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के नये उभरते हुए तथा अग्रिम क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के नवीन विचारों को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें अनुसंधान सहायता देना है।

3. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनींदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर** : यह योजना 1986-87 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्र-पंक्ति के चुनींदा क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विख्यात अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों में विशेषज्ञों के मार्ग निर्देशन में विशेषीकृत प्रशिक्षण के अधिक अवसर देना, इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग करना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनींदा क्षेत्रों में विशेषज्ञता आधार बनाना तथा उसे विस्तृत करना है। लगभग 150 युवा वैज्ञानिकों को उक्त विशेष योजनाओं से लाभ पहुंचा है।

4. इन योजनाओं के अतिरिक्त, अनेक सरकारी अभिकरण, उदाहरणार्थ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आदि युवा वैज्ञानिकों को पी० एच० डी० करने के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में प्रायोजित परियोजनाओं के लिए अनुसंधान फैलोशिप और एसोसिएटशिप देते हैं। इससे लगभग 12,200 युवा वैज्ञानिकों को लाभ पहुंचा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरी विज्ञान जैसे विभिन्न विषय आते हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही अभिनिर्धारित ग्रस्ट क्षेत्रों में हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी अंतरण

*929. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 1986-87 में उद्योगों को नई प्रौद्योगिकियां प्रदान की हैं; और

(ख) प्रदान की गई प्रौद्योगिकियों का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा अंतरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन० आर० एस० ए०) ने भारतीय उद्योगों को अभी तक 110 प्रौद्योगिकियों का अन्तरण किया है, जिसमें से 1986-87 के दौरान 23 को और अप्रैल, 1987 में तीन को लाइसेंस दिया गया है। इनका ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	प्रौद्योगिकी	उपयोग/विवरण	लाइसेंस प्रदत्त	सेक्टर	टिप्पणी
	1986-87 लाइसेंसिंग				
1.	एग्रो फोटोमीटर (मार्क-II)	जल दबाव और पौध पर्ण समूह में पर्णहरित मात्रा के स्व-स्थाने मापन के लिए।	(क) ऑप्टोमेक इंजीनियर्स (मई 86) (ख) ई० एल० आई० सी० ओ० हैदराबाद (जून, 86)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त। उत्पादन प्रारंभ।
2.	माइक्रो-आर्ट्स	आंकड़ों के अभिग्रहण के लिए माइक्रो-आर्टस एक माइक्रो-संसाधित आधारित वास्तविक काल प्रणाली है।	(क) स्पेक सिस्टम्स हैदराबाद (जुलाई, 86)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	उत्पादन
			(ख) इंडस्ट्रीयल कन्सल्टेंसी एण्ड एप्लीकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई (मार्च, 87)	गैर-सरकारी	उत्पादनीकरण के अंतर्गत
3.	दोहरा घनत्वमापी	दोहरे घनत्वमापी का प्रयोग गुणवत्ता नियंत्रण के लिए फोटोग्राफीय उत्पादों के वर्ण घनत्व मापन के लिए किया जाता है।	स्पेक सिस्टम्स, हैदराबाद (जून, 86)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	उत्पादन प्रारम्भ

क्रम संख्या	प्रौद्योगिकी	उपयोग/विवरण	लाइसेंस प्रदत्त	सेक्टर	टिप्पणी
4,5.	डाइमर एसिड और पॉलिएमाइड	डाइमर एसिडों को रसायनिक संरूपणों में संयोजी/तनुकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है—पॉलिएमाइडों को उष्ण गलित आसंजनों, प्रिंटिंग इंक, धात्विक सतहों के प्रलेपनों इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया जाता है।	आई. वी. पी. लिमिटेड, बम्बई (अप्रैल, 86)	गैर-सरकारी गैर-सरकारी	कॉस्टर ऑयल मध्यवर्तियों से व्युत्पन्न उत्पादनीकरण के अन्तर्गत
6,7.	सिलसेट और सिलट्रॉन	पाटिंग, कम्पन, पृथक्करण, समानुरूप प्रलेपन इत्यादि के लिये विशेष सिलिकान संरूपण	रेलायंस सिलिकोन बम्बई (अक्तूबर, 86)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	उत्पादनीकरण के अन्तर्गत
8,9,10.	सुनम्य रैखिक आकार के चार्जित (तीन मदें)	नियंत्रित द्रुत पृथक्करण प्रणालियों के लिए।	ओ० एफ० बी० कलकत्ता (नवम्बर, 86)	सरकारी क्षेत्र	उत्पादनीकरण के अन्तर्गत
11.	कम-लागत के संचार टर्मिनल	दूरसंचार में इन्सैट प्रणाली उपयोग के लिए	(1) गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रोनिकी लिमिटेड, बड़ौदा (अप्रैल, 86) (2) भारतीय टेलीफोन उद्योग	सरकारी क्षेत्र	उत्पादनीकरण के अन्तर्गत

क्रम संख्या	प्रौद्योगिकी	उपयोग/विवरण	लाइसेंस प्रदत्त	सेक्टर	टिप्पणी
12.	4.5 मीटर जी० एफ० आर० पी० एन्टेना	4.5 मीटर (व्यास) ग्लास फाइबर प्रबलित प्लास्टिक प्रत्यावर्तक एन्टेर्तना	भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर	सरकारी क्षेत्र	उत्पादनीकरण के अन्तर्गत
13.	वर्ण यौगिक प्रिंटर	हवाई और सुदूर संवेदन प्रतिबिम्बिकी विश्लेषण और ग्राफीय आर्ट उद्योगों लिए कम-लागत के आभासी वर्ग के लिए	रिमोट सैंसिंग इन्सट्रूमेंट्स, हैदराबाद (सितम्बर, 86)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	उत्पादनीकरण के अन्तर्गत
14.	माइक्रो एम० आई० डी० ए० एस० (एन० आर० एस० ए०) द्वारा विकसित	माइक्रो बहुस्पेक्ट्रमी अन्योन्य क्रिया-सीस आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली	सीता इलेक्ट्रॉनिकी, हैदराबाद (फरवरी, 86)	गैर-सरकारी	प्रथम प्रोटोटाइप जांच के अन्तर्गत
15.	प्रकाशिकी पैंटोग्राफ (एन० आर० एस० ए० द्वारा विकसित)	मानचित्रकला संबंधी प्रयोजनों के लिए संशुद्धि क्षमता सहित प्रकाशिकी परावर्तक प्रोजेक्टर।	हाई-टेक प्रकाशिकी हैदराबाद (फरवरी, 87)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	इसरो/एन० आर० एस० ए० की उद्यमी योजना के अन्तर्गत अभि-प्रेरित
16. 17.	ऑप्टोकोट-1 और 2	अवरक्त क्षेत्र के लिए प्रति-परावर्तन प्रलेपन।	ऑप्टीकल कोटिंग लेबोरेटरीज, बंगलौर (जुलाई, 86)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	भारतीय और विदेशी उद्योगों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस के अन्तर्गत

क्रम संख्या	प्रौद्योगिकी	उपयोग/विवरण	लाइसेंस प्रदत्त	सेक्टर	टिप्पणी
18.	निम्न-लागत ग्रामीण पवन-चक्की	गांवों में ग्रामीण जल पम्पिंग के लिये	नागराज इण्डस्ट्रीज, हसन (जुलाई, 86)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	सभी इच्छुक ग्रामीण विकास एजेन्सियों में निशुल्क टी. टी. का प्रयोग किया जा रहा है।
19.	पी. टी. एफ. ई. प्रलेपन प्रक्रिया	परिशुद्ध यांत्रिकी घटकों के लिए पॉलीटेट्राफ्लूरिथैलीन प्रलेपन प्रक्रिया	टिटेनियमटेंटाटम प्राडक्ट्स, मद्रास (मार्च, 87)	गैर-सरकारी	अतिरिक्त लाइसेंसिंग के अन्तर्गत
20.	आर० एन० मॉडुलेटर	रेड़ियो संचारजाल मॉडुलेटर (इन्सैट प्रणालियों के उपयोग के लिए)	भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर (फरवरी, 87)	सरकारी	अतिरिक्त लाइसेंसिंग के अन्तर्गत
21.	नाइट्रिल-फिनोलिक बांसजी संरूपण	धातुओं पर रबड़ और फेबरीक आबंधन के लिए (पेट्रोलियम इंधनों के भण्डारण, परिवहन तथा दहन प्रणालियों में)	सुन्दरम इण्डस्ट्रीज, मदुरई (मार्च, 87)	गैर-सरकारी	—
22,23.	प्रभाव तथा घर्षण संवेदनशील परखी	विस्फोटक सामग्री की जांच, अर्हता और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए	तमिलनाडु इण्डस्ट्रीयल एक्सप्लोजरस, वैलोर (जनवरी, 87)	सरकारी	—

क्रम संख्या	प्रौद्योगिकी	उपयोग/विवरण	लाइसेंस प्रदत्त	सेक्टर	टिप्पणी
1987-88 लाइसेंसिंग					
1.	संरचना फिएस्ट साफ्ट वेयर पैकेजों के परिमित तत्व विश्लेषण	संरचनाओं के परिमित तत्व विश्लेषण	सी० एम० सी० लिमिटेड (अप्रैल, 87)	गैरसरकारी	फिएस्ट प्रयोक्ताओं के मार्किट विकास तथा सर्विसिंग के लिए सी० एम० सी० को लाइसेंस दिया गया।
2.	मानचित्र मास्टर	कार्टोग्राफीक मानचित्रों के पैमाने को बदलने के लिए	आप्टोमेट इंजीनियर्स, हैदराबाद (अप्रैल, 87)	गैर-सरकारी (छोटे पैमाने)	—
3.	क्रेन नियंत्रण प्रणाली	ओ० एच० क्रेनों के लिए नियंत्रण प्रणाली	फाफेको, बंगलौर (अप्रैल, 87)	गैर-सरकारी	—

तालचेर भारी पानी संयंत्र का बन्द होना

*930. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1986 में तालचेर भारी पानी संयंत्र के बन्द किये जाने के समय से कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या संयंत्र में अप्रैल, 1986 में हुई दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है और दोषी पाए गए व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है; और

(ग) संयंत्र में तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए इसमें कौन-कौन से सुधार किये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तलचर भारी पानी संयंत्र के उत्पादन में उसके साथ लगे उर्वरक संयंत्र के कारण बार-बार रुकावटें पड़ने और प्रमुख निवेश-सामग्री की सप्लाई अपर्याप्त रहने के परिणामस्वरूप, और भारी पानी संयंत्र की अपनी ही कुछ सीमाओं के कारण स्थिरता नहीं आ पाई है। इसके परिणाम-स्वरूप संयंत्र के बन्द होने से होने वाली वास्तविक हानि बहुत अधिक नहीं रही है। यह माना जा सकता है कि परिणामस्वरूप हुई अनुमानित हानि निर्धारित उत्पादन लक्ष्य के बराबर रही है।

(ख) आग लगने की दुर्घटना का कारण यह था कि फ्लैंग्ड कनैक्शन में एक गैस्केट लाइनर के खराब हो जाने की वजह से उच्च दाब वाली गैस अचानक रिसने लगी। इसके लिए किसी व्यक्ति को ठीक तरह से काम न करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जांच कार्यों के लिए और बाद के अनुरक्षण-कार्यों के लिए और अधिक कठोर प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। संयंत्र के बन्द रहने का लाभ संयंत्र में अन्य तकनीकी सुधार करने के लिए भी उठाया गया है जैसे कि हीट एक्सचेंजर को, जिसका कार्यकाल सीमित था, बदलना, नया स्टीम हीटर लगाना, ठोस अशुद्ध पदार्थों को अन्य भागों में जाने से रोकने के लिए पतले फिल्टर लगाना और आग की रोकथाम करने की व्यवस्था को बेहतर बनाना।

ईंधन की कम खपत संबंधी परीक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन

*931. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री ईंधन की कम खपत न करने वाली कारों पर करों में रियायत के बारे में 25 फरवरी, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 452 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईंधन की कम खपत वाली 1000 सी० सी० से अधिक शक्ति की कारों पर वित्तीय रियायतें समाप्त करने और फिर उन्हें बहाल करने के क्या कारण हैं;

(ख) ईंधन की कम खपत संबंधी परीक्षण प्रक्रिया और दण्डों में कौन से परिवर्तन किए गए हैं; और

(ग) स्वदेशीकरण का पूर्ववर्ती चरणबद्ध कार्यक्रम क्या था और इस बारे में वर्तमान कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी अभिकरणों द्वारा कतिपय शिकायतों की प्रारम्भिक जांच से प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन कुछेक मोटर कारों के संबंध में वित्तीय रिआयतों का लाभ उठाया गया था उनकी ईंधन-दक्षता गुण का निर्धारण करने में कतिपय अनियमितताएं की गई होंगी। राजस्व तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, ये रिआयतें देना बन्द कर दिया गया था और साथ-ही-साथ ईंधन-दक्षता परीक्षण कार्यविधि की उद्योग मंत्रालय से परामर्श लेते हुए पुनरीक्षा की गई थी। परीक्षण करने की संशोधित और युक्तियुक्त कार्यविधि के साथ इन रिआयतों को बहाल कर दिया गया था। इन रिआयतों का लाभ उठाने के लिए स्वदेशीकरण के चरणबद्ध कार्यक्रम का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया था।

(ख) संशोधित परीक्षण कार्यविधि में, परीक्षण केवल वाहन अनुसंधान विकास स्थापना में ही किया जाना होता है। ये परीक्षण यादृच्छिक रूप से चयन किये गये 5 कारों पर किए जाने होते हैं। यह परीक्षण-रिपोर्ट केवल 6 महीने के लिए ही वैध होगी।

(ग) उच्चतर क्षमता की कारों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

स्टैन्डर्ड 2000	भारित औसत आयात अन्तर्वस्तु	
	पूर्ववर्ती	संशोधित
प्रथम चरण	25.52%	32.37%
द्वितीय चरण	18.01%	22.62%
तृतीय चरण	उ० न०	2.75%
कंटेसा क्लासिक		
इंजिन, प्रथम चरण ट्रांसमिशन	71.40%	71.40%
और रिअर द्वितीय चरण एक्सिल	56.50%	52%
प्रीमियर 118 एन० ई०		
इंजिन और प्रथम चरण	72.75%	72.75%
ट्रांसमिशन द्वितीय चरण	54.63%	54.63%

सोवियत प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा

*932. **श्री के० वी० शंकर गौडा :**

श्री एस० एम० गुरुड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अप्रैल, 1987 में एक सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) एक उच्च स्तरीय सोवियत वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल ने मार्च, 1987 में भारत का दौरा किया। दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श से दोनों देशों के वैज्ञानिकों/वैज्ञानिक संस्थाओं/संगठनों में द्विपक्षीय सहयोग पर आगे विचार करने के लिए अनेक क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

[हिन्दी]

मुक्तसर (पंजाब) के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता

*933. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री तेजा सिंह वर्दी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने हाल ही में पंजाब के मुक्तसर क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उस क्षेत्र का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उस दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) पंजाब की एक सिंचाई परियोजना को सम्भावित विश्व बैंक सहायता के लिए अनन्तिम रूप से चुना गया है। तथापि, परियोजना घटकों को अभी निर्धारित नहीं किया गया है। विश्व बैंक के एक दल ने अभी हाल ही में इस बारे में पंजाब के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था।

[अनुवाद]

इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा ब्याज की विभेदक दर योजना के अन्तर्गत ऋणों का वितरण

*934. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान ब्याज की विभेदक दर योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गये और इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या वर्ष 1985 के दौरान वितरित की गई धनराशि और लाभार्थियों की संख्या काफी कम थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना के कार्यकरण पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत उसके द्वारा किए गए संवितरण का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	ऋणकर्ता खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
1984	0.54	10.19
1985	0.43	7.61
1986	0.46	8.12

यद्यपि 1984 के मुकाबले 1985 के दौरान संवितरित राशि और सहायता प्राप्त हिताधिकारियों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन दिसम्बर, 1985 के अन्त में विभेदी ब्याज दर योजना के अग्रिमों की राशि पिछले वर्ष के कुल बकाया ऋणों का अभी भी 1.19 प्रतिशत थी। इस प्रकार बैंक ने विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 1 प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया है। बैंक द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किए जाने पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर नजर रखी जाती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुआ घाटा

*935. **श्री राधाकान्त डिगाल :**

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हो रहा घाटा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1987 को कुल संचयी घाटा कितना था और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार करने और घाटा कम करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) दिसम्बर, 1985 के अन्त में कार्यरत 188 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 148 बैंकों की संचित हानियां 61.36 करोड़ रुपये की थीं। अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हानियों के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं : हाल ही के

वर्षों में भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक शाखा विस्तार, प्रति शाखा कम कारबार और स्थापना लागत में वृद्धि।

(ग) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में एक कार्यदल गठित किया था और उक्त दल की सिफारिशों के अनुसरण में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिये थे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ये हैं :

(i) जिन क्षेत्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रिकार्ड निरंतर ठीक हो, उनके लिए विभिन्न चरणों में अतिरिक्त शेयर पूंजी मंजूर की जाए।

(ii) प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता की ब्याज दर कम की जाए।

(iii) सांविधिक नकदी अनुपात की अपेक्षाओं की राशियों को बेहतर आमदनी वाली प्रतिभूतियों में लगाया जाए।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए।

(v) प्रायोजक बैंकों को धनराशियों के प्रबंध, कर्मचारी प्रशिक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

(vi) उत्पादकता बढ़ाने के लिए बारीकी से निगरानी की जाए।

स्वदेशी संघटक उद्योग

***936. श्री के० वी० शंकर गौडा :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नए डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज में स्वदेशी संघटक उद्योग द्वारा निर्मित पुर्जों के लिए आदेशों की कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इलैक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण का लक्ष्य कितना रखा गया है;

(ग) क्या संघटक उद्योग में आदेशों की कमी के कारण स्वदेशी पुर्जों के निर्माण पिछड़ जाने से इलैक्ट्रानिकी योजना पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देने हेतु इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1985-86 में उत्तर प्रदेश के मनकापुर स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई० टी० आई०) में ई-10 बी अंकीय इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का उत्पादन आरम्भ हुआ। उक्त यूनिट के लिए आवश्यक मुद्रित परिपथ बोर्डों (पी० सी० बी०) संकर (हाइब्रिड) परिपथों, कनेक्टरों, रिले आदि जैसे अधिकांश संघटक-पुर्जों का उत्पादन स्वयं इन इकाइयों द्वारा उनके ही

यहां किया जाएगा। इस प्रकार, इन संघटक-पुर्जों की बाहरी स्रोतों से खरीद करने की गुंजाइश सीमित है। ई-10 बी एक्सचेंजों के लिए इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के स्वदेशीकरण पर एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, ताकि उनकी स्वदेशीकरण की रफ्तार पर निगरानी रखी जा सके तथा उसमें तेजी लाई जा सके। यह समिति स्वयं इन यूनिटों में विनिर्मित संघटक-पुर्जों के साथ-साथ बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए जाने वाले संघटक-पुर्जों पर निगरानी रखेगी। बाहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाले संघटक-पुर्जों के मूल्यांकन का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में इलैक्ट्रानिक उत्पादन का लक्ष्य 10,860 करोड़ रुपये रखा गया है।

(ग) जी, नहीं। इलैक्ट्रानिक उद्योग का उत्पादन तथा उसके स्वदेशीकरण का कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघटक-पुर्जों के उत्पादन में कोई रुकावट आने की संभावना नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा धन दिया जाना

*937. **श्री आर० एस० माने** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन किए जाने और धन दिये जाने में उदारता बरते जाने के कारण कितने धन की हानि हुई है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा नौवहन विकास निधि समिति के विभिन्न कार्यों की जांच शुरू की गई है अथवा किए जाने का विचार है ताकि विशाल परिसम्पत्तियों को बचाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नौवहन विकास निधि समिति (समाप्ति) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार 3 अप्रैल, 1987 से नौवहन विकास निधि समिति का समापन कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप उसकी परिसम्पत्तियां तथा देयताएं भारत सरकार में निहित हो गयी हैं। भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति के प्रति नौवहन और मछली पकड़ने की कम्पनियों की दिनांक 31 जनवरी, 1987 को देनदारी की क्रमशः 456.21 करोड़ रुपये और 2.94 करोड़ रुपये की रकमें अतिदेय हो गयी थीं। समिति ने कानूनी नोटिस जारी किये थे और कुछ नौवहन कम्पनियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अदायगी में चूक की थी, कानूनी कार्रवाई भी शुरू की थी। व्यापारिक जहाजों और मछली पकड़ने के ट्रालरों का वित्तपोषण करने के लिए 8 दिसम्बर, 1986 को "भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम" के नाम से एक नया संगठन स्थापित किया गया है। इस संगठन ने विभिन्न ऋण नौवहन कम्पनियों की अर्थक्षमता की जांच भी शुरू कर दी है। यह कम्पनी अर्थक्षम पायी जाने वाली कम्पनियों के बारे में मिली-जुली पुनरुद्धार योजनाएं तैयार करेगी। चूककर्ता कम्पनियों के बारे में बकाया रकमों की वसूली के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

न्यू बैंक आफ इंडिया की बाबत में चल रही कार्यवाही

*938. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बैंक आफ इंडिया की अनेकों शाखाएं घाटे में चल रही हैं;

(ख) बैंक ने अपना स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाने के लिए बिना निविदाएं आमंत्रित किये सामग्री की खरीद पर कितनी धनराशि व्यय की; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) न्यू बैंक आफ इंडिया सहित सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने लाभ और हानि खाते तथा तुलन पत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित फार्मों के अनुसार तैयार करते हैं। लाभ और हानि खाते तथा तुलन-पत्र में वर्ष के दौरान बैंक के केवल कुल लाभ/हानि की स्थिति दर्शायी होती है। शाखा-वार लाभ और हानि प्रकाशित नहीं की जाती है। वर्ष 1986 के लिए न्यू बैंक आफ इंडिया का प्रकाशित लाभ 141.46 लाख रुपये है।

न्यू बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने बैंक की स्वर्ण जयन्ती समारोह के संबंध में सामान खरीदने के वास्ते लगभग एक लाख छः हजार रुपये खर्च किए हैं। इसमें से लगभग 76 हजार रुपये के मूल्य का सामान सरकारी एजेंसियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सरकार द्वारा मंजूरशुदा पूर्तिकर्ताओं से खरीदा था। केवल लगभग 30 हजार रुपये का सामान निविदाए आमंत्रित किए बगैर अन्य पूर्तिकर्ताओं से खरीदा गया था। बैंक के अनुसार इसमें कम कीमत की कई वस्तुएं शामिल थीं और ऐसी खरीद के वास्ते निविदा आमंत्रित करने की विस्तृत प्रक्रिया जरूरी नहीं समझी गयी।

आन्ध्र प्रदेश को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आवंटित धनराशि

*939. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को वन्य जीवन के संरक्षण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1987-88 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त राज्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लक्ष्य कहां तक प्राप्त किये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) आन्ध्र प्रदेश को वन्यजीव संरक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों में 1984-85 में 20.38 लाख रुपए, 1985-86 में 19.88 लाख रुपए और 1986-87 में 29.11 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ख) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदित हो जाने के बाद केन्द्रीय निधियां सालाना आधार पर बंटित की जाती हैं। राज्य-वार निधियां निर्धारित नहीं की जाती हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ सफलता हासिल कर ली है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश

*940. **श्री ए० सी० वम्मुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियां आकर्षक ब्याज दर घोषित करके धनराशि जमा कर रही है, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश में कमी आ रही है; और

(ख) लोगों को अपनी बचत की राशि वित्तीय संस्थानों में जमा करने हेतु आकर्षित करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाराशियों पर दी जाने वाली अधिकतम ब्याज दर और स्वीकार की जा सकने वाली जमाराशियों की सीमाएं भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की अधिक दरों के बावजूद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाई गयी धनराशियां संतोषजनक हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 1985 के अन्त में जमाराशियों की तुलना में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में मार्च, 1986 के अन्त में लगभग 13,000 करोड़ रुपए (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। गैर-बैंकिंग कम्पनियों की जमाराशियों में पिछले वर्ष की इसी अवधि में केवल 451 करोड़ रुपए (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 1985-86 (जुलाई-जून) में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की कुल बिक्री में 136 करोड़ रुपए की वृद्धि (18 प्रतिशत) हुई।

राजस्थान के जैसलमेर जिले के सोब गांव में स्वापक पदार्थों का पकड़ा जाना

*941. **श्री माणिक रेड्डी :**
श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सागढ़ पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत सोब गांव में 31 करोड़ रुपये मूल्य की हैरोइन और स्मैक पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्राप्त हुई प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार, जैसलमेर जिले के गांव सोब में दिनांक 6.4.1987 को 321.720 किलोग्राम हैरोइन जब्त की गई थी। यह नशीला पदार्थ पाकिस्तान से लाया गया बताया गया था। एक पाकिस्तानी नागरिक सहित दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जिनके विरुद्ध कानून के तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना

*942. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले में एक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस जिले में कस्तूरी मृग अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थापित किये जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को उस क्षेत्र की जनता से इस अभ्यारण्य की स्थापना के विरुद्ध कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 1986 में पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट के निकट एक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना की गई है।

(ग) केन्द्र सरकार को इस अभ्यारण्य की स्थापना के खिलाफ ऐसी आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय राष्ट्रीय पार्क

9159. **डा० बी० एल० शैलेश :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये पार्क किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे; और

(घ) इन पार्कों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना सम्बन्धित राज्य सरकारों की सीमा में आता है। भारत सरकार ने अन्तर-राज्य उद्यानों की स्थापना करने के बारे में कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

परती भूमि सुधार

9160. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की पहल से राज्य सरकार के सहयोग द्वारा परती भूमि सुधार हेतु कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में परती भूमि सुधार के लिए कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं और प्रत्येक मामले में कितनी लागत आने का अनुमान है तथा योजना की अब तक की प्रगति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सातवीं योजना के शेष वर्षों में कोई नई योजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। राज्य के स्कीमों के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से केन्द्र सरकार की पहल पर वनीकरण के जरिए परती भूमि के सुधार की कई स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए वित्तीय आवंटन, दी गई निधियां, भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों के स्कीम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

स्कीम	वित्तीय (लाख रुपये में) बंटित 84-85	85-86	86-87	दी गई/उपलब्ध की गई 84-85	85-86	86-87	भौतिक लक्ष्य 84-85	85-86	86-87	उपलब्धि 84-85	85-86	86-87
1. ग्रामीण जलावन की लकड़ी की पौधरोपण	90	110	80	67.70	55	64.45	3946 हे. 50 लाख बालपौधे वितरित किए गए	5664 हे.	3340 हे.	3810 हे. 36.58 लाख बालपौधे वितरित किए गए	4226 हे.	3960 हे.
2. आपरेशन सायलवाच	200	240	210	206.74	201.16	137.54	8700 हे.	8707 हे.	5250 हे.	7874 हे.	8197 हे.	5250 हे.
3. विकेन्द्रीकृत पौधशालाएं	—	—	20	—	—	20	—	—	44 लाख बालपौधे	—	—	उपलब्ध नहीं
4. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी-परियोजनाएं)	—	835	101.1	—	416	77.9	—	18,510	21,163	—	13,773	9071 हे.+ 63 लाख बालपौधे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	25.64	55.2	69	18.84	31.67	उपलब्ध नहीं	—	—	—	889	926	उपलब्ध नहीं
6.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	—	47.00	57.75	—	32.66	16.50 (30-9-86) तक	—	—	—	—	1002.57 हे.	748 हे. (30-9-86) तक

*राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष वार भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

9161. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) समन्वित ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम एक नया कार्यक्रम है जिसे सबसे कम लागत पर भरोसेमंद और उत्पादक कार्यकलापों के वास्ते ग्रामीण ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये क्षेत्र आधारित और खण्ड स्तर की समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजनाएं तैयार करके विभिन्न ऊर्जा पूर्ति स्कीमों को एकीकृत तथा समन्वित करने और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। समन्वित ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 में प्रारंभ की गई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शामिल है, जिसके तहत राज्य स्तर तथा जिला/ब्लाक स्तर पर समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सेल स्थापित करने, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुये और चुने हुये ब्लाकों में समन्वित ग्रामीण योजनाएं तथा परियोजनाएं बनाने तथा कार्यान्वित करने के वास्ते इन सेलों के स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिये 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 1987-88 के दौरान सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 126 चुने हुये ब्लाक शामिल किये जाएंगे। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर के समन्वित ग्रामीण ऊर्जा आयोजन सेल स्थापित किये जा रहे हैं; और इन 126 ब्लाकों में ब्लाक स्तर के समन्वित ग्रामीण ऊर्जा आयोजन सेल स्थापित किये जायेंगे।

राज्य परिवहन सेवा के लिए विश्व बैंक से ऋण

9162. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में राज्य परिवहन सेवा के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को ऋण या सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को अब तक दी गई सहायता/ऋण का ब्यौरा क्या है और इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कई राज्य सरकारों ने अपनी राष्ट्रीयकृत बस परिवहन प्रणाली के लिये वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सहायता की मांग की है;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने ऋण मंजूर करने के लिए कोई शर्त लगाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) विश्व बैंक समूह ने अब तक दो नगर परिवहन परियोजनाओं के लिये क्रमशः बम्बई (महाराष्ट्र) और कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) में सहायता मंजूर की है। इसके अतिरिक्त, मद्रास (तमिलनाडु) के लिए दो शहरी विकास परियोजनाओं में परिवहन के संबंध में संघटक आबंटन किये गये हैं। विश्व बैंक द्वारा बम्बई नगर परिवहन परियोजना के लिये 2.5 करोड़ डालर की राशि और कलकत्ता नगर परिवहन परियोजना के लिये 4.451 करोड़ डालर की राशि संवितरित की गई है। मद्रास नगर विकास संबंधी दो परियोजनाओं के अधीन विश्व बैंक द्वारा क्रमशः 87 लाख डालर और 130 लाख डालर की राशि मंजूर की गई है जो विशिष्ट रूप से परिवहन संघटकों के अंतर्गत सहायता के रूप में है। यद्यपि मद्रास शहरी विकास संबंधी पहली परियोजना के अंतर्गत सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है तथापि दूसरी परियोजना इस समय क्रियान्वयनाधीन है। आशा की जाती है कि परियोजना के पूरा होने के साथ ही स्वीकृत राशि की पूरी तरह से निकासी कर ली जाएगी।

विश्व बैंक से प्राप्त संवितरणों की राशियों को, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता संबंधी मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार, राज्यों के साथ बांटा गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। फिर भी, विश्व बैंक को सहायता के लिये प्रस्तुत की गई तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना में पल्लवन परिवहन निगम को सुदृढ़ बनाने संबंधी एक संघटक शामिल किया गया था।

(ङ) और (च) विश्व बैंक द्वारा परियोजना के लिए अभी तक कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

एरेटेड वॉटर पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि

9163. श्री आनन्द पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एरेटेड वॉटर पर उत्पाद शुल्क में कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण है; और

(ख) एरेटेड वॉटर को मॉडवेट योजना में शामिल किये जाने के कारण किस मद पर उत्पाद शुल्क में बचत होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वातित जल पर उत्पादन शुल्क 1987 के बजट में बढ़ाया गया था। बोतलों में शीतल पेयों और सोडे पर शुल्क क्रमशः 20 पैसे और 15 पैसे प्रति बोतल बढ़ाया गया था। जो शीतल पेय और सोडा बोतलों से भिन्न पैकेजिंग में बेचे जाते हैं उनकी दरें 60% और 40% से बढ़ाकर क्रमशः 75% और 60% कर दी गई थी। मॉडवेट का लाभ साथ-साथ वातित जल पर भी दिया गया था। इससे वातित जल के निर्माण में प्रयुक्त चीनी, कार्बनडाईआक्साइड, पिल्फर प्रूफ कैप, शीशे की बोतलें आदि जैसी निविष्टियों पर प्रदत्त शुल्क का क्रैडिट वातित जल के निर्माताओं को दे दिया गया है। शुल्क में बढ़ोत्तरी के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति मॉडवेट के माध्यम से दिये गये लाभ द्वारा हो जायेगी। अरिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिये यह बढ़ोत्तरी की गई है और इस बढ़ोत्तरी से एक वर्ष में 17 करोड़ रुपये का राजस्व-भाग होने की आशा है।

निगमित करों में राज्यों का हिस्सा

9164. **श्री आर० एम० भोये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निगमित करों की प्राप्तियों को राज्यों के साथ बांटने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अहमद पटेल : (क) और (ख) जी नहीं। अभी सरकार के पास निगम कर से प्राप्त होने वाली रकमों को राज्यों के साथ बांट लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यूनाइटिड कमर्शियल बैंक का ऋण जमा अनुपात

9165. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अपना ऋण जमा-अनुपात जुटाने में अब तक असफल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत बहुत से आवेदकों को, जिनके मामले बैंक के विचाराधीन थे, और अधिक उचित सहायता नहीं मिल रही है;

(ग) क्या बैंक बड़े घरानों से वसूल न होने वाले ऋणों के मामले में भी अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) यदि हां, तो उक्त मामलों के बारे में तथ्य क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बैंक के कार्यकरण में सुधार करने के लिये और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसने बैंकों के कुल ऋण जमा अनुपात के संबंध में कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित अपनी-अपनी शाखाओं के सम्बन्ध में अखिल भारत आधार पर अलग से 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करने के लिये कहा है। दिसम्बर, 1985 के अन्त में यूको बैंक का उसकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं का ऋण जमा अनुपात क्रमशः 50.3 प्रतिशत और 41.3 प्रतिशत था।

(ख) यूको बैंक ने सूचित किया है कि हालांकि बैंक को अस्थाई रूप से ऋण पर कुछ रोक लगानी पड़ी थी लेकिन ये प्रतिबन्ध प्रत्यय कृषि अग्रिमों और स्वरोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना आदि जैसी अन्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर लागू नहीं होते थे और इसके विपरीत बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक ऋण सहायता देकर अपने ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने का प्रयास किया है।

(ग) और (घ) यूको बैंक ने बताया है कि मझोले और बड़े तथा साथ ही साथ लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत संस्थाओं/बैंक द्वारा वित्त पोषित कई एकक बन्द हो गये है। 31 दिसम्बर, 1986 तक ऋण एककों में यूको बैंक की अन्तर्ग्रस्त राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(रकम करोड़ रुपये में)

	संख्या	राशि
मझौले और बड़े	44	119.66
लघु उद्योग	875	53.31

(ङ) बैंक ने बताया है कि अवरुद्ध खातों की समीक्षा करने और देय रकमों की वसूली अथवा संभावित अर्थक्षम ऋण एककों के पुनरुद्धार के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। यूको बैंक ने अपनी परिचालनात्मक क्षमता और वित्तीय अर्थक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से 1986 और 1987 के लिये द्विवार्षिक कार्य आयोजनाएं भी तैयार की हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर ही पूंजी निवेश

9166. **श्री मानिक साल्याल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के एक दल और उनके मंत्रालय के अधिकारियों के बीच जनवरी, 1987 में हुई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि अनिवासी भारतीयों द्वारा केवल उच्च प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर ही पूंजी निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जल प्रदूषण

9167. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने नदी जल में प्रदूषण का पता लगाने के लिये कुछ नये तरीके विकसित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) तरीकों में दूरस्थ संवेदन, कम्प्यूटरीकृत प्रदूषण प्रबोधन प्रणालियां और जैव-रसायन आक्सीजन मांग का तीव्र आंकलन शामिल है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रहने वाली परियोजनायें

9168. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और बजट में प्रावधान प्रारम्भिक मूल लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने की संभावना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि किये बिना कार्यक्रम को निर्धारित समय पर पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) सातवीं योजना में 1.4.85 से 1.12.86 तक 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुसूची के अनुसार लागत वृद्धि के बिना परियोजनाओं को पूरा करने का मूल उत्तरदायित्व परियोजना प्राधिकारी और प्रशासनिक मंत्रालय पर है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समय-समय पर निम्नलिखित की आवश्यकताओं पर जोर देता रहा है ताकि परियोजनाएं अनुसूची के अनुसार और स्वीकृत लागत में पूरी हो जाएं।

(i) वास्तविक परियोजना रिपोर्टें तथा कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करना;

(ii) परियोजना के लिए सरकार की औपचारिक स्वीकृति मिलने तक भूमि अधिग्रहण के लिये अग्रिम कार्यवाही का अनुमोदन, परियोजना स्थल पर आधारी संरचना का विकास आदि;

(iii) शुरू से आखिर तक पर्याप्त निधि सुनिश्चित करना;

(iv) मासिक फ्लैश रिपोर्ट प्रणाली के माध्यम से प्रभावी प्रबोधन;

(v) परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिये परियोजना प्राधिकारियों पर सतत् दबाव; और

(vi) विक्रेताओं/संभरकों द्वारा नाजुक उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब, विभिन्न ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों द्वारा जनशक्ति/निर्माण उपकरणों को अपर्याप्त रूप से जुटाने, विभिन्न नियामक एजेंसियों आदि की अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब जैसी समस्याओं के अन्त: मंत्रालयी विषयों के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वय बैठकें करना।

विवरण

1 अप्रैल, 1985 से 1 दिसम्बर, 1986 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली अनुमोदित क्षेत्र की परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना	अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित माल लागत (करोड़ रु०)	प्रत्याशित (1.12.86 को) लागत (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5
	परमाणु ऊर्जा			
1.	हैवी वाटर प्रोजेक्ट, हजीरा	4/86	422.71	422.71

1	2	3	4	5
	विद्युत			
2.	मैथान जी० टी० (डी० वी० सी०)	1/86	44.57	53.42
3.	मेजिया तापीय (डी० वी० सी०)	3/86	566.00	566.00
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस			
4.	कैप्टिव पावर प्लांट-एच पी सी एल बम्बई	10/85	45.72	45.72
5.	कैप्टिव पावर प्लांट-बी पी सी एल (बम्बई)	11/85	43.61	43.61
6.	विकासशील ड्रिलिंग रिगों (ओ एन जी सी) का अधिग्रहण	11/85	90.75	90.75
	उर्वरक			
7.	कैप्टिव पावर परियोजना-भटिंडा (एन एफ एल)	5/85	69.32	110.00
8.	कैप्टिव पावर परियोजना-पानीपत (डब्ल्यूएफएल)	5/85	69.32	110.00
9.	विद्युत अपघटन संयंत्र बदलना (एन एफ एल)	—	28.65	28.65
	रसायन और पैट्रो-रसायन			
10.	नायलोन-6 परियोजना (पी सी एल)	3/86	74.35	74.35
11.	कैप्टिप पावर प्लांट और मिश्रित चक्र (आईपीसीएल)	7/85	72.51	72.51
	सरकारी उद्यम			
12.	एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट हिन्दुस्तान का निर्माण	3/86	174.43	168.12
	नागर विमानन			
13.	48 हैलिकाप्टरों का अधिग्रहण (एच सी आई)	5/86	276.95	276.95
14.	कंप्यूटर सुविधा बढ़ाना (ऐ आई)	12/85	26.15	26.15
15.	इंडियन एअर लाइंस का बेड़ा बढ़ाना (19 एअर बस)	2/86	1238.37	1238.37
	रेलवे			
16.	कुमेदपुर-नई जलपाईगुड़ी (दोहरी लाइन करना)	3/86	42.92	42.92
17.	तंदूर-मिलखेद रोड (दोहरी लाइन करना)	3/86	28.14	28.14
18.	ताम्बरम-चिंगलपट्टू (दोहरी लाइन करना)	3/86	20.97	27.90
19.	गुना-ईटावा (नई लाइन)	3/86	158.77	158.77
20.	सतना-रीवा (नई लाईन)	3/86	38.73	38.73
21.	स्प्रिंग निर्माणी संयंत्र, ग्वालियर	3/87	35.00	35.00

1	2	3	4	5
22.	रेल-कोच फैक्ट्री, कपूरथला	8/85	180.00	295.00
23.	डीजल कम्प्रेशर वर्क्स, पटियाला	3/86	92.11	133.84
24.	विशाखापतनम परिधीय	3/86	27.18	27.18
25.	विखरोली-चौथा पैसेन्जर टर्मिनल	3/86	24.38	24.38
	भू-तल परिवहन			
26.	3 एल आर-2 टैन्डरों का अधिग्रहण (0.26 एम डी डब्ल्यू टी)	4/86	111.30	127.04
27.	दूसरी तेल जैट्टी, हल्दिया	2/86	35.71	37.78
28.	अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रैसवे	1/86	128.40	137.20
29.	कलकत्ता-पालसिट खंड	1/86	48.60	48.60
30.	नागपुर-हैदराबाद—राष्ट्रीय राजमार्ग, को मजबूत करना	1/86	29.30	29.30
31.	थाने-नासिक-राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को मजदूत करना	1/86	29.00	29.00
32.	वाराणसी बाई-पास गंगा पुल-राष्ट्रीय राजमार्ग 2	1/86	41.60	41.60
33.	मद्रास-वेल्लूपुरम क्षेत्रीय विकास राष्ट्रीय राजमार्ग 45	1/86	45.60	45.60
34.	मुरथल कमल क्षेत्रीय विकास राष्ट्रीय राजमार्ग 1	1/86	42.50	42.50
35.	सरहिन्द-जालंधर खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 1	1/86	66.00	66.00
	कोयला			
36.	सोनपुर बाजारी ए-ओसी	7/85	192.96	192.96
37.	कालीदासपुर-यूजी	11/86	47.95	47.95
38.	कैप्टिव पावर (ई सी एल)	4/86	49.20	49.20
39.	कैप्टिक पावर (बी सी सी एल)	4/86	49.20	49.20
40.	कैप्टिव पावर (सी सी एल)	4/86	49.20	49.20
41.	खादिया	5/85	400.00	421.16
42.	गेवरा विस्तार-ओसी	9/85	50.08	224.39
43.	अमृत नगर यूजी	9/85	10.85	65.45
44.	डी एण्ड एफ रोपवे (पीसीसीएल)	1/87	21.32	21.32
45.	बंगवार यूजी	5/85	25.14	30.50

1	2	3	4	5
46.	दीपका ओसी	6/85	56.05	59.30
47.	ठांडसी यूजी	9/85	51.58	51.58
48.	रामागुंडम ओसी	1/87	147.16	147.16
49.	गोदावरी खानी 10 ए यूजी	5/85	27.31	27.31
50.	रविन्दर खानी 1ए यूजी	3/86	29.78	29.78
51.	केन्द्रीय कार्यशाला चन्द्रपुर	12/85	23.97	23.97
52.	400 कि०वा० ट्रांसमिशन लाईन स्तर-2	8/86	250.71	250.71

मैसर्स इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पाद कर अपवंचन

9169. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन शुल्क में करोड़ों रुपये की अपवंचन करने पर इंडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को जो आरोप पत्र/नोटिस जारी किए गये थे उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ख) इस कम्पनी से उत्पाद शुल्क अपवंचन की राशि वसूल करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनुमान है कि यह प्रश्न मैसर्ज इंडियन टोबैको कम्पनी तथा अन्य सात सिगरेट निर्माता कम्पनियों को, जो लगभग 803.78 करोड़ रुपयों के कुल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन में ग्रस्त हैं, 27-3-1987 को तामील किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में है। मैसर्ज इंडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड ने 22-4-1987 को मूल रिकार्ड की जांच करने के लिए अनुरोध किया था और उन कुछ दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थीं जिनके आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनको अपनी जांच पूरी करने और कारण बताओ नोटिस के बारे अपना उत्तर देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।

(ख) अपवंचन किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली का प्रश्न, मामले में न्यायनिर्णय लिए जाने के बाद ही उठेगा।

सड़क परिवहन वित्त पोषण

9170. **श्री आनन्द प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सड़क परिवहन वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों की अपेक्षित योग्यता क्या है तथा इस संबंध में क्या तरीके और प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कोई और कार्यवाही करने का विचार है कि परिवहन क्षेत्र के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से बेरोजगार युवकों को ऋण सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1985 और 1986 के लिए परिवहन वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित वाहन सहित अधिक से अधिक 6 वाहनों वाले लघु सड़क परिवहन चालकों को बैंकों द्वारा अग्रिम मंजूर किए जाते हैं। उन सभी प्रस्तावों पर, जो आर्थिक रूप से सक्षम और तकनीकी रूप से संभाव्य होते हैं, लघु सड़क परिवहन चालकों को ऋण मंजूर करने के प्रयोजन से बैंकों द्वारा विचार किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि शाखाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित आवेदन फार्मों का पर्याप्त स्टाक होना चाहिए। इन फार्मों में मार्जिन और प्रतिभूति संबंधी शर्तें दी गई होनी चाहिए। बैंक ऋण से खरीदे गए वाहनों को बैंकों के पास प्रतिभूति के रूप में दृष्टिबन्धक रखना होता है। चूंकि लघु सड़क परिवहन चालकों को बैंक अग्रिम देने से संबंधित वर्तमान शर्तें/प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं, इसलिए उनमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 1984 और 1985 के अंत में पश्चिम बंगाल में लघु सड़क और जल परिवहन चालकों के नाम सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया रकमें नीचे दी गई हैं। वर्ष 1986 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दिसम्बर के अंत तक	खातों की संख्या	बकाया अग्रिम (लाख रुपए)
1984	54124	128.10
1985	56631	133.86

मुद्रण कर्मचारियों के लिए अन्तर विभागीय समिति

9171. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने मुद्रण कर्मचारियों के वेतनमान आदि निर्धारित करने के लिए एक अन्तर-विभागीय समिति के गठन की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने उस बीच समिति का गठन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और निदेश पद क्या हैं; और

(घ) यदि समिति का अभी तक गठन नहीं किया गया है, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग 1 के पैरा 11.71 में दी गई सिफारिश के अनुसरण में

शहरी विकास मंत्रालय ने अब समिति का गठन कर दिया है। 10 मार्च, 1987 की अधिसूचना सं० ओ-17034/37/86-सीडीएन/पीएसपी की प्रतियां अलग से संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों का उल्लेख किया गया है।

वनों का नष्ट होते जाना

9172. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवर्ष 270 लाख एकड़ वन नष्ट किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में प्रति वर्ष कितने एकड़ वन नष्ट किये जाते हैं; और

(ग) वन कटाई रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी अभिकरण के अनुसार, वर्ष 1972-75 से 1980-82 के दौरान भारत में वननाशन की वार्षिक दर 1.3 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष थी।

(ग) वननाशन को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. प्रतिवर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि में जलावन की लकड़ी और चारे की पौधरोपण के उद्देश्य से 1985 के दौरान राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

2. हिमालय के क्षेत्र में भू, जल और वृक्ष संरक्षण (आपरेशन सायलवाच) और अन्य वनरोपण कार्यक्रम।

3. राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

   (1) प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसल अथवा अन्य वन-वर्धन महत्व के पुनरुद्धार के लिए ऐसी कटाई अपरिहार्य हो, तो पहाड़ियों में 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर तक सीमित कर देनी चाहिए।

   (2) कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में एक हजार मीटर से ऊपर पेड़ों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

   (3) पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में उन नाजुक क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना जिन्हें वनों की कटाई से सुरक्षा प्रदान करना और जहां तत्काल जोरदार वनरोपण करना अपेक्षित हो।

   (4) भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत भू भाग को वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय

उद्यानों, और जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

4. वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना का विकास और वैधानिक उपबन्धों का प्रवर्तन।

5. वन भूमि के गैर-वन प्रयोजनों हेतु उपयोग को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अधिनियमन।

6. झूम कृषि पर नियंत्रण।

7. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में जलावन की लकड़ी के बदले में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास।

8. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग।

9. वन उत्पादों के लिए उदार आयात नीति।

10. लकड़ी के विकल्प का उपयोग करने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना।

उड़ीसा में गरीबी निवारण कार्यक्रम

9173. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विभिन्न गरीबी निवारण कार्यक्रमों की प्रगति पर निगरानी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1986-87 के दौरान प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत हुई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति नीचे दी गई है :

वित्तीय निष्पादन

कार्यक्रम का नाम	इकाई	आवंटित राशि	उपयोग में लाई गई राशि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	(लाख रु०)	2972.04	2819.17
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	-वही-	2026	2813.96
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	-वही-	2187.00	2578.86

भौतिक निष्पादन

कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	परिवारों की संख्या (लाख में)	2.34	2.08
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	सृजित रोजगार श्रम दिवस (लाख में)	150.00	181.77
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	-वही-	138.00	166.93

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न की निम्नलिखित मात्रा का आवंटन और उपयोग किया गया था :

कार्यक्रम का नाम	इकाई	आवंटन	उपयोग*
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	मी० टन	44040	49271
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	मी० टन	36263	33104.13

*अनन्तिम

अत्यधिक आयात शुल्क लगाने के कारण त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर दावा न की गई वस्तुएं

9174. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने कितने मूल्य की वस्तुएं बरामद कीं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर बहुत अधिक शुल्क लगाये जाने के कारण दावा न की गई वस्तुओं के मूल्य का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर पकड़े गये निषिद्ध माल का कुल मूल्य नीचे दिया गया है।

वर्ष	हवाई अड्डे पर पकड़े गये माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984	1.86
1985	3.70
1986	3.85

(ख) ऐसी वस्तुओं को, जिनके सम्बन्ध में विभिन्न कारणों से दावा न किया गया हो, सीमा शुल्क अधिनियम की धाराओं के अधीन अभिगृहीत कर लिया जाता है। यात्रियों द्वारा शुल्क अदा न कर पाने के कारण बिना दावे के रूप में छोड़ी गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान त्रिवेन्दम हवाई अड्डे पर बिना दावे की पड़ी हुई वस्तुओं का (जरूरी नहीं कि भारी शुल्क लगाए जाने के कारण से ऐसा हो) कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	हवाई अड्डे पर बिना दावे के रूप में पड़ी हुई, जब्त की गयी वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपयों में)
1984	0.48
1985	0.71
1986	2.38

[हिन्दी]

वन संरक्षण कार्य में प्रादेशिक सेना का शामिल होना

9175. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों के संरक्षण और विशेषकर इन्दिरा गांधी नहर के संदर्भ में प्रादेशिक सेना ने क्या भूमिका निभाई;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रादेशिक सेना की सेवाओं का उपयोग करके इन्दिरा गांधी नहर के अन्य क्षेत्रों में परिस्थिति की और वनों के संरक्षण संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा करने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पारि-

स्थितिकी पुनः स्थापन कार्य के लिए प्रादेशिक सेना के पैटर्न पर भूतपूर्व सैनिकों के पारिस्थितिकी कृत्यक बलों को कार्य में लगाया गया है और जुलाई, 1983 से इन्दिरा गांधी नहर के बायें किनारे पर एक कृत्यक बल वनरोपण और सिल्वी पास्चुरल का कार्य कर रहा हे।

(ख) कृत्यक बल द्वारा प्राप्त परिणाम संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रियाकलाप	सफलता
(1) नयी पौधरोपण (संख्या)	33,11,356
(2) आपातकाल का रिप्लेसमेंट (संख्या)	5,35,770
(3) बाड़ा लगाना (मीटरों में)	1,54,660
(4) घास की पट्टियां लगाना (हेक्टेयर)	3,425
(5) घास-पात से ढकना (मीटर में)	1,765
(6) सिंचाई के लिये क्यारियां (संख्या)	1,92,123
(7) पौधों की गोड़ाई (संख्या)	19,25,974
(8) पौधों की निराई (संख्या)	1,27,310
(9) वृक्ष की सुरक्षा के लिए मड़ैया (संख्या)	2,133
(10) बाड़ों का रख-रखाव (मीटर)	25,650
(11) पुनः सिंचाई (कुल पौधों की संख्या)	29,00,913

[अनुवाद]

गुजरात को लम्बित परियोजनाएं

9176. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि:** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन परियोजनाओं के संबंध में गुजरात सरकार ने पिछले चार महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार को मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं को अभी मंजूरी दी जानी है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम): (क) गुजरात सरकार से इस अवधि में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(क) विद्युत के लिए गैस का आवंटन;

(ख) सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।

(ग) सूरत के निकट कवास में पटाखा (फ्रैकर) काम्सलैस की स्थापना,

(घ) जनजातीय तालुका व्यारा में इलैक्ट्रानिक काम्पलैक्स की स्थापना।

(ख) और (ग) इन प्रस्तावों की विभिन्न संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों में जांच की जा रही है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जातियों के परिवार

9177. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अनुसूचित जाति विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुए अनुसूचित जाति के परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो): पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष कम्पोमेंट योजनाओं (एस० सी० पी०) को क्रियान्वित कर रहे 20 राज्यों और 4 केन्द्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1984-85, 85-86 और 86-87 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 7 (क) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या		
		1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	259631	288242	304513
2.	असम	32437	13604	14967
3.	बिहार	320463	258549	238094
4.	गुजरात	70328	51550	44804
5.	हरियाणा	52824	46054	46278
6.	हिमाचल प्रदेश	34606	27042	32087
7.	जम्मू और कश्मीर	3814	4297	1687*
8.	कर्नाटक	57817	102960	95874*

1 2	3	4	5
9. केरल	63836	37741	60783
10. मध्य प्रदेश	193392	187203	188113
11. महाराष्ट्र	106440	111038	99795
12. मणिपुर	1409	300	360
13. उड़ीसा	102624	78658	97874
14. पंजाब	85083	61044	64179
15. राजस्थान	122802	120607	99519*
16. सिक्किम	1131	1168	1065
17. तमिलनाडु	219913	208206	216243
18 त्रिपुरा	7588	4367	5421
19. उत्तर प्रदेश	479635	379639	314770*
20. पश्चिम बंगाल	290017	278054	222869
21. चंडीगढ़	617	488	533
22. दिल्ली	9192	8346	8029
23. गोआ, दमन और दीव	2123	1409	1544
24. पांडिचेरी	4661	2344	2714
जोड़	2622383	2272930	2162115

=आंकड़े अनन्तिम हैं तथा संशोधित किये जा सकते हैं।

**आंकड़े केवल फरवरी, 1987 तक।

दिल्ली में वनरोपण कार्यक्रम

9178. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के तमाम रिज क्षेत्र में वन लगाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में इसकी सुरक्षा परिरक्षण और संरक्षण के लिए

वृक्षारोपण के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया है। इस उद्देश्य के लिये 1987-88 में एक लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है।

इन्डस्ट्रीयल टाक्सीकोलोजी रिसर्च सेंटर और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रक्रिया प्रस्तुत करना

9179. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**
डॉ० ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की लखनऊ स्थित दो प्रयोगशालायें इंडस्ट्रियल टाक्सीकोलोजी रिसर्च सेंटर और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट वर्ष 1983 से पेटेन्ट के लिए एक भी प्रक्रिया दर्ज कराने में विफल रही है; और

(ख) उन पर आज तक पृथक-पृथक कुल कितना खर्च किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनका सामूहिक वार्षिक व्यय कितना था ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा-इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन): (क) राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान (एन० बी० आर० आई०) द्वारा आरंभ किया गया अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) कार्य गैर कृषि पौधों की जातियों स्पीशीज पर वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संबंधी है और उसी प्रकार औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई० टी० आर० सी०) लखनऊ का कार्य विष विज्ञान और औद्योगिक स्वास्थ्य संबंधी है जिन्हें उन प्रक्रमों के विकास के लिए तैयार नहीं किया जाता जिसका पेटेन्ट किया जा सके।

(ख) अब तक इन संस्थानों पर कुल व्यय क्रमशः 13.71 करोड़ रुपये और 21.90 करोड़ रुपये है। वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के लिए इन संस्थानों का कुल संयुक्त व्यय क्रमशः 3.02, 3.78, और 4.79 करोड़ रुपये है।

उपभोक्ताओं को करों के लाभ पहुंचाना

9180. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापारिक और औद्योगिक गृहों द्वारा उत्पाद शुल्कों अथवा सीमा-शुल्क में की गई कमियों और "मॉडवेट" में दी गई रियायतों के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाये जाने में हुई प्रगति का पुनरीक्षण किया है;

(ख) क्या सरकार का ऐसे सभी मामलों में रियायतें समाप्त करने का विचार है जिनमें करों के लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाये जाते हैं;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों पर निगरानी रखने और उनकी सूचना देने के लिये

कोई तन्त्र स्थापित किया है जिनमें निर्माताओं ने अपने उत्पादों के मूल्यों में कमी करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त जानकारी का मदवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ङ) बजट में कई जिंसों पर शुल्क से राहत या तो शुल्क दरों में प्रत्यक्ष रूप से कमी करके अथवा मॉडवेट का विस्तार करके दी गई थी। व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करके उन पर इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि शुल्क में दी गई राहतों का लाभ उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया जाए कई प्रकार की वस्तुओं जैसे सस्ते जूते, सस्ते साबुनों, मिठाई, चाकलेटों और ट्यूब लाइटों की कीमतों में कुछ कमी हुई है। बाजार मूल्य का निर्धारण केवल सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की दरों में परिवर्तनों द्वारा ही नहीं वरन् विविध कारणों द्वारा किये जाते हैं। बजट में दी गई शुल्क की रियायतों को सामान्य रूप से समाप्त करने को इसलिये उचित नहीं माना जा सकता कि जिस माल के लिये ये रियायतें दी गई थीं उनकी कीमतों में कोई आनुपातिक कमी नहीं हुई है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

9181. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये कार्यकर्ताओं के चयन के मानदंड क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेष रूप से राज्य और जिला/खंड स्तर के समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम एककों, के व्यावसायिक स्टाफ के लिए ये एकक समन्वित ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं जो 1986-87 से शुरू की गई थी। समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अन्य अधिकारियों में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के आयोजन और कार्यान्वयन में सम्मिलित राज्य आयोजन और ग्रामीण विकास विभागों के कर्मचारी तथा समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिये जिम्मेवार राज्यों के नोडल अभिकरणों में कार्यरत सरकारी और व्यावसायिक अधिकारी शामिल हैं।

(ख) 1987-88 के दौरान, देश के विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य संस्थाओं में 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव है। 1988-89 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 12 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करने का प्रस्ताव है।

कृषि विकास के लिए डेनमार्क से सहायता

9182. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क राज्यों में कृषि के विकास के लिये आर्थिक सहायता देता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) जी हां।

(दस लाख डेनिश क्रोनर)

(ख) राज्यवार तथा वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	1984	1985	1986
कर्नाटक			
कृषि तथा मीन क्षेत्र	22.032	15.216	19.126
महाराष्ट्र			
कृषि (एन० जी० ओ० गैर सरकारी संगठन)	1.258	0.664	2.590
मध्य प्रदेश			
कृषि	1.142	शून्य	शून्य
उड़ीसा			
कृषि	1.142	शून्य	शून्य
तमिलनाडु			
कृषि	शून्य	शून्य	5.518
केन्द्रीय क्षेत्र (सरकारी)	4.036	1.133	2.890
गैर सरकारी संगठन जोड़	2.268	0.331	शून्य
(सरकारी)	28.352	16.349	27.534
(गैर सरकारी संगठन)	3.526	0.995	2.590

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए रिक्तियां

9183. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में इसकी स्थापना से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदोन्नति के लिए रिक्तियां भरने में पिछला बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले बकाया की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) पिछला बकाया भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने बताया है कि पदोन्नतियों में पिछली बकाया, पूरक संवर्ग (फीडर काडर) में पात्र कर्मचारियों का पर्याप्त संख्या में न मिलना है।

(ग) पिछली बकाया की स्थिति निम्नानुसार है :—

से पदोन्नति	पिछली बकाया	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क्लर्क ग्रेड II से क्लर्क ग्रेड-I	22 (85 के)	24
समूह ख से ग्रेड क (अधिकारी संवर्ग)	37 (84 के)	3 (84 के)

(घ) पदोन्नतियों में समूह "ख" से ग्रेड "क" अर्थात् लिपिकीय से अधिकारी संवर्ग में पिछली बकाया को पूरा करने के लिये, बैंक ने अक्तूबर, 1986 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के वास्ते एक विशेष पदोन्नति परीक्षा आयोजित की थी और मानकों में यथासंभव अधिकतम ढील देकर 39 कर्मचारियों को उपयुक्त घोषित किया गया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के इन 39 कर्मचारियों की पदोन्नति से, आगे पिछली बकाया समाप्त हो जायेगी।

केन्द्र से कर्नाटक को संसाधनों का अन्तरण

9184. **श्री वीरेन्द्र पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधनों के अन्तरण के मामले में कर्नाटक का स्थान राष्ट्रीय औसत से नीचे है; और

(ख) यदि हां, तो संसाधनों को प्राप्त करने के मामले में कर्नाटक राज्य को हुये घाटों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क समाहर्ता के कार्यालयों द्वारा विदेशी वस्तुओं का निपटान

9185. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान वर्ष 1987 तक सीमाशुल्क समाहर्ता के कार्यालयों द्वारा कितने मूल्य की विदेशी वस्तुओं का निपटान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : समस्त भारत में वर्ष 1985, 1986

और 1987 (मार्च, 1987 तक) के दौरान निपटाये गये जब्तशुदा माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	निपटाये गये माल का मूल्य
	(करोड़ रु० में)
1985	79
1986	105
1987 (मार्च तक)	21 (अनन्तिम)

[अनुवाद]

रुपये के मूल्य में कमी

9186. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 और जनवरी, 1987 के बीच भारतीय रुपये के मूल्य में डच मार्क की तुलना में 39 प्रतिशत और येन की तुलना में 35 प्रतिशत कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) ड्यूश मार्क और जापानी येन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की क्रय दर पहली जून, 1986 और पहली जनवरी, 1987 को इस प्रकार थी :

विदेशी करेंसियों की प्रति इकाई=रुपए

	पहली जनवरी, 1986	पहली जनवरी, 1987	% मूल्यह्रास
ड्यूश मार्क	4.9334	6.7659	—27.08
जापानी येन	0.0602	0.0822	—26.76

(ख) रुपए की विनिमय दर मुख्य रूप से उन देशों की करेंसियों की डाली के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जो भारत के साथ प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं। रुपए तथा अन्य करेंसियों के बीच विनिमय दर में ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर होने वाले परिवर्तन इन करेंसियों के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ पर निर्भर करते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दरों के युग में रुपए के विनिमय मूल्य में प्राय: ऐसे परिवर्तन होना एक सामान्य बात है। विदेशी करेंसियों के संदर्भ में रुपए का मूल्य निर्धारित करने की मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण

9187. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों ने प्रत्येक वर्ष में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दिये;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दिये जाने की आशा है;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये और उसके क्या कारण थे; और

(घ) आंध्र प्रदेश में अधिकाधिक संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983-84 में आरम्भ की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मंजूर किये गये ऋणों से हैं। पिछले तीन वर्षों के लिये आंध्र प्रदेश के संबंध में लक्ष्यों, प्रायोजित और मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	लक्ष्य	प्रायोजित आवेदनों की संख्या	मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या
1983-84	20000	25401	14781
1984-85	15100	28401	13084
1985-86	17300	20815	16518

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1986-87 से संबंधित पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। आवेदनों को रद्द करने के मुख्य कारण हैं—योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित किये गये मानदंडों के अनुसार आवेदकों का पात्र न होना, निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल द्वारा अधिक संख्या में आवेदनों का स्पांसर किया जाना आदि।

(ख) योजना के अन्तर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार वास्तविक लक्ष्य सरकार द्वारा अलग-अलग वर्ष के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1987-88 के वित्तीय वर्ष और सातवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गये हैं। अलबत्ता, इस योजना के लिये अखिल भारत आधार पर कुल वार्षिक लक्ष्य 2.5 लाख हिताधिकारी रखा गया है।

(घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है ताकि आंध्र प्रदेश समेत सभी राज्यों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

विकासशील देशों के सम्मेलन में किए गए निर्णय

9188. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्रीमती बसवराजेश्वरी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों के प्रतिनिधि प्रौद्योगिकी अन्तरण के संवर्धन के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये अप्रैल, 1987 में एकत्रित हुये थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने सम्मेलन में भाग लिया; और

(ग) इसमें क्या निर्णय लिये गये और इससे भारत कहां तक लाभान्वित होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार को अप्रैल, 1987 में हुई इस प्रकार के किसी सम्मेलन की जानकारी नहीं है। हालांकि नई दिल्ली में 20 से 25 मार्च, 1987 तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी। इस संगोष्ठी में विकसित तथा विकासशील दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ख) निम्नलिखित 26 विकासशील देशों तथा 14 विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

(1) **विकासशील देश**

अफगानिस्तान, अलजीरिया, ब्राजील, साइप्रस, चिली, मिस्त्र, इथोपिया, घाना, ईरान, इण्डोनेशिया, कोरिया (लोकतांत्रिक जन गणराज्य), कुवैत, लीबिया, मैडागास्कर, मलेशिया, नेपाल, निकारागुआ, पेरू, पनामा, श्रीलंका, सेनेगल, सीरिया, तंजानिया, ट्यूनीशिया, वियतनाम, और यमन अरब गणराज्य।

(2) **विकसित देश**

आस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, एफ० आर० जी०, जी० डी० आर०, जापान, नीदरलैण्ड, पुर्तगाल, स्पेन, स्विटजरलैंड, इंग्लैंड, अमरीका तथा रूस।

(ग) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में तीन प्रस्ताव स्वीकार किए गए। ये हैं :

. **नई दिल्ली में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की घोषणा** : इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रौद्योगिकी को मानव जाति की एक सामान्य निधि के रूप में माना जाना चाहिये। विकसित देशों को चाहिए कि वे विकास के विभिन्न चरणों में जो देश हैं उनको बिना किसी भेदभाव के आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने में पूर्ण और स्वतंत्र रूप से सहायता करें। इसमें यह भी बताया गया है कि मानव जाति के उपयोग के लिए विज्ञान-विरोधी तथा प्रौद्योगिकी-विरोधी प्रवृत्तियों को बदलने में वैज्ञानिकों की भी भूमिका है।

निरस्त्रीकरण और विकास पर प्रस्ताव : इसमें सैन्यीकरण और मानव जाति के सर्वनाश को रोकने में वैज्ञानिकों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। तथापि, सभी स्त्रोतों का उपयोग समूचे विश्व में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए करना चाहिए।

जारी समिति के संबंध में प्रस्ताव : एक अन्तर्राष्ट्रीय जारी समिति जिसे "अहिंसक नये विश्व के लिये वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद" के नाम से संबोधित किया जाना है, का गठन किया गया है जिसका कार्यालय दिल्ली में है। यह मंच मानव कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग के लिये कार्य करेगा।

प्रौद्योगिकी को मानव जाति की सामान्य निधि के रूप में समझकर प्रौद्योगिकी स्थानांतरण का संवर्धन एक दीर्घावधि लक्ष्य है। तथापि, भारतीय वैज्ञानिकों ने विकास के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रचनात्मक प्रयोग की दिशा में जन सामान्य की विचारधारा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ऋण की दरों में कटौती

9189. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री लोक सभा में 31 मार्च, 1987 को ब्याज की दरों में परिवर्तन और संबद्ध मामलों के संबंध में की गई घोषणा के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, सहकारी क्षेत्र, खरीद एजेंसियां और उद्योग आदि को बैंक से ऋण की दरों में कटौती का किस प्रकार लाभ प्राप्त होने की आशा है;

(ख) क्या सरकार ने ब्याज की दरों में समान कमी की है अथवा छोटे तथा बड़े ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के लिये खंड पद्धति अपनाई है; और

(ग) यदि ब्याज की दरों में खंड-वार कमी की गई है तो लघु, मध्यम और बड़े ऋण प्राप्तकर्त्ताओं पर यह दरें किस प्रकार लागू होंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) धनराशियों की लागत को कम करने के विचार से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 15 प्रतिशत से ऊंची ब्याज दरों में 1 अप्रैल, 1987 से 1 प्रतिशत बिन्दु की कटौती कर दी गई है। ब्याज की दरें खंडों में नहीं घटाई गई हैं। उधार की दरों में जो कमी की गई है, उससे कृषि, उद्योग क्षेत्र, सार्वजनिक वसूली/विवरण एजेंसियों के कई वर्गों के कार्यकर्त्ताओं को राहत मिलेगी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गों, उन वर्गों पर लागू ब्याज दरों में, जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गों, निर्यात ऋण आदि, जिनमें पहले से ही काफी रियायत दी गई है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लघु उद्योग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और मझोले तथा बड़े ऋणकर्त्ता गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

परती भूमि का विकास

9190. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 के दौरान परती-भूमि के विकास के लिये कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : वर्ष 1987-88 में परती भूमि विकास सहित सामाजिक वानकी पर खर्च किये जाने वाली अनुमानित कुल धन-राशि 652 करोड़ रुपये है।

देश में विकसित प्रौद्योगिकियां

9191. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा देश में ही विकसित की गई प्रौद्योगिकियां हमारे उद्यमियों और उद्योगों को स्वीकार नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं। देश में विकसित अधिकांश प्रौद्योगिकियां उद्योगों को स्थानान्तरित की गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नया निर्गम बाजार

9192. **श्रीमती ऊषा चौधरी :**
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नये पूंजी निर्गमों सम्बन्धी मामलों तथा खराब शेयरों की संख्या के बारे में जानकारी है जिनमें निवेशकर्त्ता को बहुत कम आय होती है या कई बार बेईमान उद्यमियों द्वारा जनता के साथ धोखा किया जाता है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1986-87 के दौरान बहुत कम लाभांश की घोषणा की है या कोई लाभांश नहीं दिया; और

(ग) निवेश कर्त्ताओं की सहायता करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बद्रु दत्त) : (क) से (ग) सामान्य शेयरों के सार्वजनिक निर्गमों के प्रति वर्ष 1986-87 के दौरान गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र का प्रत्युत्तर सामान्यतः संतोषप्रद रहा है। कतिपय सार्वजनिक निर्गमों को, जो संपुष्ट परियोजनाओं के बारे में थे और जिनको प्रतिष्ठा प्राप्त संवर्धकों के समूहों ने संवर्धित किया था, जनता ने अत्यधिक उत्साह से ग्रहण किया। तथापि निवेशकर्त्ता सामान्य रूप से ऐसी बिल्कुल नई परियोजनाओं में पूंजी लगाने के मामले में संवरणशील प्रवृत्ति अपना रहे हैं, जिनका परिपोषण ऐसे नए संवर्धकों ने किया है। जिनकी पूर्व सफलताओं का कोई रेकार्ड मौजूद नहीं है।

2. लाभांश संबंधी जानकारी कम्पनियों के तुलनापत्रों में दी गई है। सरकार इस जानकारी को केन्द्रीय स्तर पर संकलित नहीं करती।

3. यदि धोखाधड़ी के विनिर्दिष्ट मामलों की सूचना सम्बद्ध प्राधिकारियों को समय पर दी जाएगी तो उन पर सम्बद्ध कानूनों और मार्ग-निर्देशों के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जाएगा और जहां कहीं आवश्यक होगा उपयुक्त कार्रवाई भी की जायेगी।

4. स्टाक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग के विनियमन के लिये सरकार ने एक अलग बोर्ड की स्थापना करने का फैसला किया है। अन्य कार्यों के साथ-साथ यह बोर्ड निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण, व्यापारिक कुप्रथाओं के निवारण तथा स्टाक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग के विनियमन और व्यवस्थित कार्यचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी करेगा।

केरल में प्रति व्यक्ति निवेश और प्रति व्यक्ति आय

9193. श्री टी० बशीर : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में केरल में प्रति व्यक्ति निवेश और प्रति व्यक्ति आय कितनी-कितनी थी; और

(ख) केरल में सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) छठी योजना के अंतिम वर्ष में राज्यवार प्रति व्यक्ति आय और राज्यों की छठी योजनाओं के अंतर्गत प्रति व्यक्ति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(क) केरल की सातवीं योजना के लिये परिव्यय 2100 करोड़ रु० निर्धारित किया गया जो छठी योजना के 1550 करोड़ रु० के परिव्यय की अपेक्षा लगभग 35.5 प्रतिशत अधिक है। राज्य योजना में रोजगार-सृजन और गरीबी उन्मूलन के ऐसे कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है जो उत्पादनकारी और आय सृजक हैं।

विवरण

छठी योजना के दौरान राज्यवार प्रति व्यक्ति आय और व्यय

राज्य	1984-85 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (अनंतिम) (रु०)	छठी योजना 1980-85 के दौरान राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति व्यय (रु०)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1996	587
अरुणाचल प्रदेश	2160	3333
असम	1821	612
बिहार	1418	404
गुजरात	2901	1691
हरियाणा	3259	1149
हिमाचल प्रदेश	2213	1502
जम्मू एवं कश्मीर	2075	1471

1	2	3
कर्नाटक	2189	686
केरल	2076	624
मध्य प्रदेश	1716	709
महाराष्ट्र	3203	994
मणिपुर	2200	1626
मेघालय	1727	1838
मिजोरम	×	2795
नागालैण्ड	उ०न०	2723
उड़ीसा	1534	572
पंजाब	4103	1080
राजस्थान	1990	589
सिक्किम	उ०न०	4322
तमिलनाडु	2128	717
त्रिपुरा	उ०न०	1351
उत्तर प्रदेश	1782	563
पश्चिम बंगाल	2594	428

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (राष्ट्रीय लेखा प्रभाग)

टिप्पणी : (1) कालम (2) में दिए गये नवीनतम अनुमान (27.4.87) पहले के अनुमानों का अतिक्रमण करने वाले हैं।

(2) कालम (3) के आंकड़े वर्ष 1983 के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर निकाले गये हैं।

अन्तरराष्ट्रीय शांति उद्यान

9194. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-चीन सीमा पर स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित शांति उद्यानों की तरह देश के अन्य भागों में भी शांति उद्यान स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब स्थापित किये जायेंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलना

9195. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने संबंधी नीति का पुनरीक्षण करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में इन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों से समय-समय पर अभ्यावेदन और मांग पत्र मिलते रहते हैं; लेकिन इन अभ्यावेदनों में वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों के साथ बराबरी, पदोन्नति के अवसरों और नए शाखा विस्तार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिक हिस्से पर जोर दिया जाता है।

बैंक अधिकारियों के वेतनमानों के संबंध में ज्ञापन

9196. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ ने सरकार को बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों में असंगतियों को दूर करने के लिए एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ से बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों में असंगतियों के संबंध में हाल में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बिहार में नालन्दा और नेवादा जिलों में बैंक ऋण

9197. **श्री कुंवर राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा और नेवादा जिलों में प्रमुख बैंकों के कार्य की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) क्या इन बैंकों ने स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों की प्रत्येक शाखा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण दिये हैं; और

(घ) उनमें से कितने प्रतिशत लोग वास्तव में आत्मनिर्भर हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नालन्दा और नेवादा के जिलों समेत बिहार में अग्रणी जिम्मेदारी वाले सभी बैंकों के समग्र कार्यनिष्पादन की, इस प्रयोजन के लिए गठित निगरानी समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के संबंध में जिलावार सूचना एकत्र नहीं की जाती है। अलबत्ता, उक्त योजना को कार्यान्वित करने वाले सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1983-84	1984-85	1985-86
लक्ष्य	29,000	14,500	29,600
उपलब्धि	14,230	14,806	26,376
ऋण की रकम (लाख रुपए में)	2278.64	2674.97	5055.03

(घ) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

[अनुवाद]

नैमत्तिक श्रमिकों के वेतन की दरों में संशोधन

9198. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नैमत्तिक श्रमिकों के वेतन की दरों में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है।

अनुसूचित जाति विकास निगम के कार्यकरण की समीक्षा

9199. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** :
डा० बी० एल० शंकेश :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति विकास निगमों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षा किस तरह से की जाएगी; और

(ग) अनुसूचित जातियों के परिवारों के विकास के लिए बेहतर सुविधायें प्रधान करने हेतु सरकार का और कौन से कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगमों के कार्य की भारत सरकार की ओर से कृषि वित्त निगम (एस० सी० सैल) द्वारा निगमों के कार्यकलाओं विवेचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से लगातार समीक्षा की जाती है। निगमों के निदेशक मण्डल में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य तथा कल्याण मंत्रालय के अधिकारी भी बोर्ड की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान तथा निगमों के कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय दौरे करते हुए निगमों के कार्य की समीक्षा करते हैं।

(ग) राज्य सरकारें विशेष कम्पोनेंट योजना तैयार करती हैं तथा उनका क्रियान्वयन करती हैं और भारत सरकार, अनुसूचित जाति के परिवारों के विकास के लिए राज्यों को विशेष कम्पोनेंट योजना के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

कर्नाटक में आय-कर अधिकारियों को सरकारी आवास

9200. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में कर्नाटक सर्किल में स्थित आय-कर विभाग में ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें सरकारी आवास आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) बंगलौर में स्थित आय-कर विभाग के कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं;

(ग) इन क्वार्टरों का निर्माण कब तक पूरा होगा;

(घ) आय-कर विभाग कर्नाटक सर्किल के लिए क्वार्टरों के निर्माण हेतु वर्ष 1987-88 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) प्रस्तावित क्वार्टरों को किस आधार पर आवंटित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 928.

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अभी हाल ही में 1.54 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से, जिसमें विभागीय प्रभार शामिल नहीं हैं, 112 क्वार्टरों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव दिया है।

(ग) निर्माण-कार्य शुरू होने की तारीख से दो से तीन वर्ष पश्चात्। आधारशिला दिनांक 22-3-1987 को रखी गई है।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) आयकर पूल में उपलब्ध क्वार्टरों का आवंटन राजस्व विभाग (आवंटन) नियमावली, 1964 में निहित उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद

9201. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद समय-समय पर रिक्त रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी बार और कितनी अवधि के लिये रिक्त रहा है; और

(ग) इस अवधि के दौरान आयुक्त के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जाति/जनजाति के आयुक्त के रूप में सामान्यतः ज्ञात अनुसूचित जाति/जनजाति के विशेष अधिकारी का पद, निम्नलिखित अवधि के दौरान खाली रहा—

1 जनवरी, 1962 से 24 अप्रैल, 1962

25 अप्रैल, 1966 से 31 अक्तूबर, 1966

22 सितम्बर, 1970 से 30 जुलाई, 1971

20 सितम्बर, 1976 से 23 नवम्बर, 1976

24 नवम्बर, 1981 से 10 फरवरी, 1986

संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन केवल विशेष अधिकारी ही इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कार्य करने हेतु प्राधिकृत है।

जिस अवधि के दौरान विशेष अधिकारी का पद खाली रहता है उस अवधि में विशेष अधिकारी के संवैधानिक कार्य किसी अन्य अधिकारी द्वारा पूरे नहीं किये जाते।

[अनुवाद]

रुपये के मूल्य में गिरावट

9202. **श्रीमती वसुधराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में जापानी येन, पौंड स्टर्लिंग और अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये के बाह्य मूल्य में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में डच मार्क की तुलना में रुपये के मूल्य में कुल कितनी संचयी कमी हुई; और

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जापानी येन, पौंड स्टर्लिंग, संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर तथा ड्यूश मार्क के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की क्रय दर पहली अप्रैल, 1985 और 31 मार्च, 1987 को इस प्रकार थी :—

(विदेशी करेंसियों की प्रति इकाई=रुपए)

करेंसियों के नाम	पहली अप्रैल, 1985 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार
येन	0.0493	0.0880
पौंड स्टर्लिंग	15.4100	20.7100
संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर	12.3457	12.8700
ड्यूश मार्क	4.0437	7.1429

(ग) रुपए की विनिमय दर मुख्य रूप से उन देशों की करेंसियों की डाली के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जो भारत के साथ प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं। रुपए तथा अन्य करेंसियों के बीच विनिमय दर में ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर होने वाले परिवर्तन इन करेंसियों के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ पर निर्भर करते हैं। परिवतनर्शील विनिमय दरों के युग में विनिमय मूल्यों में प्राय: ऐसे परिवर्तन होना एक सामान्य बात है।

दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बाघों के लिए गलियारे की स्थापना

9203. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघों को दुधवा राष्ट्रीय पार्क से किशनपूर ले जाने के लिए गलियारे की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव वर्ष 1981 में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या इस प्रकार के गलियारों से बाघों द्वारा मनुष्य की हत्या किये जाने की घटनाओं में कमी आयेगी; और

(घ) प्रस्तावित गलियारे की स्थापना कब की जायेगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था।

(ग) ऐसी सम्भावना है कि ऐसे गलियारे बाघों द्वारा मनुष्यों की हत्या करने की घटना को कम कर देंगे।

(घ) प्रस्ताव में 22 राजस्व गांवों के खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण करना अपेक्षित है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे व्यावहारिक नहीं पाया है। प्रस्तावित गलियारे की निकट भविष्य में स्थापित होने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

जयपुर शेयर बाजार के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय

9204. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुये जयपुर शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) से (ग) सरकार ने जयपुर में स्टाक एक्सचेंज की स्थापना किये जाने के संबंध में संवर्धकों के विभिन्न वर्गों से चार प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। इसलिए संबद्ध विभिन्न वर्गों के संवर्धकों के दावों और प्रतिदावों के बीच तालमेल बिठाये जाने की आवश्यकता है। जयपुर में स्टाक एक्सचेंज की स्थापना किये जाने के लिये संवर्धकों के एक वर्ग को अंतिम रूप से निर्धारित करने के प्रयोजन से राजस्थान सरकार को पहले ही अनुरोध कर दिया गया है। राज्य सरकार से सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले में निर्णय किया जायेगा।

[अनुवाद]

भारत और अंगोला के बीच समझौता

9205. **श्री जी० एस० बसवराजू** :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अंगोला ने वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे दोनों देशों को कितना लाभ होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) : जी हां।

(ख) भारतीय विशेषज्ञों, छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके, संयुक्त प्रयासों और लघु/मध्यम उद्योगों की स्थापना, सूचना के आदान-प्रदान, खनन, धात्विकी, कृषि, जनसंचार और पर्यटन में सहयोग के द्वारा सहयोग का विचार है। संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अतिरिक्त प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ग) अंगोला को प्रौद्योगिकी के अंतरण, विशेषज्ञता और रोजगार के अवसर बढ़ने तथा इसके औद्योगिक ढांचे के निर्माण से लाभ होगा। भारत को इस रूप में लाभ होगा कि वह अफ्रीका के अग्रणी देश के साथ अपनी एकता को प्रदर्शित कर सकता है और साथ ही तकनीकी विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और उपकरणों तथा मशीनरी के निर्यात द्वारा भी हमारे देश को लाभ होगा।

कागज मिलों के लिए अपशिष्ट संसाधन संयंत्र

9206. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न कागज मिलों अपशिष्ट पदार्थों के संसाधन और छीजन का निपटान करने के लिए उचित प्रौद्योगिकी का विकास करने की सलाह दी है;

(ख) क्या इस प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए कोई समय सीमा निश्चित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कागज मिलों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों (मिनास) के अनुपालन के लिए निर्धारित समयावधि निम्न प्रकार से हैं :

—संशोधित बहिस्रावों में से कुल जैव-रसायन आक्सीजन मांग और निलम्बित ठोस भार का 90 प्रतिशत जून, 1987 तक कम किया जाये।

—सभी पैरामीटरों के लिए सीमाओं को जैसा कि न्यूनतम राष्ट्रीय मानक (मिनास) में निर्धारित किया गया, सभी लघु उद्योगों द्वारा जून, 1988 तक पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए।

(घ) देश में 271 लुगदी और कागज यूनिटों में से 68 यूनिटों ने पूर्ण बहिस्राव उपचार संयंत्रों की व्यवस्था की है और 80 यूनिटों ने आंशिक बहिस्राव उपचार सुविधाओं का प्रबन्ध किया है।

पूंजी बाजार को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

9207. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :**
श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी बाजार को प्रोत्साहन देने संबंधी कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पूंजी बाजार को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया के अन्तर्गत शेयर वापस खरीदने वाली कुछ विशेषज्ञ एजेन्सियां नियुक्त करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार एक ऐसी नई संयुक्त हुंडी (इंस्ट्रूमेंट) आरम्भ करने का विचार कर रही है, जिसमें लाभांश का एक भाग निश्चित होगा और एक भाग अनिश्चित होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (च) सरकार द्वारा पूंजी बाजार की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है। एक समय में अनेक नये उपायों पर विचार किया जा सकता है। जब तक इन उपायों को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तथा सरकार द्वारा इनकी घोषणा नहीं की जाती तब तक उनके संबंध में कुछ भी कहना समय पूर्व होगा।

सिंडिकेट बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति

9208. **श्री गंगा राम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडिकेट बैंक में I से II, II से III और III से IV तथा इसमें ऊपर वेतनमान में अधिकारियों की पदोन्नतियों, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाती हैं;

(ख) सिंडिकेट बैंक में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक ग्रेड और वेतनमान में कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गई;

(ग) क्या सिंडिकेट बैंक के प्रबन्धक पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रबन्धकों को आरक्षण प्रदान कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) सिंडिकेट बैंक ने बताया है कि अधिकारी वर्ग में एक स्केल से दूसरे स्केल में पदोन्नत बैंक की चयन पद्धति के आधार पर की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक ग्रेड और स्केल (स्केल I से स्केल Iv) में पदोन्नत किये गए अधिकारियों की संख्या के आंकड़े, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के आंकड़े कोष्ठकों में हैं :—

वर्ष	स्केल I से II	स्केल I से III	स्केल III से Iv
1984	500 (12)	250 (2)	38 (—)
1985	400 (20)	150 (1)	—
1986	वर्ष 1986 में कोई पदोन्नति नहीं की गई।		

(ग) और (घ) सिंडिकेट बैंक ने बताया है कि आरक्षण योजना अधिकारी संवर्ग के अन्दर होने वाली पदोन्नतियों पर लागू नहीं होतीं क्योंकि बैंक में सभी पदोन्नतियां "चयन" पद्धति द्वारा की जाती हैं।

पेंशनभोगियों के बैंकों से पेंशन लेने संबंधी विकल्प बैंकों को भेजने में विलंब

9209. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के माध्यम से पेंशन के भुगतान के संबंध में पेंशनभोगियों के विकल्प संबंधी आवेदन पत्र, दिल्ली राजकोष से संबंधित बैंकों को नहीं भेजे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदनों को शीघ्र बैंकों में भेजने के लिये कौन से कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में पेंशन बैंकों से प्राप्त की जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) (क) : से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नियुक्ति

9210. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण और विभिन्न आरक्षण आदेशों के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए सरकारी विभागों में केवल अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को ही सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में, प्रशासन के प्रभारी उप सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए पदनामित कोई अधिकारी, जो कम से कम उप सचिव स्तर का हो, मन्त्रालय/विभाग के अधीन संगठनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों के बारे में सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार उपयुक्त स्तर/रैंक के अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी अधिकारी के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने पर कोई रोक नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंधित आदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए अनुदेशों के संदर्भ में, सरकार का यह विचार है कि सम्पर्क अधिकारी इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वे किस जाति/समुदाय के हैं, उन्हें आबंटित कर्तव्यों का पूरी तरह निष्पादन करने में समर्थ होंगे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र

9211. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी;

(ग) क्या यह पिछली प्रथा से कुछ हट कर है, यदि हां, तो किस प्रकार;

(घ) इस प्रस्तावित दृष्टिकोण की विशेष की विशेष बातें क्या हैं; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और विशेष प्राथमिकता के क्षेत्र क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) योजना आयोग ने हाल ही में आंठवीं योजना पर कुछ आन्तरिक विचार-विमर्श आरम्भ किये हैं जो इस विषय पर विचारों की आरम्भिक आदान-प्रदान करने की प्रकृति के हैं। दिनांक 13-15 मार्च, 1987 को आयोजन और विकास से संबंधित तथा इनका अनुभव रखने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के साथ एक बैठक भी की गई थी। फिर भी अभी इतनी जल्दी आठवीं योजना के दस्तावेजों का कोई ब्यौरा देना या इसे तैयार करने में लगने वाले समय के बारे में बताना संभव नहीं है।

राजस्थान द्वारा आठवें वित्त आयोग के पंचाट का कार्यान्वित न किया जाना

9212. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान सरकार कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते भुगतान के लिये आठवें वित्त आयोग के पंचाट को कार्यान्वित नहीं कर रही है और इस प्रकार अनजातीय क्षेत्रों में जाने के लिए कुशल कर्मचारियों को हतोत्साहित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए आबंटित राशि को, इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कतिपय कठिनाइयां महसूस किए जाने के कारण, ऐसे क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए अन्तरित करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

शेयरों की खरीद में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

9213. **श्री तम्पन थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना शेयरों की खरीद पूंजी निवेश के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में 1985-86 में कितने नोटिस जारी किए गए थे;

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों ने जिनके विरुद्ध इस प्रकार के नोटिस जारी किए गए थे अपने जवाब सीधे मंत्री को भेज दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा अनिवार्य जमा राशि का भुगतान

9214. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान प्रतिवर्ष पहली अप्रैल से प्रारम्भ किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष बैंकों द्वारा लाखों जमाकर्ताओं की अनिवार्य जमा राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में सरकार के कोई आदेश हैं; और यदि नहीं तो जमा राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) वापसी अदायगी प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता द्वारा जमा कार्यालय में एक आवेदन पत्र देना होता है। 26 दिसम्बर, 1986 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को देय तारीख (अर्थात पहली अप्रैल, 1987) से काफी पहले ब्याज का हिसाब-किताब तैयार रखने के लिए हिदायतें जारी की हैं। 19 मार्च, 1987 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली अप्रैल, 1987 से वापसी अदायगियां जारी करने के लिए और हिदायतें जारी की थीं।

[अनुवाद]

इंडियन ओवरसीज बैंक, कलकत्ता में अधिकारियों का निलंबन

9215. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक, कलकत्ता क्षेत्र में बहुत से अधिकारियों को पार्टियों

को ऋण देने में कथित त्रुटि किये जाने के आधार पर वर्ष के दौरान निलंबित कर दिया गया है;

(ख) क्या अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत बैंक शाखाओं के कुछ प्रबन्धकों को बैंक के अन्य अधिकारियों से आदेश प्राप्त होने में विलम्ब के कारण बैंक और पार्टियों के व्यापक हितों में कार्य करना पड़ा और निर्णय लेना पड़ा था;

(ग) क्या बैंक द्वारा दिये गये ऐसे ऋण और अग्रिम राशियां देने के मामले में पर्याप्त सुरक्षा बरते जाने की व्यवस्था की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने बताया है कि यह सही नहीं है कि कलकत्ता क्षेत्र के उसके कई अधिकारियों को पार्टियों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित कथित गलत व्यवहार के आधार पर वर्ष के दौरान बैंक सेवा से निलम्बित कर दिया गया है। अलबत्ता, बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1986 में, कलकत्ता क्षेत्र के एक प्रबन्धक को, चैकों की खरीद में उसके द्वारा की गई चूकों/अनियमितताओं के कारण निलम्बित किया गया था। बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि वर्ष 1987 में कलकत्ता क्षेत्र के एक अन्य प्रबन्धक को, बेहिसाब अस्थायी ओवरड्राफ्ट देने के कारण निलम्बित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बोलांगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक

9216 **श्री अरिबल्लम पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में प्रचलित वेतनमान प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) क्या बोलांगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक के कर्मचारी उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों के स्तर और पद के सम्मान वेतन ढांचे के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने वेतन तथा संबंधित भत्तों के मामले में राज्य सरकार के ऐसे पद निर्धारित किए हैं, जिनकी तुलना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के पदों के साथ की जाएगी। अधिकारी के पद को खण्ड विकास अधिकारी (साधारण) के, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक को विस्तार अधिकारी (सहकारिता) या इसके समकक्ष पद के और वरिष्ठ क्लर्क कम कैशियर और कनिष्ठ क्लर्क कम कैशियर को क्रमश: जिला प्राधिकरणों के उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के पदों के बराबर रखा गया है।

(ख) और (ग) बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक ने सूचित किया है कि माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण तुलनीय पदों के संशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका था। लेकिन, ग्राम्य बैंक द्वारा दिहाड़ी पर रखे गए कर्मचारियों को राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार संशोधित व्यवस्था का पहले ही अनुपालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी

9217. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में कितना अंशदान किया गया है और वर्ष 1987-88 में उनके पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिये बैंकवार कितने अंशदान की व्यवस्था की गई है;

(ख) इस प्रकार का बैंकवार अंशदान किस तरह से निर्धारित किया जाता है और यदि इस पर कोई ब्याज लिया जाता है तो उसकी दर क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बैंकों द्वारा इस प्रकार की धनराशि को ठीक प्रकार से खर्च करने अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में निदेश करने पर यदि कोई निगरानी रखी जाती है तो किस प्रकार रखी जाती है; और

(घ) क्या इन प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाले ब्याज को बैंकों की मूल पूंजी में जमा कर दिया जाता है अथवा किसी अन्य तरीके से उसका उपयोग किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1986-87 में 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये की राशि का अभिदान किया गया। अभिदत्त राशि का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में अभिदान के लिये 1987-88 के बजट अनुमानों में 200 करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है। यह रकम अभी जारी नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रत्येक बैंक के लिए अतिरिक्त पूंजी का निर्धारण बैंक के जमा अनुपात की तुलना में उसकी खुद की धनराशियों के संबंध में उसकी सापेक्ष स्थिति तथा उसकी आंतरिक वित्तीय शक्ति के आधार पर किया गया था। इस अभिदान की राशि पर बैंकों द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। उन सभी बैंकों ने जिन्हें अभिदान की पूरी राशियां प्राप्त हो गयी हैं, अभिदान की पूरी रकम 7.75 प्रतिशत प्रति वार्षिक की ब्याज वाली विशेष अपरक्राम्य प्रतिभूतियों में लगा दी है। इन प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज की राशि बैंकों के पूंजी आधार में नहीं जोड़ी जाती बल्कि इसे बैंक की आमदनी माना जाता है।

विवरण

	(रकम करोड़ रुपये में)
1. इलाहाबाद बैंक	10.00
2. बैंक आफ बड़ौदा	16.00
3. बैंक आफ इंडिया	27.00

4. बैंक आफ महाराष्ट्र	8.00
5. केनरा बैंक	12.00
6. सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	27.00
7. देना बैंक	7.00
8. इंडियन बैंक	10.00
9. इंडियन ओवरसीज बैंक	32.00
10. पंजाब नेशनल बैंक	52.00
11. सिंडिकेट बैंक	9.00
12. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	14.00
13. यूको बैंक	57.00
14. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	75.00
15. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	6.00
16. आन्ध्र बैंक	5.00
17. कारपोरेशन बैंक	2.00
18. न्यू बैंक आफ इण्डिया	8.00
19. पंजाब एंड सिंध बैंक	13.00
20. विजया बैंक	10.00
जोड़	400.00

विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य

9218. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उस स्थिति में शामिल न करने के अनुदेश दिये हैं जहां एक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की प्रतिशतता पहले ही न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशतता से अधिक है;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में कोई मामला आया है जहां सहायक कर्मचारी की लिपिक संवर्ग में पदोन्नति/सहायक कर्मचारी की भर्ती के लिए विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) हाल ही में ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। सरकार के मार्गनिर्देशों पर अमल न किये जाने के बारे में जो अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, वे आम-तौर पर संबंधित बैंक के पास उचित कार्रवाई के लिए भेज दिए जाते हैं।

कम्प्यूटरों पर कार्य करने के लिए विशेष भत्ता

9219. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्प्यूटरों पर कार्य करने के लिए विशेष भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जो यह भत्ता दे रहे हैं और उनके द्वारा दी जा रही मासिक भत्ते की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जो बैंक शाखाओं में कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले अपने लिपिकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई भत्ता नहीं दे रहे हैं; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाये जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मामले में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय बैंक संघ और अखिल भारतीय कर्मकार संघ के बीच 29 मार्च, 1987 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीनों/एडवांस्ड इलैक्ट्रानिक एकाउंटिंग मशीनों के आपरेटरों को 350 रुपये प्रतिमास विशेष भत्ता दिया जाता है। कम्प्यूटरों पर काम करने के लिये अधिकारियों को किसी प्रकार का विशेष भत्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उन सभी बैंकों से, जिनकी ओर से उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं, 350 रुपए का भत्ता समान रूप से देने की अपेक्षा की जाती है।

कम्प्यूटरों की कीमत

9220. **श्री एच० बी० पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कम्प्यूटरों की कीमतें कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कीमतों में किस सीमा तक कमी किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस समय कम्प्यूटरों का कितनी कम्पनियां निर्माण कर रही हैं; और

(ङ) कम्प्यूटरों के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। सरकार ने वर्ष 1984 में एक नई कम्प्यूटर नीति की घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य कीमतों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटरों के विनिर्माण तथा

आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

(ख) सरकार संगठित तथा लघु उद्योग के इन दोनों ही क्षेत्रों में लाइसेंस प्रदान करने की उदार नीति का अनुपालन कर रही है; उत्पादन-क्षमता पर लगे प्रतिबन्ध लगभग हटा दिये गये हैं, परियोजनाओं के लिये डिजाइन तथा ड्राइंग/तकनीकी जानकारी का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है; एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम (एम० आर० टी० पी०) की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत एम० आर० टी० पी० विषयक छूट भी विशिष्ट रूप से प्रदान की गई है।

(ग) स्वदेश में ही विनिर्मित कम्प्यूटरों की कीमतों में उत्पादन में हुई वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धा के स्तर में वृद्धि होने के फलस्वरूप गिरावट आ रही है। सरकार का लक्ष्य यह है कि कीमतों को घटाकर उन्हें यथासंभव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाया जाए।

(घ) लगभग 142 इकाइयों ने सूचित किया है कि उनके यहां इसका उत्पादन हो रहा है।

(ङ) इलेक्ट्रानिकी विभाग में एक अन्तर्मंत्रालयी स्थायी समिति कार्य कर रही है जिसे यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह एक ही स्थान पर सभी तकनीकी पहलुओं पर कार्यवाही करे।

मास्टरकार्ड इंटरनेशनल को दिल्ली में कार्यालय खोलने की अनुमति देना

9221. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मास्टरकार्ड इंटरनेशनल की इस क्षेत्र में बढ़ते हुए क्रेडिट कार्ड बाजार में प्रवेश का लाभ उठाने की दृष्टि से नई दिल्ली में कार्यालय खोलने की अनुमति दी है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सैंट्रल बैंक आफ इंडिया को उसकी मास्टरकार्ड इंटरनेशनल स्कीम के अन्तर्गत निर्यात और व्यापार गृहों के चयन के लिये खुला परमिट जारी करने की अनुमति दी है;

(ग) क्या इन परमिटों के एवज में विदेशी मुद्रा की राशि को मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक से पहले ही लेनी होगी; और

(घ) सरकार ने विदेशी मुद्रा परमिटों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथावत सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सिक्कों का उत्पादन और आयात

9222. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्कों का देश में विशेष रूप से कलकत्ता टकसाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या कलकत्ता टकसाल का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्यों के कितनी लागत के सिक्कों का आयात किये जाने की संभावना है और इनका किन-किन देशों से आयात किया जाएगा; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं कि इन सिक्कों में नकली अथवा कटे हुये अविश्वसनीय सिक्के न हों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कलकत्ता टकसाल सहित भारत सरकार की टकसालों में सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किये गये उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन योजना शुरू करना।

(ii) कार्य के घन्टे प्रति सप्ताह प्रति पारी बढ़ाकर 60 कर दिये गये हैं।

(iii) कलकत्ता टकसाल में दूसरी पारी शुरू की गई है।

(iv) टकसालों के आधुनिकीकरण के अंग के रूप में 24 नई सिक्का ढलाई प्रेसें स्थापित की गई हैं जिसमें से 6 कलकत्ता टकसाल में हैं; 14 और सिक्का ढलाई की प्रेसें स्थापित की जा रही हैं।

(v) 20,000 लाख अदद सिक्के प्रति वर्ष वार्षिक क्षमता की एक नई टकसाल नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। यह 1988-89 में उत्पादन करना शुरू कर देगी।

इन उपायों के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता टकसाल में उत्पादन में निम्न प्रकार वृद्धि हुई है:

	(लाख अदद)
1984-85	4320
1985-86	8730
1986-87	11030

(ख) और (ग) आधुनिकीकरण के जरिए टकसालों की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मैसर्ज "मैकोन" को अध्ययन करने का काम सौंपा गया था और उनकी रिपोर्ट विचाराधीन है।

(घ) 12500 लाख अदद स्टेनलैस स्टील के सिक्कों, जिसमें 50 पैसे के 3000 लाख अदद सिक्के, 25 पैसे के 4000 लाख अदद सिक्के और 10 पैसे के 5500 लाख अदद सिक्के शामिल हैं, जिनकी लागत 16.62 करोड़ रुपये है, के लिए रायल कनाडी टकसाल, कनाडा को

आर्डर दिये गये हैं। इनके 1987 और 1988 के दौरान प्राप्त हो जाने की आशा है। इसके अलावा, यू० के० से 1 रुपए के 1445 लाख अदद सिक्कों और दक्षिण कोरिया से 50 पैसे के 800 लाख अदद सिक्कों की अल्प मात्रा जो 1985-86 में दिये गये आर्डर में से शेष रहते हैं, वर्ष के दौरान प्राप्त हो जायेगी।

(ङ) सिक्कों का आयात उन विदेशी टकसालों से किया जाता है जिनकी विश्वसनीयता की ख्याति और सुरक्षा वर्षों के दौरान प्रतिष्ठित है। ये टकसालें उसी प्रकार सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करती हैं जिस प्रकार भारत की टकसालों में किया जाता है। आयातों के लिए हमारे प्रबन्धों में भी उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये गए हैं।

"बेल्जियम पोर्ट आफ घेन्ट" के निकट भारतीय पोतों का पकड़ा जाना

9223. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रोटरडम में हालैण्ड के न्यायालय के आदेश पर "बेल्जियम पोर्ट आफ घेन्ट" के निकट फ्लाशिंग रोड पर सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड के दो पोत पकड़े गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पोतों को छुड़ाने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) बकाया रकमों की अदायगी न करने के कारण कुछ ऋणकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं के परिणामस्वरूप अदालत के आदेश पर दो जहाज पकड़ लिये गये थे।

(ग) इन जहाजों के पकड़े जाने से पता पैदा होने वाले मुद्दों की जांच करने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा गया है। भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी के नाम से एक संगठन की स्थापना की गयी है जो अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न रुग्ण नौवहन कम्पनियों की सक्षमता की जांच करेगी और जो कम्पनियां सक्षम पायी जायेंगी उनके पुनरुद्धार के संबंध में मिली-जुली योजनाएं तैयार करेगी।

परमाणु औषधि के अध्ययन को बढ़ावा देने की योजना

9224. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु रिएक्टर दुर्घटना की स्थिति में होने वाले सम्भावित विकिरण के चिकित्सकीय प्रभावों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की परमाणु औषधि के अध्ययन अनुसंधान को बढ़ावा देने की कोई योजना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक इस संबंध में अपने को अवगत रखते हैं कि परमाणु रिएक्टरों में हो सकने वाली दुर्घटनाओं तथा उनके परिणामस्वरूप फैल सकने वाले विकिरण की अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल के लिए क्या करना आवश्यक होगा।

(ग) जी, हां। सरकार ने न्यूक्लियर चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करने, निदान और चिकित्सा के क्षेत्र में न्यूक्लियर औषधों के अनुप्रयोग का पता लगाने और फिजिशियनों और तकनीशनों के लिए न्यूक्लियर चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से दिल्ली में इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर मेडिसिन एण्ड इलाइड साइंस की तथा बम्बई में एक विकिरण चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने अनेक विकिरण भेषजों के उत्पादन के लिए न्यू बाम्बे में आइसोफार्म की और अस्पतालों को इन विकिरण भेषजों को सप्लाई करने के लिए बंगलौर, दिल्ली तथा डिब्रूगढ़ में क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों की स्थापना की है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए धनराशि नियतन सम्बन्धी मानदंड

9225. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष राज्यवार धनराशि का नियतन करने के सम्बन्ध में कौन से मानदंड निर्धारित किये गए हैं; और

(ख) क्या अनुसूचित जनजाति के लोगों की अधिक संख्या वाले राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक धनराशि आवंटित की जाती है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए, धनराशियों के राज्यवार वार्षिक आवंटन के निर्धारण का मापदण्ड, मुख्यतः गरीबी के परिणाम पर निर्भर करता है। सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के लिए, 50 प्रतिशत आवंटन गरीबी के परिमाण पर तथा 50 प्रतिशत खंडों की संख्या के आधार पर किया गया। 1987-88 के दौरान दो तिहाई धनराशि का आवंटन गरीबी के परिमाण तथा एक तिहाई राशि का आवंटन खंडों की संख्या के आधार पर किया गया है।

भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम का रुग्ण एककों को पुनः सक्षम बनाने का प्रस्ताव

9226. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में विद्यमान उन रुग्ण एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम ने पुनः सक्षम बनाने का प्रस्ताव किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम उन एककों के पुनरुद्धार के लिए मिली-जुली योजनाएं तैयार करता है जिनमें उसकी अग्रणी संस्थागत जिम्मेदारियां होती हैं। निगम ने बताया है कि केरल राज्य में उसने मैसर्स मियर टायर्स

लि० और मैसर्स केरल इलैक्ट्रिक लैम्प्स वर्क्स नामक दो एककों के बारे में उपयुक्त मिली-जुली योजनाएं तैयार की हैं जिनका अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन किया जाना है। तीन अन्य एककों के बारे में निगम उनके अर्थक्षम पहलुओं पर विचार कर रहा है।

वित्त मंत्री की मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

9227. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने जनवरी, 1987 में देश के मजदूर संघों के अग्रणी नेताओं के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर बातचीत की गई;

(ग) क्या उद्योगों के आधुनिकीकरण में मजदूर संघों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री ने मजदूर संघों के नेताओं सहित, विभिन्न हितों के प्रतिनिधियों के साथ, वर्ष 1987-88 के बजट को तैयार करने के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए बैठकें कीं। मजदूर संघों के नेताओं ने अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए।

(ग) और (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और 1957 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में स्वीकार किए गये युक्तिकरण सम्बन्धी आदर्श (माडल) समझौते में श्रमिकों के हितों के संरक्षण के साथ-साथ युक्तिकरण आदि के कारण होने वाले किसी भी परि-वर्तन की दिशा में कार्मिकों अथवा श्रमिक संघों के लिए अवसरों की व्यवस्था करने के उपबंध हैं। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था भी जिसे 1984 में सरल बनाया गया था, कम्प्यूटरों के आयात की दशा में, श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान करती है।

बैंकों के अधिकारियों को सवारी भत्ता

9228. **डा० वी० वेंकटेश :**
श्री बनवारी लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान वेतनमानों (ग्रेड) के अधिकारियों को सवारी भत्ते के भुगतान (सवारी पर किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति) के लिए पात्रता तथा उसकी राशि के बारे में समानता नहीं है;

(ख) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न वेतनमानों के अधिकारियों को सवारी भत्ते के लिए पात्रता और उन्हें देय राशि सम्बन्धी नियम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान वेतनमानों वाले अधिकारियों को सवारी भत्ते (सवारी पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति) में समानता लाने हेतु कौन से कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की सेवा शर्तों में सवारी भत्ते की अदायगी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक, कारबार के हित में अधिकारियों द्वारा सवारी पर किए गये वास्तविक खर्च की मासिक आधार पर एक मुश्त प्रतिपूर्ति करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक संघ ने अधिकारियों को सवारी भत्ता देने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्मुख एक योजना रखी है। इस योजना में, अधिकारियों के वेतनमान/ग्रेड के अनुसार 100 रुपये से 150 रुपये प्रति मास के हिसाब से उन अधिकारियों की प्रतिपूर्ति की जायेगी जिनके पास अपने वाहन नहीं हैं। जिन अधिकारियों के पास अपने वाहन हैं वे 125 रुपये से 350 रुपये तक प्रति मास के हिसाब से या प्रति मास 20 लीटर से 70 लीटर तक पेट्रोल की लागत के हिसाब से अपने कार्य क्षेत्र तथा ग्रेड/वेतनमान के अनुसार प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

स्टेट बैंक आफ इंदौर के अधिकारियों का स्थानांतरण

9229. **श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर के प्रधान कार्यालय (इन्दौर) में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों को अन्य बैंकों में कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा;

(ग) उक्त बैंक द्वारा सरकार के आदेशों का अब तक अनुपालन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का इन मामलों में कार्यवाही करने का विचार है, और यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायी संवर्ग में विलय

9230. **श्री एस० तंगराजु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन अस्थायी सब-स्टाफ कर्मचारियों का जो 250 दिन से अधिक समय तक कार्य कर कर चुके हैं, स्थायी संवर्ग में विलय करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह तत्संबंधी सरकार की नीति के अनुरूप है; और

(घ) इस बारे में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में अधीनस्थ कर्मचारियों की नियमित आधार पर भर्ती छुट्टी रिक्तियों के लिए, जिनकी सूची बैंक द्वारा बैंक जिलावार रखी जाती है, रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के पैनलों में से की जाती है। बैंक ने आगे सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पिछली बकाया को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने अपने सभी अंचल कार्यालयों को (1) छुट्टी रिक्तियों के वास्ते अनुमोदित/रखे गए उम्मीदवारों के पैनल में उपलब्ध अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से, यदि आवश्यक हो, तो सामान्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता को नजरअन्दाज करके, अधीनस्थ संवर्ग के पदों को जल्दी से भरने और (2) यदि वर्तमान पैनलों में पर्याप्त संख्या में आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो सम्बद्ध रोजगार कार्यालयों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नई सूचियां मंगाने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।

पश्चिम जर्मनी से सहायता

9231. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :**
श्री एल० एम० गुरड्डी :
श्री जी० एस० बसवराजु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 के दौरान पश्चिम जर्मनी से किसी वित्तीय सहायता के बारे में सहमति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राप्त होने वाली इस सहायता से किन-किन परियोजनाओं में धन लगाया जाएगा ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली में 9 अप्रैल, 1987 को निष्पन्न भारत-जर्मन संघीय गणराज्य की वार्षिक वित्तीय वार्ता के दौरान यह तय हुआ था कि जर्मन संघीय गणराज्य सरकार 1987 में वित्तीय सहयोग के लिए 3950 लाख ड्यूशमार्क की राशि और तकनीकी सहायता के लिए 390 लाख ड्यूशमार्क की राशि उपलब्ध करेगी। उपर्युक्त वित्तीय सहयोग की राशि तथा पूर्ववर्ती वर्षों के आवंटनों की 357 लाख ड्यूशमार्क की अग्रेणीत एवं अप्रयुक्त राशि से वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) सामान्य वस्तु सहायता	450 लाख ड्यूशमार्क
(ii) पूंजीगत वस्तुएं	600 —तदैव—

(iii) औद्योगिक विकास बैंक	600	—तदैव—
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	300	—तदैव—
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	300	—तदैव—
(iv) गरीबी दूर करने के लिए स्थानीय लागत सहायता	800	लाख ड्यूशमार्क
—नाबार्ड	150	लाख ड्यूशमार्क
—एच० डी० एफ० सी०	250	—तदैव—
—ग्रामीण जलपूर्ति/ब्लैक बोर्ड योजना कार्यक्रम	400	लाख ड्यूशमार्क
(v) मिश्रित वित्त व्यवस्था परियोजनाएं	1857	लाख ड्यूशमार्क
—रामगुंडम विवृत्त कोयला खानें—500	500	लाख ड्यूशमार्क
—ऊरान कम्पांइड साकिल पावर स्टेशन (अपशिष्ट उ० मा० प्राप्ति संयंत्र)	752	लाख ड्यूशमार्क
—लिगनाइट संयंत्र, नेवेली III—	500	लाख ड्यूशमार्क
—बीना के लिए विद्युत केन्द्र कोयला परियोजना विषयक शुष्क बेनिफिशियशेन	100	लाख ड्यूशमार्क
—केबुल टर्मिनल वक्से II (अतिरिक्त वित्तपोषण)	5	लाख ड्यूशमार्क
जोड़	4307	लाख ड्यूशमार्क

तकनीकी सहायता के अन्तर्गत आवंटित 390 लाख ड्यूशमार्क की राशि में से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है।

	(लाख ड्यूशमार्क)
—केन्द्रीय टूल रूप लुधियाना	20
—प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर (आर० आर० एल०)	36
—समुद्रीय इंजीनियरी केन्द्र, मद्रास	60
नई परियोजनाएं	
—आई० आई० टी० मद्रास चार नए एककों का संवर्धन	144
—निर्यात संवर्धन	50
—राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली (ii) ने मापतौल के राष्ट्रीय मानकों का संवर्धन	80
	390 लाख ड्यूशमार्क

तमिलनाडु में इलैक्ट्रानिकी उद्योग समूह की स्थापना

9232. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में एक इलैक्ट्रानिकी उद्योग समूह की स्थापना का कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में "लीड" बैंक

9233. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने "लीड" बैंक हैं; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उनके कारोबार का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में चार बैंकों अर्थात् केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अग्रणी जिम्मेदारी है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान, तमिलनाडु में अग्रणी बैंकों ने, वर्ष 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शाखाएं खोलने के लिए पात्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों का पता लगाने के वास्ते अग्रणी बैंक समूह गठित दिए थे; जिला परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का आयोजन किया; वर्ष 1986 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए उपाय दिए और तमिलनाडु में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी ऋण दात्री संस्थाओं के प्रयासों का समन्वय करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया।

अंटार्कटिक क्षेत्र से फिश मछली प्राप्त करना

9234. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिक क्षेत्र से फिश मछली प्राप्त करने का कार्यक्रम था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या ऐसा केवल अनुसंधान कार्यों के लिए था या वाणिज्यिक बिक्री के लिए; और

(घ) यदि यह वाणिज्यिक बिक्री के लिए था, तो क्या सरकार ने इसके आर्थिक पहलुओं की जांच की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा,

इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। क्रिल मछली पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य हाथ में लिया गया है और पिछले अभियानों के दौरान क्रिल के फैलाव, सघनता, जैविकी, परिपक्वता, आकार, बनावट आदि पर उपयोगी वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित किए गए हैं।

(ग) एकत्रित किए गए क्रिल मछली के नमूने पूर्णतया अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड पर उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

9235. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड पर उत्पादन शुल्क के कुल कितने मामले हैं और 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड पर उत्पाद शुल्क की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) क्या मैसर्स इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड ने कुछ मामलों में रोकादेश प्राप्त किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन रोकादेशों को रद्द करने के लिए और मैसर्स इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड से उत्पाद शुल्क की बकाया राशि वसूल करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) 31.3.1986 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न प्राधिकरणों और न्यायालयों में विभिन्न अवस्थाओं में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के ऐसे लगभग 29 मामले बकाया पड़े हुए थे जिनमें मैसर्ज आई० टी० सी० ग्रस्त है और स्थान आदेशों द्वारा प्रभावित वर्तमान निर्धारणों, मूल्यांकन तथा अन्य निर्धारण सिद्धान्तों को अन्तिम रूप न दिए जाने की दृष्टि से उत्पादन शुल्क की बकाया राशि की मात्रा सही रूप से नहीं बताई जा सकती है।

यह सच है कि मैसर्ज आई० टी० सी० लि० ने मूल्यांकन, वर्गीकरण आदि से संबंधित मामलों पर स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं। सरकार ने स्थगन आदेशों को निरस्त कराने और कम्पनी से उत्पादन शुल्क वसूल करने के लिए समय-समय पर कानूनी, प्रशासनिक तथा अन्य उपाए, जिन्हें आवश्यक समझा गया, किए हैं।

आयकर की वापसी में विलम्ब होने पर ब्याज का भुगतान

9236. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर की वापसी में अनावश्यक विलम्ब होने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने आयकर की वापसी में होने वाले विलम्ब के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अफ्रीकी देशों को सहायता

9237. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान अफ्रीकी विकास कोष, अफ्रीकी विकास बैंक और अफ्रीकी कोष तथा कोलम्बो योजना तथा विशेष राष्ट्र मण्डल अफ्रीकी सहायता योजना के लिए विदेश सहायता के रूप में कितनी राशि दी है;

(ख) भारत ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 में विभिन्न विकासशील देशों को विदेश सहायता (ऋण और अनुदान) के रूप में, देश-वार, कितनी राशि दी है; और

(ग) इन ऋणों और अनुदानों की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : यह विवरण संलग्न है। (क) से (ग)

विवरण

	1985-86	1986-87
(क) भारत द्वारा निम्नलिखित को दी गई राशि :	(करोड़ रुपये में)	
अफ्रीका विकास निधि	3.38	3.84
अफ्रीका विकास बैंक	0.54	0.54
अफ्रीका निधि	शून्य	शून्य
कोलम्बो योजना	0.53	1.00
विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीका सहायता योजना	0.25	0.45

(ख) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों/वस्तुगत उधारों की राशि

1985-86

(i) वियतनाम 50,000 टन गेहूं (8.29 करोड़ रुपए)

(ii) भूटान	22.26 करोड़ रुपये
1986-87	
(i) वियतनाम	1.00,000 टन गेहूं 19.00 करोड़ रुपये 15.00 करोड़ लगभग
(ii) मारीशस	5.00 करोड़ रुपये
(iii) निकारागुआ	12.50 करोड़ रुपए
(iv) नेपाल	25.00 करोड़ रुपये
(v) भूटान	17.95 करोड़ रुपये

(ख) 2. भारत द्वारा अनुदान के रूप में दी गई राशि :

	1985-86 (करोड़ रुपये में)	1986-87
(i) बंगला देश	1.01	0.35
(ii) भूटान	42.12	60.03
(iii) नेपाल	19.14	9.44
(iv) अफीकी देशों का संगठन	12.00	—
आई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत :		
(क) **अफ्रीकी देश**		
(i) मारीशस	1.10	0.35
(ii) सेशैल्स	0.01	0.02
(iii) तंजानिया	0.07	0.14
(iv) जाम्बिया	0.05	0.05
(v) जिम्बाबे	0.03	0.05
(vi) अन्य अफीकी देश	0.51	0.74
(ख) **एशियाई देश**		
(i) अफगानिस्तान	0.90	2.00
(ii) कम्पूचिया	0.01	0.30
(iii) लाओस	0.29	0.45

(iv) वियतनाम	0.22	0.55
(v) यमन गणराज्य	0.06	0.20
(vi) मालद्वीप	0.03	0.12
(vii) श्रीलंका	0.68	0.50
(viii) अन्य एशियाई देश	0.14	0.35
(ग) खाड़ी और मध्य पूर्व के देश	0.11	0.26
(घ) फिजी और दक्षिण प्रशान्त द्वीप समूह	0.03	0.05
(ङ) लेटिन अमरीका और कैरेबियन देश	0.06	0.05
(च) रक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण	2.62	1.50
(छ) विशिष्टि व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	0.35	0.65
(ज) पहुपक्षीय ई०सी०ए०	0.26	0.06
(झ) सार्क	0.25	0.44
(ञ) ए०एफ०डी०बी०	0.03	0.02
(ट) एस०ए०डी०सी०सी०	—	0.10
(ठ) एन०एन०सी/स्वापो	—	0.05
	7.81	9.00

(ग) **उधारों और अनुदानों की शर्तें**

(ग) 1. **1985-86**

(i) **वियतनाम** : वियतनाम को दिए गए दिनांक 26.7.1985 के 50,000 मी० टन के गेहूं ऋण के बदले वियतनाम सरकार भारत द्वारा वियतनाम को गेहूं की गई नौतल पर्यन्त निशुल्क सुपुर्दगी के सम्बन्ध में वहन की गई अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए मात्रा पर विचार करते हुए 55,000 टन गेहूं की वापसी अदायगी करेगी। प्रतिस्थापन द्वारा गेहूं की वापसी अन्तिम जहाजी लदान के पूरा होने के 4 वर्षों के पश्चात आरम्भ होगी और उसके बाद के छः महीने की अवधि में पूरी होगी।

(ii) **भूटान** : चूखा पन बिजली परियोजना के लिए दिए गए ऋण की राशि पर ब्याज 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और 3 वर्षों की रियायती अवधि सहित इसकी अदायगी 15 वर्षों में की जाएगी।

(ग) 2. **1986-87**

(i) **वियतनाम** : 15.5.1986 को वियतनाम सरकार को दिए गए 100,000 टन के गेहूं

ऋण के बदले 1,10,000 टन गेहूं वापस किया जाएगा। प्रतिस्थापन के रूप से गेहूं की सुपुर्दगी अन्तिम जहाजी लदान के पूरा होने के पांच वर्षों के पश्चात शुरू होगी इस अवधि की गणना 1986 और 1987 के वर्षों में की गई पूर्ति के लिए अलग-अलग की जाएगी और उसके पश्चात छः महीने की अवधि में पूरी हो जाएगी।

(ii) **मारीशस** : 5.7.1986 को मारीशस सरकार को दिए गए 5 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज 5 पूंजीगत सामान के लिए (3.75 करोड़ रुपए) 5% प्रतिवर्ष है जिसकी अदायगी 3 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि सहित 15 वर्षों में की जाएगी। ऋण के उपभोक्ता सामान के भाग (1.25 करोड़ रुपए) पर ब्याज दर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जिसकी अदायगी 2 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि सहित 4 वर्षों में की जाएगी।

(iii) **निकारागुआ** : निकारागुआ की सरकार को 11.9.1986 को दिए गये 12.50 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और उसकी वापसी अदायगी 5 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि 15 वर्षों में की जाएगी।

(iv) **वियतनाम** : वियतनाम की सरकार को 12.1.87 को दिए गए 15 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और 4 वर्षों का ऋण स्थगन अवधि सहित 14 वर्षों में इसकी वापसी अदायगी की जाएगी।

(v) **भूटान** : चूखा पन बिजली परियोजना के लिए ऋण के रूप में दी गई राशि पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा और 3 वर्षों की रियायती अवधि सहित इसकी अदायगी 15 वर्षों में की जाएगी।

(vi) **नेपाल** : आरम्भ में अक्तूबर, 1985 में 15 करोड़ रुपए का समर्थन ऋण दिया गया था जिसकी अदायगी तीन महीनों में की जानी थी। इसके पश्चात दिसम्बर, 1986 में इस बात पर सहमति हो गई कि ऋण की सीमा को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया जाए, और अदायगी की अवधि में छः महीने की वृद्धि कर दी जाए तथा ऋण को परिक्रामी उधार बना दिया जाए। विद्यमान करार अक्तूबर, 1987 तक के लिए है।

(ग) 3. अनुदानों से सम्बद्ध कोई शर्तें नहीं हैं।

केन्द्र द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के दिशा-निर्देश

9238. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में राज्यों द्वारा दिये गये पुरस्कार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुरस्कारों का विकलांग व्यक्तियों के कल्याण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, विकलांगों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष निम्नलिखित श्रेणियों के विकलांगों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है :

(1) विकलांगों के नियोक्ता

(2) विकलांग कर्मचारी

(3) विकलांगों के नियोजन अधिकारी

(4) विकलांगों के कल्याण में कार्यरत संस्थाएं; और

(5) विकलांगों की भलाई के लिए कार्यरत व्यक्ति विशेष ।

2. सामान्यत: कल्याण मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों से इन पुरस्कारों के लिए, व्यक्तियों एवं संस्थाओं के संबंध में सिफारिशें करने तथा उन्हें भेजने के लिये अनुरोध करता है। विशेष मामलों में सीधे नामजदगी पर भी विचार किया जाता है।

3. चयन करने हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

(1) **नियोक्ता**

नियोक्ताओं का चयन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है :

(क) कि किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 2% तथा न्यूनतम 3 व्यक्ति विकलांग हों। बड़े प्रतिष्ठानों में जहां 15 या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति कार्यरत हों वहां 2% की शर्त को लागू करने पर जोर न दिया जाए।

(ख) जहां कहीं आवश्यक हो वहां मशीनरी में मामूली समायोजन किया गया है।

(ग) कि विकलांग कर्मचारियों के वेतन की दर सहित सेवा की वही शर्तें हों जो अन्य कर्मचारियों के लिए हैं।

(घ) कि नियोक्ताओं ने विकलांगों की समस्याओं पर सहानुभूति मूलक विवेक प्रदर्शित किया है तथा

(ङ) कि जब कभी आवश्यक तथा उपयुक्त हो आवास जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(2) **कर्मचारी**

कर्मचारियों तथा स्व-रोजगार व्यक्तियों का निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है :

(क) उत्पादन की दर;

(ख) अनुपस्थिति

(ग) उच्च अधिकारियों तथा सहकर्मियों के साथ सहयोग;

(घ) वास्तविक संयंत्र तथा मशीनरी में समन्वय की कोई अधिक मांग न हो;

(ङ) स्वतन्त्रता की भावना, और

(च) विकलांकता की क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त पारिश्रमिक की कोई अत्यधिक मांग न हो।

(3) **नियोजन अधिकारी के लिए**

विकलांगों के नियोजन अधिकारी के लिए निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है :

(क) कि पिछले एक वर्ष के दौरान उसके पास पंजीकृत व्यक्तियों में से कम से कम 20% व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया हो।

(ख) पिछले पांच वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष के अन्त तक उसके पास पंजीकृत व्यक्तियों को अनुवर्ती कार्रवाई सहित रोजगार पर लगाने का उत्कृष्ट कार्य, और

(ग) कि नियोजन अधिकारी का व्यवहार पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों के साथ अनुकूल हो,

(4) **संस्थायें**

संस्थाएं ऐसी हों जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पीषित न हों। संस्थाएं सरकार से सहायता प्राप्त हो या अन्यथा। संस्थाएं विकलांगों के कल्याण के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हो और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो। संस्था की स्वतन्त्र रूप मे कार्यरत शाखाएं भी इस पुरस्कार को पाने की हकदार होगी। चयन पूर्णतः कार्य के गुणात्मकता तथा शामिल किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

(5) **व्यक्ति विशेष**

पुरस्कार हेतु चयन किए जाने वाले व्यक्तियों को विकलांगों के कल्याण के लिए 5 वर्ष तक न्यूनतम कार्य करना अपेक्षित है। संस्थाओं के वेतन भोगी अधिकारी चयन के पात्र नहीं होंगे। चयन का पूर्ण आधार व्यक्ति द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए किए कार्य की गुणात्मकता तथा इसके कल्याण का महत्व।

4. राज्य सरकारों द्वारा कोई पुरस्कार नहीं दिए जाते। अतः राज्य सरकारों द्वारा इस मंत्रालय से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

5. भारत सरकार विकलांगों के कल्याण के क्षेत्र में 1969 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रही है। इन पुरस्कारों से उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं और विकलांग व्यक्तियों को सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार पर लगाने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है। इससे विकलांग कर्मचारियों को अपने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पारिश्रमिक और मान्यता प्राप्त करते हुए कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड जारी किया जाना

9239. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **वित्त मन्त्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ वित्तीय संस्थाओं/निगमों ने वर्ष 1986-87 के दौरान बांड जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/निगमों ने उपर्युक्त वित्त वर्ष के दौरान बांड जारी करके कुल कितनी राशि एकत्र की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) "देशी पूंजी बाजार" और "अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार" में वर्ष 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांडों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1986-87 (अप्रैल से मार्च) के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांडों का ब्यौरा

संस्था का नाम	देशी पूंजी बाजार में जारी किए गए बांड	जुटाई गई रकम (करोड़ रुपये)	'अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार' में जारी किए गए बांड
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	15 वर्षों में परिशोध्य 11% बांड	879.69	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 10 वर्ष की परिपक्वता के 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर वाले 10 करोड़ रुपए स्विस फ्रांक के स्विस फ्रांक बांड जारी किए।
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	-तदेव-	350·20	निगम ने जापान के येन बाजार में 5 अरब जापानी येन के बांड जारी किए और फरवरी, 1986 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गए 1·5 करोड़ ड्यूश मार्क के बांडों में निगम का भी हिस्सा था।
3. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	-तदेव-	216·15	निगम ने 1996 में परिशोध्य 7·5 करोड़ स्विस फ्रांक बांड जारी किए।
4. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-तदेव-	43.45	
5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	-तदेव-	46·43	

उत्पाद शुल्क अपवंचन के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाना

9240. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1987 तक की अवधि के दौरान 600 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद शुल्क की चोरी के लिये कितनी कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 803.78 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के तथाकथित अपवंचन के लिए मैसर्स इंडियन टोबेको कम्पनी तथा सात अन्य सिग्रेट निर्माता कम्पनियों को दिनांक 27.3.1987 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जनवरी-मार्च, 1987 को अवधि के दौरान 600 करोड़ रु० से अधिक की राशि के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन किये जाने के लिए किसी अन्य मामले में कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(ख) जनवरी-मार्च, 1987 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के कथित उल्लंघन के लिए विभिन्न कम्पनियों को 70 कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए बैंक ऋण

9241. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिये वित्त पोषण करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उनकी मांग बढ़ सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चूंकि बैंक ऋण का उपयोग मुख्यतः उत्पादक प्रयोजनों के वित्त पोषण के लिये किया जाना होता है इसलिए विशेष रूप से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए धनराशियां निर्धारित करने के लिए बैंकों से कहना उचित नहीं होगा। अलबत्ता, धनराशियों की उपलब्धता और मामले के गुणदोषों के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं का वित्त पोषण करने पर बैंकों पर कोई रोक नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश का वन क्षेत्र

9242. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1960 और 1 जनवरी, 1987 को आन्ध्र प्रदेश का वन क्षेत्र कितना था;

(ख) वन भूमि को उद्योगों, रेल/सड़क, सिंचाई और वनरोपण जैसे विकास कार्यों में उपयोग किये जाने से उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने प्रतिशत वन क्षेत्र को हानि/लाभ हुआ; और

(ग) वन रोपण कार्यक्रम द्वारा और अधिक क्षेत्रों के विकास के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1960 और 1 जनवरी, 1987 को वन क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, इसलिए इस अवधि के दौरान वन क्षेत्र की क्षति/वृद्धि की प्रतिशतता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं सहित योजनागत स्कीमों के तहत वनरोपण प्रयासों को तीव्र करने के अलावा, राज्य सरकार का पोडु क्षेत्रों के सुधार और मशीनी पौधरोपण के लिए दो नई स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव है।

युवा वैज्ञानिकों और अनुसंधान अध्येताओं द्वारा प्रदर्शन

9243. **श्री एच एम नन्जे गौडा :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा वैज्ञानिकों और अनुसंधान अध्येताओं ने बेहतर वेतन दिये जाने और सेवा शर्तों में सुधार किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या उन्होने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनकी मांगों को कहां तक स्वीकार किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) (क) जी हां।

(ख) युवा वैज्ञानिकों की मुख्य मांगों का संबंध निम्न से है :

1. अनुसंधान फैलोशिप में वृद्धि के लिए संशोधन।

2. अनुसंधान वैज्ञानिकों के लिए संशोधित वेतनमान को लागू करना।

3. सेवा शर्तों और कार्य करने की स्थिति में सुधार करना।

4. एक संगठित अनुसंधान सेवा की स्थापना।

5. राष्ट्रीय नीति और आयोजना निर्माण में युवा वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व।

(ग) जी हां। युवा वैज्ञानिकों और अनुसंधान छात्रों की राष्ट्रीय समन्वय समिति तथा स्नातकोत्तर स्कूल छात्र संघ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सरकार को मांग-पत्र प्रस्तुत किया है।

(घ) मांग पत्र में युवा वैज्ञानिकों की वही मांगें हैं जो उपरोक्त (ख) में दी गई हैं। सरकार उनके प्रार्थना पत्र पर उचित विचार कर रही है।

राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के लिए धनराशि का निर्धारण

9244. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिये धन निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) 1987-88 के लिये सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए "राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिये सहायता" और "अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता" स्कीम के तहत अनुमानित बजट क्रमशः : 130.00 लाख और 140.00 लाख रुपये है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर किये गए ऋण

9245. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितनी राशि के ऋण मंजूर किये और वितरित किये;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष 1986-87 के दौरान मंजूर ऋणों की संख्या में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी राशि के ऋण मंजूर और वितरित किए; और

(घ) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात 1984-85 से 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान उसके द्वारा मंजूर की गई और संवितरित ऋण सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए में)

1984-85		1985-86		1986-87	
मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां	संवितरण
357.95	268.47	449.96	398.72	725.40	440.68

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वर्ष 1986-97 में 463 परियोजनाओं के लिए ऋण मंजूर किए गए थे जबकि वर्ष 1985-86 में 394 परियोजनाओं के लिए ऋण मंजूर किए गए थे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1986-87 के दौरान मंजूर की गई और संवितरित ऋण सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत और संवितरित ऋण सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	81.66	40.29
असम	5.03	3.23
बिहार	8.26	7.06
गुजरात	108.15	52.72
हरियाणा	27.30	15.65
हिमाचल प्रदेश	6.26	5.88
जम्मू और कश्मीर	5.61	2.05
कर्नाटक	23.43	21.63
केरल	17.79	5.63
मध्य प्रदेश	53.08	22.48
महाराष्ट्र	73.32	69.45
मेघालय	2.37	0.40
नागालैण्ड	—	0.08
उड़ीसा	11.37	12.31
पंजाब	44.65	26.40
राजस्थान	39.17	25.79
सिक्किम	0.80	0.55
तमिलनाडु	25.23	35.82
त्रिपुरा	1.38	—
उत्तर प्रदेश	157.85	60.10

1	2	3
पश्चिम बंगाल	19.33	26.52
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	0.05
अरुणाचल प्रदेश	—	0.02
चंडीगढ़	0.75	0.68
दादर और नगर हवेली	0.65	0.20
दिल्ली	2.58	3.25
गोवा, दमन और दीवा	4.32	0.80
पाण्डिचेरी	5.06	1.64
	725.40	440.68

टिप्पणी : इन संवितरणों में संदर्भगत अवधि से पहले दी गई मंजूरियों के के लिए गए भुगतान शामिल हैं।

कम्प्यूटरों के इस्तेमाल का रोजगार के अवसरों पर प्रभाव

9246. **श्री ए० सी० वणमुख** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरों के इस्तेमाल का रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि कम्प्यूटरों के इस्तेमाल के कारण रेलवे, इंडियन एयरलाइंस, बैंकों, डाक तार और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में रोजगार के अवसर कितने कम हुए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

तमिलनाडु में गरीबी निवारण के लिए लक्ष्य

9247. **श्री ए० सी० वणमुख** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए लोगों से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि योजना आयोग द्वारा केवल उन वर्षों के सम्बन्ध में गरीबी के राज्यवार अनुमान तैयार किए जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन पारिवारिक उपभोग व्यय का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा इस प्रकार के दो सबसे हाल के पंचवर्षीय सर्वेक्षण 1977-78 (32वां दौर) और 1983 (38वां दौर) में किए गए थे। इन दो सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया कि तमिलनाडु में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, जो 1977-78 में 24.4 मिलियन थी, घटकर 1983-84 में 20.0 मिलियन रह गई।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शिक्षित व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

9248. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है और ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ख) क्या कुछ बैंकों ने उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ऋण नहीं दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के कार्यनिष्पादन के संबंध में पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31,300 मामलों के लक्ष्य के मुकाबले में 11 मार्च, 1987 तक 7,312 मामलों में 237.21 लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी थी। वर्ष 1986-87 के लिए 31 मार्च, 1987 तक की अंतिम प्रगति रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए जीवन बीमा निगम का पृथक डिवीजन

9249. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जीवन बीमा निगम का पृथक डिवीजन खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न छोटे बैंकों का विलय करके एक बैंक बनाने का प्रस्ताव

9250. **श्री हरीश रावत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में विभिन्न छोटे बैंकों का विलय करके एक बैंक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में मोटर सड़क के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी

9251. **श्री हरीश रावत :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कौसानी-लखनी मोटर सड़क के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत इस मंत्रालय में "कौसानी लखनी" नामक मोटर सड़क का कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय संकट

9252. **श्री वी० कृष्ण राव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मुख्यत: कारबार के निम्नस्तर और देय राशियों की कम वसूली के कारण कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नकदी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सीमाएं मंजूर करने के वास्ते

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की नई नीति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपनी गतिविधियों के वास्ते ली जाने वाली राशि उसके वसूली संबंधी कार्य-निष्पादन के साथ जोड़ दी गई है। 1985-90 की नई शाखा विस्तार नीति में भी समेकन पर जोर दिया गया है। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली प्रतिशतता केवल 49 थी। चूंकि अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 36.59 प्रतिशत की वसूली के साथ श्रेणी III के अंतर्गत आते हैं, इसलिए, योजनागत आधारों के वास्ते पुनर्वित्त प्राप्त करने की उनकी क्षमता गत वर्ष की वसूली की राशि या पिछले तीन वर्षों में की गई वसूली की औसत, इनमें से जो भी अधिक हो, तक सीमित है। गैर-योजनागत ऋणों के वास्ते वसूली सीमा 40 प्रतिशत रखी गई है। अलबत्ता, विशेष मामलों में ढील दी गई है। अतिदेय राशियों की वसूली में सुधार करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अलग-अलग मामलों की जांच करने और उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है। ये हैं :—

(i) पता लगाए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विभिन्न चरणों में अतिरिक्त शेयर पूंजी मंजूर करना;

(ii) कम ब्याज पर प्रायोजक बैंकों से पुनर्वित्त उपलब्ध कराना;

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सांविधिक नकदी अनुपात की राशियों को बेहतर आमदनी वाली प्रतिभूतियों में लगाना;

(iv) प्रायोजक बैंकों को धनराशियों के प्रबंध, कर्मचारी प्रशिक्षण और आन्तरिक लेखा परीक्षा में और अधिक सक्रिया भूमिका निभाने के वास्ते कह दिया गया है।

प्रधान मास्टर शेयरों के मूल्य में गिरावट

9253. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर बाजार में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के प्रधान (मास्टर) शेयर के मूल्य में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इसके मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए कौन से उपाय दिए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया मास्टर शेयर स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के बाद से सममूल्य से थोड़े कम मूल्य पर सामान्यतया उद्धृत होता रहा है। यह स्थिति मुख्य रूप से, मास्टर शेयरों की मांग तथा पूर्ति की अवस्था, शेयरों की कीमतों में होने वाली कुल मिलाकर घटबढ़ और स्टाक बाजारों में विद्यमान सामान्य भावनात्मक अधिमान्यताओं आदि के कारण है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, मास्टर शेयर के मूल्य में संवृद्धि की

प्राप्ति के लिए अनवरत आधारित पर एक और अधिक विविधतापूर्ण और चयनात्मक इक्विटी पोर्टफोलियो की व्यवस्था करने का प्रयास करता चला आ रहा है।

इलेक्ट्रानिकी और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा लघु एककों के लिए संघटक बैंक

9254. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी और प्रौद्योगिकी विकास निगम ने लघु एककों के लिए संघटक बैंक की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्य करने तथा लघु एककों को सहायता देने की कार्यप्रणाली क्या होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्): (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) छोटे, मझोले तथा बड़े पैमाने के विनिर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों के एक स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है तथा यह उद्योग को आयातित तथा स्वदेश में विनिर्मित इन दोनों प्रकार के संघटक पुर्जों को निरंतर उपलब्ध कराने का सुनिश्चय कर रहा है।

विशिष्ट प्रकार के उत्पादों के लिए आयातित-संघटक-पुर्जों को स्वदेश में विनिर्मित संघटक-पुर्जों के साथ संयोजित करके, ई० टी० एण्ड टी० विनिर्माणकर्त्ताओं को एक सम्पूर्ण पैकेज की अवधारणा देने में कामयाब हुआ है। इससे न केवल उद्योग के समक्ष पेश होने वाली विभिन्न प्रकार के संघटक-पुर्जों को प्राप्त करने की समस्या दूर होती है, बल्कि ई० टी० एण्ड टी० द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का लाभ भी आसानी से मिल सकता है।

ये सुविधाएं ई० टी० एण्ड टी० के अपने स्वयं के बिक्री-केन्द्रों के जरिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर तथा सिकन्दराबाद स्थित शाखाओं में प्रदान की जाती हैं।

बंगलौर में जीवन बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय

9255. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में जीवन बीमा निगम का कोई क्षेत्रीय कार्यालय है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बंगलौर में जीवन बीमा निगम का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। एक नए दक्षिणी-मध्यवर्ती क्षेत्र का सृजन करके दक्षिणी क्षेत्र को दो शाखाओं में विभाजित करने के प्रश्न पर जीवन बीमा निगम द्वारा विचार किया गया है। लाभकारिता की दृष्टि से और पालिसीधारियों को और ज्यादा लाभ देने के विचार से आयोजना-भिन्न खर्च को यथासंभव आस्थगित करने का निर्णय किया गया है। इसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम ने दक्षिणी-मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यालय न खोलने का निर्णय किया है।

लघु इलेक्ट्रानिक एककों को लाइसेंस मुक्त करना

9256. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ने लघु इलेक्ट्रानिक एककों को लाइसेंस मुक्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और लाइसेंस मुक्त किये जाने वाले लघु एकक की परिभाषा क्या है;

(ग) लघु इलेक्ट्रानिक एककों को लाइसेंस मुक्त किये जाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने लघु उद्योग क्षेत्र की इलेक्ट्रानिक इकाइयों के लिए दिए जाने वाले अनुमोदनों का विकेन्द्रीकरण करने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) मूलत: इस प्रस्ताव का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं की सुविधा के लिए प्रशासनिक कार्यविधियों को उदार बनाना है, ताकि वे इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपने उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय उद्योग विभागों के जरिए आमतौर पर मिलने वाली सहायता प्राप्त कर सकें तथा उन पर केन्द्रीय नियंत्रण भी कम से कम हो। उदारीकरण की यह नीति कुछ ही इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं को छोड़कर, लघु उद्योग की इकाइयों पर लागू होगी, जहां लघु उद्योग क्षेत्र की सहायक इकाइयों में संयंत्र तथा मशीनरी पर पूंजीनिवेश 35 लाख रुपये तथा 45 लाख रुपए तक है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए इस समय सरकार ने इसी परिभाषा को स्वीकार किया है।

बैंकों में अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की भर्ती

9257. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 1986-87 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए किन-किन स्थानों पर और कितने उम्मीदवारों के लिए भर्तीपूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं ;

(ख) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) बोर्डों में साक्षात्कार पैनल में शामिल अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवा में अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण देने के बारे में अपने प्रशिक्षण संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण या तो इन प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जाता है या अल्प-संख्यक समुदाय बहुल जिलों में खोले गए केन्द्रों में। उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक कुल अल्पसंख्यक समुदायों के 3000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जब कभी ऐसे पैनल बनाये जाते हैं, बैंकों/भर्ती बोर्डों द्वारा साक्षात्कार पैनलों में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को शामिल किया जाता है। कुछ बैंकों/बोर्डों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसे सदस्यों के नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं।

(घ) बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव कुछ समय बाद ही मालूम हो सकेगा यद्यपि कुछ बैंकों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि नोट की गयी है।

विवरण

I. बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के नाम

1. श्री अब्दुल अजीज	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, मद्रास
2. श्री गुलाम हुसैन	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, लखनऊ
3. डा० जैड० ए० देसाई	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बड़ौदा
4. श्री एम० डब्ल्यू० के० यूसफजई	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दिल्ली
5. श्री मोहम्मद शाहीदुलाह	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, कलकत्ता
6. श्रीमती यूनिस बिट्टो	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बंगलौर
7. श्री आर० एस० लिंगडोह	केन्द्रीय भर्ती बोर्ड (स्टेट बैंक समूह) बम्बई।
8. श्री आई० एम० कुरेशी	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बम्बई
9. श्री इकबाल अहमद नियाजी	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, जयपुर
10. श्री अब्दुल अजीज	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, मद्रास
11. श्री बलदेव सिंह (अध्यक्ष)	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, भोपाल
12. श्री मतिन अहमद (सदस्य)	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, भोपाल
13. श्री सरदार सिंह	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, चण्डीगढ़
14. श्री अब्बुल मैनन	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर
15. श्री एस० के० वी० लिडल	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, लखनऊ

II. बैंकों/बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के साक्षात्कार पैनलों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य

1. श्री जे० के० परदीवाला
2. श्री ई० सी० डीसूजा
3. श्रीमती एजीकील
4. कर्नल अजीत सिंह
5. सरदार दलीप सिंह सिद्धू
6. ले. कर्नल महबूब सिंह
7. ले. कर्नल जोगिन्द्र सिंह महीर
8. सरदार जोगिन्द्र सिंह
9. श्री एम० डब्ल्यू० के० यूसफजई
10. सरदार मोहिन्द्र सिंह
11. सरदार बन्त सिंह
12. श्री सिडनी आर० रिबैरो
13. सरदार कुलवंत सिंह
14. डा० अलीस जैकब
15. श्री एस० एम० यूसफ
16. श्री जुडसन
17. प्रो० एम० एच० रहमान
18. श्री एम० एच० लतीफ
19. प्रो० ए० जी० जेवियर
20. सैयद यकुब
21. डा० (श्रीमती) सतैला सुन्दराज
22. श्री बी० रोंगपी
23. श्रमती फरीदिना मारक
24. श्री टी० स्कंगटम
25. श्री आर० टी० रेम्बाई
26. मि० वैखुमा

27. श्रीमती मैरी टोपनो

28. श्री आई० मामचूम

29. श्री के० बोरंग

30. श्री यजेन अयर

31. श्री डी० एस० खानदुप

32. डा० (श्रीमती) आर० पी० एम० बारदोलोई

33. श्री एम० ए० इस्लाम

34. मो० एन० इस्लाम

35० मो अकरम हुसैन

36. श्री लुत्फुर हक

37. मो० लुत्फुर रहमान

38. प्रो० एम० हुसैन

39. मो० असरफ अली

40. प्रो० नुरुल हुसैन

41. प्रो० एम० एच० रहमान

42. श्री एम० एच० लतीफ

43. मो० अब्दुल सलम मलिक

44. मो० ए० मजरभुवान

अन्टार्टिक अभियान

9258. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्टार्टिक वैज्ञानिक अभियान का कुल मिलाकर प्रयोजन और उद्देश्य क्या है;

(ख) अब तक छः अभियानों द्वारा किये गए कार्य राष्ट्रीय विकास के लिए किस प्रकार सुसंगत हैं;

(ग) क्या अभियानों द्वारा प्राप्त की गई वैज्ञानिक जानकारियां अन्य देशों को दी जाती हैं; और

(घ) अब तक इन छः अभियानों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा,

इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान के कुल मिलाकर प्रयोजन और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(1) वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थों में भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्व के कार्यक्रमों की पहचान करना और इस सेक्टर में भारतीय विज्ञान के स्थान को स्थापित करने के लिए महत्व के क्षेत्र के रूप में इनका अनुसरण करना।

(2) अंटार्कटिका में काम का एक आधार स्थापित करना।

(ख) भारतीय विज्ञान ने महासागर के क्षेत्रों और अंटार्कटिक अनुसंधान में चुनौतीपूर्ण कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त परिपक्वता और सुविज्ञता विकसित कर ली है। अंटार्कटिका से बड़ी आशाएं हैं—इसकी खनिज सम्पदा, इसकी अप्रयुक्त मृदा और आसपास के जल क्षेत्र में प्रोटीन से भरपूर क्रिल की प्रचुरता का आगामी वर्षों में मनुष्य के लाभ के लिए उपयोग किये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी हां, श्रीमान। प्रत्येक अभियान के पश्चात् विभिन्न रिपोर्टों और अनेक वैज्ञानिक कागजपत्रों को अंतिम रूप दिया जाना है और इनका आदान-प्रदान उन सभी देशों के साथ किया जाता है जो अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक 200 से भी अधिक कागजपत्र प्रकाशित किये गए हैं।

(घ) सभी छः अभियानों में भारत में और अंटार्कटिका में जहाज प्रचालन, अवसंरचना एवं सुविधाओं की लागत सहित कुल व्यय लगभग 24.86 करोड़ रु० है।

उड़ीसा में अनुसूचित बैंकों का ऋण जमा अनुपात

9259. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1986 को ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित बैंकों का कुल औसत ऋण और जमा अनुपात कितना था;

(ख) उड़ीसा राज्य में 31 दिसम्बर, 1986 को ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित बैंकों का कुल औसत ऋण और जमा अनुपात कितना था;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित बैंकों द्वारा दिये गए ऋण अखिल भारतीय औसत की तुलना में उनकी जमा राशियों से भिन्न हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 30 सितम्बर, 1986 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) जारी जमा-राशियों, अग्रिमों और ऋण-जमा अनुपात का ब्योरा इस प्रकार है:—

(रकम करोड़ रुपए में)

	उड़ीसा	अखिल भारत
जमाराशियां	1029.55	92490.75
अग्रिम	868.73	58203.58
ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	84.4	62.9

(घ) उड़ीसा राज्य का 84.4 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात 62.9 प्रतिशत के अखिल भारत अनुपात से अधिक है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य

9260. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में 31 दिसम्बर, 1986 को निदेशक बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की अलग-अलग प्रतिशतता कितनी है और उनकी कुल संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1986 को 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में 95 निदेशक थे, जिनमें से अध्यक्षों और प्रबन्ध कार्यपालक निदेशकों, सरकारी/भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों निदेशकों और बैंक अधिकारी/कर्मचारी निदेशकों की संख्या 89 थी। इन 95 निदेशकों में से केवल एक निदेशक ही अनुसूचित जाति का था। अलबत्ता, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर सरकारी निदेशकों के कई खाली पद अभी तक भरे नहीं गये हैं।

निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की उपयुक्तता सूची

9261. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**
श्री जगन्नाथ पडनायक :
श्री नरेन्द्र बुढ़ाखिया :
डा० प्रभात कुमार मिश्र :
श्री सिद्धलाल मुरमू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वर्ष 1986 की उपयुक्तता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) वर्ष 1986 में और पिछले दो वर्षों में उक्त सूची तैयार करने के क्या मानदंड अपनाये गये थे;

(ग) क्या सरकार ने 1986 के लिये सूची तैयार करने के लिए कोई भिन्न मानदंड अपनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रति वर्ष कितने अधिकारियों

के मामलों पर विचार किया गया और उपयुक्तता सूची में कितने अधिकारियों के नाम शामिल किये गये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पिछले वर्षों में भारत सरकार के चार सचिवों की एक जांच समिति पात्र अधिकारियों के गोपनीय रिकार्डों का मूल्यांकन किया करती थी। उनके मूल्यांकन को फिर केन्द्रीय स्थापना बोर्ड के समक्ष रखा जाता था जिसमें भारत सरकार के चार सचिव तथा स्थापना अधिकारी होते थे। बोर्ड जांच समिति के मूल्यांकन पर विचार करने के बाद सरकार को उन अधिकारियों के नामों की सिफारिश करता था जो निदेशकों की सूची में सम्मिलित किए जा सकते थे। इसके बाद सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जाती थी और अन्तिम सूची के बारे में निर्णय लिया जाता था। इस वर्ष रिकार्डों का मूल्यांकन स्वयं केन्द्रीय स्थापना बोर्ड ने किया था। फिर बोर्ड ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की।

यह भी महसूस किया गया कि पहले सरकारी सेवाओं में चयन की प्रक्रिया इतनी कठोर नहीं थी। अतः पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के प्रयोजन के लिए अधिकारियों की सभी श्रेणियों के संबंध में कठोर मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया। यही प्रक्रिया 1986 के निदेशकों के पेनल के मामले में भी अपनाई गई। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिकारियों का मूल्यांकन निदेशक के स्तर का पद धारण करने के लिए अपेक्षित गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये विशेषताएं हैं : विश्लेषणात्मक तथा समस्या-समाधान की योग्यता, पत्र-व्यवहार दक्षता, पहल शक्ति, कार्य के प्रति दृष्टिकोण, प्रेरणा देने तथा अभिप्रेरित करने की योग्यता, पर्यवेक्षीय योग्यता, मैत्रीपूर्ण अन्तः पारस्परिक संबंध बनाए रखने की योग्यता, लोगों से संबंध तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण। वर्ष 1986 के लिए निदेशकों के पद के लिए अधिकारियों का मूल्यांकन केन्द्रीय स्थापना बोर्ड द्वारा इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(ङ) स्थिति निम्न प्रकार से है :—

	अधिकारियों की संख्या जिनके मामलों पर विचार किया गया है	सम्मिलित किए गए
1984	38	34
1985	43	39
1986	35	15

[हिन्दी]

लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की ऊंची दर

9262. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि कुछ वस्तुओं पर लघु उद्योग यूनिटों से बड़ों उद्योगों की तुलना में अधिक दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों पर अधिक शुल्क लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में संगठित क्षेत्र में उत्पादित माल की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित उत्पादों पर शुल्क की अधिक दर वसूल करने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। संगठित क्षेत्र की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र को उत्पादन शुल्क में रियायत देना सामान्य नीति है।

(ग) और (घ) लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित माल के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरों में और कमी करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

नशीली दवाओं के सेवन में वृद्धि

9263. **श्री श्रीकांत दत्ता नरसिंहराज वाडियर** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं के सेवन की आदत अब बड़े शहरों से छोटे कस्बों में फैलती जा रही है;

(ख) नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाने के लिये राज्य सरकारों को क्या दिशा निर्देश और अनुदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यद्यपि कोई राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह समस्या बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति का मूल्यांकन करें और इस समस्या से निपटने के लिए जागरूकता, शिक्षा, मार्गदर्शन एवं परामर्श, निर्व्यसन और पुनर्वास सेवाएं शामिल करते हुए समेकित कार्य योजना तैयार करें।

कर्नाटक में वृक्षारोपण

9264. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत बंगलौर, मैसूर और कुछ अन्य नगरों में वृक्षारोपण के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार के पास देश के नगरों अथवा शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अथवा कार्यक्रम नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्दिरा विकास पत्र

9265. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कितनी राशि के इंदिरा विकास पत्र जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इन पत्रों की मियाद बढ़ाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि मियाद बढ़ाने संबंधी निर्णय लेने से पहले जारी किए गए पत्रों पर यह निर्णय लागू नहीं होगा; और

(ङ) इन पत्रों के माध्यम से एकत्र धनराशि का इस्तेमाल करने के लिए जिन विकास कार्यक्रमों को तैयार किया गया है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इन्दिरा विकास पत्र 500, 1000 और 5000 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किये गए हैं।

(ख) और (ग) पहली अप्रैल, 1987 अथवा उसके बाद खरीदे गये किसी भी मूल्यवर्ग के इन्दिरा विकास पत्र, जारी किये जाने की तारीख से 5 1/2 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भुनाए जा सकते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) इन्दिरा विकास पत्रों के माध्यम से एकत्रित धनराशि, अल्प बचत संग्रह का एक भाग है और राज्य में इस प्रकार के संग्रहों का दो तिहाई भाग उसी राज्य को दीर्घावधिक ऋणों के रूप में दे दिया जाता है। इन्दिरा विकास पत्रों के माध्यम से एकत्रित धनराशियां किसी विशिष्ट विकास कार्यक्रम के लिये निर्धारित नही की गई हैं।

महाराष्ट्र में ऋण शिविर

9266. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1984 से 1986 तक प्रति वर्ष कुल कितने ऋण शिविर आयोजित किये गये हैं;

(ख) महाराष्ट्र में वर्ष 1984 से 1986 तक प्रति वर्ष कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिए गये हैं;

(ग) महाराष्ट्र में वर्ष 1984 से 1986 तक प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(घ) महाराष्ट्र में वर्ष 1987 और 1988 में कुल कितने ऋण शिविरों का आयोजन करने का प्रस्ताव है;

(ङ) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान अलग अलग कुल कितने व्यक्तियों को ऋण देने का प्रस्ताव है; और

(च) महाराष्ट्र में वर्ष 1987 और 1988 के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि वितरित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण शिविर समाज के कमजोर वर्गों को अधिक ऋण देने की दृष्टि से उनके समग्र उपायों के एक अंग के रूप में आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित किए गए ऋण शिविरों, संवितरित राशि और अन्तर्ग्रस्त हिताधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती क्योंकि इन ऋण शिविरों पर केन्द्रीय सस्तर पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती। अलबत्ता, दिसम्बर, 1984 और दिसम्बर, 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को दिये गए अग्रिमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(रकम करोड़ रुपये में)
(खाते लाखों में)

निम्नलिखित के अन्त तक	खाते	रकम
दिसम्बर 1984	11.7	308
दिसम्बर 1985	11.6	398

खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए सहायता अनुदान के संबंध में जापान के साथ समझौता

9267. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और जापान ने भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग देने के लिए अनुदान दिए जाने के संबंध में समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के अन्तर्गत जापान द्वारा कितनी धनराशि का सहायता अनुदान दिया जायेगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 60 करोड़ येन (लगभग ३.20 करोड़ रुपए के बराबर) का जापानी सहायता-अनुदाग प्रदान करने के लिए भारत और जापान की सरकारों के बीच 30 मार्च, 1987 को पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था। इस अनुदान का उपयोग जापान से उर्वरक (पोटाश का म्यूरिएट) का आयात के लिए किया जाएगा।

"सबाई" घास लगाना

9268. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सबाई घास लगाने के लिए विकसित तकनीकों का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है;

(ख) सबाई-घास लगाने के लिए उन राज्यों को गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या उक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सबाई-घास लगाने का कार्य शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितने क्षेत्र में सबाई-घास लगाई गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सबाई घास लगाने के लिए विकसित तकनीकों के मूल्यांकन के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंडिकेट बैंक के कर्मचारियों की मांगें

9269. **श्री गंगा राम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (रजिस्टर्ड) ने अपना "मांग पत्र" सिंडिकेट बैंक के प्रबंधकों और उनके मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग को नवम्बर, 1985 में और फिर फरवरी, 1987 में दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उन मांगों का ब्यौरा क्या है और सिंडिकेट बैंक के प्रबन्धकों और उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्येक मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1985 में हुए संघ के दूसरे त्रिवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंडिकेट बैंक कर्मचारी संघ ने सिंडिकेट बैंक प्रबन्धन को एक मांगपत्र प्रस्तुत किया था। मांग-पत्र की एक प्रति सरकार को फरवरी, 1987 में प्राप्त हुई थी। मांग-पत्र में शामिल संघ की मांगें संलग्न विवरण में दी गई हैं। मांग पत्र की क्रम संख्या 1-15 की मांगों की, जो प्रत्यक्ष रूप से सिंडिकेट बैंक प्रबन्धन से संबंधित है, बैंक के परामर्श से जांच की गई है। सरकारी नीति/मार्गनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने के कारण इन्हें स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की 37वीं रिपोर्ट में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। संघ की बाकी मांगों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

दिनांक 2-3 नवम्बर, 1985 को दिल्ली में हुए संघ के दूसरे द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघ (पंजीकृत) द्वारा महाप्रबन्धक, सिंडिकेट बैंक को प्रस्तुत मांग पत्र

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मांग

1. प्रबन्धन को हमारे संघ को बिना किसी देरी के "मान्यता" प्रदान करनी चाहिए और फर्नीचरयुक्त मुफ्त आवास ड्यूटी के बिना छुट्टियां, टेलीफोन, टेलेक्स आदि जैसी सभी सुविधाएं देनी चाहिए।

2. बैंक को स्केल-I से II, II से III और उससे ऊपर अधिकारियों की पदोन्नति में बिना किसी देरी के आरक्षण प्रदान करना चाहिए क्योंकि सिंडिकेट बैंक में स्केल IV तक की पदोन्नतियां वरिष्ठता-कम-योग्यता के तरीके आधार पर की जाती हैं।

3. बैंक को पदोन्नतियो में विशेष सहायकों की नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करना चाहिए।

4. बैंक को "सफाई कर्मचारियों" की भर्ती नियमित आधार पर करनी चाहिए न कि अंशकालिक आधार पर।

5. बैंक को अधीनस्थ कर्मचारियों की लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान करना चाहिए।

6. बैंक को काम के स्वरूप के आधार पर श्रेणियों में भेद करना चाहिए जैसे आशु-लिपिकों को लिपिकीय संवर्ग से अलग करना चाहिये।

7. बैंक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार को 4 वर्ष की छूट देनी चाहिए जिससे वे श्रेणी "ए" के लिपिकीय पनोन्नति परीक्षा में भाग लेने के पात्र हो सकें।

8. बैंक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नत कर देना चाहिये जिन्होंने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है क्योंकि लिपिकीय पदों के लिये मैट्रिक न्यूनतम योग्यता है।

9. बैंक को रोस्टर की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को वरिष्ठता देनी चाहिए।

10. बैंक को हमारे संघ के कम से कम 5 पदाधिकारियों को प्रबन्धन और मान्यताप्राप्त

श्रमिक मजदूर संघों के बीच होने वाली सभी संयुक्त बैठकों में शामिल करना चाहिये।

11. बैंक को हमारे संघ की "चैक-आफ" सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

12. बैंक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को सामान्य जीवनस्तर बनाये रखने के लिये "ब्याज मुक्त" ऋण प्रदान करने चाहिये।

13. बैंक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम देते ससय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की सिफारिशों पर विचार करने के वास्ते अपनी शाखाओं के सभी प्रबन्धकों को निदेश देना चाहिए।

14. बैंक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामलों में "श्रमिक मजदूर संघों" के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देनी चाहिये और हमारे संघ के पदाधिकारियों का हमारी सहमति के बिना हिलाना नहीं चाहिये/स्थानान्तरण नहीं करना चाहिए।

15. बैंक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के "मूल स्थान" पर तैनाती और स्थानान्तरण के समझौते का ईमानदारी से पालन करना चाहिये।

16. सरकार को बैंक के निदेशक मंडल में कम से कम एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को नियुक्त करना चाहिये क्योंकि गैर-अनुसूचित जाति या गैर-अनुसूचित जनजाति के निदेशक इनके हितों की रक्षा करने में पूर्णतः असफल रहे हैं।

17. सरकार को आरक्षण पर अधिनियम पारित करना चाहिये ताकि आरक्षण नीति ठीक ढंग से कार्यान्वित की जा सके क्योंकि आज तक यह नौकरशाही की इच्छा पर चलती रही है जो आरक्षण नीति को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन के बजाए छल करने/गलत ढंग से प्रस्तुत करने में अधिक ईमानदार है।

18. सरकार को "आरक्षण विरोधी" और "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी" अन्य जातियों के संघों पर रोक लगा देनी चाहिए और यह कि ऐसे संघों को छुआछूत निरोधी अधिनियम के अन्तर्गत दंडित किया जाना चाहिये।

19. सरकार और बैंक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति (7वीं लोक सभा) की 37वीं रिपोर्ट (1983) की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए।

20. सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की क्रमशः 1, 2, 3 और 27वीं रिपोर्टों में की गई सभी सिफारिशों को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करना चाहिए।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण संबंधी मांगें

21. सरकार को डा० भीम राव अम्बेडकर और श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिनों को राष्ट्रीय छुट्टियां घोषित कर देना चाहिए और सभी कार्यालयों को उनके चित्रों को प्रदर्शित करने और सजाने के निर्देश दिये जाने चाहिए।

22. सरकार को विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने की पारिवारिक आय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर देनी चाहिये और विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी ऋण की न्यूनतम राशि 15,000 रुपये और सावधि ऋण राशि की सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिये क्योंकि वर्तमान सीमा मार्च, 1972 में निर्धारित की गई थी।

23. सरकार को "आय' की सही परिभाषा देकर आय की विसंगति को समाप्त करना चाहिये।

24. सरकार/बैंक को कृषि के वास्ते भूमि खरीदने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिये जो 20 वर्ष में आसान किस्तों में चुकाया जाए।

2250 रुपये (संशोधन-पूर्व) तक के मूल-वेतन वाले अधिकारियों के लिए आरक्षण

9270. **श्री गंगा राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य हरिजन कल्याण परिषद बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय देते समय यह मत व्यक्त किया था कि सरकारी उपक्रमों में ग्रुप "क" में 2250 रुपये के अंतिम वेतनमान वाले पदों में प्रोन्नति द्वारा चयन के मामलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और आरक्षण का लाभ और उससे होने वाले सभी लाभ भूतलक्षी प्रभाव से दिये जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सभी सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों को उपयुक्त अनुदेश/आदेश जारी कर दिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आदेशों की एक प्रति सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री वीरेन सिंह एंगती) : (क) से (घ) बिहार राज्य हरिजन कल्याण परिषद बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सरकारी उद्यमों में नियुक्ति के मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के विषय पर सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों के पैरा 9 (क) की व्याख्या का केवल यही अर्थ लगाया जा सकता था कि आरक्षण का सिद्धान्त समूह "क" के भीतर उन्हीं पदों में चयन द्वारा पदोन्नतियों

पर लागू होता था जिनका अन्तिम वेतन 2250 रुपये प्रति मास अथवा इससे कम हो और उन मामलों में क्रियाविधि, अन्य पदों के लिए पदोन्नति के मामलों से, मामूली भिन्न थी।

सरकार ने निदेशों के पैरा 9 (क) को दिनांक 9-2-87 से संशोधित कर दिया है और सरकारी उद्यमों को संशोधित निदेश जारी कर दिए हैं जिनमें स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी एक समूह "क" पद/सेवा से दूसरे समूह "क" पद/सेवा में चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण नहीं होगा किन्तु समूह "क" के भीतर जिन पदों/सेवाओं का अन्तिम वेतन 2250 रुपए प्रतिमास अथवा इससे कम हो, उनमें चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अधिकारी वरिष्ठता सूची तथा विचारण के क्षेत्र में अपना स्थान होने के कारण वास्तविक रियायतों की ऐसी संख्या के भीतर आते हैं जिनके लिए प्रवर सूची तैयार की जानी है, उन्हें उक्त सूची में शामिल कर लिया जाएगा बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य न समझे गये हों।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी पुस्तिका का प्रकाशन

9271. **श्री गंगा राम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित पुस्तिका का 1982 में प्रकाशित छठे संस्करण के बाद अद्यतन और संशोधित संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका सातवां संस्करण बिक्री के लिए कौन-सी तारीख तक उपलब्ध होगा; और

(ग) इस पुस्तिका की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित पुस्तिका का सातवां संशोधित संस्करण इस समय भारत सरकार मुद्रणालय में मुद्रणाधीन है और इसके शीघ्र ही प्रकाशित होने की सम्भावना है। इस संस्करण की 35,000 प्रतियां छपवाई जायेंगी और इन्हें प्रकाशक नियंत्रक, प्रकाशन विभाग के माध्यम से बिक्री किया जाएगा। इस पुस्तिका के नए संस्करण इस विषय पर नवीनतम आदेशों और अनुदेशों को शामिल करते हुए, आवधिक अन्तरालों पर निकाले जाते हैं।

अनुसन्धानोन्मुखी गतिविधियों में युवा वैज्ञानिकों की भागीदारी

9272. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधानमुखी गतिविधियों में नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों को शामिल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान ऐसे वैज्ञानिकों के लिए तैयार की गई परियोजनाओं की रूपरेखा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 में परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कुल कितने युवा वैज्ञानिक चुने गए हैं और उसके मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) सातवीं योजना के अन्त तक प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितने वैज्ञानिक चुने जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन्): (क) जी हां। अनुसंधान अभिमुख कार्यों में युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के अनेक चल रहे और नए कार्यक्रम हैं।

(ख) अनुसंधान अभिमुख गतिविधियों में युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए सातवीं योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है:—

(1) युवा वैज्ञानिकों के लिए स्कीम। इस स्कीम में वे युवा वैज्ञानिक (35 वर्ष तक की आयु) के आते हैं जिनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त पृष्ठभूमि और प्रतिक्षण है। इस स्कीम को छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में शुरू किया गया था और युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी सहायता करने पर अधिक ज़ोर देते हुए सातवीं योजना में भी यह जारी रखी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, अनुसंधान और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के साथ ही परिसंवादों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा सहायता दी जाती है; और उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(2) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एस० ई० आर० सी०) इस स्कीम का उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरी के उभरते हुए और अन्तरविषयी क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के एक भाग के रूप में युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरो के नए उभरते और उन्नत क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए यात्रा, अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर (बी० ओ० वाई० एस०, सी० ए० एस० टी०) इस स्कीम को 1986-87 के दौरान प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रो में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में चुनिंदा उन्नत क्षेत्रों में विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की एक नई स्कीम के रूप में आरम्भ किया गया था ताकि इस प्रकार की प्रशिक्षित जनशक्ति का राष्ट्रीय क्षमता के निर्माण के लिए उन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके जिनमें उनको इस स्कीम के द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो।

(ग) और (घ) उपरोक्त स्कीमो के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए परियोजनाओं का चयन समीक्षा की सूक्ष्म विधि और परियोजनाओं के मूल्यांकन के साथ-साथ एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा निर्णायकों की टिप्पणियों के आधार पर किया जाता है। प्रायोजित संगोष्ठियों/परिसंवादों में भाग लेकर 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष रूप से 1,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त किया। वैज्ञानिको का चयन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता है।

सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का उपयोग

9273. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का उपयोग करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता के उपयोग हेतु उनके चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान जिन परियोजनाओं में सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाना है उनके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए एक स्कीम आरम्भ की है।

इस स्कीम के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों, मोनोग्राफ लेखन, प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करना, विज्ञान संचार कार्यक्रमों आदि जैसे विशेष विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यों में उनकी सहभागिता को समर्थन करके सक्रिय सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सेवाओं का प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग करने पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को उनके द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के लिये विशेषज्ञों के एक दल द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा एक समिति के द्वारा अनुमोदन के आधार पर सहायता दी जाएगी। 1987-88 के दौरान 5 लाख रुपए की धनराशि इस स्कीम के लिए आवंटित की गई है।

सिक्किम में ऋण शिविर

9274. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम में ऋण शिविर आयोजित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन शिविरों के कब तक आयोजित किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बैंक किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकता और मांग के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर ऋण शिविर आयोजित करते हैं। ये ऋण शिविर बैंकों के कार्यक्रमों का एक हिस्सा होते हैं और उन्हें आयोजित करने के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। अतः यह बताना संभव नहीं है कि सिक्किम में ऋण शिविर कब तक आयोजित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय बचत पत्रों का भुनाया जाना

9275. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) मियाद पूरी होने से पहले नहीं भुनाए जा सकते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन परिस्थितियों में इन बचत पत्रों का मियाद पूरी होने से पूर्व भुनाया जा सकता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 1-4-86 से पूर्व खरीदे गये छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (छठा निर्गम) को बचत पत्र की तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय परिपक्वता से पूर्व भुनाया जा सकता है। ऐसे बचत पत्रों को, पत्र की तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति से पहले भी निम्नलिखित किसी भी परिस्थितियों में परिपक्वता से पूर्व भुनाया जा सकता है :—

(i) धारक की मृत्यु अथवा, संयुक्त धारकों के मामले में दोनों धारकों की मृत्यु हो जाने पर;

(ii) राजपत्रित सरकारी अधिकारी होने पर, गिरवीदार द्वारा; यदि गिरवी इन नियमों के अनुसार हो, जब्ती किये जाने पर;

(iii) जब न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाएं।

1-4-86 को अथवा उसके पश्चात् खरीदे गये राष्ट्रीय बचत पत्रों (छठा निर्गम) जो केवल छः वर्ष की परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर ही भुनाया जा सकता है। इन्हें भी उपर्युक्त परिस्थितियों में परिपक्वता से पूर्व भुनाया जा सकता है।

परमाणु "टरबाइन्स"

9276. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत और पन विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन के लिये परमाणु "टरबाइन्स" उपयोगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु "टरबाइन्स" के लिये किसी कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) परमाणु बिजलीघरों में काम में आने वाले टरबाइनों का डिजाइन ताप बिजलीघरों और पन बिजलीघरों में काम आने वाले टरबाइनों से भिन्न है।

(ग) और (घ) टरबाइनों का डिजाइन बनाने और उनके उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता है।

सातवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन और आठवीं योजना की नीति तैयार करना

9277. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग और सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीतियों के मूल्यांकन के संबंध में कार्यवाही आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किए जाने का विचार है और इस मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर आठवीं योजना के लिए नीति तैयार की जाएगी; और

(घ) यदि हां तो मध्यावधि मूल्यांकन कब किया जाएगा और यह कब पूरा होगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) योजना आयोग ने हाल ही में आठवीं योजना पर कुछ आन्तरिक विचार-विमर्श शुरू किए हैं, जो इस विषय पर विचारों के आरंभिक आदान-प्रदान के स्वरूप के हैं। 13 से 15 मार्च, 1987 तक हुई बैठक में, आयोजन और विकास से सम्बद्ध तथा इनका अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दल के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया था।

(ग) और (घ) योजना आयोग में सातवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से संबंधित कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। संसाधनों से संबंधित कार्यकारी दल स्थापित कर दिया गया है और राज्यों को भी राज्य योजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए लिखा गया है।

भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के अवसर

9278. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों यहां तक कि फोरेस्ट रेंज

अधिकारियों जैसे जूनियर अधिकारियों में भावी पदोन्नति के कम अवसर होने के कारण व्याप्त भारी असंतोष पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो असंतोष दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) भारतीय वन सेवा में और राज्य वन अधिकारियों की भावी पदोन्नति के अवसर कम होने के बारे में विभिन्न स्रोतों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

भारतीय वन सेवा के सम्बन्ध में उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

—3700-5000 रुपए के वेतनमान में भारतीय वन सेवा में एक गैर-कार्यात्मक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की शुरूआत जिसके लिए 9 साल की सेवा पूर्ण करने पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

—4500-5700 रुपए के वेतनमान में वन संरक्षक के दो स्तरों को एक एकल स्तर में विलय करना।

—अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक को उसी स्तर पर 5900-6700 रुपए का उच्चतर वेतनमान देना जैसा कि मुख्य वन संरक्षक का है।

—बड़े राज्यों में 7600 रुपया (निर्धारित) और अन्य राज्यों में 7300-7600 रुपए के वेतन से राज्य संवर्गों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पदों का सृजन।

सृजित पदों और राज्य संवर्गों के संघटन के त्रैवार्षिक समीक्षा के दौरान, भारतीय वन सेवा संवर्गों में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।

जहां तक अन्य वन अधिकारियों का सम्बन्ध है, समय-समय पर राज्य सरकारों से सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

वातित जल पर लगने वाला उत्पाद शुल्क

9279. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 250 मिलीलिटर और 300 मिलीलिटर क्षमता वाली वातित जल की बोतलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दरों में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ख) मीठेरहित वातित जल 250 मिली लिटर की बोतलों के लिये अलग वर्गीकरण न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 200 मिली लिटर तक, 200 मिली लीटर से अधिक परन्तु 250 मिली लिटर से अनधिक और 200 मिली लिटर से अधिक परन्तु 300 मिली लिटर से अनधिक क्षमता की शीशे की बोतलों में मीठे वातित जल पर उत्पादन शुल्क की दरें क्रमश: 50 पैसे, 55 पैसे और 65 पैसे हैं। प्रथम और तीसरे खण्ड (स्लेब)

की दरों के बीच 15 पैसे के अन्तर की दृष्टि से, 200 मिली लिटर अधिक परन्तु 250 मिली लिटर से अनधिक क्षमता वाली शीशों की बोतलों में मीठे वातित जल के लिये शुल्क की मध्यवर्ती दर आवश्यक समझी जाती है। शीशे की बोतलों में 200 मिली लिटर तक तथा 200 मिली लिटर से अधिक परन्तु 300 मिली लिटर से अनधिक मीठे रहित वातित जल के मामले में उत्पादन शुल्क की दरें क्रमशः 25 पैसे और 30 पैसे है। चूंकि इन दो दरों के बीच शुल्क अन्तर केवल 5 पैसे है अतः अन्य खण्ड (स्लैब) दर आवश्यक नहीं समझी गई है।

बिहार में ऋण-जमा अनुपात

9280. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अलग-अलग जिलों के बीच ऋण-जमा अनुपात में भारी अन्तर है;

(ख) 31 मार्च, 1987 को किन किन जिलों में यह अनुपात अधिकतम और न्यूनतम था;

(ग) इन जिलों में इतनी अधिक विषमता के क्या कारण हैं;

(घ) 31 मार्च, 1987 को बिहार राज्य के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक-वार ऋण जमा अनुपात क्या थे; और

(ङ) बैंकों के ऋण जमा अनुपात में इतना अन्तर होने के कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से सूचित किया है कि बिहार के विभिन्न जिलों के बारे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और ऋण जमा अनुपात के आंकड़े सितम्बर, 1986 के अन्त तक के उपबंध हैं। ये आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं। अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर अधिकतम ऋण जमा अनुपात मधेपुरा जिले का 75.5 प्रतिशत और न्यूनतम धनबाद जिले का अर्थात 20.7 प्रतिशत था।

(ग) ऋण जमा अनुपात में विभिन्नता सामान्यतः विभिन्न जिलों में आधारभूत सुविधाओं के असमान विकास, अलग-अलग भौगोलिक स्थिति और जलवायु, निवेश्य वस्तुओं, बाजार और उद्यमियों आदि की उपलब्धता के कारण होती है।

(घ) और (ङ) बिहार राज्य के लिये सितम्बर, 1986 के अन्त में बैंक समूह-वार ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

समूह का नाम	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1. भारतीय स्टेट बैंक समूह	39.2
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	34.6
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	81.9
4. अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	36.3
5. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	38.8

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात उनके कम जमा आधार और अपेक्षाकृत उदार पुनर्वित्त पद्धति के कारण काफी अधिक है।

विवरण

बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जिले-वार जमाराशियां और अग्रिम

(सितम्बर, 1986 के अन्त तक) (राशि करोड़ रुपये)

जिले का नाम	जमा राशि	अग्रिम	ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4
1. औरंगाबाद	44.61	13.03	29.2
2. बेगूसराय	58.03	26.79	46.3
3. भागलपुर	131.69	43.47	33.0
4. भोजपुर	165.68	42.28	25.5
5. दरभंगा	78.87	39.06	49.5
6. देवोगढ़	42.82	14.05	32.8
7. धनबाद	481.81	99.64	20.7
8. दुमका	36.91	9.81	26.6
9. गया	142.99	43.97	30.8
10. गिरिडीह	99.46	28.76	28.9
11. गोडा	16.45	5.74	34.9
12. गोपालगंज	48.09	15.02	31.2
13. गुमला	27.01	7.77	28.8
14. हजारीबाग	150.42	51.47	34.2
15. कटिहार	38.50	19.93	51.8
16. खगरिया	16.85	12.59	74.7
17. लोहारडग्गा	8.05	5.50	68.3
18. मधुबनी	49.82	31.21	62.6
19. माधेपुरा	13.90	10.50	75.5
20. मुंगेर	126.99	42.86	33.8
21. मुजफ्फरपुर	166.47	63.42	38.1
22. नालन्दा	61.38	28.78	46.9

1	2	3	4
23. नवादा	30.24	12.50	41.1
24. पलामू	72.52	25.58	35.3
25. पश्चिम चंपारण	51.94	37.54	72.3
26. पटना	752.99	360.32	47.9
27. पूर्णिया	72.24	53.04	73.4
28. पूर्वी चम्पारण	61.50	41.36	67.3
29. रांची	316.21	159.98	50.6
30. रोहतास	132.10	44.28	33.5
31. सहरसा	33.56	19.47	58.0
32. साहबगंज	28.59	8.57	30.0
33. समस्तीपुर	68.95	32.23	46.7
34. सरण	114.60	33.21	29.0
35. सिंहभूम	382.45	102.10	26.7
36. सीतामढ़ी	37.62	27.02	71.8
37. सिवान	87.94	29.53	33.6
38. वैशाली	68.71	32.67	47.6
बिहार राज्य कुल	4318.95	1674.46	38.8

तदर्थ नियुक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

9281. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि सरकारी कार्यालयों में नियमित नियुक्ति से पहले तदर्थ नियुक्तियों की अवधि को वरिष्ठता और अन्य लाभों के लिए भी ध्यान में रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय को सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में एक नीति के रूप में लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकारी कार्यालयों में लगातार कई वर्षों तक के लिए अभी भी काफी संख्या में पदों को तदर्थ आधार पर भरा जा रहा है; और

(ङ) तदर्थ आधार पर नियुक्तियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री वीरेन सिंह एंगती) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

किराया खरीद कम्पनियों को ऋण देने के मानदण्ड

9282. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराया खरीद कम्पनियों को ऋण देने के उपयुक्त मानदण्ड निर्धारित करने हेतु और उक्त धनराशि के विशिष्ट प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल पर निगरानी रखने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई उप समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि किराया खरीद और लीजिंग कम्पनियों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के मानदण्डों पर विचार करने और इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की निदेश समिति द्वारा एक उप-समिति गठित की गई थी। उप समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ किराया-खरीद कम्पनियों के बैंक ऋणों को उनकी खुद की निवल राशियों के साथ जोड़ने, किराये पर माल के स्टाक सहित चालू परिसम्पत्तियों के आधार पर अनुज्ञेय बैंक वित्त का निर्धारण करने और दीर्घावधिक स्रोतों से न्यूनतम अंशदान आदि की सिफारिश की है। निदेश समिति द्वारा उक्त सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक उचित कार्यवाई करेगा।

विदेशी सहयोग से दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

9283. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से दूर संचार उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनमें इनका निर्माण किया जा रहा है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये थे और कितना निर्माण किया गया है;

(ग) क्या सहयोग समझौते में कोई ऐसा प्रावधान था कि निर्मित-उपकरणों के कुछ भाग का निर्यात किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे पूरा किया जा रहा है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) भारतीय कंपनियों द्वारा दूरसंचार उपस्करों से संबंधित कई वस्तुओं के विनिर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है। इन परियोजनाओं को कई विदेशी कंपनियों के सहयोग से लगभग 80 कंपनियों द्वारा प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं चूंकि ये

वस्तुएं अत्यंत जटिल, सूक्ष्म तथा नाजुक किस्म की हैं, अतः पूर्ण उत्पादन-क्षमता हासिल करने के लिए इन परियोजनाओं के फलीभूत होने में लगने वाली अवधि तीन वर्ष से लेकर छः वर्ष तक की है। आमतौर पर इनमें से अधिकांश परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रही है।

(ग) और (घ) इनमें से अधिकांश परियोजनाओं में निर्यात संबंधी दायित्व का उल्लेख नहीं किया गया है।

केन्द्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का कार्यकरण

9284. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल से विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में केन्द्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के कार्यकरण पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान में कार्य करने की स्थितियां अनुसंधान कार्य के अनुकूल नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा धन बाहर भेजना

9285. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान कुछ बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों के विदेशी शेयर धारियों ने सरकार की अनुमति के बिना भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा भारत से बाहर भेजी है;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में जांच कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के परिवर्तन पर प्रतिबंध

9286. **श्री राज कुमार राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी अधिसूचना की प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): सरकार ने 10 जून, 1986 को फैसला किया कि अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के परिवर्तन और अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्रों के अपरिवर्तनीय भाग के रूपान्तरण के लिए आगे से अनुमति न दी जाए। अन्य माध्यमों के साथ-साथ इस निर्णय की घोषणा समाचारपत्रों के माध्यम से भी की गई। इस विषय पर किसी अधिसूचना के जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं थी और इसी कारण सरकार ने अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के परिवर्तन पर पाबन्दी के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिला लाभ

9287. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेषतः उड़ीसा में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबोधन मासिक और त्रैमासिक आधार पर करता है। अखिल भारतीय आधार पर और उड़ीसा राज्य में समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण से संबंधित सूत्रों/मदों के लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन

सूत्र/मद	यूनिट	अखिल भारत		उड़ीसा	
		लक्ष्य (अप्रैल 86-फरवरी 87)	उपलब्धि (अप्रल 86-फरवरी 87)	लक्ष्य (अप्रैल 86-फरवरी 87)	उपलब्धि (अप्रैल 86-फरवरी 87)
1	2	3	4	5	6
3(क) ए० ग्रा० वि० का०* (पुराने व नए लाभग्राही)	"000 संख्या	3500.00	3353.59	234.00	207.87
3(ख) रा० ग्रा० रो० का० के अन्तर्गत रोजगार उत्पत्ति*	संख्या लाख में	2751.0 †	3640.0 ‡	150.0 †	182.0 ‡
3(ग) ग्रा० भू० रो० गा० का०**	—वही—	2364.5	2598.3	138.0	166.9
4 फालतू जमीन बांटना	एकड़	72130	78005	6137	3543
6. बंधु मजदूरों का पुनर्वास*	संख्या	16904	20015	4180	5031
7(क) सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	संख्या लाख में	17.7	19.1	0.58	0.63
7(ख) सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार	—वही—	7.6	7.9	0.92	0.86
9(क) आवास स्थल आवंटित	—वही—	5.7	7.1	0.18	0.28
9(ख) दी गई निर्माण सहायता	—वही—	3.5	3.6	0.03	0.03

1	2	3	4	5	6
10(क) सुधारी गई गंदी बस्तियों की जनसंख्या	संख्या लाख में	13.9	15.9	0.10	0.11
10(ख) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिये गये मकान	"000 संख्या	103.0	181.2	2.6	2.5

* 50:50 केन्द्र/राज्य हिस्से पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना

** 100 प्रतिशत केन्द्र के हिस्से पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना

† 1986-87 के पूरे वर्ष के लिए

†† 1986-87 के पूरे वर्ष के लिए—अनन्तिम

इटली से सम्बन्ध

9288. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली ने भारत के साथ आर्थिक क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इटली के शिष्टमंडल ने देश का दौरा किया है और केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत की है;

(ग) इटली किन-किन क्षेत्रों में भारत के साथ संबंध बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त समिति की बैठक तथा आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी सहयोग के लिए परामर्श करने के वास्ते प्रतिनिधि-मंडलों ने 1984 में भारत का दौरा किया। दिसम्बर, 1986 में सहकारिता तथा विकास विभाग के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने नई दिल्ली का दौरा किया तथा सहयोग को बढ़ाने के संबंध में विचार-विमर्श किया।

(ग) से (ङ) इटली मूल की वस्तुओं तथा सेवाओं के वित्त पोषण के लिए इटली की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दोनों सरकारों के बीच 40 करोड़ अमरीकी डालर के लिए जनवरी, 1985 में एक निर्यात ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गए। इस ऋण का उपयोग या तो स्वतन्त्र रूप से किया जा सकता है अथवा नर्म शर्तों वाले ऋण के साथ भी किया जा सकता है जिसके लिए 1982 में 4 करोड़ अमरीकी डालर की वचनबद्धता की गई थी। परियोजनावार आधार पर भी इटली सरकार द्वारा अतिरिक्त नर्म शर्तों के ऋणों की व्यवस्था की गई है। भविष्य में कार्यक्रमों के लिए भी इटली पक्ष ने कुछेक ऐसे क्षेत्रों का सुझाव दिया है, जिन पर विशेष रूप से विचार किया जा सकता है। इनमें ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन, इलैक्ट्रानिकी, इनफारमेटिक्स, उर्वरक, कृषि तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं।

सुपर कम्प्यूटरों की खरीद

9289. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी० एस० बसवराजू :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, जापान और सोवियत संघ से सुपर कम्प्यूटर प्राप्त न किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) सरकार का अन्य किस देश से सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करने का विचार है, और

(ग) देश में कम्प्यूटर उद्योग का विकास करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सुपर कम्प्यूटरों की बिक्री के संबंध में अभी बातचीत चल रही है।

(ख) चूंकि सुपर कम्प्यूटरों का विनिर्माण इस समय केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा सोवियत संघ में ही किया जा रहा है, अतः ऐसे कम्प्यूटरों को प्राप्त करने के लिए अन्य किसी देश से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) सरकार ने नवम्बर, 1984 में कम्प्यूटरों के विषय में एक उदार नीति की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत नवीनतम प्रौद्योगिकी के आधार पर कम्प्यूटरों का स्वदेश में ही विनिर्माण करने पर बल दिया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कम्प्यूटरों के विनिर्माण की उदार लाइसेंस नीति का अनुसरण किया जा रहा है। सभी भारतीय कम्पनियों को, जिनकी विदेशी-साम्या पूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत तक हैं, स्वदेश में विनिर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाती है; विकास के लिये उत्पादन-क्षमता पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है; उत्पादों के ग्रेड का उन्नयन करने अथवा नई परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए विदेशी-सहयोग करने तथा डिजाइन विषयक ड्राइंग का आयात करने की अनुमति प्रदान की जा रही है; स्थापना-स्थलों संबंधी नीतियों को शिथिल बनाया गया है तथा इकाइयों को अनुमति प्रदान किये जाने योग्य किसी भी क्षेत्र में विनिर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाती है; एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति (एम० आर० टी० पी०) की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत छूट दी गई है ताकि बड़ी कम्पनियां इस क्षेत्र में पूंजी निवेश कर सकें। उपर्युक्त के अलावा, कई विकासात्मक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

हिन्दी आशुलिपिकों के पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध

9290. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के संवर्ग-बाह्य पदों के सृजन पर 1968 में प्रतिबन्ध लगाया गया था;

(ख) क्या यह प्रतिबन्ध हिन्दी आशुलिपिकों के उन पदों को भरने पर भी लागू था जिन्हें प्रतिबन्ध लगाने से काफी पहले सृजित किया गया था;

(ग) किन कारणों से उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित पदों पर नियुक्त संवर्ग-बाह्य हिन्दी आशुलिपिकों के प्रत्यावर्तन की मांग की थी;

(घ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन संवर्ग-बाह्य हिन्दी आशुलिपिकों की नियुक्ति को उचित ठहराया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रभावित कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति कब तक की जायेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री वीरेन सिंह एंथनी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में निधियों का अन्तरण

9291. **डा० बी० एल० शंकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशी मुद्रा अधिनियम और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली प्रलेखों के आधार पर हांगकांग को निधियां अन्तिरत किये जाने के किसी मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इसकी क्रियान्वित क्या है;

(घ) विदेशों को निधियां अन्तरित करने संबंधी वर्तमान प्रक्रिया में क्या कमियां हैं और बैंकों को नियमों और विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित सभी प्रकार के नियंत्रण रखने के लिए क्या कार्य सौंपे गये हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को न होने देने और दोषी बैंकों और उल्लंघनकर्ताओं को दंड देने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) जी, हां। एक श्री सीताराम अग्रवाल तथा अन्य व्यक्तियों के मामले का पता लगाया गया था जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के बेनामी फर्में चलाई थीं। इन बेनामी फर्मों के माध्यम से हांगकांग तथा सिंगापुर में स्थित फर्मों को जाली आयात दस्तावेजों के सहारे लगभग 2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भेजी गई थी।

(घ) और (ङ) खामियों को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक/विधायी उपाय किये जाने हेतु मामले की सतत समीक्षा की जाती है। आवश्यक जांच-पड़ताल करने के लिए निरन्तर उपाय भी किए जाते रहे हैं।

इण्डियन केबल कम्पनी लिमिटेड के कार्यकलाप

9292. **श्री वीरेन्द्र पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों के इंडियन केबल कम्पनी लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयर हैं;

(ख) क्या सरकार को इस कम्पनी में कथित कदाचारों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इण्डियन केबल कम्पनी लि० में शेयर धारिता की प्रतिशतता निम्न प्रकार है:—

भारतीय जीवन बीमा निगम	27.63 प्रतिशत
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	13.53 प्रतिशत
राष्ट्रीय कृत बैंक	8.60 प्रतिशत

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारियों का नियोजन

9293. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारियों के नियोजन और पदोन्नति के मामले में उन्हें समकक्ष पुरुष अधिकारियों के समान नहीं समझा जाता;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकांश महिला अधिकारियों को समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु कल्याण, योजना और सहकारिता विभाग में नियुक्त किया जाता है, यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उन्हें जिला मजिस्ट्रेटों, कलेक्टरों, निगमों के निदेशकों और विभागों के प्रमुखों के रूप में नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी, विशेषकर जो केन्द्र में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त हैं। केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारियों की ऐसी तैनातियों पर बल दिया गया है जहां वे उच्च जिम्मेदारियों वाले पदों पर कार्य करने के योग्य हो सकें। राज्य सरकारों से यह बात सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की

महिला अधिकारियों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रशासन के बहुविध क्षेत्रों में नियुक्तियों सहित क्षेत्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं।

उड़ीसा में जीवन बीमा निगम के लम्बित पड़े दावे

9294. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जीवन बीमा निगम के विभिन्न डिवीजनों में निपटान के लिए बहुत से दावे लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1986 को उड़ीसा में जीवन बीमा निगम के विभिन्न डिवीजनों में कितने दावे लम्बित पड़े हैं;

(ग) इन दावों के निपटान के लिये क्या कदम उठाये गये; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) 31 दिसम्बर, 1986 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में जीवन बीमा निगम के विभिन्न प्रभागों में 695 परिपक्वता वाले दावे और 175 मृत्यु दावे लम्बित पड़े हैं। जीवन बीमा निगम स्थिति की निरन्तर समीक्षा करता रहता है और दावों के निपटान कार्य में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। परिपक्वता दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा पहले से ही जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :

(i) पालिसीधारकों को परिपक्वता वाले दावों के डिस्चार्ज वाउचर देय तारीख से काफी समय पहले ही भेजना।

(ii) 20,000 रुपये तक की बीमित राशि के संबंध में आयु संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने से छूट देना यदि बीमित व्यक्ति की आयु प्रविष्टि के समय दर्ज न की गई हो।

(iii) परिपक्वता वाले बकाया पड़े दावों की नियमित रूप से समीक्षा करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना एवं पालिसीधारकों के साथ व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करने व बाकी रहती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत रूप से दौरा करना।

(iv) दावा निपटान के कार्य को विकेन्द्रीकृत करके शाखा कार्यालयों को सौंपना।

(v) पालिसी का मूल दस्तावेज खो जाने पर क्षतिपूर्ति पत्र की शर्त को कुछ विशिष्ट सीमा तक हटाना।

(vi) बीमित मृत व्यक्ति के सम्पदा-अधिकार के कानूनी प्रमाण की शर्त में कुछ विशिष्ट सीमा तक छूट देना।

उड़ीसा में अनुसूचित जाति विकास निगम से सहायता पाने वाले परिवार

9295. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में

अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा अब तक अनुसूचित जातियों के कितने परिवारों को सहायता प्रदान कीगई है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से मार्च, 1987 तक सीमान्त ऋण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के परिवारों की कुल संख्या 93,541 है।

शहरों का दर्जा बढ़ाया जाना

9296. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों के नाम क्या है जिनका 1 मार्च, 1981 से मूललक्ष्यों प्रभाव से नगर प्रतिपूर्ति भत्ता के प्रयोजनार्थ अब तक दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का तदनुसार सम्पूर्ण देश में सभी शहरों का दर्जा बढ़ाये जाने के संबंध में समीक्षा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजन के लिए नगरों/कस्बों का वर्गीकरण 1.8.1982 से किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में, 1981 की जनगणना के आधार पर जोधपुर के वर्गीकरण को 1.8.1982 की बजाय 1.3.1981 से लागू किया गया है। जोधपुर के सादृश्य पर, 1981 की जनगणना के आधार पर अन्य नगरों का वर्गीकरण भी 1.8.1982 की बजाय 1.3.1981 से लागू किया गया है और सरकारी आदेश तदनुसार जारी कर दिये गये हैं। ऐसे नगरों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1.3.1987 से लागू "क", "ख" और ख-2 श्रेणी नगर की सूची जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता स्वीकार्य है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	"क"	"ख"	"ख-2"
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद शहरी समूह	—	विजयवाड़ा श०स० विशाखापटनम श०स०
बिहार	—	पटना श०स०	धनबाद श०स० जमशेदपुर श०स०, रांची श०स०
चंडीगढ़	—	—	चंडीगढ़ श०स०
दिल्ली	दिल्ली श०स०	—	—
गुजरात	अहमदाबाद श०स०	सूरत श०स०	राजकोट, वडोदरा श०स०

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	—	—	श्रीनगर श०स०
कर्नाटक	बंगलौर श०स०	—	हुबली धारवाड़
केरल	—	—	मैसूर श०स० कालीकट श०स० कोचीन श०स० त्रिवेन्द्रम श०स०
मध्य प्रदेश	—	इन्दौर	भोपाल दुर्ग-भिलाई नगर श०स० ग्वालियर श०स० जबलपुर श०स०
महाराष्ट्र	वृहद बम्बई पुणे श०स०	नागपुर श०स०	नासिक श०स०, शोलापुर श०स०, उलहासनगर श०स०
पंजाब	—	—	अमृतसर, जलंधर, लुधियाना
राजस्थान	—	जयपुर श०स०	जोधपुर
तमिलनाडु	मद्रास श०स०	कोयम्बटूर श०स० मदुराई श०स०	त्रिचुरापल्ली श०स० सालम श०स०
उत्तर प्रदेश	कानपुर श०स०	लखनऊ श०स०	आगरा श०स० इलाहाबाद श०स० बरेली श०स०, मेरठ श०स० वाराणसी श०स०
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता श०स०	—	—

भारत में विदेशों द्वारा राशि निवेश

9297. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार जापान, जर्मन संघीय गणराज्य फ्रांस, रूस और ब्रिटेन द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले कुल वर्षों के दौरान उदार नीति अपनाए जाने के कारण इस निवेश में वृद्धि हुई है;

(ग) सरकार का और अधिक राशि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये कौन से कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या योजना आयोग और संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस बारे में कोई कदम उठाये गये हैं और उनका स्वरूप क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जापान, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, तथा यू० के० से प्राप्त विदेशी इक्विटी निवेश जिनके लिए वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 में अनुमोदन प्रदान किये गये थे, निम्न प्रकार से हैं :

(लाख रुपये)

	1984	1985	1986
जापान	615	1568	562
जर्मन संघीय गणराज्य	284	1180	2016
फ्रांस	121	236	205
सं० राज्य अमरीका	895	3992	2937
सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	—	—	—
यूनाइटेड किंगडम	181	371	772

(ख) निवेश में सामान्यतः वृद्धि की प्रकृति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि निवेश में वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) विदेशी निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक रही है जैसा कि 1983 के औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य में निरूपित किया गया है।

बचत संग्रह में ग्रामीण डाक घरों का योगदान

9297-क. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बचत संग्रह हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए ग्रामीण डाकघरों द्वारा क्या योगदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, विशेष रूप से उड़ीसा में, प्रतिवर्ष प्राप्त परिणामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई कमी रही, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, शाखा डाकघरों के सहयोग से बचतें जुटाने के लिए विशेष अभियान चलाये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा/उप-डाकपालों को अपने-अपने डाकघरों में अल्प बचतों के संग्रहों के आधार पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक-

पालों/उप-डाकपालों द्वारा ऐसे संग्रहों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे संग्रहों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपने हमें संविधान के अनुच्छेद 78 पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वयं इनकी व्याख्या की है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप करवा दें, आप गुप्ता जी से पूछ लीजिए, वे क्या कहते हैं, वैसा कर लो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मुझ कुछ भी नहीं मिला है। श्री आचार्य, अफवाहों पर मत जाइए। मुझे कोई भी रिकार्ड नहीं मिला है और मैं अफवाह पर नहीं जाता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है। यह ठीक नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है। मैं अप्रमाणित बातों की ओर ध्यान नहीं दे सकता। मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

इसमें लिखा है, खुद आकर देख लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : वह यहीं है। वे खण्डन कर सकते हैं।

श्री अमल दत (डायमंड हार्बर) : हम उन्हें खण्डन करने के लिए अवसर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

[हिन्दी]

मिस्टर आचार्य, आप जोर से बोलते हैं। आप जब लिखकर देंगे तो मैं पूछ लूंगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर आचार्य, आप जानते हैं। आप लिखकर दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री आचार्य, आप अपने दल के नेता हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर आचार्य, मैंने आपको अर्ज किया है कि आप लिखकर दे दीजिए, फैक्ट्स के बारे में मैं पूछ लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है।

कोई चीज होगी तो पूछ लेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : वे बता सकते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 30 मार्च को मैंने एक मूल प्रस्ताव की सूचना दी है जोकि आपके अनुसार आपके विचाराधीन है। दिनांक 30 मार्च का मूल प्रस्ताव कहता है कि सरकार द्वारा अनुच्छेद 78 के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए जायें। मैं केवल आपका विनिर्णय चाहता हूं। मैंने रिकार्ड देखे हैं। आपने कहा है कि मेरा मूल प्रस्ताव आपके विधाराधीन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इन्कार किया है। मैंने कभी इन्कार तो नहीं किया है।

[अनुवाद]

मैंने कभी भी इससे इन्कार नहीं किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक है। केवल दो दिन ही बचे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जैसे गुप्ता जी ने कहा था, 'सेमथिंग' होने के बाद,

[अनुवाद]

मैं इस पर विचार कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल आपका विनिर्णय चाहता हूं। केवल 2 दिन ही बचे हैं। अनुच्छेद 78 के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने सम्बन्धी मेरा मूल प्रस्ताव लम्बित पड़ा है। मैं जानना चाहूंगा कि मेरे मूल प्रस्ताव का, जिसे आप अपने विचाराधीन बता रहे थे, क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल दो दिन बचे हैं। वे अपनी व्याख्या करता हुआ अपना मंत्रि-मंडलीय संकल्प ला रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि पहले मैं इसकी प्रामाणिकता का पता लगाऊंगा कि क्या इसमें है।

[हिन्दी]

अब पेपर में आते हैं ?

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आपने कहा है, "यह ग्राह्य है और मैं इस पर विचार करूंगा।"

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि आपको बताऊंगा।

पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं, श्री भजन लाल।

12.04 म० पू०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन, नियम, 1987 की प्रति

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1987, जो 28 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 443 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4345/87]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप भी मेरे साथ सहमत थे कि हमारे प्रक्रिया नियमों में कुछ कमी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप करके करो उसका···।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब, कौन इस मामले में पहल करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों पहल करूं ? यह सभा का काम है कि इस पर विचार करे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा प्रस्ताव लम्बित पड़ा है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मामला बार-बार उठ सकता है। आप कैसे निपटेंगे इससे ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे नियम समिति में भी उठा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक आप इस पर पहल नहीं करते हैं तब तक यह कभी भी नियम समिति में नहीं उठाया जा सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा प्रस्ताव लम्बित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मैंने अवाड़ी में भारी वाहनों के कारखाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुलनदईवेलू जी, आप इसमें ऐसा करिए आप इसको नियम 377 के अन्तर्गत दे दीजिए।

[अनुवाद]

यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है। आप इसका नियम 377 के अन्तर्गत उल्लेख कर सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : श्रमिकों ने भूख हड़ताल कर रखी है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास इसे उठाने के लिए अन्य रास्ते भी है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : श्री लालबहादुर शास्त्री की समाधि विजय-घाट का अपवित्रिकरण किया जा रहा है। यह एक गम्भीर मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए, ऐसे मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामूवालिया जी, ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लिखकर दे दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत दीजिए, अभी टाइम नहीं है, बाद में ले लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदला जा सकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वही करेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में करेंगे।

श्री राजेश पायलट।

[अनुवाद]

भारत के नियंत्रक-महालेखाकार का वर्ष 1986 का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग दो—हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं संविधान में अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1986 के प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 2-हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4346/87]

सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों के कार्यकरण पर रिपोर्टें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 412 (अ), जो 24 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 15 जून, 1983 की अधिसूचनाएं संख्या 117/87-सी-शु० को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4347/87]

(दो) सा० का० नि० 413 (अ), जो 24 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 114/87-सी-शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि उक्त अधिसूचना में अनावश्यक प्रविष्टि संख्या 12 का लोप किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4348/87]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 411 (अ), जो 24 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 49/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि जूतों के निर्माण के कारखाने में ही प्रयुक्त जूतों के भागों को सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क में छूट दी जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4349/87]

(दो) सा० का० नि० 418 (अ), जो 28 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा पॉलियूरिथेन फोम ब्लाक के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क की 40 रुपए प्रति किलोग्राम की प्रभावी दर निर्धारित की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4350/87]

(तीन) सा० का० नि० 419 (अ), जो 28 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो शुल्क प्रदत्त पॉलियूरिथेन फॉम ब्लाक से निर्मित पॉलियूरिथेन के उत्पादों को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4351/87]

(चार) सा० का० नि० 420 (अ), जो 28 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 132/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि यह छूट मोनोफिलामैंट सूत के निर्माण में प्रयुक्त पोलिएमाइड चिप्स को भी लागू होगी और अपशिष्ट (वेस्ट) तथा रद्दी (स्क्रैप) से पुनः संसोधित प्लाटिक सामग्रियों पर पूर्ण छूट होगी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4352/87]

(3) बाजार ऋणों के सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (5) डब्ल्यू एण्ड एच/87 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4353/87]

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4354/87]

(दो) बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4355/87]

(तीन) बैंक आफ बड़ौदा के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4356/87]

(चार) यूको बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4357/87]

(पांच) केनरा बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4358/87]

(छः) सिन्डिकेट बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4359/78]

(सात) यूनियन बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में

31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4360/87]

(आठ) इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4361/87]

(नौ) इण्डियन बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4362/87]

(दस) इण्डियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4363/87]

(ग्यारह) आन्ध्रा बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4364/87]

(बारह) कारपोरेशन बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4365/87]

(तेरह) न्यू बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4366/87]

(चौदह) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4367/87]

(पन्द्रह) बैंक आफ महाराष्ट्र के कार्यकरण और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4368/87]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसको रूल्स कमेटी में ले लो। सारे मिलकर करेंगे तो होगा, ऐसे तो होगा नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि सभा इस बात से सहमत है तो अन्य कार्यों के बाद मद संख्या 9 पर चर्चा की जा सकती है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : क्या हम इस पर आज चर्चा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस कार्य के पूरा होने के बाद देखेंगे।

इण्डियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन एसोसिएन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4369/87]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1987,

जो 18 अप्रैल, 1987 को भारत में राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 278 में प्रकाशित हुये थे ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1987 जो 18 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 279 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 1987, जो 18 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 277 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4370/87]

12.06 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1987 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 अप्रैल, 1987 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 5 मई, 1987 को हुई अपनी बैठक में पारित उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1987 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है ।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 5 मई, 1987 को हुई अपनी बैठक में पारित नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1987 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 5 मई, 1987 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 मार्च, 1987 को पारित किए गए वाणिज्यिक पोत-परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1987 से बिना किसी संशोधन के सहमति हुई ।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1987।

(दो) नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1987।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312 ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) के द्वारा अपेक्षित रीति से प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत, जिन्होंने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312-ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) के द्वारा अपेक्षित रीति से प्रो० निर्मला शक्तावत, जिन्होंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के लिए निर्वाचन के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (1987-88) के संबंध में नामांकन प्राप्त करने, उम्मीदवारी से नाम वापस लेने तथा यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव, जिसके बारे में प्रस्ताव सभा द्वारा आज स्वीकृत किया गया था, आयोजित करने के लिए निम्नलिखित तारीखें निर्धारित की गई हैं :

निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या	: एक
नामांकन की अंतिम तारीख	: बुधवार, 6 मई, 1987 (4.00 बजे म० प० तक)
नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	: वीरवार, 7 मई, 1987 (4.00 बजे म० प० तक)
निर्वाचन की तारीख (यदि आवश्यक हुआ)	: शुक्रवार, 8 मई, 1987 11.30 बजे म० प० से 2.30 बजे म० प० तक समिति कमरा संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली।

12.07 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) **उत्तर प्रदेश में आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता**

श्री निहाल सिंह जैन (आगरा) : अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान की धारा 31ए के अन्तर्गत आर्थिक रूप से विपन्न नागरिकों को सस्ता और शीघ्र न्याय सुलभ कराने के मन्तव्य को दृष्टिगत करते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित करने की संस्तुति अपने पत्र दिनांक 14.3.87 के द्वारा भारत सरकार को की थी और निवेदन किया था कि इस क्षेत्र की न्यायिक आवश्यकता की पूरा करने के लिए वहां एक खण्डपीठ स्थापित की जाए और अपेक्षा की थी कि भारत सरकार स्वयं इस खण्डपीठ को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करे तथा इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने तीन सदस्यीय जसवंत सिंह आयोग गठित किया था। जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो संसद के पटल पर रखी जा चुकी है, उक्त खण्डपीठ को आगरा में स्थापित करने की संस्तुति की है। इसकी दो सरकिट बेंचें देहरादून तथा नैनीताल में प्रस्तावित हैं। आयोग की संस्तुति दृष्टिगत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से इस प्रस्ताव की क्रियात्मक रूप देने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को स्थान के संबंध में कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजना है बल्कि जसवंत सिंह आयोग की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए आगरा में खण्डपीठ स्थापित किए जाने की सिफारिश को मूर्त रूप दिये जाने के प्रस्ताव भेजने हैं जिस पर विचार कर भारत सरकार अग्रिम कार्यवाही करेगी। अतएव भारत सरकार राज्य सरकार से उपरोक्त भांति प्रस्ताव मंगवा कर आगरा में खण्डपीठ स्थापित करने के लिए त्वरित कार्यवाही करें।

12.09 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(दो) देश में, विशेषकर बोरीवाली स्टेशन पर, लाइसेंसधारी रेल कुलियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री अनूप चंद शाह (बम्बई उत्तर) : मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान रेलवे के लाइसेंस-प्राप्त कुलियों की बढ़ती हुई मांगों की ओर दिलाना चाहूंगा जो देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों तथा जंक्शनों में कार्य कर रहे हैं। इस समय रेलवे द्वारा कुलियों को लाइसेंस रेलवे प्लेटफार्म पर काम करने के लिए दिया जाता है जिसके कुछ मानदण्ड और नियम होते हैं। वह रेलवे कर्मचारियों का अभिन्न अंग हैं।

रेल प्राधिकारी यात्रियों की सुविधा के लिए अपने मजदूर नहीं लगाते हैं। वस्तुत: यात्रियों के लिए रेल में से सामान निकालने की सुविधा प्रदान करने के लिए तथा रेल के प्राधिकृत यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्राधिकारी कुलियों को उक्त कार्यों के लिए कुछ शर्तों सहित लाइसेंस दे रहे हैं।

रेल मंत्रालय को सभी लाइसेंसप्राप्त कुलियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो रेलवे अपने कामगारों को प्रदान करता है। इसका यह अर्थ है कि रेलवे को उन्हें रेल पास, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा, दुर्घटना बीमा योजना तथा अन्य कल्याण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो वह अपने कामगारों को प्रदान करते हैं। विभिन्न स्टेशनों तथा जंक्शनों पर इन कुलियों को तुरंत राहत देने के लिए वरीयता आधार पर एक आराम कक्ष प्रदान किया जाना चाहिए। विशेष रूप से मेरे चुनाव क्षेत्र में बोरीवेल स्टेशन पर एक आराम कक्ष जिसकी मंजूरी दी जा चुकी है उसकी तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेगा।

[हिन्दी]

(तीन) मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में आदिवासियों को समय पर और सस्ता न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : बस्तर जिले में आवागमन की कमी से आज भी आदिवासियों को 60-70 किलोमीटर पैदल चलना आदिकाल से विरासत से मिला है। न्याय उन्हें अब तक विश्वास में नहीं ले पाया है। क्योंकि दूर-दराज से आकर अदालत तक पहुंचने में काफी समय लगता है। अदालत का फैसला भी पिता के जुर्म को उसके पुत्र को सुनाया जाता है क्योंकि पिता के जिन्दा रहते फैसला नहीं हो पाता।

इस तरह स्वयं के आपसी झगड़े तथा शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये उन्हें न्याय की खोज में अदालत तक जाना पड़ता है। एक-एक प्रकरण को फैसले तक इंतजार में उनके घर-जमीन-जायदाद बिक जाती है। इतने बड़े क्षेत्र में जगदलपुर में ही सिविल अदालत है जहां पर बस्तर की 18 लाख 42 हजार 8 सौ 54 जनसंख्या को बहुत खर्चीला न्याय प्राप्त हो रहा है। केवल एक दिन का लिंक कोर्ट सुकमा, दंतेवाड़ा कोकेर और नरायनपुर में बैठता है। यदि जज

नहीं आ सका तो 60-70 किलोमीटर का पैदल आया हुआ व्यक्ति खाली हाथ अगली तारीख की पर्ची लेकर घर आता है।

अत: केन्द्र शासन से अनुरोध है कि भोले-भाले आदिवासियों को सस्ता न्याय सुलभ कराने की व्यवस्था की जाये ताकि सच्ची बात कह कर न्याय पाने की मनोवृत्ति को बराबर रखा जा सके।

(चार) **राजस्थान के कोटा जिले में स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के अंतर्गत ऋणों की अदायगी संबंधी प्रक्रिया को सरल तथा सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता**

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कोटा के एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र की सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लीड बैंक है और हाड़ौती ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाएं क्षेत्र में स्थापित हैं। इन बैंकों के द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के समय पर ऋण नहीं दिये जाने से किसानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। आये दिन कई प्रकार के व्यवधान व कठिनाइयां कृषक समुदाय को भुगतनी पड़ रही हैं जिससे कृषि उपज की क्षति ही नही अपितु कम उपज से राष्ट्रीय उत्पादन को हानि हो रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को दिये जाने वाले ऋणों के वितरण में बैंकों द्वारा नीतियों और नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता। बेरोजगारों की स्थिति मेरे जिले में गम्भीर रूप धारण किये हुए हैं। केन्द्रीय सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, बेरोजगार युवक तथा शहरी व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा से नीचे निवास करते हैं जितने भी ऋण देने की योजनायें हैं उन्हें बैंक समुचित रूप से सफल नहीं कर रहे हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के निराकरण हेतु चयनित परिवारों को अविलम्ब ऋण स्वीकृत कर भुगतान कराया जावे। आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत अधिक लोगों को ऋण वितरण किया जावे तथा बेरोजगार युवकों को दिये जाने वाले ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल की जाये।

[अनुवाद]

(पांच) **दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे के समीप लद्दाख बौद्ध विहार परिसर में अनधिकार कब्जों को बेदखल करने/हटाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता**

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के पास स्थित लद्दाख बौद्ध विहार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लद्दाख से आने वाले बौद्ध यात्रियों के लिए पड़ाव स्थल के रूप में बनाया गया था। परन्तु विहार के प्रबन्धक विहार में अन्य बौद्ध क्षेत्रों, जिसमें तिब्बत भी शामिल है, के बौद्ध व्यक्तियों को भी रहने दे रहे हैं। तथापि कुछ तिब्बती तथा लद्दाखी परिवार विहार को अपना स्थायी निवास स्थान समझ कर रह रहे हैं जिससे बौद्ध यात्रियों को विहार में अस्थाई निवास नहीं मिल पाता। तदनुसार प्रबन्धकों ने निश्चय किया कि स्थायी निवासियों को वहां से बेदखल किया जाए। इन परिवारों को, जिनमें अधिकतर तिब्बती हैं, को

विहार के परिवार में इस शर्त पर रहने दिया गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था होने पर वह शीघ्र ही चले जाएंगे।

इन परिवारों ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के स्थान पर कानून अपने हाथ में लेकर विहार के कम्पाउण्ड में कुछ सरकारी अधिकारियों की जानकारी में अपने मकान बना लिए, प्रबन्धकों ने यह आपत्ति भी उठाई थी कि इनके स्थायी निवास से विहार की पवित्रता तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। परिसर के भीतर इनकी बेदखली को बचाने के लिए एक मंदिर का निर्माण भी किया गया। दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने इन गैरकानूनी ढंग से बने मकानों को हाल ही में बिजली भी प्रदान कर दी है। यह परिवार अब दृढ़ता से इस स्थान को अपने कब्जे में रखने के तुले हुए हैं।

इसलिये मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इस स्थान से इन लोगों की बेदखल करने अथवा यह स्थान खाली कराने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करे तथा यथाशीघ्र सम्बद्ध परिवारों को वैकल्पिक जगह प्रदान करे।

(छः) शल्क-लाक्षा के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और शल्क-लाक्षा निर्यात संवर्द्धन परिषद में कच्ची लाक्षा के उत्पादकों के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करने का आवश्यकता

डा० कूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, सरकार द्वारा एक शल्क लाक्षा निर्यात संवर्द्धन परिषद का गठन किया गया है जिसमें एकाधिकारियों का प्रभुत्व है। इसके परिणामस्वरूप, परिषद ने एक नया नियम बनाया है। जिसके परिणामस्वरूप छोटे व्यापारी तथा कुटीर सीडलाख उद्योग बाजार में बिल्कुल ही खत्म हो गये हैं। एकाधिकारियों ने थाइलैंड से निम्न श्रेणी का शेल लाख आयात करके उसे अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी को निर्यात कर दिया जिससे कि बाजार में हमारी विश्वसनीयता पर बुरा असर पड़ा। सीडलाख का हमारा वार्षिक निर्यात 16,000 मीट्रिक टन से कम होकर 6,000 मीट्रिक टन हो गया। शल्क लाक्षा का आयात तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। कच्चे लाख के उत्पादकों तथा तत्सम्बन्धी कुटीर उद्योगों का प्रतिनिधि भी शेललाख शल्क लाक्षा निर्यात संवर्द्धन परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। नये नियम द्वारा लगाई गई बाधाओं को वापिस लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(सात) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर विहार के जहानाबाद क्षेत्र में, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत निम्न सूचना देना चाहता हूं।

पूरे देश में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। चालीस वर्षों की आजादी के बाद भी इस सवाल को सरकार हल करने में सफल नहीं हो रही है। बिहार राज्य में इसका सबसे ज्यादा संकट है। जहानाबाद क्षेत्र के मखदमपुर प्रखंड के दौलतपुर ग्राम, जहानाबाद प्रखंड के

गोनमा, घोसी तथा खिजर सराय प्रखंड के बैजना नादरा, महकार तथा जगदीहा इन सब क्षेत्रों में पानी न मिलने से जानवरों की मृत्यु होना शुरू हो गया है। इन सब गांवों में पानी चार सौ फीट नीचे मिलेगा। अन्दर पत्थर हैं इसलिए इन सब गांवों के लोग बाहर से, कहीं एक मील से, कहीं दो मील से पानी ला रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि शीघ्र इन सब गांवों में पीने के पानी का संकट दूर करे।

[अनुवाद]

(आठ) हाल ही में हुई वर्षा और ओलावृष्टि से जिन राज्यों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय, हाल ही के अभूतपूर्व और असमय की वर्षा, ओलावृष्टि और झंझावात से गेहूं की फसल, फलों के बीज, गुठलीदार फलों और सब्जियों की पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में बहुत भारी तबाही हुई है। सैकड़ों कच्चे घर गिर गए, अनेक पशु मारे गए और भेड़ पालकों को अपने पशुओं से हाथ धोना पड़ा। किसान वर्ग में पहले से ही मुर्दानी छाई हुई है। दुर्भाग्य से पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन 25 प्रतिशत घट गया है। 40 लोग मर गए और बिहार में पिछले हफ्ते की भारी बारिश से हजारों घर नष्ट हो गए हैं। फलों के बागों के मालिकों और किसानों की हानि करोड़ों रु० तक की होगी। नकदी फसल का हुआ विनाश किसानों और राज्यों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगा। अमृतसर जिले में 5000 से अधिक किसानों और संगरूर में भी इतने ही किसानों ने तुरन्त सहायता प्रदान करने की मांग करते हुए रैली की। यह एक राष्ट्रीय आपदा है। अतः मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन असहाय कृषकों की सहायता करे और प्रत्येक राज्य को 20 करोड़ रु० की तुरन्त सहायता प्रदान करे। नेफेड को शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की सप्लाई बनाये रखने के लिए निदेश देने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को उन सब्जियों की सप्लाई की कमी न हो जो वर्षा और ओलावृष्टि में विनष्ट हो गयी हैं।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति करने की आवश्यकता

श्री श्री हरि राव (राजामुन्द्री) : आन्ध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी है। 46 मेगावाट इकाई (एम० यू०) प्रतिदिन की आवश्यकता के मुकाबले आन्ध्र प्रदेश स्वयमेव 37 एम० यू० प्रदान करने की स्थिति में है जिसका मतलब है ऊर्जा की आवश्यकता में 20% की कमी। इससे उपभोक्ताओं को 3100 एच० टी० कम बिजली देनी पड़ती है। शहरी तथा गरीब ग्रामीण लोगों को पर्याप्त पेय जल उपलब्ध नहीं है। पशु और कृषि को बिजली की कमी के कारण नुकसान हो रहा है। राज्य को केन्द्र सरकार के विद्युत संयन्त्रों से जैसे नेवेली, कल्पक्कम और रामागुण्डम से बिजली का शेयर नहीं मिल रहा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से इसका निश्चित शेयर दे, जैसा कि अन्य राज्यों को दिया जाता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब नियम 193 के अन्तर्गत आगे चर्चा करेंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान कल मैंने आपके सामने भौगोलिक राजनीतिक साम्राज्य की चरित्रगत विशेषताएं पेश की थीं जहां मैंने कहा था कि अच्छे या बुरे लोग नहीं होते। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शाश्वत शुद्धतावादी या योगी नही हैं और न ही बाध्यकारी बलात्कारी हैं और न ही शाश्वत या दुःखी कुमारियां हैं।

और इसलिए जब हम विश्व परिदृश्य देखते हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी नीति के व्यापक स्वरूप में उसे देखें कि किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष शक्ति की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें बड़ी शक्तियों से निपटना है। हम यह नहीं चाह सकते कि वे रहें ही नहीं, वे तो हैं ही। परन्तु वर्तमान विश्व के संदर्भ में, जहां हम राज्यों की न्यायिक समानता की बात करते हैं और हम भी कभी-कभी शक्तियों के नैतिक आयाम की बात करते हैं, तथ्य यह है कि बड़ी शक्तियों के विश्वव्यापी स्वार्थ हैं उनके सार्वभौमिक सम्पर्क हैं उनकी अपनी चिन्ताएं हैं। और उनकी तकनीकी गन-बोट डिप्लोमेसी से लेकर अपने प्रभावाधीन क्षेत्रों को शान्तिपूर्वक बढ़ाना है और जो उन्हें सार्वभौमिक शत्रु मानते हैं, उन्हें रोकना है। अब इस खेल में और इस सीमा तक, प्रत्येक महान शक्ति एक साम्राज्यवादी शक्ति है। मैं जानबूझकर 'साम्राज्यवादी शक्ति' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक महान शक्ति प्रसार चाहती है और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। अब संयुक्त राज्य ऐसी ही शक्ति है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं यह नहीं समझता कि हमारे संयुक्त राज्य के साथ कोई मूल अथवा स्थायी संघर्ष है। हम में मतभेद हैं और मतभेद होना चाहिए। मैं वह समय जानता हूं जब संयुक्त राज्य अमरीका मुक्त उद्यम बनाम कठोर नियंत्रण, स्वतंत्रता बनाम गुलामी आदि के नारे के अधीन लोकतंत्र और तानाशाही के नाम पर भारत को वशवर्ती रखना चाहता था। किन्तु उस बात का निर्णय बहुत पहले ही हो चुका था। वे जानते हैं और संसार जानता है कि हम किसी के उपग्रह नहीं हो सकते, हम किसी के साम्राज्यवाद के अधीन नहीं हो सकते, हम जागीर राज्य नहीं हो सकते और हम बनाना गणतंत्र नहीं हो सकते। परन्तु हम किसी अन्य शक्ति के अन्तर्राष्ट्रीय खेल में मोहरा भी नहीं बन सकते।

मैं समझता हूं कि हमें अपनी गणनायें करते समय विश्व के उस भाग में, जहां हम रहते हैं और जहां हम एक क्षेत्रीय-शक्ति हैं, के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका की युद्ध नीति सम्बन्धी सूचियों और लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैं समझता हूं, संयुक्त राष्ट्र अमरीका की इच्छा है कि दक्षिण एशिया को सामरिक महत्व कि दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब यह कि इसे किसी सार्वभौमिक शत्रुता पर निर्भर होने वाली स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। यह एक

मोटी तस्वीर है। वे नहीं चाहते और मैं नहीं समझता कि उनके पास हम पर हमला करने या हमें गुलाम बनाने के साधन हैं। हम क्षेत्रीय शक्ति हैं और हमारा विकासशील राज्य है। हमारे संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ कुछ स्वार्थ हैं। हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकीय सुविधायें चाहिए, संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बाजार में प्रवेश चाहिए, हमारा उनके साथ धनात्मक व्यापार संतुलन है। हमें कभी-कभी सामरिक महत्व का कच्चा माल चाहिए होता है जो केवल संयुक्त राज्य अमरीका में या संयुक्त राज्य अमरीका के नियंत्राधीन स्रोतों से ही मिल सकता है। वित्त के विकास के लिए हमारा स्वार्थ है चाहे वे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय, और इसके लिए वास्तव में इस उप-महाद्वीप और हिन्द महासागर में, क्षेत्रीय और सार्वभौमिक दोनों प्रकार से शान्ति का वातावरण चाहिए ताकि हम प्रगति कर सकें और आगे बढ़ सकें।

अब महान शक्तियों और क्षेत्रीय शक्तियों के हितों में समानता की समवायी कमी है। इसलिए, एक अंतर्निहित असामंजस्य है। और जैसा कि मैंने कहा, मतभेद उत्पन्न होगा। किन्तु मतभेद अनिवार्य रूप से इतने गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है जो एक ऐसी स्थिति तक पहुंचा दें जिसे सुधारा न जा सकता हो।

आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह वास्तव में भारत संयुक्त राज्य सम्बन्धों पर नहीं है। आज भारत संयुक्त राष्ट्र सम्बन्ध तो केवल हमारे साथ लगे हुए पड़ोसियों, विशेषतया पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों की चर्चा के लिए केवल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, इसलिए हमारी चिन्ता जिसे हम व्यापक आयाम में अभिव्यक्त कर रहें हैं, वास्तव में ही हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारी नीति, हमारे लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारी कूटनीति की असफलता है।

हम विश्व के उस भाग के केन्द्र में हैं। हम दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए निर्णायक क्षेत्र को सभी प्रकार के विदेशी आक्रमणों और विदेशी दखलों से मुक्त रखने के लिए हमारी रुचि न्यायसंगत है। हमारा क्षेत्रीय शक्ति के रूप में न केवल बाहरी ताकतों द्वारा बल्कि हमारे पड़ोसियों द्वारा माने जाने के प्रति न्यायिक स्वार्थ है। हम इच्छुक भी हैं और हमारी चिन्ता भी है कि शान्ति और सहयोग तथा मैत्री के क्षेत्र के रूप में, हिन्द महासागर में शान्ति क्षेत्र के रूप में, दक्षिण एशिया शान्ति तथा सुरक्षा क्षेत्र बने। परन्तु हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हम इस क्षेत्र पर एकतरफा तौर राष्ट्रवादी सिद्धान्त लागू नहीं कर सकते हैं। किसी भी मामले में, राष्ट्रवादी सिद्धान्त के दिन बीत गए हैं। हमें दक्षिणी एशिया के सभी देशों का विश्वास प्राप्त करना है जो सब एक साथ मिलाकर भी हमारे से शक्ति में अथवा विकास में सार्वभौम अथवा क्षेत्रीय आयाम में बराबरी नहीं कर सकते हैं।

प्रासंगिक तौर पर जब मैंने यह कहा हम केन्द्रीय शक्ति हैं, तो मैं इस तथ्य के बारे में सजग हूं कि दक्षिणी एशिया में केवल हमारा ही एक ऐसा देश है जिसकी इसके प्रत्येक पड़ौसी के साथ साझी सीमा है। दक्षिणी एशिया में और कोई देश वैसी स्थिति में नहीं है। अब, यदि हम दक्षिण एशिया के किसी अन्य देश पर हमारे अपने विचार स्वीकार करने के लिए दबाव डालने की स्थिति में नहीं हैं, तो यह अपरिहार्य है कि ये पड़ोसी देश बाहरी सम्पर्कों की मांग करेंगे। यदि उन्हें कोई खतरा दिखाई देता है अथवा आपसी सन्देह पैदा होता है, तो जैसा कि

वे चाहते हैं वे अपने राष्ट्र हित में गुट में आने का प्रयास करते हैं। अतएव, मुझे हमारे पड़ौस में हमारी नीति को साक्षेप असफलता के बारे में काफी चिन्ता है। हमें अमरीका द्वारा पाकिस्तान को की जा रही अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई के बारे में सही चिन्ता है जो कि 1954 से जारी है और जिसने आज अनिष्टकारी रूप धारण कर लिया है और जिसमें उच्च कार्य-निष्पादन वाले वायुयानों की सप्लाई भी होने लगी है, ये निगरानी रखने वाले तथा सम्भवत: आक्रामक हथियार प्रणालियों को अवाक्स कहते हैं। हमें अमरीका के बारे में भी उतनी ही चिन्ता है जो पाकिस्तान की परमाणु प्यास पर नरम रुख अपना कर एन० पी० टी० के बारे में इतनी अधिक बात करता है, जैसा कि हाल ही में सिंमगठन द्वारा किए गए संशोधन को हटाने से पता चलता है। हमारी ये वैद्य चिन्तायें हैं और हमें अवश्य चिन्ता करनी चाहिए। हम जानते हैं हमारे पास अमरीका पर दबाव डालने का कोई रास्ता नहीं है और अपीलों से कोई काम बनने वाला नहीं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में मानव-सौहार्द अथवा सहानुभूति जैसी कोई चीज नहीं है। अमरीका स्वयं अपना हित-साधन कर रहा है। वैसा पाकिस्तान भी कर रहा है। देश और काल के इस निश्चित क्षण में वे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। हम इस स्थिति से कैसे निपटें ? मैं अनुभव करता हूं कि यह अमरीका-पाकिस्तान समीकरण कुछ काल के दौरान विकसित हुआ है और हमें यह महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान के शासक अपने ढंग से न तो मूर्ख थे और न ही भोले-भाले थे। हम उनकी साधारण रूप से अमरीकी साम्राज्यवाद अथवा सी० आई० ए० एजेन्टों के खिलमतगारों के रूप में निन्दा नहीं कर सकते हैं। वे भी अपने ढंग से देशभक्त हैं। वे भी अपने देश के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा चाहते हैं। इसीलिए उस दिन चर्चा में भाग लेते समय मैंने कहा था कि कूटनीति का व्यापक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जहां कहीं हितों का टकराव होता है तो हमें टकराव के क्षेत्र में सामंजस्य लाने तथा उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए।

अब अमरीका के लिए एक तरफ पाकिस्तान प्रथम पंक्ति का देश है—केन्द्रीय कमान की जिम्मेदारी के क्षेत्र में 19 देशों में से एक है। मैं नहीं जानता कि क्या पाकिस्तान इस दर्जे को स्वीकार करता है। परन्तु उनके लिए अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान इस हालात की कुंजी है, क्योंकि वे अफगानिस्तान को एक ऐसा देश समझते हैं जो उस घेरे से बाहर है जो 1945 में उन्होंने खींचा था जहां 1945 के बाद से सोवियत संघ ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। अब, दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए पड़ौस में महाशक्ति की उपस्थिति के विरुद्ध अमरीका एक गारन्टी है। यह अमरीका की उपस्थिति अथवा गठबन्धन को भारत की धमकी के विरुद्ध भी एक बीमे के रूप में भी देखता है। यह अमरीका की उपस्थिति का भारत के साथ परमाणु समानता लाने की प्यास बुझाने के लिए भी उपयोग करता है अथवा किसी हद तक ब्लैकमेल करता है।

अब मैं इस प्रस्ताव का जिक्र करता हूं। इस उप-महाद्वीप के प्रति अमरीका तथा रूस की नीति और इसी प्रकार महाशक्तियों के प्रति पाकिस्तान और भारत की नीति का वास्तव में विश्व के इस भाग से सामंजस्यपूर्ण रूप से सम्बन्ध है। पाकिस्तान के प्रति अमरीका की नीति रूस उन्मुख बन जाती है और अमरीका के प्रति पाकिस्तान की नीति भारत उन्मुख बन जाती है। भारत के प्रति अमरीका की नीति रूस उन्मुख बन जाती है और अमरीका के प्रति भारत की नीति पाकिस्तान उन्मुख बन जाती है।

महोदय, कल हमारे कुछ सहकर्मी अमरीका की सनक के बारे में बोले थे। मैं चुनौती के

साथ कहता हूं कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सनक होती है। मुझे डर है, मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि भारत के साथ पाकिस्तान की मनोग्रस्ति और पाकिस्तान के साथ हमारी मनोग्रस्ति समान रूप से गड़बड़ी फैलाने वाली है और मैं नहीं समझता कि हमारे नीति निर्माता इस ढांचे से अलग क्यों नहीं सोच सकते हैं अथवा इस ढांचे को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं और इस उप महाद्वीप में एक नया समीकरण स्थापित करने का प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं।

महोदय, इसलिए, यदि भारत-अमरीकी संबंधों को सुधारना है तो कूटनीतिज्ञों के रूप में हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक शक्ति की युद्धाभ्यास क्षमता की सीमाएं होती हैं। अमरीका उस हद तक हम पर दबाव नहीं डाल सकता कि हम रूस के उपग्रह बन जाएं। रूस हमें उस हद तक आपत्ति में नहीं डाल सकता कि हम अमरीका पर आश्रित हो जाएं। इसी प्रकार भारत को पाकिस्तान पर उस हद तक दबाव नहीं डालना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान यह बाहरी ताकतों से सम्पर्क रख कर सुरक्षा महसूस करे। पाकिस्तान को हम इस स्थिति तक मजबूर नहीं करना चाहिए जहां हम इस उप महाद्वीप में किसी हथियार दौड़, अस्त्र-दौड़ अथवा परमाणु अस्त्र दौड़ में एक पार्टी बन जाएं।

मैं अपने विद्वान साथी प्रो० स्वैल से इस मुद्दे पर असहमत हूं कि आज केवल परमाणु विकल्प ही रह गया है। मैं समझता हूं वह निराशा की भाषा है। किसी भी मामले में परमाणु विकल्प में, यह मानकर कि अमरीका विरोधी है, अमरीका अथवा किसी महाशक्ति अथवा चीन के भी खिलाफ किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। अतएव, हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? इसलिए, छलांग लगाने की बजाए, हमें पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारने के लिए अभी एक और गम्भीर प्रयास करना चाहिए।

हमें अफगानिस्तान में स्थिति को सुधारने और अफगानिस्तान की तटस्थता की पुनः बहाली के लिए हमारे पास उपलब्ध सारे प्रभाव को इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। अतएव, हमें सन्देह और अविश्वास की इस बाधा (बैरियर) का तोड़ देना चाहिए। हमें प्रभावी विश्वास पैदा करने वाले उपायों को अपनाना चाहिए। हमें समझ-बूझ के पुल का निर्माण करने की तकनीक को अपनाना चाहिए।

हमें पाकिस्तान को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए और अपने सुरक्षा बोध को इस प्रकार संगत करना चाहिए कि इस उप-महाद्वीप को दी गई किसी प्रकार की धमकी का असर इस उप महाद्वीप के सभी देशों पर बराबर पड़ेगा, और यह कि कोई भी देश इसके परिणामों से न तो बच सकता है अथवा उप महाद्वीप की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। अतएव हम इस उप महाद्वीप --अपने दक्षिणी एशिया को-- महाशक्तियों के बीच युद्ध-स्थल नहीं बनने देंगे। आज भी इसमें अभी कोई देर नहीं हुई है। हमें इस उप-महाद्वीप की संयुक्त-सुरक्षा के विचार को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें परस्पर ऐसी आचरण संहिता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें हम सीमा के दोनों ओर काम कर रही विघटनकारी ताकतों को समर्थन, प्रोत्साहन अथवा हृदय से सहानुभूति प्रदान नहीं करते हों। हमें टूटे सम्पर्कों को जोड़ने के लिए गम्भीरता से बातचीत करनी चाहिए, वस्तुतः परमाणु क्षमता वाले देशों के साथ भी सहयोग के क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। हमें निश्चित रूप से

महाशक्तियों के प्रति नीति का निर्धारण करने में गुट-निरपेक्षता के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। उन आवश्यक सिद्धांतों को हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि किसी भी देश के साथ मित्रता तथा सम्बन्ध किसी दूसरे देश के साथ हमारे सम्बन्धों को हानि पहुंचाकर स्थापित नहीं किये जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें उत्पीड़न भावना से दुःखी नहीं होना चाहिए। जैसा कि कल प्रो० स्वैल ने कहा था, हमें संकुचित मानसिकता का विकास नहीं करना चाहिए। हमें मनोवैज्ञानिक रूप से यह डर नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे खिलाफ है, कि प्रत्येक व्यक्ति हमें नष्ट करना चाहता है, कि प्रत्येक व्यक्ति हमें अस्थिर करना चाहता है। हम अपना ध्यान रखने में समर्थ हैं। जब तक हम डर को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम विश्वास पैदा नहीं करेंगे और उस आत्म-विश्वास के साथ अपने पड़ोसी को संयुक्त प्रयास के साथ काबू नहीं नहीं करेंगे, और संयुक्त प्रयास से इस क्षेत्र को शांति का क्षेत्र नहीं बनायेंगे तब तक मुझे आशंका है कि दक्षिणी एशिया को सर्वनाश से नहीं बचाया जा सकेगा।

हथियारों, बल्कि परमाणु हथियारों से भी कोई समाधान नहीं होगा। अवाक्स तथा अवाक्स-प्रतिरोधी प्रणाली भी इसका समाधान नहीं होगी। प्रक्षेपास्त्र अथवा प्रक्षेपास्त्र-रोधी अस्त्र इस उप-महाद्वीप के चिरकालिक अस्तित्व का कोई उत्तर नहीं हो सकते।

एक माननीय सदस्य : आप पाकिस्तान को इसकी सलाह क्यों नहीं देते ?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं पाकिस्तान को भी सलाह दे रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक महान राष्ट्र की तरह रहना व व्यवहार करना चाहिए जो कि हम हैं, रहे हैं और सदैव रहेंगे भी।

आप सभी का धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अंनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य शहाबुद्दीन जी बोल रहे थे, उनका रोल डिप्लोमैटिक रहा है, उनके डिप्लोमैटिक भाषण को मैं बड़े गौर से सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। एक ओर तो वे भारत को बहुत सी नसीहतें दे रहे थे कि हमको न्यूक्लियर आप्शन नहीं चुनना चाहिए, अवाक्स जहाज के बदले में कोई दूसरा खतरनाक जहाज नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वे पाकिस्तान के खतरनाक हथियारों के बारे में, पाकिस्तान और अमरीका को कोई राय नहीं दे रहे थे।

उपाध्यक्ष जी, भारत एक शान्तिप्रिय देश है। भारत की हमेशा यह मंशा रही है कि हम और हमारे पड़ोसी शांति के साथ रहें, ताकि फौजी खर्चे जो बढ़ रहे हैं, उनको कम कर के विकास के कार्यों में ले जा सकें। लेकिन इसके विपरीत हमारे पड़ौसियों में खासकर पाकिस्तान की हमेशा यह कोशिश रही है कि वह खतरनाक से खतरनाक हथियार इकट्ठा करे और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। कई बार ऐसा हो चुका है, जब पाकिस्तान ने खतरनाक से खतरनाक हथियार इकट्ठे किये और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं कि यह बात शाहबुद्दीन साहब के दिमाग में नहीं आई।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिये। मैंने अवाक्स के विरुद्ध इतनी दलील की है जितनी ···(**व्यवधान**) मेरे विचार से कुछ बातें मेरे पर थोपी जा रही हैं।

श्री जैनुल बशर : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है वह सब कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल है और सभी ने इसे सुना है तथा इसे देखा जा सकता है।

[हिन्दी]

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० गटवर सिंह) : आप लोकसभा में आ गए हैं, राज्य सभा को भूल जाइए।···(**व्यवधान**)···

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैंने यह कब कहा है, पाकिस्तान अवाक्स ले ले और हम न लें। मैंने यह कहा है कि पाकिस्तान अवाक्स न ले।···(**व्यवधान**)

श्री जैनुल बशर : हम अवाक्स न लें, पाकिस्तान ले या न ले, यह आपने नहीं कहा। ···(**व्यवधान**)···मैंने पहले कहा है, आप डिप्लोमैट रहे हैं। मैंने आपकी तकरीर को बहुत समझा, जितना हमारी समझ में आ सकता था। और लोगों ने भी समझा है।···(**व्यवधान**)···

श्री सैयद शहाबुद्दीन : लेकिन मैंने यह नहीं कहा है। ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें वह कहने दें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आप अपनी बात कहिए।

श्री जैनुल बशर : मैं आपकी बात को कुछ कह सकता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आप मेरी बात को गलत बात नहीं कह सकते हैं। ···(**व्यवधान**)

श्री जैनुल बशर : जो आपने कहा है, वही बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष जी, हमेशा इस तरह के हथियार पाकिस्तान की तरफ से इकट्ठे किये गए और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किये गए। यहां हम भारत और अमरीका के संबंधों के बारे में विचार कर रहे हैं। भारत और अमरीका के बीच राजनीतिक संबंधों को छोड़ कर, जो हमारे सम्बन्ध हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, टेक्नालॉजी के क्षेत्र में, उसमें और बढ़ोतरी हुई है। उसमें ऐसी बात कोई नहीं है, जिस में हमारे या उनके संबंध बिगड़े हों। लेकिन अमरीका शुरू से अपनी विदेश नीति में योजना के अन्तर्गत काम कर रहा है। उसकी योजना स्कीम आफ थिंग्स में पाकिस्तान शामिल है। दुनिया के और भी बहुत से देश शामिल हैं और उसमें हमारे क्षेत्र में पाकिस्तान शामिल है तथा पाकिस्तान का वह इस्तेमाल कर रहा है। उसे हथियार देकर उसकी मंशा सोवियत यूनियन को चारों तरफ से घेरने की है। जिसको हम

एनसर्किलमेंट कहते हैं, फौजी तरीके से और दूसरे तरीके से भी। चीन भी उनकी योजना के अन्तर्गत आया। चीन के साथ ही उनके हथियारों का आदान-प्रदान हुआ। चीन पाकिस्तान और अमरीका, ईरान, अब तो ईरान के शाह खत्म हो गए हैं, तो वह स्थिति बाकी नहीं रही। लेकिन यह एक एक्सैस सोवियत यूनियन को घेरने की बनी। उसमें पाकिस्तान उनकी योजना का एक अंग बन गया और वह बराबर पाकिस्तान को इस नीयत से हथियार देता रहा और यह जान-बूझ कर हथियार देता रहा कि ये हथियार भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसकी जो योजना सोवियत यूनियन के एनसर्किलमेंट की थी, उसमें भारत हिस्सा बनने से बहुत पहले इन्कार कर चुका था। उनको उम्मीद भी नहीं है और आशा भी नहीं हो सकती है कि भारत उनकी इस योजना में शामिल होगा। इसलिए वे हथियार देते रहे हैं और हथियार दे रहे हैं और उपाध्यक्ष जी, हथियार ही नहीं दे रहे हैं बल्कि अब तो इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेन्स पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और अमेरिका के फौजी लोग पाकिस्तान में आते जा रहे हैं। उनके साथ संयुक्त अभ्यास हो रहा है और अमेरिका के गुप्तचर टोह लेने वाले विमान पाकिस्तान हवाई अड्डों का प्रयोग वर्षों से करते रहे हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट बहुत दिनों से सामने आ रही है। इसी तरह से परमाणु हथियारों से लैस अमरीकी लड़ाकू जहाज पाकिस्तान की बन्दरगाहों पर आ कर बराबर ठहरते रहे हैं और अब पाकिस्तान को जो एवाक्स विमान दिये जा रहे हैं, उनको चलाने के लिए, उनको आपरेट करने के लिए अमरीकी हवाई सेना के पाइलटों को लीज पर लेने की बात चल रही है। तो अब हथियारों का ही मामला नहीं है कि अमरीका पाकिस्तान को हथियार ही केवल दे रहा है बल्कि अब तो वह धीरे-धीरे अमरीकी फौजी प्रेजेन्स को स्थापित करता जा रहा है, धीरे-धीरे वहां की सेना के लोग भी पाकिस्तान आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अमरीका और पाकिस्तान का गठबन्धन हो रहा है, वह महत्वपूर्ण है और उसकी तरफ निगाह रखने की जरूरत है। अमरीका का यह कहना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा उन हथियारों को, अमेरिका भी जानता है कि यह बात गलत है और हम भी जानते हैं कि यह बात गलत है। यह तो एक डिप्लोमेसी की बात है कि हम कुछ सवाल करें, तो वे कुछ उसका जबाव दें। अभी समाचारपत्रों में था। नटवर सिंह जी वहां गये थे और यह भी कहा गया कि मान लीजिए अफगानिस्तान से रूसी सेनाएं हटाई जाती हैं, तो क्या अमरीका पाकिस्तान को हथियार देना बन्द कर देगा। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई ऐसा जबाव नहीं दिया कि वह हथियार देना बन्द कर देंगे बल्कि यह सजेसन है कि वे हथियार देना बराबर चालू रखेंगे। इसलिए भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, इस मामले में, वे स्पष्ट हैं और बहुत दिनों से स्पष्ट हैं और हम कितनी ही कूटनीतिक कार्यवाही करें, कितनी ही डिप्लोमेटिक कार्यवाही करें, अमरीका और पाकिस्तान के ये संबंध बदलने वाले नहीं हैं। इसका केवल एक ही उपाय है, इसका केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि हमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर विशेष जोर देना पड़ेगा। अभी शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो वर्तमान फौजी शासक हैं, उनके रहते पाकिस्तान और भारत के संबंध ठीक नहीं हो सकते, उनके रहते पाकिस्तान कभी भी हथियारों को लेने से इन्कार नहीं कर सकता और इन फौजी शासकों के रहते हुए पाकिस्तान अमरीका की एक फौजी छावनी बनने की तरफ बढ़ रहा है और वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और न हो सकता है। पाकिस्तान

का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब भी पाकिस्तान में फौजी शासक आए हैं, उन्होंने अमेरिका से और दूसरे स्रोतों से, साऊदी अरेबिया से, ईरान से और दूसरे स्रोतों से खतरनाक हथियार लिये हैं और भारत के हमले का हौवा दिखा कर वहां की जनता को भड़काए रखा है और दूसरी समस्याओं की तरफ से उनका ध्यान मोड़े रखा है। जब भी पाकिस्तान में जनतंत्र के स्थापित किये जाने के आन्दोलन हुए हैं, जब भी वहां की जनता के द्वारा पाकिस्तान में जनतंत्र स्थापित किये जाने के लिए संघर्ष हुए हैं, तब पाकिस्तान के फौजी शासकों ने भारत के हमले का वहां पर हौवा खड़ा किया है और उसके बाद अमेरिका से और हथियार मांगे हैं और अमेरिका से और फौजें मांगी हैं। पिछली बार जब अयूब खां वहां पर प्रेसीडेंट थे, तब भी यह हुआ और जब याहिया खां प्रेसीडेंट थे, तब भी यही हुआ। वहां पर आज भी यही हो रहा है। इसलिए यह उम्मीद करना कि आज जो वहां फौजी शासक हैं, उनसे बातचीत करके हम इस सब-कांटिनेंट को हथियारों की होड़ से बचा सकते हैं, मैं समझता हूं कि कतई नामुमकिन है, कतई ऐसी बात होना असंभव है। इसलिए हमको इंतजार करना पड़ेगा तब तक का जब तक कि पाकिस्तान में एक जनतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। पाकिस्तान में जनतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए, वहां के लोग आंदोलन चला रहे हैं, वहां के लोग कोशिश और संघर्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां आंदोलन कामयाब होगा और जनतांत्रिक सरकार बनेगी।

अभी जब विदेश नीति के सम्बन्ध में यहां मांगें आयी थीं तो मैंने उस समय भी कहा था कि श्री भुट्टो जब मिलिट्री शासन में विदेश मन्त्री थे तो उस समय वे भारत के साथ एक हजार साल तक लड़ाई की बात करते थे। लेकिन जब वही जुल्फिकार अली भुट्टो एक जनतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के प्रधान मन्त्री बने तो भारत के पाकिस्तान के साथ सबसे अच्छे संबंध थे। वैसे सम्बन्ध न पहले कभी थे और न उसके बाद कभी अच्छे सम्बन्ध रहे। शिमला समझौता भी तभी मुमकिन हो सका था जब वहां एक जनतांत्रिक सरकार थी और वहां एक जनतांत्रिक प्रधान मन्त्री था। जब तक वहां पर जनतांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं हो जाती तब तक भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध ठीक नहीं हो सकते।

उपाध्यक्ष जी, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं और आज भी उसको दोहराता हूं कि भारत को पाकिस्तान की जनतांत्रिक शक्तियों की मदद करनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार यह कहती है कि यह पाकिस्तान का अपना अन्दरूनी मामला है। हम भी यह मानते हैं कि यह पाकिस्तान का अन्गरूनी मामला है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के लोगों के एक विशेष सम्बन्ध है। भारत और पाकिस्तान कुछ ही दिन पहले दो अलग-अलग राष्ट्र हुए हैं। लेकिन हम और पाकिस्तान की जनता एक ही हैं। हम में और पाकिस्तान के लोगों में बहुत मतभेद करना ठीक नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के लोगों के जो आपसी सम्बन्ध हैं वैसे सम्बन्ध विश्व में शायद एकाध देश के ही होंगे, वरना और किसी देश में इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होगा।

आज फौजी शासन के खिलाफ वहां की जनता आवाज उठा रही है। ऐसे समय में भारत की सरकार और भारत के लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है हम पाकिस्तान के अपने भाइयों की सहायता करें। पाकिस्तान से फौजी शासन को हटाने के लिए वहां की जनता जो संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष में हम उसकी मदद करें। जब वहां फौजी शासन हटेगा, जब वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार आयेगी तो वह भारत को पाकिस्तान का दोस्त समझेगी और वह भारत

और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार के बारे में काम करेगी। तब वह पाकिस्तान के लिए खतरनाक हथियार लेने और पाकिस्तान को अमेरिका की फौजी छावनी बनाने के बारे में पुनः विचार करेगी। लेकिन जब तक तक पाकिस्तान में फौजी शासक हैं तब तक उनके बारे में हमको कोई भी खुशफहमी नहीं होनी चाहिए।

जिया-उल-हक एक बहुत अच्छे आदमी बनते हों, वे हमारे देश में आते हों, क्रिकेट मैच देखने के बहाने आते हों, लेकिन उनके दिल में वहां फौजी शासन कायम रखने की भावना है, अपना शासन करने की भावना है। इसके लिए वे यह जरूरी समझते हैं कि पाकिस्तान में भारत के लोगों के खिलाफ वे नफरत पैदा करें, भारत से पाकिस्तान पर आक्रमण का हौवा खड़ा करें। इस बहाने वे अमेरिका से सहायता और खतरनाक हथियार लें, अमेरिका की फौज को वहां इकट्ठा करें और यह प्रचार करें कि भारत पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। भारत में पाकिस्तान को खत्म करने की कभी भी कोई भावना नहीं रही है। भारत के नेताओं ने राजी-खुशी से पाकिस्तान की स्थापना कराई, भारत के नेताओं ने राजी-खुशी से पाकिस्तान के अस्तित्व को माना। कभी भी भारत की जनता और नेताओं की यह नीयत नहीं रही कि पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो। हम केवल यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, वे शांति और खुशी के साथ रहें। हम लोगों के पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और भाईचारे, दोस्ती के सम्बन्ध चले आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक साथ मिल-जुल कर आगे बढ़ें, तरक्की करें और एक दूसरे को खुशहाल बनाते हुए अपना जीवन बिताएं। हमेशा से यही भारत की मर्जी और मंशा रही है। जब भी फौज ने शासनतंत्र पर आक्रमण करके शासनतंत्र पर कब्जा किया है तभी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का एक वातावरण पैदा हुआ और जब भी पाकिस्तान के जनतांत्रिक नेताओं ने भारत के साथ राजी-खुशी चलने की कोशिश की तब फौज ने उनका तख्ता पलट दिया। बहुत पहले जब लियाकत अली खां पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री थे तब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को ठीक करने की कोशिश की और दोनों देशों को एक साथ मिलजुलकर चलने के लिए कहा तो उनका कत्ल किया गया। जुल्फीकार अली भुट्टो ने भारत के साथ संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की तो उनको किस प्रकार से फांसी दी गई, ये सब चीजें हम जानते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम कितनी ही चतुर कूटनीति का इस्तेमाल करें, न हम अमेरिका को रोक सकते हैं पाकिस्तान को हथियार देने से और न पाकिस्तान को रोक सकते हैं अमेरिका से हथियार लेने से। उनके मुकाबले के लिए हमको अपने भरोसे पर काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के द्वारा या किसी भी शक्ति के द्वारा अगर आक्रमण की स्थिति आए तो उसके बचाव के लिए अपना इंतजाम करना पड़ेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें परमाणु बम बनाने के बारे में अब देर नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। परमाणु बम का इस्तेमाल होगा कि नहीं यह अलग बात है। लेकिन परमाणु बम का मनोवैज्ञानिक असर जो देश की जनता और देश की सेनाओं पर पड़ रहा है, वह ठीक नहीं है। चीन से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और वह भी परमाणु बम रखे हुए है। लेकिन हमारे पास परमाणु बम नहीं हैं। इससे भारत की जनता और भारत की सशस्त्र सेनाओं में हताश होने की बात पैदा हो सकती है। इसलिए, अब सोचने विचारने की बात नहीं होगी और अब भारत को साफ ऐलान करना चाहिए और कोशिश करनी

चाहिए। मैं जानता हूं, भारत परमाणु बम बना सकता है और उसमें उसको बनाने की क्षमता है। इसलिए, अब परमाणु बम बनाने की साफ-साफ नीति बनानी चाहिए और उसमें देर नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के स्थाई संबंधों के लिए जैसा मैंने कहा तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान में जनतांत्रिक सरकार आये और जनतांत्रिक सरकार के लिए वहां की जनता जो संघर्ष कर रही है, उसको हर प्रकार से नैतिक बल भारत की जनता दे रही है और भारत की सरकार को भी देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

*डा० एस० जगतरक्षकन (चेंगलपट्टु) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत संसार में सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देशों में से एक है। अमरीका भी, जो कि क्षेत्रफल में हम से बड़ा है, एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिकी लोग भी भारतीयों की तरह लोकतांत्रिक आदर्शों व परम्पराओं से जुड़े हुए हैं, हालांकि कुछ कम उत्साह के साथ। हमारे संवैधानिक प्रावधान तथा आर्थिक नीतियां एक जैसी भले ही न हों, अमेरिकी प्रावधानों व नीतियों से कम से कम मेल तो रखती ही हैं। जहां तक लोकतांत्रिक आदर्शों को सम्पुष्ट करने की बात है, इन दो महान लोकतन्त्रों के मध्य लगभग मतैक्य है।

इन साम्यताओं के बावजूद, अमरीका भारत के माने हुए दुश्मन की खुलकर तथा छुप कर सहायता करता है। अमरीका पाकिस्तान को करोड़ों रु० मूल्य का सैनिक साज सामान देता है। पाकिस्तान लोकतांत्रिक आदर्शों व लोगों की इच्छा-स्वातन्त्र्य का विरोध करने वाला राष्ट्र है। इस प्रकार हम तो समझ नहीं पाते कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ऐसे देश को सैनिक सहायता क्यों देता है।

महानुभाव, अमेरिका अपने को हमारा मित्र बताता है। तथापि, इसकी कार्यवाही इसके प्रतिकूल होती है। यह हमारी दुश्मन सैनिक सरकार को सैनिक सहायता दे रहा है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घोषणा की है कि भारत परमाणु बम नहीं बनाएगा, पाकिस्तान परमाणु बम बनाने से बाज ही नहीं आ रहा है। अमेरीकी इस बात से अवगत हैं लेकिन वे पाकिस्तान को अवाक्स जैसे आधुनिक इलैक्ट्रोनिक उपकरण दिए जा रहा हैं। इन इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की सप्लाई को अमरीकी सीनेट विदेश सम्बन्ध समिति ने मंजूरी दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० जगतरक्षकन, आप मध्यान्ह भोजनावकाश के बाद भाषण जारी रख सकते हैं, अब हम भोजनावकाश के लिए सभा स्थगित करते हैं तथा 2 बजे हम पुनः समवेत होंगे।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

---

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

2.04 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोकसभा दो बज कर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भारत-अमरीकी सम्बन्धों के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० एस जगतरक्षकन, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

***डा० एस० जगतरक्षकन** : महोदय, कैनेडी और नेहरू दो महान राज नेता थे जिन्होंने मजबूत और सहृदपूर्ण भारत-अमरीकी सम्बन्धों के बीज बोये थे। उनके द्वारा स्थापित मैत्री हाल में लड़खड़ाने लगी है।

श्रीमन, हमें जब नेहरू जी का स्मरण होता है तो हमें एक पूरे खिले गुलाब की याद ताजा हो जाती है; गांधी जी का नाम लेने से हमें संयम और सादगी का स्मरण होता है। महान अंग्रेज राजनेता चर्चिल अपनी प्रसिद्ध घूम्रनली का स्मरण कराते हैं तो हिटलर अपनी मजाकिया मूछों के साथ स्मृति पटल पर आ जाते हैं। लेकिन जब अमरीका का विचार आता है तो अणु बम और इसके साथ जुड़ी महाप्रलय का दृश्य उपस्थित होता है। महोदय अमरीकी डालर की कीमत इस दुनिया के हर हिस्से में बढ़ रही है। लेकिन स्वयं अमेरीकियों, उनके जीवन व आचार मूल्य रसातल में जा रहे हैं। अमेरीकियों के वैभवपूर्ण दिन लद गए हैं। इस दुनिया में कोई भी शक्ति अब अमेरिकियों की परवाह नहीं करती क्योंकि अब उनके अन्तर्राष्ट्रीय विचार-व्यवहार में मानवीयता के लिए चिन्ता नहीं होती। इस सम्बन्ध में मुझे एक चुटकला सुनाने दें। एक स्कूल अध्यापक ने अपने एक शिष्य से पूछा कि उसे कौन-सा देश सर्वाधिक प्रिय है। लड़के ने उत्तर दिया उसे वियतनाम सबसे ज्यादा पसन्द है। विस्मित अध्यापक ने लड़के से आगे पूछा कि क्या उसे महाशक्ति अमरीका पसन्द नहीं है जोकि सर्वप्रथम चन्द्रमा पर पहुंचा। लड़के ने उसका एक शानदार उत्तर दिया कि जो अमरीकी चन्द्रमा पर पहुंचे, वे वियतनाम की एक इन्च जमीन भी नहीं ले सके। इसलिए उसे शक्तिशाली वियतनाम पसंद है। यह एक तरह का दुनिया भर में अमरीकियों से असन्तोष व उनके प्रति मोह भंग है।

महोदय, समाचार पत्र कहते हैं कि 650 करोड़ रु० मूल्य के एफ-7 लड़ाकू विमानों की सप्लाई के लिए अमरीका ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है। अभी तक पाकिस्तान को अमरीका से 2127 करोड़ रु० मूल्य की सैनिक सहायता मिल चुकी है। पाकिस्तान को पूरी तरह से शस्त्रों से लैस किया जा रहा है। इन अत्याधुनिक किस्म के हथियार प्राप्त करने का एक लक्ष्य है। मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि अमरीका भारत को ही लक्ष्य कर पाकिस्तान को सहायता देता है और उसे उकसाता है।

यह जानकर भी दुःख हुआ है कि अमरीकी सीनेट की विदेशी सम्बन्धों सम्बन्धी समिति ने भारत को दी गई विकास सहायता की धनराशि को घटाकर 50 लाख डालर से 35 लाख डालर कर दिया है। इस कटौती के पीछे षडयन्त्र है। यह हमारे प्रति अमरीका के रवैये का एक अशुभ संकेत है। इस सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि अमरीका भोले भाले तमिलों पर श्रीलंका सरकार द्वारा किये जाने वाले सभी जन संहार सम्बन्धी कार्यों की जड़ है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, सेना संबंधी नीति निर्धारकों का यह विश्वास है कि तीसरा विश्व युद्ध हिन्द महासागर में होने की संभावना है क्योंकि यह महाशक्तियों का एक अड्डा बनता जा रहा है। मुझे आशंका है कि यह सत्य हो सकता है।

महोदय, पाकिस्तान श्रीलंका में खुले रूप से राज्यीय आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। उन्होंने तो श्रीलंका की सरकार को यह आश्वासन भी दे दिया है कि वे तमिलों को जड़ से मिटा देने के लिये हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। वे पंजाब में विध्वंसकारी गतिविधियों का भी समर्थन करते हैं। वे आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं तथा उन्हें राजनीतिक शरण भी देते हैं।

अतएव, हमें सतर्क हो जाना चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। हम इस सम्बम्ध में विलम्ब को सहन नहीं कर सकते हैं। हमें विश्व के सामने यह सिद्ध कर देना चाहिए कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। अतएव, हमें बिना कोई विचार किए परमाणु बम्ब बनाना चाहिए। इस मामले पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, तमिलों पर श्रीलंका सरकार के अत्याचार दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें महाशक्तियों का हाथ है। इन देशों के साथ शांति की बात करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। आप एक कसाई को अहिंसा का उपदेश नहीं दे सकते हैं। आपको ताकत के साथ बोलना चाहिए। अतएव, मेरा सरकार से आग्रह है कि वे श्रीलंका के जातीय मामले पर शीघ्र निर्णय लें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं यह प्रस्ताव लाने के लिए अपने साथी श्री सैफुद्दीन चौधरी का धन्यवाद करती हूं, जो स्थिति का पुनः आकलन करने के लिए यहां हो रहे वाद-विवाद के महत्व का है। मेरे लिए यह पुनः आकलन का मामला नहीं है, यह अनुभवों का पुनः समर्थन है और इसे इस धमकी का सामना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अब मैं हमारे युवा प्रधान मन्त्री के 23 मास पहले काफी सुख भ्रांति के साथ किये गये संयुक्त राष्ट्र अमरीका के दौरे का स्मरण कराऊंगी। वास्तव में दो महान प्रजातंत्रों के अनुभवों का लाभ उठाने के बारे में वहां काफी बातें की गई थी, और काफी धन खर्च करके भारत उत्सव का आयोजन करके अमरीका पर प्रभाव डालने के लिये काफी प्रयास किये गये थे। वहां एक ऐसा वातावरण था कि हमारी सरकार वास्तव में यह आशा कर रही है कि भारत के प्रति अमरीका के रवैये में काफी कुछ परिवर्तन होगा। परन्तु, महोदय, मुझे यह कहना चाहिए कि तेन्दुआ कभी अपना रंग नहीं बदलता है, यह तो एक कहावत है जिसे समझा जाना चाहिए था। मेरी राय में उस मामले में भारत सरकार की वह कमजोरी है और संभवतः विपक्ष के काफी सदस्यों को भी इस बात की जानकारी है। दौरे के बाद क्या मिला यह हर व्यक्ति जानता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे अन्य साथियों, जो पहले बोल चुके हैं, ने इसका जिक्र किया है।

मैं इन सभी सुख भ्रान्तियों की निम्नलिखित घटनाओं का शीघ्रता से जिक्र करूंगी।

पाकिस्तान को एफ-16; भारी टैंक, भारी होवित्जर, हरपून मिसाइल्स, प्लेसर गाइडिड कॉपर हैड आर्टीलरी; अवाक्स; ई-2-सी वायुयान; इलैक्ट्रानिकी आसूचना देख रेख (इंटेलिजैन्स मानीटरिंग) का पुनर्ग्रहण और स्मिगटन संशोधन को समाप्त करके 40010 लाख डालर की

मिलटरी सहायता और वास्तव में पाकिस्तान को परमाणु के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना और तत्पश्चात् भारत पर एन० पी० टी० हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालना। संक्षेप में मैंने इन परिणामों का विवरण दिया है जो हमें दो महान प्रजातंत्रों के अनुभवों का लाभ उठाने से प्राप्त हुए हैं।

महोदय, सामान्यतया इसे सभी जानते हैं और कई वक्ता भी यह जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान को दिए गए इन सभी बड़े हथियारों तथा भारी सैनिक सहायता, यद्यपि ये अफगानिस्तान में रूस की कथित गतिविधियों को समाप्त करने के नाम से दिए गए हैं, का उपयोग समय आने पर भारत के विरुद्ध किया जा सकता है और किया जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अतएव, हमें इस बारे में हमेशा के लिए स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हम अमरीकी साम्राज्यवाद से क्या आशा करते हैं और तदनुसार कार्य करना चाहिए।

महोदय, अब मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊंगी। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री अक्तूबर, 1949 में संयुक्त राष्ट्र अमरीका गए थे। वहां हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव्स तथा सीनेट को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था—आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस ट्रिप को भी खोज यात्रा की संज्ञा दी गई थी। इसमें पंडित नेहरू ने कहा था—

> "मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमरीका का महान प्रजातंत्र समान समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को समझेगा।

उन्होंने यह आशा की थी। वहां से आने के बाद और वहां जो कुछ हो हो रहा था उसका पता लगने के बाद उन्होंने उसी वर्ष 1949 में इस प्रकार उसका वर्णन किया था :

> "उन्होंने हर प्रकार से मेरा स्वागत किया। परन्तु वे मुझसे कृतज्ञता और सद्भावना से कुछ ज्यादा की आशा करते थे और मैं उन्हें और क्या दे सकता था।"

उन्होंने कृतज्ञता तथा सद्भावना से कुछ ज्यादा आशा की थी और उनसे ऐसा चाहा था जो वे न दे सकते थे। वे क्या नहीं दे सकते थे वह बाद की घटनाओं से बिल्कुल स्पष्ट है।

अमरीका ये सब बातें विश्व पर प्रभुत्व जमाने की अपनी कायम नीति के कारण कर रहा है। विश्व पर प्रभुत्व जमाने की नीति से इसने निर्णय लिया है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा इसी नीति के द्वारा इसने पहले यह प्रयास किया कि भारत को भी तथाकथित एशिया सुरक्षा के अन्तर्गत लाया जाये जो वे चाहते थे। फिलीपीन में 1951 में एक सम्मेलन हुआ था जहां उन्होंने एशिया की सुरक्षा चाही थी। भारत ने इसका विरोध किया था और उसको स्वीकार नहीं किया था। पाकिस्तान ने उस बात को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उन्होंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि वे इन दो देशों के प्रति कैसा वर्ताव करेंगे।

इसके बाद, 1951 में ट्रूमैन ने पाकिस्तान के बारे में इस प्रकार कहा था।

> "पाकिस्तान पूर्व में अपने पड़ोसी देशों में स्थिरता प्रदान करने में शक्तिशाली और प्रगति-शील तथा एक महत्वपूर्ण कारक है।"

तत्पश्चात् पाकिस्तान सी० ई० एन० टी० ओ० (सेन्टो) तथा एस० ई० ए० टी० ओ०

(सीटो) में शामिल हो गया। कश्मीर के प्रश्न पर उन्होंने कैसा बर्ताव किया है? उसी विश्व व्यापी नीति के साथ वे कश्मीर के प्रश्न पर बर्ताव कर रहे हैं। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। ये सभी आम जानकारी की बातें हैं। किन्तु इससे कुछ सबक सीखने की भी आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या यह सब संयोग मात्र था। जी, नहीं। यह अमरीकी साम्राज्यवाद की विश्वव्यापी नीति का एक अंश है। इसीलिए वे ये सब बातें करते चले गये। जिन-जिन मुद्दों पर हमारे उनसे मतभेद हुए हैं और कई अवसरों पर हमारा उनसे मतभेद हुआ था वे अपने बर्ताव में बिल्कुल स्पष्ट थे।

केवल यही बात नहीं है कि ये बातें पंडित नेहरू के समय में हुई थीं। हमें वह तथ्य याद है कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने अमरीका द्वारा वियतनाम पर की गई बम्बबारी की हल्के शब्दों में आलोचना की थी, संयुक्त राष्ट्र अमरीका को जाने के लिये उनके आमंत्रण को अनौपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया था। इसलिए ये बातें नेहरू और शास्त्री के समय में हुई थीं।

श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भी उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। उन्होंने उन्हें एक कठोर महिला बताया। वस्तुतः उन्होंने पंडित नेहरू को एशिया के एक मन्सूबावादी आदि की संज्ञा दी थी।

लेकिन बाद में क्या हुआ? दोनों भारत-पाक युद्धों में उन्होंने किसकी तरफदारी की? पाकिस्तान की। तब बाद में भी 1972 के भारत-पाक युद्ध में श्री जैक एन्डरसन ने अमरीकी सीनेट की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक से सम्बन्धित एक ज्ञापन को सार्वजनिक बना दिया था। वहां उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा की कि वाशिंगटन ने भारत-पाक युद्ध में सक्रिय हस्तक्षेप की योजना बनाई थी। सक्रिय हस्तक्षेप किसके पक्ष में? अमरीकी विश्व नीति पाकिस्तान की पक्षधर रही है। अतः वे सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहते थे। सौभाग्यवश कई अन्य घटनाएं हो गईं इसलिए उस सक्रिय हस्तक्षेप को रोका जा सका। मुझे बंग्ला देश युद्ध को दोबारा याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र अहिंसा की नीति ने ही स्थिति को विस्फोटक होने से नहीं रोका। जहां तक मुझे याद है, अमरीकी युद्ध बेड़े के बिल्कुल पीछे रूसी युद्ध बेड़ा था और उसका ठोस प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, 1965 के भारत-पाक युद्ध में भी अमरीकी साम्राज्यवादियों ने भारत को तेल की सप्लाई और अतिरिक्त पुर्जों आदि की सप्लाई कम कर दी। अतः सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर अमरीका साम्राज्यवादी सरकार का यही व्यवहार रहा है चाहे वे कथित उदारवादी हों या रीगन जैसे बड़े बाज। सामान्यतः हमारा यही अनुभव रहा है। सैन्य-क्षेत्र में ऐसा हुआ। आर्थिक क्षेत्र में भी स्थिति बहुत भिन्न नहीं है। मैं हाल की घटनाओं का जिक्र बाद में करूंगी। मुझे पी०एल० 480 की बात याद है। हम जानते हैं कि पी० एल०-480 की आड़ में, वे किस प्रकार प्रभाव डाल रहे थे कि किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना। सत्ताधारी दल के सदस्यों में भी कुछ को हराने के लिए सी० आई० ए० ने भारी धन खर्च किया। अतः यह कम्युनिस्टों का ही सवाल नहीं है, यही बात सत्ताधारी दल में भी हुई। अतः सैन्य, आर्थिक और राजनैतिक सभी क्षेत्रों में अपने विश्व व्यापी हितों के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद का यह षड्यन्त्र रहता है। उनकी नीति सभी क्षेत्रों में प्रभुत्व जमाने की है और यही मामले का सार है। जहां तक भारत का सवाल है, मुस्कराते चेहरे या अन्य लोकतांत्रिक देश के साथ हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार हमारे लिए सहायक नहीं होगा। हमें सख्त रवैया अपनाना होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : समान विचार ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : समान विचार की भावना को निरर्थक किया जा चुका है परन्तु साथ-साथ इस ओर अथवा उस ओर बैठे कुछ लोगों में से कुछ को अमरीकी साम्राज्यवादी नीतियों के वास्तविक स्वरूप के बारे में कहीं न कहीं कुछ भ्रम अवश्य होगा। मैं इस बात को दोहराती हूं कि भारत के हित में, विश्व शांति के हित में, हमारे स्वतंत्र विकास के हित में उन्हें इस भ्रम से स्वयं को मुक्त करना चाहिए और आज समय की मांग यही है, इससे न्यूनाधिक कुछ नहीं। यही मेरा प्रथम निवेदन है।

सैन्य क्षेत्र के विषय में यह स्थिति है। आर्थिक क्षेत्र में क्या है ? शायद राजीव गांधी ने सोचा होगा कि हमें 21वीं शताब्दी के लिए न केवल उच्च प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में बल्कि सैन्य क्षेत्र में भी सम्पर्क करना चाहिए। इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए और सभी यह जानते हैं कि उनके क्या प्रभाव हुए। इस आशा से कि वे उदार हो जाएंगे, हमने अपनी नीतियों, आर्थिक नीतियों तथा निर्यात नीति को उच्च प्रौद्योगिकी, पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन के नाम से सुपर कम्प्यूटर के लिए उदार बनाया और अब यह प्रतीत होता है कि सुपर कम्प्यूटरों को चलाने के लिए अमरीकी व्यक्ति रखने होंगे। पिछली अनेक नीतियों में, पूर्णतया नहीं तो कहीं-कहीं कुछ-कुछ झुकाव था। इस विश्वास से कि कुछ शुरूआत की जा सकती है, प्रयास किए जा सकते हैं परन्तु उनका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। परन्तु दूसरी ओर परिणाम हमारे प्रतिकूल रहे जैसा कि मैं शुरू में कह चुकी हूं कि पाकिस्तान को हथियार देने की हाल की कार्यवाही। जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे व्यवहार का सम्बन्ध है, अनेक सवाल पैदा हुए हैं। मैं इस विचार से सहमत हूं कि निश्चित रूप से पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमें हर सम्भव तरीके से उसके साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु मैं एक बात के बारे में निश्चित हूं और मैं माननीय सदस्य श्री जैनुल बशर से सहमत हूं। श्री शहाबुद्दीन ने एक मुद्दा उठाया कि पाकिस्तानी शासक भी देशभक्त हैं। मैं मानती हूं कि पाकिस्तान में लाखों देशभक्त हैं। परन्तु मैं यह नहीं मान सकती कि पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही, जो पाकिस्तानी जनता की शत्रु के रूप में कार्य कर रही है, द्वारा देशभक्ति के विचार परिलक्षित हो रहे हैं। हमें पाकिस्तान की जनता से अधिक सम्बन्ध स्थापित करने हैं। हमारी कूटनीति का यह महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए। इस बात को मैं मानती हूं। जहां तक आणविक स्वेच्छा का सम्बन्ध है, अमरीका इस बारे में क्या कहना चाहता है ? वे उन्हें पहले ही बम्ब दे चुके हैं। परन्तु वे हमसे परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी सन्धि करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले हमला करने के लिए तैयार रहे। अब, हम इसका कैसे मुकाबला करेंगे ? कुछ मित्रों ने कहा है कि हमें परमाणु हथियार बनाने चाहिएं। परन्तु मेरे विचार में ऐसा करने से पहले हमें कई बार सोचना होगा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था यह भार उठाने की स्थिति में नहीं है। यह स्वाभाविक है। मेरे विचार में इसका सैद्धिक समाधान नहीं निकाला जा सकता। विश्व भर को यह विदित है कि हमारे देश में और पड़ौसी क्षेत्र में पनप रहे शान्ति अभियान को एशियाई सुरक्षा के लिए समर्थन देना होगा। प्रस्तावित अभियान को अमरीकी विरोध के बावजूद अत्यन्त कूटनीति समझबूझ से तेज करना होगा।। मेरे विचार में यही सही उत्तर होगा। परमाणु हथियार अर्जित करना उत्तर नहीं है। परन्तु अमरीका का अपना हित है और वह चाहता है कि हम परमाणु हथियार न बनायें। उनकी मंशा बहुत साफ है। मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। परन्तु मेरी भिन्न धारणा है। यह इस

समय यह सैन्य पक्ष है तो आर्थिक पक्ष की क्या स्थिति है ? दो महान लोकतांत्रिक देशों की साझी धारणा क्या है ? जब तक समान विचार नहीं होते तब तक शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।

हम कम्पूचिया को मान्यता दे चुके हैं। वे इसके विरुद्ध हैं। हमने सहाराई अरब लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता दे दी है, वे इसके विरुद्ध है। हम ए० एन० सी० की सहायता तथा दक्षिण अफ्रीकी सरकार के विरुद्ध प्रभावी घाटबन्दी के पक्षधर हैं, जबकि वे इसके विरोधी हैं। हम पी० एल० ओ० को सहायता देने के पक्ष में हैं परन्तु वे इसके विरुद्ध हैं। इन सभी बातों के लिए उन्होंने हमारी सरकार के पास किसी न किसी रूप से हमारी कार्यवाही की निन्दा के लिए स्मरण पत्र भेजे हैं। अतः राजनैतिक क्षेत्र में हमारे विचार भिन्नहैं क्योंकि हमारे हित भिन्न हैं। भिन्न हितों के आधार पर विभिन्न मत बनते हैं। इन दोनों को एक साथ रखने का प्रयास करने और कहने का कोई उपयोग नहीं है कि हमारी समान विचारधारा है। इसलिए, महोदय, मैं कहूंगा कि हो सकता है कि कुछ लोग महसूस करते हों कि अमरीका के साथ अधिक कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मेरा कहना है, 'नहीं' सरकार की कूटनीतिक असफलता यह है कि वे गलत सोचते हैं कि अमरीका अपनी नीति बदलेगा। कूटनीतिक असफलता, यदि होती है तो, मित्र देशों को एकत्र करने के अपर्याप्त प्रयास से होती है।

महोदय, मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि आयात नीति को उदार बनाने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने से कोई सहायता नहीं मिली। आप अस्थिरता की बात करते हो। क्या ये बहुराष्ट्रीय अभिकरण अस्थिरता की दिशा में कार्य नहीं करेंगे ? चिली में आई० टी० टी० ने क्या किया जोकि एक बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन है जिसने एलंडे को हटाने में भूमिका निभाई ? यदि आप दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए उसी आई० टी० टी० को ला रहे तो आप हमारे देश में आक्रमण के लिए अस्थिरता फैलाने वाली शक्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं। परन्तु मैं अस्थिरता फैलाने वाले षडयंत्र से सदैव ही जागरूक हूं। हमारे देश में यह षडयंत्र चल रहा है। परन्तु जहां तक आपका सम्बन्ध है, सरकार पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तभी केवल आपको अस्थिरता की याद आती है। महीने भर में क्या होता है ? वर्ष भर क्या होता है ? वर्ष-प्रतिवर्ष क्या होता है ? आप दोनों महाशक्तियों से बराबर दूरी रखने की बजाय, उनके विचारों को समझने की बजाय जनता को साम्राज्यवादी योजना की जानकारी क्यों नहीं देते ? मैं आप पर आरोप लगाती हूं कि आप बुरे को बुरा नहीं कहते। विश्व शान्ति के लिए अमरीकी प्रशासन को ही मुख्य खलनायक की संज्ञा न दें। इससे आप कूटनीतिक लड़ाई जीत पाएंगे।

महोदय, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगी कि इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में हमने क्या हासिल किया ? विश्व बैंक ऋण तथा आई० डी० ए० कोटा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें जो हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वाणिज्यिक ऋण लेने पर बाध्य करती हैं, तथा भारतीय आयात को अवरुद्ध करती हैं इन सबसे बड़ी बात है सुपर कम्प्यूटर जिनके संचालन के लिए अमरीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अतः महोदय मैं सरकार से अपील करती हूं कि वह भारत के लाभ के लिए तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व शान्ति के हित में पूर्णतया वस्तुपरक एवं ऐतिहासिक रूप से साधन सिद्ध मार्ग ही अपनाए। अमरीका की और हथियारों

अथवा सुपर कम्प्यूटरों के लिए न दौड़ें। हमारा देश गुटनिरपेक्ष है और गुटनिरपेक्षता में यह निहित है कि आप साम्राज्यवाद को साम्राज्यवाद कहें। अन्यथा गुटनिरपेक्षता निरर्थक हो जाएगी। हमें विश्व के सभी देशों से और सोवियत संघ से अपनी मित्रता बढ़ानी चाहिए। हमें इस क्षेत्र में विभिन्न कूटनीतिक पहल से बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करने चाहिये। जहां तक आर्थिक नीतियों का सम्बन्ध है आप उदार बनाने के नवीन विचारों को तथा कथित उच्च प्रौद्योगिकी के लिए अमरीका के पीछे दौड़ना छोड़ दें।

महोदय, मैं अपने मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी के इस विचार का समर्थन करती हूं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में अमरीकी साम्राज्यवादी नीति, जो हमारे देश के बिल्कुल विरुद्ध है की निन्दा सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकार किया जाए।

हमें एक बार फिर से यह बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि हमें डराया धमकाया नहीं जा सकता है। हमें दूसरों की हां में हां नहीं मिलानी चाहिए, जो बात है कह देनी चाहिए। ऐसे संकल्प पारित करके हमारी संसद को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस बात की प्रसन्नता है सभा में किसी ने भी ऐसी निराशा व्यक्त नहीं की है कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लेने चाहिएं। श्रीमान, चौधरी ने सलाह दी है कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका के साथ कड़ा रुख अपनाना होगा। मैं यह सलाह नहीं दे रहा। किन्तु मुझे केवल सभा के समक्ष वह मूल्यांकन पेश करना है जो मि० गोर्बाचेव ने भारत के समक्ष रखा था जब वे यहां आये थे। प्रेस सम्मेलन में लोगों ने उनसे संयुक्त राज्य द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने के बारे में पूछा था और यह भी पूछा था कि इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर बहुत अर्थ पूर्ण है। मि० चौधरी आपके समझने के लिए उसे मैं यहां रख रहा हूं (**व्यवधान**) मैंने समझ लिया है और बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। आपने अधूरा समझा है आपको इसे पूरा समझना होगा। साम्यवादी आंदोलन में अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न किया जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान के सैनिकीकरण के प्रति मि० गोर्बाचेव की प्रतिक्रिया पूछी गयी थी। श्री गोर्बाचेव ने उत्तर दिया है :

> "सोवियत संघ, भारत और पाकिस्तान हम सब पड़ौसी हैं और मैं सोचता हूं, पड़ोसियों को हमेशा शान्ति से रहना चाहिए और परस्पर समझ से एक दूसरे के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए आपस में सहायता करनी चाहिए।"

हमें निहितार्थ समझना चाहिए। उन्होंने आगे कहा—

> "हम पाकिस्तानी लोगों के साथ अच्छे, सहृदय संबंध रखना चाहते हैं और ऐसे संबंध बनाने के लिए हमें तरीके ढूंढने चाहिए। दूसरे रास्ते ऐसे हैं जिनके परिणामों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और हमें यह बात याद रखनी चाहिए। मैं समझता हूं, पाकिस्तान सरकार पर यह बात पूरी तरह लागू होती है।"

इसका क्या मतलब है? कुछ लोग इससे बढ़ कर अलग ही अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं "सोवियत संघ ने पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया बदल दिया है। अब सोवियत संघ

भारत का उतना पक्षपाती नहीं रहेगा जितना पाकिस्तान का। किन्तु मैं वक्तव्य के आशय को सकारात्मक मानता हूं। आशय है विवाद के क्षेत्रों को सीमित करना। शान्ति के लिए आन्दोलनात्मक कार्यवाही को बल देने का प्रयास है। एक ऐसे सीमित क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास है जहां हम दोनों सहमत हों। वक्तव्य का यह सकारात्मक पक्ष है। मैं दूसरे ढंग से नहीं पढ़ता अर्थात् यह भारत से अधिक पाकिस्तान के पक्ष में है। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि यदि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो सोवियत संघ या तो तटस्थ रहेगा या पाकिस्तान का साथ देगा या भारत का साथ नहीं देगा।

मैं वक्तव्य से ऐसा आशय नहीं लेता हूं। समग्र रूप से दृष्टिकोण यह है। हमें इसकी समीक्षा इसी पृष्ठभूमि में करनी है। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ सम्बन्धों और पाकिस्तान सरकार के साथ सम्बन्धों में अन्तर बताया है। मैं हमेशा सरकार को यह सलाह देता हूं और श्री चौधरी जानते हैं कि हमें पाकिस्तानी लोगों के साथ मित्रता बनानी चाहिए। पाकिस्तान सरकार और इसके नेतृत्व के एक पक्ष का अंदाजा आप 'सीटो' से 'एन० ए० एम०' (गुट निरपेक्ष आन्दोलन) तक पाकिस्तान द्वारा अपनाये गये रुख से लगा सकते हैं। 'सीटो' जो कि एक मिलिटरी ब्लाक है, की सदस्यता से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने तक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मापदण्डों का अनुपालन नहीं कर रहा है। किन्तु वह अलग पहलू है। किन्तु सकारात्मक और व्यापक पहलू यह है कि यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ है। भारत की विदेश नीति की यह एक बड़ी सफलता है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत विश्व शक्तियों को दूर नहीं रख सका है। मेरा कहना यह है कि क्या यह सच नहीं है कि भारत की विदेश नीति ने बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। हो सकता है यह पूर्ण सफलता न हो। बड़ी शक्तियां भारत का कहना क्यों मानेंगी ? किन्तु सच तो यह है कि अब भी पाकिस्तान अस्त्र शस्त्रों के सौदे इसलिए नहीं कर रहा कि वह भारत से अपनी प्रतिरक्षा करना चाहता है बल्कि यह सोवियत संघ जैसी बड़ी शक्ति से प्रतिरक्षा करने के ऐसा कर रहा है। विश्व में कोई भी विश्वास नही करेगा कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला करेगा। इसलिए क्या भारत ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रो से यह नहीं कहा है कि विश्व शक्तियों को हिन्द महासागर से दूर रखो।

श्री नारायण चौबे (भिवनापुर) : संयुक्त राज्य अमरीका का साम्राज्यवाद दूर रखा जाना चाहिए।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं अब संयुक्त राज्य अमरीका के साम्राज्यवाद की बात पर ही आ रहा हूं। सामान्य शब्दावली में चतुर्वेदी शब्द ही चौबे बन गया है। स्थिति यह है। श्री सैफुद्दीन चौधरी ने कहा कि हमें अमरीका के प्रति और कड़ा रुख अपनाना चाहिए। आप अमरीका कहते हैं क्योंकि कुछ निश्चित स्थितियों में उन्होंने कुछ कार्यवाहियों का जिक्र किया है, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाओं का, जो संयुक्त राज्य अमरीका ने कुछ विशेष परिस्थितियों में कीं। वह हमारे लिए काफी प्रतिकूल थीं किन्तु फिर भी हमें संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों के साथ संबंध बनाने चाहिए। हमें उन सीमाओं तक संबंध बनाने चाहिए जहां तक हम सहमत हैं। मतभेद काफी अधिक है। क्या हमने कभी संयुक्त राज्य अमरीका को उपकृत करते हुए किसी भी क्षेत्र में संयुक्त राज्य के प्रभाव या दबाव से अपनी नीतियों से समझौता किया है। (व्यवधान) संयुक्त

राष्ट्र संघ की वोटिंग पद्धति में जहां हमारी मूलभूत नीतियों संबंधी महत्वपूर्ण मामलों का संबंध है, क्या हमने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौता किया है ? जहां तक गुटनिरपेक्ष मामले का सवाल है हमारी उत्तर दक्षिणी देशों के साथ आर्थिक पहलुओं पर बातचीत, हमारी नई सूचना प्रणाली और अन्य बातों का सम्बन्ध है, हमने किस मामले पर उनकी बात मानकर समझौता किया है ? संयुक्त राज्य अमरीका ने यह नियम सा बना लिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश भी इसकी सहायता करता है उसे अधिक सहायता मिलेगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं ? स्वाभाविक ही समझौते का कोई प्रश्न नहीं उठता। सीमित क्षेत्र में ही हम सहयोग कर सकते हैं, आपस में मिलकर कार्यवाही कर सकते हैं, विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और मित्रता पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में विश्लेषण करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसे लोग भी हैं जो सोवियत विरोधी अधिक हैं बजाय भारत सरकार के।

जिस दिन पाकिस्तान के लिये राजदूत के मनोनयन की पुष्टि का मामला सीनेट में आया तो एक सीनेटर ने निरपेक्ष रूप से कहा कि उग्रवादी भारत सरकार के बजाय सोवियत विरोधी अधिक हैं। अतः हम उनका समर्थन करते हैं। और यही नहीं। यह आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान की सीमा पर सैनिक गतिविधियां केवल सिक्खों को दबाने के लिए की गई हैं। मैं चाहूंगा कि विदेश मन्त्री सभा के समक्ष इस बात पर प्रकाश डालें कि क्या इस प्रकार के प्रचार का खण्डन करने के लिए और संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों को बताने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि सीनेटर ही पूरा अमरीका है। कुछ लोग हैं जो भारत विरोधी अमरीकी नीति के खिलाफ दबाव डाल रहे हैं।

मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरबत खालसा के उग्रवादियों ने 2 नवम्बर, 1986 को स्वर्ण मन्दिर में, अपने एक प्रस्ताव में श्री विलियम लिप्पम, श्री जी० वी० चेम्पी तथा श्री डान ब्रूटम की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने भारत के उग्रवादियों की हिमायत की थी। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि यह सीनेटर पूर्ण रूप से अमरीका के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा इस सम्पूर्ण स्थिति का विश्लेषण अवश्य किया जाए। एक अन्य बात भी है। जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका का सम्बन्ध है, जैसा कि सब लोग मानते हैं, हमें अमरीका के लोगों से अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिए। अमरीका का संविधान एक महान संविधान है। यह विश्व के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। इस संविधान में मानव की स्वतन्त्रता को प्रतिष्ठापित किया गया है। इससे सम्पूर्ण मानव जाति को प्रेरणा प्राप्त होती है। हमें पता है कि उस देश में स्टेन बैंक को किस प्रकार जलाया गया था, जो कि एक महान् कवि था और जिसने उस देश में 'द ग्रेपस आफ रैथ' पुस्तक लिखी थी। इसके अतिरिक्त अंकल टॉमस केबिन भी उस देश में लिखी गई थी। अतः हमें उन लोगों से विमुख नहीं होना चाहिये। अपितु, हमें इस सम्बन्ध में चौकस रहना चाहिये। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें उनके साथ कहां सहमत और कहां असहमत होना चाहिए। एक बात और है, जहां कहीं भी संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के सम्बन्ध, विश्व नीति से मेल नहीं खाते हैं, तो विश्व नीति की ही बात रखी जायगी, भारत के हितों को नहीं देखा जायगा। यह एक खास मुद्दा है।

अब मैं 'अवाक्स' के विषय में बोलना चाहता हूं। 'अवाक्स' के बारे में बहुत सी बातें की जा रही है। यह क्या समस्या है। अमरीका पाकिस्तान को 'अवाक्स' देने के लिए शत-प्रतिशत सहमत है। परन्तु समस्या यह है कि पाकिस्तान के पास न तो इनके रख-रखाव के लिए यन्त्र हैं और न ही इनकी देख रेख के लिए कार्मिक हैं । अतः अमरीकी कार्मिक अवश्य ही 'अवाक्स' के रख-रखाव के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने तथा प्रारम्भिक स्थिति में 'अवाक्स' के संचालन के लिए पाकिस्तान जायेंगे। इससे समस्या उत्पन्न होगी। अब, ऐसी स्थिति में सोवियत रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किये बिना ही भारत पर अहसान कर रहे हैं। इससे कुछ कानूनी उलझनें भी उत्पन्न होंगी—मेरा मतलब है कि 'अवाक्स' के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सहायता प्रदान करने से समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इसका अर्थ है कि 'वार पावर एक्ट' के अन्तर्गत जब किसी प्रदेश में युद्ध चल रहा होता है—उदाहरण के लिए मान लीजिए अफगानिस्तान अथवा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा हो, यद्यपि इस समय इन देशों में युद्ध नहीं चल रहा है, परन्तु फिर भी इन देशों में काफी तनाव है—अमरीकी कार्मिक इन क्षेत्रों में नियुक्त नहीं किये जा सकते। अतः उनके मार्ग में यह अधिनियम बाधक है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस के सम्बन्ध भी इसमें बाधक हैं। इसलिए हमें इस मामले के गुण-दोषों पर विचार करते हुये इन सभी प्रश्नों की जांच करनी है, न कि हमें अलगाव वादी दृष्टिकोण से मामले का विश्लेषण करना है।

मैं मामले के दूसरे पहलू पर आता हूं। श्री चौधरी ने सम्पूर्ण स्थिति को नहीं, अपितु स्थिति के एक पहलू की सराहना की है। मैं उनके समक्ष और सभा के समक्ष यह प्रस्तुत कर रहा हूं कि चीन की भूमिका क्या है। डा० पाल लेरेन्थिल, जो वाशिंगटन के नाभिकीय नियन्त्रण संस्थान के अध्यक्ष हैं, ने बताया है···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह इंडो-चीन पर वाद-विवाद नहीं हो रहा।

श्री बृजमोहन महन्ती :यह विशेष रूप से भारत चीन के बारे में नही है, अपितु सम्पूर्ण स्थिति के बारे में है। पाकिस्तान और चीन के प्रश्न पर विचार किए बिना किसी ने भी अमरीका की नीति पर विचार नहीं किया। प्रश्न यह है कि हम सम्पूर्ण साम्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं। चीन सरकार द्वारा खुले रूप से की गई कार्यवाही का ध्यान किए बिना हम अब भी चीन के साथ मित्रता के लिए तैयार हैं। हम उन क्षेत्रों में दोस्ती के लिए तैयार हैं, जहां हम एक दूसरे से सहमत हैं। फिर उस बात की ओर आते हुए बताता हूं, वाशिंगटन के नाभिकीय नियन्त्रण संस्थान के अध्यक्ष डा० पाल लेरेन्थिल ने कहा है कि चीन पाकिस्तान को आणुविक हथियार बनाने के डिजाइन की जानकारी प्रदान करता है। बी० बी० सी० ने भी इस बारे में सूचना दी है। यह मामले का एक पहलू है। हम इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते। शायद सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बदल जाए, न केवल इस देश में अपितु सारे विश्व में, क्या चीन ने शान्ति आन्दोलन में सकारात्मक भूमिका अदा की है। मैं चाहता हूं कि श्री चौधरी और उनके मित्र चीन को सही सलाह दें और चीन उसी के अनुरूप नीति तैयार करे। मैं पेन्टागन पेपर में से एक बात प्रस्तुत कर रहा हूं। चीन का उल्लेख करते हुए पेन्टागन रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य साम्यवादी देशों की तुलना में चीन को पश्चिम देशों तथा जापान से उच्च प्रौद्योगिकी का सामान अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब आप हमें कैसे सलाह दे रहे हैं ?···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मैं इसमें एक अन्य बात और जोड़ सकता हूं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :श्री चौधरी, कृपया इसे रहने दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी :क्या आप अपनी बात यहीं समाप्त कर रहे हैं ?

श्री बृज मोहन महन्ती : नहीं। मेरा तो समय समाप्त हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे समर्पण नहीं कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप मेरा समय ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय निश्चित है। जब आपका समय आये तब आप बोलिए। अब कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और धारणा बन रही है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने अपने हित साधने के लिए चीन का उपयोग करने का प्रयास किया था, किन्तु अब उन्होंने देखा कि चीन अपने काम के लिए संयुक्त राज्य अमरीका का उपयोग कर रहा है···।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने समर्पण नहीं किया है कृपया बैठ जाइये ···। **(व्यवधान)**

श्री बृजमोहन महन्ती : कृपया मेरी बात सुनिए। जिस दिन विश्व के शान्ति आन्दोलन में चीन को सक्रिय रूप से शामिल कर लिया जायेगा, उस दिन वातावरण ही बदल जायेगा। समाजवादी देश अब विभक्त हो गए हैं। **(व्यवधान)** मेरा कहना यह है कि आप मित्रगण चीन को शांति आंदोलन में लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें।

अब मैं दूसरे पहलू की बात करूंगा। मैं विदेश नीति की सफलता की बात बताता हूं। क्या आप उस घटना के बारे में जानते हैं जो यू० एन० ओ० में हुई थी ? वह यह है कि एक सिख समूह यू० एन० की मान्यता प्राप्त करने में असफल रहा। 'सिख कामन वेल्थ' नाम के एक संगठन अथवा संघ ने यू० एन० ओ० से मान्यता प्राप्त करनी चाही थी। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ ? विश्व के सभी देशों ने इसका विरोध किया। श्रीलंका साईप्रस, फ्रांस, क्यूबा, मालवी बल्गारिया, सभी ने 'सिख कामनवेल्थ' द्वारा किये गये आवेदन का विरोध किया, जबकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका ने भी इसकी निन्दा की। पाकिस्तान तथा अन्य सदस्यों ने कुछ न कहना ठीक समझा। किसी ने भी आवेदन का समर्थन नहीं किया। यह भी भारतीय विदेश नीति का एक सकारात्मक पहलू है। कितने मामलों में संयुक्त राज्य अमरीका और और सोवियत संघ ने एक-सा निर्णय लिया है ? हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह एक सकारात्मक पहलू है।

साथ ही मैं विदेश मन्त्री से एक काम करने के लिए कहूंगा। पाकिस्तानी प्रचार तन्त्र का अकेला कर देने के लिए संयुक्य राज्य अमरीका में जनमत को शिक्षित करने के लिए बहुत सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिए। जहां तक पाकिस्तान, जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका के साथ उनके संबंधों तथा उससे सैनिक सहायता प्राप्त करने का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे अनेक लोग हैं, और स्वयं पाकिस्तान में ही ऐसा जनमत है जो इस गठजोड़ के विरुद्ध है।

मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को इस गठजोड़ से अन्ततः बर्बादी ही मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में क्षेत्रीय, भाषाई, सांस्कृतिक तथा अन्य विविधतायें हैं। पाकिस्तान को आखिर में इससे कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी पाकिस्तान का शासक वर्ग स्वयं को अमरीका से इतने निकट के गठजोड़ के बारे में खुले शब्दों में न कहते हुए भी उसके इतने करीब होता जा रहा है। उनके लिए अमरीका किस सीमा तक गया है ? उन्होंने विपक्षी नेतृत्व के एक वर्ग को अभिभूत कर लिया है ताकि सैनिक शासन जारी रह सके। मुझे विश्वास है कि जिस दिन पाकिस्तान में असली लोकतन्त्र आएगा, पाकिस्तान के रुख में निश्चित परिवर्तन आयेगा तथा भारत-पाक मैत्री सुनिश्चित होगी।

श्री वीर सेन (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कूटनीति की भाषा में हमें व्यवहार कुशल होना पड़ेगा और 'कूटनीति' का अर्थ है द्विअर्थक तथा दोहरे मापदण्डों को अपनाना। जब अमरीका भारत से मैत्री की बात करता है तो वह निश्चित रूप से कूटनीति की भाषा का प्रयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही जब भारत ने यह निर्णय किया था कि वह अमरीका अथवा रूस, किसी के भी गुट में शामिल नहीं होगा, तभी से अमरीका ने इसे अपने प्रति वैर-भाव मान लिया है। उसका रवैया सर्वदा विरोधी रहा है। इसी कारण अमरीका सदैव इसके विरुद्ध रहा है। उसकी नीति शुरू से ही भारत को दबाने, उससे अपनी बात मनमाने की रही है। इसी कारण से वे सदैव पाकिस्तान की सहायता करते रहे हैं।

बहरहाल, बड़ी शक्तियों की नीति के अनुरूप अमरीका की नीति भी दूसरे की आड़ में शिकार करने की है। वह प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं करता। इसीलिए जब वे विरोध करते हैं— मेरे विचार से 'विरोध' शब्द अपेक्षाकृत सही नहीं है, यदि हम 'युद्धकारी शब्द' का प्रयोग करें तो वह अधिक उचित होगा। इस प्रकार से वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु पाकिस्तान के माध्यम से हमसे युद्धकारी नीति अपना रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को शस्त्रों से पूरी तरह से लैस कर रहे हैं। हम 1977 से ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दिए गये सभी शस्त्रों का उपयोग केवल भारत के विरुद्ध ही किया जाएगा, परन्तु उन्हें रूसी हस्तक्षेप का भूत नजर आ रहा है। वे शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। आज भी पाकिस्तान को शस्त्र देने के प्रश्न पर वह कहता है कि अफगानिस्तान के माध्यम से रूस से बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूं कि रूस, पाकिस्तान तथा अमरीका भी यह समझता है कि पाकिस्तान कभी भी रूस से युद्ध नहीं कर सकता।

2.56 म० प०

[श्री बक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं है। परन्तु फिर भी यह तर्क और बहाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का प्रयोग न केवल भारत के विरुद्ध अपितु, अफगानिस्तान के विरुद्ध किया जायेगा। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इस नीति को समझता है। परन्तु हम कूटनीति की भाषा का प्रयोग करते हुए यह नहीं कहते कि अमरीका हमारे विरुद्ध है। यह भी कूटनीति है। मेरे विचार से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम अपनी जनता को भी कूटनीतिक अज्ञानता में रखते हैं।

श्री वीर सेन : हम सभी सच्चाई को जानते हैं। मेरे विचार से अमरीका न केवल भारत के विरुद्ध अपितु, सम्पूर्ण विश्व में युद्धपरक नीति जारी रखे हुए है। आप जानते ही हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि वे सम्पूर्ण विश्व पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं। आप जब भी बात करोगे, जब भी राजनयिकों तथा सरकारी अधिकारियों को विश्व-मामलों पर बोलते सुनोगे तो वह यही कहेंगे कि जब भी हमारे हितों की बात सामने आती है, हम अपने हितों के अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। हाल ही में किसी समिति में प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा था कि जब भी हमारे हितों की बात आएगी, हम अपने हितों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। मेरे विचार से हथियारों की बिक्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण हितों में से एक है। वे हथियार बना रहे हैं तथा उन्हें बेचना चाहते हैं। इसीलिए वे चाहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में युद्ध का ऐसा माहौल कायम रहे। विभिन्न तरीकों से वे यही कर रहे हैं। सी० आई० ए० इनमें से एक तरीका है। जहां कहीं भी कोई सरकार अमरीकी नीति के विरुद्ध है, वे सहायता देकर, पुनरुत्थान द्वारा, शस्त्र देकर उसे गिराने में लगे हैं। आप जानते हैं कि अमरीका को विश्व के महानतम लोकतन्त्रों में से एक माना जाता है। उनसे लोकतन्त्र की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु लोकतन्त्र की सहायता की बजाय वह सम्पूर्ण विश्व में तानाशाही को सहायता दे रहा है। लोकतन्त्र की सहायता सम्बन्धी उसकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है तथा यदि वह लोकतन्त्र में विश्वास करता है तो उसे पाकिस्तान तथा अन्यत्र सैनिक शासन की सहायता नहीं करनी चाहिए थी। इसी के साथ-साथ, जब भी ऐसी स्थिति आती है जहां कुछ हित परस्पर टकराते हैं, वहां वह दोनों पक्षों के लोगों की लड़ने में सहायता करता है ताकि युद्ध जारी रहे तथा उनके हथियार निरन्तर बिकते रहें।

3.00 म० प०

इजराइल के साथ भी यही मामला है। इजराइल छोटा-सा देश है परन्तु वे उसे इतने अधिक शस्त्र दे रहे हैं ताकि यह मिस्र तथा अन्य देशों को हरा सके तथा युद्ध को जारी रखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार ईरान गेट का मामला प्रकाश में आया है। उन्होंने इराक से युद्ध जारी रखने के लिए ईरान को भी मदद दी है। इस प्रकार वे चाहते हैं कि विश्व में युद्ध होता रहे तथा उनके हथियारों की बिक्री जारी रहे। वे युद्ध का भय बनाये रखकर नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद की नीति का समर्थन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनका माल बिकता रहे और साथ ही यह आपत्ति भी करते हैं कि संरक्षणवाद उनके आड़े आ रहा है। अमरीका सबसे अमीर देशों में से है। वे भी संरक्षणवाद को प्रश्रय दे रहे हैं ताकि विकासशील देश प्रगति न कर सकें। जैसा कि मैं स्पष्ट कर चुका हूं, वे युद्ध जैसे तरीकों के द्वारा स्वतन्त्र राष्ट्रों को दबाना चाहते हैं।

दूसरे पक्ष के मेरे मित्र बार-बार समान हित का प्रश्न उठाते रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि क्या अमरीका के साथ या अन्य किसी देश के साथ हमारे मतभेद हैं—हमारे मतभेद पूर्ण मतभेद नहीं हो सकते। मतभेदों की कुछ सीमा हो सकती है तथा ऐसे कुछ प्रश्न या मुद्दे हो सकते हैं जहां हम एक दूसरे से सहमत हों तथा हमारे एक से विचार हों। पारस्परिक हित के

मामलों पर अधिक बोलने का प्रश्न नहीं है। हम कुछ मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं और कुछ पर नहीं। अमरीका के साथ भी हमारे कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर हमारे समान विचार हैं।

हमारे मित्र श्री शाहबुद्दीन मनोग्रस्तता की भावना की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अमरीका तथा साथ ही पाकिस्तान के प्रति मनोग्रस्तता की भावना के शिकार हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान भी भारत के प्रति मनोग्रस्तता की भावना का शिकार है।

श्री वीर सेन : बेशक वे ऐसा कह रहे थे, किन्तु मनोग्रस्ता की भावना के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि हमें कबूतर वाली नीति नहीं अपनानी चाहिए जैसे कि बिल्ली को आते हुए देखकर कबूतर अपनी आंखें बन्द कर लेता है तथा यह सोचता है कि अब बिल्ली नहीं है। ठीक उसी प्रकार श्री शाहबुद्दीन हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोई खतरा नहीं है। जब पाकिस्तान स्वयं को परमाणु हथियारों से लैस कर रहा है तो हम अपनी आंखें नहीं बन्द कर सकते हैं तथा हम यह नहीं सोच सकते हैं कि कोई खतरा नहीं है। हमें स्वयं को, अपनी शक्ति को परमाणु हथियारों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना होगा। ऐसा सोचना बहुत गलत होगा कि यदि पाकिस्तान बम्ब बनाता है तथा हम पर आक्रमण भी करता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया है कि हमारे विकल्प साफ तथा स्पष्ट हैं तथा इस घोषणा के कारण ही पाकिस्तान ने निरीक्षण के अवसर देने का प्रस्ताव किया है। अभी तक उन्होंने कभी इस प्रकार का विचार नहीं रखा था कि भारत उनकी परमाणु तैयारियों का निरीक्षण करे। केवल इसी घोषणा का उन पर प्रभाव पड़ा है कि वे संयुक्त परीक्षण के लिए राजी हैं। मेरे विचार से यदि हम बम्ब बनाते हैं तथा परमाणु विकल्प या नीति को अपनाते हैं तो मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान परमाणु बम्ब बनाने का विचार त्याग देगा। पाकिस्तान को बम्ब बनाने से रोकने का एक ही तरीका है कि हम स्वयं बम्ब बनाएं। हमारे मित्र शायद यह कहें कि यह एक महंगी प्रक्रिया होगी किन्तु जब हमारे देश की सुरक्षा, हमारी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय एकता, प्रभुसत्ता का प्रश्न सामने है तो हमें अपने देश को स्वतंत्र व प्रभुसत्ता सम्पन्न बनाए रखने के लिए खर्च करना ही होगा।

यह भी कहा गया है कि हमें अमरीका तथा पाकिस्तान के साथ भी सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ? उसका केवल एक ही तरीका है कि हम अमरीका की विचारधारा के अनुरूप चलें तथा हम इस बात से सहमत हो जाते हैं कि हम उनके गुट्ट में शामिल हो जायेंगे तो हम अवश्य ही अमरीका से अधिक मदद प्राप्त कर सकेंगे या शायद उससे भी अधिक मदद प्राप्त कर सकेंगे जितनी कि पाकिस्तान प्राप्त कर रहा है। किन्तु क्या केवल उनकी मदद प्राप्त करने के लिए हमें अपने निर्णय के अधिकार एवं अपनी स्वतंत्र नीतियों को त्याग देना चाहिये ? मेरे विचार से भारत सरकार तथा सदन में पक्ष तथा विपक्ष का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होगा। हमें अपनी नीतियों को स्वतंत्र तथा प्रभुसत्ता को अक्षुण्ण रखना है। हम इसके किसी भी भाग या अंश को नहीं छोड़ सकते।

इसी प्रकार मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हमारे पाकिस्तान के साथ किस

प्रकार मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो सकते हैं, जिस देश के नेता यह कहते हैं कि भारत के साथ हमारा हजारों वर्ष युद्ध चलेगा। हम इस मनोविज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः यदि हजारों वर्ष युद्ध चलता है तो हमें स्वयं को उसके लिए तैयार करना होगा। यदि हमें पाकिस्तान को प्रसन्न रखना है तो पहला प्रश्न काश्मीर का प्रश्न है। वे कहते हैं कि दो देशों का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए तथा कश्मीर, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो हम सोच सकते हैं कि शायद पाकिस्तान हमारा मित्र बन जाये। किन्तु क्या हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे ? हमने स्वतंत्रता से पूर्व इसे अस्वीकृत कर दिया था। हमने स्वतंत्रता के बाद भी इसे अस्वीकार कर दिया था तथा आज भी हम इसे अस्वीकृत करते हैं। अतः यदि हम पाकिस्तान को कश्मीर दे भी देते हैं तो भी वह खुश होने वाला नहीं है, चाहे पाकिस्तान कश्मीर का मामला सैंकड़ों मंचों पर भी क्यों न उठाए। यह भारत का भाग है तथा यह भारत का भाग ही रहेगा।

महोदय, अब प्रश्न यह है कि इस समस्या का क्या समाधान है ? मैंने इस समस्या को समझने का प्रयत्न किया है। मैं अमरीकी इतिहास का भी उल्लेख करूंगा। एक समय था जब लातीनी अमरीका राज्य स्वतंत्र हुए थे तथा उन्हें स्पेन और फ्रांस से यह भय था कि वे उन पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करके वहां अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। उस समय अमरीका के कुछ नेता विशेषकर तत्कालीन राष्ट्रपति मि० मुनरो ने एक मत या सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे 'मुनरो सिद्धान्त' के नाम से अभिहित किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि उस समय अमरीका ने यह घोषणा की थी कि यदि कोई यूरोपीय देश लातीनी अमरीका के स्वतंत्र राज्यों या अमरीका के समीप के राज्यों में हस्तक्षेप करेगा अमरीका उसे अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। अब मैं मुनरो सिद्धान्त से केवल दो छोटे-छोटे अंश पढ़ना चाहूंगा :—

> "संवर्गी शक्तियों की राजनीतिक प्रणाली अनिवार्यतः अमरीका की प्रणाली से भिन्न है। हमें उनके द्वारा इस गोलार्ध के किसी भाग में उस प्रणाली का विस्तार हमारी शान्ति एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक मानना चाहिए।"

मेरे विचार से यही वह मुद्दा है जिसकी हमें भी घोषणा कर देनी चाहिए कि यदि अमरीका या कोई अन्य देश इस उपमहाद्वीप जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका या बंगला देश पर प्रभाव डालना चाहता है। इन देशों के बारे में हमें घोषणा कर देनी चाहिए कि यदि कोई विदेशी शक्ति विश्व के इस भाग में हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। सैनिक भाषा में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इन सब राज्यों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि यदि कोई विदेशी शक्ति आती है तथा हस्तक्षेप करके यहां अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करती है तो हम वहां जाकर उसका विरोध करेंगे।

महोदय, मैं एक अन्य उद्धरण पढ़ना चाहूंगा :

> "अमरीकी महाद्वीपों में स्वतन्त्रता को इतना सक्षमत कर दिया गया है कि वहां भविष्य में कोई भी यूरोपीय शक्ति उपनिवेश स्थापित करने के बारे में सोच भी नहीं सकती।"

मेरे विचार से अमरीकी नीति से निपटने के लिए भी ये दो उद्धरण पर्याप्त होंगे। मेरे विचार से अमरीका को भी यह चेतावनी दी जानी चाहिए कि यदि उसने इन स्वतंत्र देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो भारत उनके हितों की रक्षा करने के लिए आगे आएगा तथा सैन्य शक्ति से भी उनकी रक्षा करेगा। इससे पाकिस्तान को भी कुछ संतोष व सांत्वना प्राप्त होगी। मेरा विश्वास है कि हमारी इस घोषणा के बाद ही, पाकिस्तान तथा भारत के बीच के मतभेद समाप्त हो सकेंगे। धन्यवाद।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : सभापति महोदय, सभा के सभी वर्गों ने, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्धित हों, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिए जाने पर चिन्ता व्यक्त की है। सदस्यों ने संयुक्त राज्य अमरीका के भारत के प्रति पाकिस्तान की तुलना में उसके रवैये के प्रति क्रोध, परिवेदना व अपनी निराशा व्यक्त की है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत जैसा परिपक्व राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में हम क्रोध, परिवेदना या निराशा पर आधारित अपनी नीतियां नहीं बना सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संदर्भ में ये नीतियां अवश्य ही वर्तमान विश्व की स्थितियों के स्पष्ट ज्ञान पर आधारित होनी चाहिएं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही भारत संयुक्त राज्य अमरीका के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करता रहा है क्योंकि तथ्य यह है कि अमरीका विश्व के सुदृढ़ लोकतंत्रों में से एक है। हमारा लोकतंत्र भी सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्यवश संबंध वांछित सीमा तक विकसित नहीं हुए हैं। उसके कारण को तलाश करने की जरूरत नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि वास्तव में विश्व के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अमरीका और भारत का दृष्टिकोण अलग-अलग है, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का प्रश्न हो, चाहे फिलिस्तीनी लोगों के अहस्तांतरणीय अधिकारों का प्रश्न हो, अथवा उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का विषय हो, या कि आर्थिक दर्शन का विषय हो क्योंकि हम समाजवादी दर्शन पर विश्वास करते हैं। अमरीका स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। हम समाजवादी देशों के साथ मजबूत संबंध रखने में विश्वास करते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका को उन राष्ट्रों पर सदैव संदेह रहता है, जिनके समाजवादी देशों से अच्छे संबंध हैं। नई आर्थिक व्यवस्था की धारणा के बारे में हमारा मत भिन्न है। अमरीकी सरकार और प्रशासन संरक्षणवाद के विभिन्न तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम विकास और निरस्त्रीकरण के विचार रखते हैं और यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प कोई मार्ग निर्देश हैं तो संयुक्त राज्य अमरीका विश्व के राष्ट्रों द्वारा विकास और निरस्त्रीकरण के लिए बहुमत से पारित किए गए सभी संकल्पों के विरोध में मत दे। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे संबंध उस प्रकार के नहीं हैं जैसे होने चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति राष्ट्रों के बीच समानता एवं विश्वास पर आधारित संबंधों की कल्पना नहीं करती है। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध समानता एवं विश्वास पर आधारित हैं। यहां तक कि भारत-सोवियत विदेश संधि में जिसकी संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा आलोचना की गई, विश्वास, पारस्परिक निर्भरता तथा एक दूसरे की नीतियों से सहमति को अलग से बनाये रखा गया है। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका विश्वास करता है कि प्रत्येक राष्ट्र को नमनीय होना चाहिए जो कि अपने आर्थिक और सुरक्षा के मामलों के अनुसार

अपनी नीतियों को बदल सके। इसलिये संयुक्त राज्य अमरीका को शुरू से ही हमारे प्रति संदेह रहा है। वास्तव में प्रारंभ में डलेस का मत था कि गुटनिरपेक्षता एक अनैतिक आंदोलन है लेकिन आज उन्होंने अपनी शब्दावली में परिवर्तन कर लिया है किन्तु आज उसने शब्दावली में इसलिए परिवर्तन नहीं किया है कि उसे गुट निरपेक्षता में विश्वास हो गया है बल्कि इसलिये क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका ने यह देखा है कि इस आंदोलन की शक्ति बढ़ रही है और उसने अपने कुछ मित्र राष्ट्रों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहकर इसमें प्रवेश करने का प्रयास किया है। संयुक्त राज्य अमरीका किसी भी विकासशील राष्ट्र, जैसा कि मैंने कहा है समाजवादी राष्ट्र के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है लेकिन हमारा यह सिद्धांत है कि हमारे देश के किसी अन्य देश के साथ संबंध दूसरे किसी देश के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं हो सकते और अवश्य ही नहीं होने चाहिए।

दूसरा प्रश्न यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका अपनी घरेलू सरकार के भरण-पोषण के लिए सैन्य औद्योगिक काम्प्लेक्स पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमरीका में कोई भी प्रशासन या राष्ट्रपति संभवतः राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतने की आकांक्षा नहीं कर सकता है यदि वह सैन्य औद्योगिक काम्प्लेक्स का विरोध करता है। संयुक्त राज्य अमरीका की यह नीति है कि विश्व में विशेषतया विकासशील राष्ट्रों में निरंतर अविश्वास और संदेह बना रहे ताकि इन राष्ट्रों में हथियार भेजे जा सकें। इस उपमहाद्वीप में हमने स्वयं इस स्थिति को देख रहे हैं। हमने देखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रकार पाकिस्तान को हथियार दिये हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें विवश होकर हथियारों का उत्पादन करना तथा खरीदना पड़ा है जबकि यह हमारे विकास के लिए अहितकर है। हमने देखा है कि हमारे कुछ पड़ोसी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति व्यक्ति व्यय की तुलना से भी अधिक प्रति व्यक्ति व्यय कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति काफी हद तक इसके राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा, अभिरुचि तथा पूर्वाभिरुचियों से भी निदेशित होती है। जहां तक निक्सन का संबंध है, मुझे मालूम नहीं है कि रिपोर्टों में क्या कहा गया है, विदेश नीति के बारे में उनके सार्वजनिक वक्तव्य निजी विचारों के बिल्कुल विपरीत थे और वियतनाम, लाओस, तत्कालीन कम्बोडिया के प्रति जो नीतियां अपनाई गईं, वे उनके सार्वजनिक पद के मुताबिक नहीं थीं। 1971 के संकटकालीन वर्ष में उन्होंने याहिया खां के साथ मित्रता करने का प्रयास किया क्योंकि उन्होने सोचा कि याहिया खां को चीन के साथ संयुक्त राज्य अमरीका के संबंधों के लिए आधार स्तम्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता था। बंगला देश युद्ध में जब पूर्वी पाकिस्तान में दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों पर हुए नृशंसतापूर्ण व्यवहार के विरोध में लोगों ने शोर मचाया तो संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश निर्माताओं ने कुछ सार्वजनिक वक्तव्य दिए लेकिन उससे विपरीत किया। वास्तव में मुझे पता नहीं है क्योंकि हर्षमैन पर विश्वास करना मुझे कठिन प्रतीत होता है, लेकिन हर्षमैन ने मोरारजी देसाई के विरुद्ध एक पुस्तक में लिखा और कुछ टिप्पणियां भी कीं, निक्सन ने विदेश नीति के बारे में निजी वक्तव्य दिये कि संयुक्त राज्य अमरीका को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो याहिया खां के लिए किसी भी तरह से अहितकर हो।

संयुक्त राज्य अमरीका की चिली, ईरान, लेटिन अमरीका तथा मध्य-पूर्व में अपनाई जाने

वाली विदेश नीति के दोहरेपन को हमने देखा है तथा रीगन द्वारा आज भी यही नीति अपनाई जा रही है।

अब हमें क्या करना चाहिए। मेरा यह विचार नहीं है कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संबंध नहीं सुधारने चाहिएं। प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ संबंध सुधारना चाहता है जबकि हमें भू-राजनीतिक विचारों के बारे में पूर्णतः जागरूक रहना चाहिये तथा संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले तथ्यों को अवश्य ही नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अवश्य ही इस तथ्य से अवगत और सावधान रहना चाहिए कि हमारी संयुक्त राज्य अमरीका से कभी भी वास्तविक मित्रता नहीं हो सकती क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारे बोध में बहुत ही अधिक मतभेद हैं। मुझे विश्वास है कि हमें अमरीका को तुष्ट करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, कारण यह है कि यदि पिछले 10 अथवा 20 वर्षों के इतिहास को मार्ग-दर्शक के रूप में लें तो अमरीका के मित्रों को अपने दुश्मनों से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना कि स्वयं अमरीका से, चाहे यह मारकोस शासन हो अथवा पाकिस्तान में याहिया खां हों या फिर ईरान के शाह हों, वे सभी अमेरिका के मित्र थे और इन्होंने सोचा कि मुसीबत के क्षण में अमेरिका उनकी सहायतार्थ आयेगा। लेकिन याहिया खां को पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा, शाह को ईरान से भागना पड़ा। मारकोस ने किसी अन्य देश में शरण ली है।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : मेरे विचार से मार्कोस अब संयुक्त राज्य अमरीका में हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमरीका से किसी भी देश बल्कि व्यक्तियों की भी दुश्मनी भी इतनी हानि नहीं पहुंची है जितनी कि उसकी मित्रता। मैं जिस बात का उल्लेख करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि मैं नहीं कहता कि हम अमरीका से मित्रता नहीं चाहते लेकिन मैं साथ-साथ इसमें विश्वास करता हूं कि हमें उसका मित्र बनने के लिए पीछे की तरफ नहीं झुकना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें अमरीका की इस उपमहाद्वीप के प्रति विदेश नीति के सम्बन्ध में इसके लोगों को बताना चाहिए।

मुझे मालूम नहीं है कि क्या हम इतने समर्थ हैं कि अमरीकी जनमत को बता सकें क्योंकि अमरीका के अपने संचार माध्यम इतने सशक्त हैं कि विदेश नीति के मामलों में सरकार उन पर इतना प्रभाव रखती है कि मैं नही सोचता हम किसी को भी समझा सकेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि बंगला देश के युद्ध में भी कांग्रेसियों तथा अमरीकी विदेश नीति से असहमति रखने वालों से हमने सतत कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए रखे। मैं विश्वास करता हूं कि हमें लगातार उनसे सम्पर्क रखना चाहिए क्योंकि बहुत से कांग्रेस के सदस्य हैं जोकि वास्तव में अमरीका की सरकारी विदेश नीति का अनुपालन नहीं करते। संयुक्त राज्य अमरीका में विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग है और मुझे विश्वास है कि उन लोगों से एक कूटनीतिक तथा सतत सम्पर्क बनाए रखा

जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका में हमारे अपने प्रचार माध्यमों में सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे विचार कभी मन्दे नहीं पड़ने चाहिए।

समाजवादी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को मजबूत किया जाना चाहिए। ये पहले ही से मजबूत हैं और इन्हें और भी मजबूत किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भरता की हमारी धारणा किसी भी परिस्थिति में मन्द नहीं होनी चाहिए। हमें उन प्रारम्भिक वर्षों को भी नहीं भूलना चाहिए जबकि हम अपना औद्योगिक मूल-भूत आधार ढांचा बनाने का प्रयास कर रहे थे तब न अमरीका न ही ग्रेट ब्रिटेन और न ही फ्रांस हमारी सहायता के लिए आए; और यह एक समाजवादी देश सोवियत संघ ही था जिसने इस्पात संयंत्र के मामले में हमारी सहायता की। उस समय यदि यह समाजवादी देश हमारी सहायता नहीं करता तो जो आज हमारा मजबूत औद्योगिक आधार भूत ढांचा आज है, वैसा वह नहीं होता। और यदि हम इस तथ्य के बावजूद, कि पाकिस्तान में इतनी मात्रा में हथियार आ रहे हैं, अपने को आश्वस्त मानते हैं तो इसलिए क्योंकि हम अपने इस मजबूत औद्योगिक व कृषि संबंधी आधारभूत ढांचे, जोकि इस देश में हम बना सके हैं, के कारण ही महसूस करते हैं कि हम किसी भी धमकी का सामना करने में समर्थ होंगे।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे निकटतम पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारे जाने चाहिए। मेरे पूर्ववक्ता मुनरो-सिद्धान्त पर बोले और यदि मैं उन्हें ठीक समझा हूं तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के सिद्धान्त का इस उपमहाद्वीप में भी पालन किया जाना चाहिये। मैं इस विचार के पूर्णतः विरुद्ध हूं। वास्तव में, भारत को अपने पड़ौसियों के सामने सम्बन्ध रखने में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वह यह है कि हमारे पड़ोसी हमारे आकार व विकास के कारण हम पर भरोसा नहीं करते। इसलिये, हमें किसी बड़े भाई वाले भाव को नहीं दिखलाना चाहिये और दक्षेस पर चर्चा आरम्भ करते हुये यही दृष्टिकोण मैंने व्यक्त किया था कि हमें मैत्रीभाव तथा पारस्परिक विश्वास पर अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई प्रभाव, यदि हम अपने पड़ोसियों पर जाहिर करें कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि संकट-काल में हम उनकी किसी भी आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करेंगे, वास्तव में अनर्थकारी होगा और इससे उनको सन्देह होगा। इस प्रकार मुनरो सिद्धान्त को चाहे किसी भी स्वरूप में उसे लागू करने का प्रयास करें न केवल उल्टे परिणाम देगा, बल्कि बेहद खतरनाक होगा।

मैं इसमें विश्वास करता हूं कि हमें अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहिये। मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि भारत को कभी भी किसी तरह परमाणु शक्ति नहीं बनना चाहिये। हमें अवश्य ही अपने विकल्पों पर विचार करते रहना चाहिये।

लेकिन खतरा तो यह है कि हम केवल इसलिये परमाणु हथियार बनाएं क्योंकि पाकिस्तान बना रहा है और यदि हम परमाणु हथियार बना भी लें तो अन्य पड़ोसी देश भी इस तरह से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर सकते हैं, और इस प्रकार अमरीका जो चाहता है उसे मिल जाएगा। हथियारों की दौड़ के पीछे उनका एक मुख्य प्रयोजन यही नहीं कि अपना सैन्य-औद्योगिक कम्पलैक्स का विकास करें, बल्कि यह भी देखता है कि विकासशील देश हथियारों पर अधिकतर

खर्च करके अपने संसाधनों का अपने विकास के कार्यों के लिए उपयोग न करने में समर्थ न हो सकें। क्योंकि यदि हम हथियारों के लिए ही ज्यादा से ज्यादा खर्च करें तो यह देश निर्धन बना रहेगा और गरीब देश तथा उनकी अस्थिरता ही अन्ततः इन औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा शोषित की जाने वाली उपयुक्त स्थितियां हैं।

(व्यवधान)

मैं नहीं कहता कि हमें परमाणु शक्ति नहीं बनना चाहिए। लेकिन परमाणु मसले पर कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व सभी विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हमें अपने देश में ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिएं जिसमें पड़ोसी देश में पारस्परिक विश्वास तथा मित्रता पैदा की जा सके। यहां इस सन्दर्भ में दक्षेस एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। मुझे लगता है कि दक्षेस आज एक चौराहे पर खड़ा है। हमने दक्षेस के बारे में काफी कुछ कहा है। दक्षेस भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अच्छे सम्बन्धों के बिना सफल नहीं हो सकता और इस सम्बन्ध के लिए पहल भारत की तरफ से ही होती रहनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि यह सम्बन्ध हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वस्तुतः हम ऐसे सम्बन्ध विकसित कर सकें तो जो विश्वास बनेगा वह अमरीकी कपटपूर्ण चालों के लिए भारी चुनौती बन जायेगा।

इस तरह महोदय, अन्त में मैं यह कहूंगा हमें राजनैतिक दबावों से हमारे अपने राजनैतिक दबावों और अपने बोध से पूरी तरह सचेत रहना चाहिए और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि निकट भविष्य में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारी मित्रता अथवा सम्बन्ध काफी सुधर जायेंगे। इन सीमाओं के आधार पर हमें अपनी नीतियां बनानी चाहिएं और हमें अवश्य ही समाजवादी देशों के साथ अधिक मित्रता बनाये रखना चाहिए और हमें आत्म-निर्भरता की नीति पर चलते रहना चाहिए। इस सिद्धान्त में किसी तरह की ढील से केवल साम्राज्यवादी शक्तियों को ही सहायता मिलेगी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : महोदय, सबसे पहले मैं भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के मध्य सम्बन्धों के इस महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद आरम्भ करने तथा इस पर चर्चा करवाने के लिए श्री सैफुद्दीन चौधरी का अभिवादन करना चाहता हूं।

मैं श्री भगत, श्री स्वैल, श्री जैनुल बशर, श्रीमति गीता मुखर्जी, श्री महन्ती, श्री जगतरक्षकन, श्री गोस्वामी और अनेकों अन्य लोगों का, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, आभारी हूं। इस वाद-विवाद का स्तर उच्च रहा है और मैं इन सभी सदस्यों की सराहना करना चाहूंगा। मैं अपना उत्तर देते समय, माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न उल्लिखित बातों को लूंगा। महोदय, आपकी अनुमति के साथ···

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : आप जनता जैसा कुछ कह रहे थे। श्री शाहबुद्दीन जनता पार्टी की तरफ से बोले थे।

श्री के० नटवर सिंह : मैं श्री शाहबुद्दीन महाशय की बात करूंगा। मुझे खेद है यदि मैं उनका नाम लेना भूल गया हूं तो।

महोदय, यह चर्चा काफी व्यापक रही है। अब, हमारे लिए स्वतंत्रता पूर्व के दिनों, 1947 की तरफ लौटकर समय-समय पर संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों का जायजा लेना सम्भव है। हस अपने को हाल के अतीत, वर्तमान तथा सन्निकट भविष्य तक ही सीमित करते हैं। माननीय सदस्यों ने, जो बोले हैं, दोनों मार्गों को अपनाया है। कुछ तो बिलकुल पीछे चले गये। श्रीमती गीता मुखर्जी ने पंडित नेहरू को उद्धृत किया है। मेरे पास यहां पंडित जी का भाषण है और मैं भी इससे भिन्न संदर्भ में उद्धृत करने का इरादा रखता हूं।

अमरीका के साथ हमारे संबंधों के बारे में, यदि हमें समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है, तब जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, यह व्यवहार कुशलता का एक तरीका है, जिससे संघर्ष के क्षेत्रों को कम किया जा सकता है और तनाव को कम करने हेतु समझौते के क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है। यही कुछ हमने पंडित नेहरू के दिनों से सीखा है। इसी उद्देश्य से वह 1949 में अमरीका की खोज की अपनी महान यात्रा पर गये थे। तुरन्त लाभ की दृष्टि से इसे देखते हुए हमें भारत के प्रति अमरीकी नीति का विश्लेषण करना होगा। मैं यह बात कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता हूं। किन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने एशिया सोसायटी में पोलिटीकल एफेयर्स के अन्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट, श्री माइकल एच० अरमाकास्ट द्वारा 29 अप्रैल को दिये गये भाषण का उल्लेख नहीं किया है। इसका विषय यह था "अमरीका और दक्षिण एशिया सम्बन्ध (यूनाइटेड स्टेटस एण्ड साऊथ एशिया टाइस)"। महोदय, मैं माननीय सदस्यों की टिप्पणियों का हवाला देने से पूर्व कुछ संगत अंशों को पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत ही प्रासंगिक है और मेरे विचार में उनके भाषण का हवाला दिये बिना अमरीका के साथ हमारे संबंधों की चर्चा करना कुछ अवास्तविक ही होगा।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : किसका भाषण ?

श्री के० नटवर सिंह : यह श्री अरमाकास्ट का, जो अमरीका के पोलिटीकल एफेयर्स के अन्डर सेक्रेटरी हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या आप उन्हें मिले हैं ?

श्री के० नटवर सिंह : जी हां, अभी हाल ही में मैं उन्हें मिला हूं। मैं अमरीका की अपनी यात्रा का भी उल्लेख करूंगा। कई सदस्यों ने मेरी यात्रा के बारे में कहा है और मुझसे पूछा है कि मैं वाशिंगटन क्यों गया था। यह एक उचित प्रश्न है। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि वे व्यवहार कुशलता के परिपक्व आचार को दृष्टिगत रख कर मेरी अमरीकी यात्रा के बारे में विचार करें। जहां व्यवहारकुशलता तात्कालिक नगर का मार्ग नहीं दिखायेगी, वहां प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों को यह एक दूसरे से बात करने का एकमात्र हथियार उपलब्ध है। अन्य वैकल्प भी उपलब्ध हैं किन्तु वे शान्तिपूर्ण नहीं हैं। मैं वाशिंगटन दया मांगने नहीं गया था क्योंकि दया मांगने का अभिप्राय अपनी स्वतंत्रता का आत्मसमर्पण करना है। मैं अपने अमरीकी मित्रों के समक्ष अपनी भावनाओं को सम्मानपूर्वक व्यक्त करने तथा उन्हें यह बताने गया था कि खराब प्रथा से अच्छे समाचारों को निकालना सम्भव नहीं है। मैंने पाकिस्तान को उसकी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से अधिक आधुनिकतम हथियारों की निरन्तर सप्लाई के बारे में सरकार की, इस सभा की और भारत के 7800 लाख लोगों की जोरदार भावनाओं को व्यक्त किया और यह भी

बताया कि इससे हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों पर, जिन्हें हम बहुत मूल्यवान समझते हैं और जो बहु-मुखी हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

अमरीका हमारा व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। 5 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग अमरीका में रह रहे हैं और वे वहां बहुत ही अच्छी प्रकार से रह रहे हैं। अमरीका के लिए यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारे इतने अधिक लोग वहां जाना चाहते हैं। हमने उनके साथ वहां कई सहयोग किए हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में, 1985 में प्रधान मंत्री की यात्रा ने, जो कि हमारे संबंधों के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एतिहासिक घटना है, नये अवसर खोल दिये। हम अपने संबंधों के हम पहलू को बहुत ही मूल्यवान मानते हैं और हम इन्हें और अधिक प्रोत्साहित, गठित, शक्तिशाली और व्यापक बनाना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त एक अन्य पहलू यह है जो पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई से संबंधित है। यदि मैं वहां न गया होता, तो इस सभा के सदस्यों ने यह कहा होता कि भारत सरकार इस बारे में क्या कर रही है। अतः एक उत्तरदायी सरकार के रूप हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम वहां जायें और उन्हें स्पष्ट करें और उन्हें भारत की 7800 लाख लोगों की भावनाओं के बारे में बतायें और ऐसा हम उन्हें नम्रतापूर्वक, व्यवहार कुशलतापूर्वक और साफ-साफ भी बतायें और यही मैंने किया।

मेरा सौभाग्य है कि अपनी यात्रा के दौरान मेरा स्वागत उपराष्ट्रपति, श्री जार्ज बुश द्वारा किया गया। मेरी विदेश मंत्री श्री जार्ज शुल्ज, रक्षा मंत्री, श्री केसपर वेनबरगर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री फ्रैंक कारलुची और विदेश मंत्रालय में मेरे समकक्ष सदस्य श्री जॉन वाईटहैड से लाभकारी बैठकें हुईं। मैं अनेक सेनेटरों तथा कांग्रेस मैनों, विद्वानों तथा भारतीय समुदायों के लोगों से भी मिला।

मैं अमरीकी प्रशासन और अमरीकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुझे दिखाये गये शिष्टाचार के लिए बहुत ही आभारी हूं।

अब श्री अरमाकास्ट के भाषण का हवाला देते हुए मैं उद्धृत करता हूं :

"फिर भी हमारी अन्तर्ग्रस्तः की परिधि, रक्षा बनाम आर्थिक विषयों को दिये गये तुलनात्मक बल और क्षेत्रों के अन्तर्गत विशिष्ट देशों को दी गयी प्राथमिकता परिवर्तनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा अमरीकी राजनीति की लय के अनुसार बदल गयी है।"

"अमरीकी राजनीति की लय में"—"निरन्तरता हमारी सदैव दृढ़ बात रही है क्योंकि हमने सोवियत शक्ति के विस्तार के बारे में अपनी विश्वव्यापी चिन्ताओं के अनुरूप दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम एशिया में अपने क्षेत्रीय हितों को सन्तुलित करने का प्रयास किया है।"

रीगन प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ एक साथ निकट संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया है। ये लक्ष्य क्या हैं। ये लक्ष्य हैं "अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता को बहाल करना, इस महाद्वीप में परमाणु अस्त्रों की दौड़ की रोकथाम करना, भारत

और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने को प्रोत्साहन देना।" यह एक आश्चर्यजनक दावा है।

"पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव में कमी को प्रोत्साहन देना" इसे किस प्रकार किया जाना है ? इस बारे में मैं बाद में कहूंगा। मुझे इसे पूरा करने दीजिये। इसके बाद यह कहा गया है : "मादक द्रव्यों का कड़ा मुकाबला करने, आतंकवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना करने।" यहां हम उनके साथ पूरी तरह सहमत हैं। वे हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि अमरीकी सरकार का सहयोग हमारे लिए उपयोगी रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख हुआ है। "पृथकतावादी मांगों के होते हुए राष्ट्रीय अखंडता का परिरक्षण···" हम इसके साथ पूरी तरह सहमत हैं। यह भी कहा गया है "क्षेत्रीय सहयोग की दक्षिण एशियायी एसोसियशन द्वारा प्रभावशाली द्रुत गति सहित लोकतंत्र तथा क्षेत्रीय एवं आर्थिक सहयोग के प्रति समर्थन प्रयास।"

दो बातें हैं जिनके बारे में इस सभा में हम चिन्तित हैं। पहली बात है पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई। किस कारण से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है ? 1981 में मैं पाकिस्तान में भारत का राजदूत था, इस सम्बन्ध में सैनिक और आर्थिक सहायता की बहुत बड़ी किस्त की घोषणा हुई थी; और उस समय हमने अमरीका को अपने भय और चिन्ताओं के बारे में बता दिया था। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे लोग चिन्तित हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ सामान्य, अच्छे पड़ोसी वाले या मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं। इसीलिए वर्ष 1972 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ऐसा करने के लिए हमारी कोई बाध्यता नहीं थी, परन्तु हमने इस पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि उन्होंने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाया, वह भारत-पाक संबंधों में मधुरता की कल्पना किया करती थीं। परन्तु हमने कहा था कि यदि इस प्रकार के हथियार पाकिस्तान में लाये गये तो भारत के लोगों में अनिवार्यत: ऐसी भावना पनपेगी कि भारत को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग यह जानना चाहेंगे कि भारत सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कर रही है। वर्ष 1981-87 में उन्हें 3.2 बिलियन डालर की धनराशि आवंटित की गई थी और तब यह तर्क दिया गया था कि यह राशि उन्हें अफगानिस्तान में चुनौती का सामना करने के लिए दी गई है।

अब मैं इस प्रश्न पर भी मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वह खतरा क्या है ?

श्री के० नटवर सिंह : चुनौती अफगानिस्तान में सोवियत रूस की उपस्थिति है। पाकिस्तान को दी गई शस्त्रास्त्र सहायता का यही कारण बताया गया था। **(व्यवधान)** श्री आर्मकोस्ट ने भी यही कहा है :

> "भारत की चिन्ता बनी हुई है कि पाकिस्तान का इरादा अमरीकी हथियारों द्वारा भारत के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का है। हमारा पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग का उद्देश्य अफगानिस्तान में सोवियत दबाव के सन्दर्भ में उसकी पारस्परिक रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाने का है।"

मैं उन शब्दों को दोहराना चाहूंगा अफगानिस्तान में सोवियत रूस के दबाव के सन्दर्भ में, क्योंकि

यदि अफगानिस्तान में समझौता हो भी जाता है तो भी यह जारी रहेगा, क्योंकि अब कहा गया है : "अफगानिस्तान में सोवियत दबाव के संदर्भ में।" जहां तक मेरी जानकारी है यह एक नई शब्दावली है जिसका इस्तेमाल प्रथम बार किया गया है। (व्यवधान)

इसके बावजूद यह विचार व्यक्त किया जा रहा है कि ये हथियार अफगानिस्तान के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं। यह सभा जानती है और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के विरुद्ध नहीं किया गया है। 4.02 बिलियन डालर की एकमुश्त सहायता दी गई है जिसमें 647 मिलियन डालर की सहायता प्रति वर्ष दी जाएगी और अवाक्स विमानों अथवा एयरबोर्न सिस्टम के अन्य विमानों की सप्लाई की जा रही है, मैं बातचीत के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वे गोपनीय हैं। परन्तु मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं कि मैंने इस बात का उल्लेख किया था और हमने उनसे इसके बारे में बताने को कहा था। टाइम पत्रिका का कहना है कि उनके पास बम है। डा० खान, जो इसके जिम्मेदार हैं, का कहना है कि उनके पास बम है, परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार कहती है—नहीं। मैं श्री आर्मकोस्ट के भाषण से उद्धरण दूंगा। उनका कहना है कि :

> "रीगन प्रशासन ने गत अक्तूबर में कांग्रेस को आश्वस्त किया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है। हाल ही में समाचारपत्रों में छपी खबरों के बावजूद हमने मूल्याकन में परिवर्तन नहीं किया है।"

यह बात मुझसे भी बार-बार दोहराई गई, परन्तु हमने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान में वैज्ञानिकों द्वारा कही गई बातों का स्वभावत. हमारी जनता ज्यादा विश्वसनीय मानती है। वस्तुत: संबंधित मंत्री महोदय इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं। मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा। तत्पश्चात मैंने कहा, ठीक है आप आगामी पांच वर्षों के दौरान अत्याधुनिक हथियारों के साथ-साथ 64.2 बिलियन डालर की जो धनराशि दी जा रही है—वह किसलिए दी जा रही है—थल सेना, नौ सेना और वायु सेना उसका क्या करेगी ? मैंने यह प्रश्न अपने पाकिस्तानी मित्र से किया। मैंने कहा कि 1971 में बंगलादेश बन जाने के पश्चात् पाकिस्तान की रक्षा आवश्यकता तथा पाकिस्तान का रक्षा दायित्व आधा हो गया है। आप अब बंगला देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। क्या पाकिस्तान में रक्षा बजट में 50 प्रतिशत की कटौती नहीं होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान की सेना में 50 प्रतिशत की कटौती नहीं होनी चाहिए ? इसी प्रकार पाकिस्तान की नौ सेना तथा वायु सेना में कमी की जानी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ता ही चला गया। इसकी सेना दोगुनी हो गई, वायुसेना तकरीबन ढाई गुनी बढ़ गई, नौ सेना में भी इसी तरह बढ़ोतरी हुई है। हम अपने विगत अनुभवों तथा इतिहास को देखते हुए हम अपने इस पड़ोसी की अनदेखी नहीं कर सकते, हम उसकी भलाई चाहते हैं, हम एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं। अत: मैंने कहा कि आप हमें कतिपय आश्वासन दें कि अफगानिस्तान के साथ समझौता न होने की स्थिति में इन हथियारों का इस्तेमाल हमारे विरुद्ध नहीं किया जाएगा और अफगानिस्तान के साथ समझौता हो जाने पर इन आवंटनों को पुनर्संशोधन किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि अफगानिस्तान सरकार ने एक समय-सारणी की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के एक प्रतिनिधि के नेतृत्व में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच जनेवा में बातचीत चल रही है, यदि समझौता हो जाता है तब इन

हथियारों का इस्तेमाल कहां किया जाएगा ? अतीत के अनुभव से हमें मालूम है कि इनका इस्तेमाल हमारे विरुद्ध किया जाएगा। झगड़े का यही जड़ है, फिर भी संयुक्त राज्य अमरीका के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि के भाषण में कहा गया है कि उनका प्रयास इस उप-महाद्वीप में तनाव को कम करना है जब हमारे पड़ोस पाकिस्तान में इस प्रकार के हथियार आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तनाव क्यों नहीं बढ़ेंगे। मैंने संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि से यह कहा था कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो अमरीका के प्रति मित्रता तथा सद्भावना रखते हैं, वे भी पूछ रहे हैं कि जिस तरह से आप पाकिस्तान को शस्त्रों से सज्जित कर रहे हैं, भारत का रक्षा बजट अनिवार्यतः बढ़ जाएगा, जिसका अभिप्राय है कि हमारे विकास कार्यक्रमों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए वे आपके निर्णय पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।

उक्त भाषण में जो यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वे तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे ? परन्तु हम उनके इस तर्क को नहीं मान सकते क्योंकि रक्षा वातावरण कुप्रभावित हुआ है और अमरीका से जिस प्रकार की सैनिक सैन्य सहायता पाकिस्तान को दी जा रही है, उससे रक्षा के माहौल पर गंभीर कुप्रभाव पड़ा है, संयुक्त राज्य अमरीका की इस विशिष्ट नीतिगत दृष्टिकोण के बावजूद, क्योंकि यदि मैं सविनय यह कहूं कि अल्पकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त राज्य अमरीका उन उद्देश्यों को ही निष्फल कर रही है जिनका वह दावा करती है, अर्थात् इस उप-महाद्वीप में शांति तथा स्थिरता का। यदि इस प्रकार के हथियार पाकिस्तान को मिलते रहे, तो एकमात्र तरीका यही है कि विकास पर होने वाले खर्च को कम किया जाए। तब आर्थिक कार्यक्रम कुप्रभावित होंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना को आघात पहुंचेगा और यदि उनका यही उद्देश्य है तो वे लोग भी, जो अमरीका के साथ मित्रता की भावना रखते हैं, प्रश्न करेंगे कि क्या यह राजनैतिक निर्णय का परित्याग नहीं है।

अफगानिस्तान की घटना 1979 में हुई थी। पाकिस्तान को सहायता पचास की दशक में ही आरम्भ कर दी गई थी और मैं पंडित नेहरू के एक भाषण से उद्धरण दे रहा हूं। पंडित जी ने 13 मार्च, 1959 को इस सभा में दिये एक अपने भाषण में कहा था :

> "पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ताओं ने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रक्षा सहायता करार करने तथा सैन्य समझौता करने का उद्देश्य पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सशक्त करना है। हमने बार-बार इस ओर इंगित किया है कि पाकिस्तान को अमरीकी रक्षा सहायता पाकिस्तान के अधिकारियों को आक्रमकता को बढ़ावा देती है और भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाती है।"

ये शब्द एक महान व्यक्ति द्वारा 28 वर्ष पूर्व कहे गये हैं जो आज भी सच हैं।

मैंने यही कहा था "कृपया आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और उन्हें बताएं कि वह भारत के साथ सद्भावना तथा सहयोग बनाये न कि संघर्ष। हम पाकिस्तान से मित्रता तथा सद्भावना चाहते हैं। हम उनके साथ कोई टकराव नहीं चाहते और स्वयं पाकिस्तान हमारे लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा।" मेरे विचार में यह बात श्री वीरसेन ने कही थी और मैं केवल उनकी बातों को ही दोबारा कह रहा हूं। उन्होंने कहा था 'यदि ऐसा होता है कि वे किसी अन्य के परोक्ष समर्थन से लड़ते हैं।' इन हथियारों से तनाव पैदा हुआ है। उन्हें

दिये जा रहे हथियारों से सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसीलिए हम सही चिंतित हैं। इससे भारतीय जनता पर बहुत अधिक भार पड़ेगा। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारा देश वह देश है जिसे न तो खरीदा जा सकता है, न ही भयभीत किया जा सकता है और न ही धमकाया जा सकता है। यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हम किसी देश के साथ किसी प्रकार का तनाव या मनमुटाव नहीं रखना चाहते। जैसा कि मैंने पहले कहा हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपनी मित्रता को अत्यन्त महत्व देते हैं और इसीलिए मैंने वहां जाकर उन्हें यह बात साफ की। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है। वे क्या करेंगे ? हम देखेंगे क्योंकि कुछ ही दिनों में आबंटन किये जायेंगे।

महोदय, इसे दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। प्रसिद्ध मेक्सिको कवि श्री 'ओक्टोवियो पाज' ने कहा था कि 'मया' जातियों में समय मापने के दो तरीके थे—एक अल्पकालिक और दूसरा दीर्घकालिक। हम दीर्घकालिक पक्ष देख रहे हैं। मेरे विचार में सदस्यों ने अमरीका के साथ विभिन्न सैनिक गुटों तथा सैनिक समझौतों के विषय में कहा है जिनसे सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। श्री गोस्वामी ने किए गए समझौतों और सम्बन्धों का जिक्र किया है तथा उन अन्य सैनिक सम्बन्धों का भी उल्लेख किया है जो विश्व के इस भाग में तो कम परिभाषित नहीं किए गए हैं। फ्रांसीसी इतिहासकारों ने लम्बी अवधि और थोड़ी अवधि के बीच अन्तर किया है। हम इसके दीर्घकालिक पक्ष को ले रहे हैं। हम आशा कर रहे है कि अमरीका दोबारा विचार करेगा। मेरे पिछले साथी श्री शाहबुद्दीन ने हमारी विदेश नीति पर कुछ टिप्पणी की है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमारी विदेश नीति को परिभाषित किया था। मैं उससे उद्धृत करना चाहूंगा जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण टिप्पणी है—

> "भारत की विदेश नीति में शताब्दियों से संजोए गए मूल्यों एवं वर्तमान समस्याओं को परिलक्षित किया गया है। हम उस विदेश नीति की परम्परागत संकल्पनाओं से बंधे हुए नहीं हैं जो विदेशी उपनिवेशवाद, पूंजीनिवेश और प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के बारे में बनाई गई है। हम अपनी नीतियां दूसरों पर थोपने में दिलचस्पी नहीं लेते।
>
> हमारी प्रथम समस्या यह रही हैं कि हमारी स्वतन्त्रता पर कोई आंच न आए। इसलिए हम किसी शाही गुट चाहे वह कितनी भी धनाढ्य एवं मजबूत क्यों न हो, में शामिल नहीं हो सकते। हमने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास के लिए आवश्यक शर्त के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय शांति बनाये रखने और उसकी सुरक्षा रखने में समान रूप से दिलचस्पी ली···।"

ये हमारी विदेश नीति के प्रतिमान हैं तथा मैं गर्व से कह सकता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से अर्थात लगभग 31 वर्ष से अधिक समय से मैं इस मन्त्रालय से सम्बद्ध रहा हूं। केवल हमारा ही देश प्रमुख है जिसने बुनियादी मुद्दों पर विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। मैं ठोस उदाहरण दे सकता हूं। वर्ष 1949 से 1972 तक, संयुक्त राज्य अमरीका कहता रहा पीपल्ज रिपब्लिक आफ चाइना नाम का कोई देश नहीं है और हमने कहा कि इस नाम का देश है। वहां 800 से 900 मिलियन लोग रहते हैं। 1962 के युद्ध में, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय

प्रतिनिधिमण्डल ने पीपल्ज रिपब्लिक आफ चाइना को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने के लिए सिद्धांत रूप में, न कि स्वार्थसिद्धि के लिए, मतदान किया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में हमारी विदेश नीति के प्रतिमान निर्धारित किए हालांकि उन्होंने इस विषय में 1927 में विचार करना शुरू कर दिया था। उनकी दूरदृष्टि के लिए यह महान श्रद्धांजली है। 1977 में केन्द्र सरकार बदलने पर भी हमारी विदेश नीति को नहीं बदला जा सका क्योंकि यह देश अन्य कोई विदेश नीति नहीं अपना सकता। इसलिए आज हमारा सम्मान है हालांकि सदस्यों ने कहा है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, पड़ौसियों के साथ हमारी कुछ समस्याएं हैं। प्रत्येक बड़े देश की अपने पड़ौसियों के साथ समस्यायें होती हैं। हम अपने मित्र चुन सकते हैं परन्तु अपना भूगोल नहीं। और भूगोल कूटनीति का जनक है। हमें इसे इस संदर्भ में देखना है। हम 'सार्क' तथा अन्य संगठनों में अपने पड़ौसियों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने के लिए बचनबद्ध हैं। भारत की आवाज शान्ति, विकास और निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र मंडल, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, सार्क तथा अन्य संगठनों में उठाई गई है। इन क्षेत्रों में भी कुछ पश्चिमी देशों ने हमारा समर्थन नहीं किया। इसमें हमारा दोष नहीं है। इसके बाद दिल्ली घोषणा दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रधानमन्त्री और सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव द्वारा हस्तक्षरित यह दस्तावेज अपनी तरह का एक ही है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज है जो शांति को मजबूत करता है। अतः हम अपने पड़ौसियों से टकराव नहीं चाहते। न ही हम उन पर धौंस जमाते हैं। आप श्रीलंका का उदाहरण देख सकते हैं। हम अधिकतम आत्मसंयम बरत रहे हैं क्योंकि हम सहायता करना चाहते हैं। हमें किसी का क्षेत्र नहीं चाहिए। हम विस्तारवादी नहीं हैं। परन्तु यदि हमारी अखण्डता एवं आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हम निश्चित रूप से एक देश के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हमारा देश किसी का अनुयायी नहीं है। हमारा देश स्वतन्त्र है। हमारी विदेशी नीति स्वतन्त्र है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर आने से पहले मैं संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों का सामान्य सर्वेक्षण करना चाहता हूं, जो, मैं एक बार पुनः जोर देकर कहता हूं कि हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अमरीका एक महाशक्ति है। तथा हम सभी क्षेत्रों में उनके साथ निकट एवं मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते हैं। कुछ क्षेत्रों में हमारे मतभेद हैं। उन्हें इन मतभेदों का पता है। हम सुरक्षा के बारे में उनकी बात नहीं मानते। यहां मैं कहूंगा कि यदि सुरक्षा का वातावरण बिगड़ता है तो हमारे ऊपर इलजाम नहीं लगाया जा सकता। किसी और पर इसका दोष लगाना होगा।

श्री सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान को दिए जा रहे हथियारों का उल्लेख किया है। हम जानते हैं कि नौसेना और थलसेना को दिए जा रहे उपकरणों का वहां अधिक उपयोग नहीं है।

श्री स्वैल ने पूछा है कि क्या अवाक्स प्रणाली आक्रामक है या सुरक्षात्मक।

रक्षा मन्त्रालय आपको यह बात और अच्छी तरह बता सकता है, परन्तु एक सामान्य आदमी के तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर ए० ए० डब्लु० प्रणाली बहुत कम उपयोगी साबित होगी। तथापि, इसमें भारतीय सीमा में

बहुत भीतर तक झांकने की क्षमता होगी। श्री स्वैल ने पूछा है कि क्या अवाक्स आक्रामक हथियार प्रणाली है अथवा नहीं। इसका सीधा-सादा उत्तर हां में है। यह इस दृष्टि से घातक है कि भले ही इसमें हथियार नहीं होते हैं फिर भी यह आक्रामक इसलिए है कि यह नियंत्रण, आदेश, संचार और आसूचना के कार्य निष्पादित करता है जो मारक क्रियाकलापों को निदेश और सुविधा प्रदान कर सकता है, और इसकी क्षमता (रेंज) भी बहुत अधिक है।

श्री जी० जी० स्वैल : क्या अवाक्स लेसर किरणों को छोड़ने और किसी विमान को काफी दूरी से गतिहीन करने वाले उपस्करों से सज्जित है ?

श्री के० नटवर सिंह : मैं इस बात के सम्बन्ध में टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूं। परन्तु इस बात को मैं निश्चित रूप से रक्षा मन्त्रालय के अपने सहयोगी तक अवश्य पहुंचाऊंगा और वे निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देंगे।

उन्होंने दूसरा मुद्दा एन० पी० टी० (नान-प्रोलीफिरेशन ट्रीटी) के बारे में उठाया है, एन० पी० टी० के बारे में हमारी धारणा है कि यह भेदभाव मूलक संधि है। हमने अपने पी० एन० ई० के लिए सन् 1974 से आज तक शान्तिपूर्ण आणविक कार्यक्रम के संबंध में अधिकतम सहिष्णुता दर्शायी है। परन्तु हमें एन० पी० टी० जो भारत के साथ भेदभाव मूलक है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

श्री बी० आर० भगत, जो इस समय यहां पर नहीं हैं, उन्होंने भारत अमरीका के संबंधों के बारे में बहुत उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध तार-तार हो गए हैं और अमरीका की कुछ सार्वभौमिक ग्रस्तता का उल्लेख किया।

4.00 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम् पीठासीन हुए]

मैं कोई ऐसी क्षणिक बात नहीं कर रहा हूं कि अमेरिका और भारत के संबंध तार-तार हो गए हैं, इसके विपरीत अनेक क्षेत्रों में वे मजबूत हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में हमें धक्का लगा है, परन्तु सार्वभौमिक सम्बन्धों के बारे में श्री आर्मकोस्ट ने अपने वक्तव्य, जिसे मैंने पढ़ा है, में अपने विश्व की रणनीति संबंधी योजना के बारे में जो भूमिका अमेरिका ने अदा की है, उसके बारे में कहा है। भगत जी ने भी हमारे साथ पाकिस्तान की जो अनेक लड़ाइयां हुई हैं, उनमें पाकिस्तान द्वारा किए गए हथियारों के प्रयोग का उल्लेख किया है कि ये हथियार अमरीका द्वारा सप्लाई किए गए थे और इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि पुनः ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साम्यवाद को सीमित रखने का भी उल्लेख किया था जिसका अनुकरण अमेरिका के पूर्ववर्ती प्रशासकों ने किया था। उन्होंने आणविक कार्यक्रम के बारे में डा० गालब्रेथ की कुछ टिप्पणियों और गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका का भी उल्लेख किया था। वह हमारे इस विचार से सहमत थे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच आणविक कार्यक्रम का मामला द्विपक्षीय मामला ही नहीं है इसलिए इस पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सुरक्षा वातावरण का पुनः उल्लेख किया था जिस पर मैंने पहले थोड़ा बहुत प्रकाश डाला था।

उसके बाद श्री रमैय्या ने कहा कि अमरीकी-भारत सम्बन्धों के बारे में विचार करते समय

हमारा दृष्टिकोण सन्तुलित होना चाहिए। जी हां, अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्ध निसन्देह परिपक्व, स्वस्थ और दोस्ताना होने चाहिए। यहां पर, हमारी चिन्ता का विषय सुरक्षा वातावरण है। उन्होंने कहा है कि अमरीका के साथ और अधिक जन सम्पर्क किया जाना चाहिए। अगले ही सप्ताह भारत-अमरीका व्यापार परिषद की बैठक हो रही है। विभिन्न उप-आयोगों की बैठकें हो रही हैं। अमरीका से अनेक प्रतिनिधिमण्डल भारत आते हैं और मेरे पास उन लोगों की सूची है जो वहां से आये हैं, मैं यहां से अमरीका जाता हूं—यहां से भी कई लोग शिक्षा के लिए, कई लोग सांस्कृतिक कारणों से, कई लोग लेक्चर देने के लिए अमरीका जाते हैं। समाचार पत्रों और साहित्यिक रचनाओं का आदान-प्रदान होता है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां··· (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : भारत महोत्सव भी।

श्री के० नटवर सिंह : भारत महोत्सव की याद दिलाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत से लोग इसके बारे में क्या कहते हैं इसकी परवाह किये बगैर हमारे सम्बन्धों के बारे में यह एक प्रमुख घटना थी।

जिस समय मैं वाशिंगटन में था तो कम से कम 3-4 सीनेटरों और कांग्रेसमैनों ने मुझसे कहा था कि भारत महोत्सव से पूर्व भारत के बारे में उनकी जो जानकारी थी वह बहुत ही कम थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने मुझसे यह कहा कि वह यह नहीं जानते थे कि भारत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की जाय। भारत के बारे में उनके कुछ पूर्वाग्रह थे और ये पूर्वाग्रह पहले से चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे भारत की संस्कृति, परम्परा, सभ्यता और आधुनिक भारत, और भारत क्या कर रहा है, वह सब इससे जान सके। इसे देखकर लोगों को अच्छा लगा।

डा० स्वैल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मामले के बारे में आप क्या कहते हैं और भगत जी क्या कहते हैं, मेरे लिए इन दोनों बातों का सदैव बहुत अधिक महत्व रहा है क्योंकि भारत के राजदूत के रूप में मुझे कुछ अनुभव है। आप इन समस्याओं को समझते हैं, आपने इनका गहन अध्ययन किया है। मैं सोचता हूं कि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान के पतन के बाद अमरीका ने जो भौगोलिक नीति अपनाई है, आपने उसके बारे में चर्चा की है। यह भी अल्पकालीन है। हमारी दौड़ लम्बी है। हमारा इतिहास लगभग 5000 वर्षों का है। इसलिए आपने जिस अल्पकालीन दृष्टिकोण का उल्लेख किया है और अमरीकी नीति सलाहकारों ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार इस विशेष दृष्टिकोण को अपनाया है परन्तु इससे अमरीका के साथ हमारे संबंधों और इस सारे क्षेत्र में दरार पड़ी है, इसलिए मैं इस बात के लिए आपका विशेष आभारी हूं कि आपने इस विशेष मुद्दे का उल्लेख किया। आपने आणविक कार्यक्रम और अवाक्स का भी उल्लेख किया है, आपने जो भी कहा उसमें से अधिक बातों के साथ हम सहमत हैं, सरकार भी सहमत है।

अनेक अन्य सदस्यों ने कहा है कि मैं अमरीका गया था और खाली हाथ लौट आया। मैंने सभा को बता दिया है कि मैं वहां क्यों गया था। यह एक परिपक्व मार्गदर्शक विदेश नीति का ही एक अंग है। मैं वहां उनसे कोई प्रमाणपत्र लेने अथवा कोई खरीददारी करने के लिए नहीं गया था। मैं तो उनको यह बताने के लिए गया था कि इस सदन और सरकार

का दृष्टिकोण इसके बारे में क्या है। यह किसी भी सरकार का यह कर्तव्य और दायित्व है। हम चुपचाप यहां पर बैठे नहीं रह सकते हैं। राजनीति बहुत जटिल होती है, इसमें कोई तात्कालिक हल नहीं मिलता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में यहां तक कि न्यूनतम प्रगति भी सराहनीय होती है क्योंकि विदेश नीति के मामलों में बड़ी शक्तियों के लिए दाव पेचों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए यहां पर खाली हाथ लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। श्री भगत ने इस बात को कहा है, उनका इससे क्या आशय था, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या जाने से पहले आपने विदेश कार्यालय में अमरीका के राजदूत को बुलाया था ?

श्री के० नटवर सिंह : जी हां, वास्तव में वह आज 3 बजे मुझसे मिलने भी वाले थे। मैंने उनसे मुलाकात स्थगित कर दी। परन्तु जाने से पहले मैं उससे मिला था। मैंने जो भी सभा में कहा है उससे भी वही कहा। (**व्यवधान**) मैं विदेशी मामलों संबंधी समिति के सभापति से मिल था। मैं श्री मोनीहान और अनेक कांग्रेसजनों से भी मिला था।

श्री शहाबुद्दीन ने अब हमारी विदेश नीति में निरन्तरता के बारे में कहा था। मैंने अभी भारत की विदेश नीति में पिछले 40 वर्षों से चली आ रही इस बेमिसाल निरन्तरता का उल्लेख किया है। इसके मार्गदर्शी सिद्धान्त और ढांचा पंडित नेहरू द्वारा तय किये गए थे। हमने इधर-उधर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है परन्तु मुख्य ढांचा वही है। आपकी जिन्दगी के पिछले 20 वर्ष उस ढांचे से जुड़े हुए हैं। आप विदेशी मामलों में रुचि रखते हैं। इस संबंध में आपकी बातों को सुनना मुझे हमेशा अच्छा लगता है भले ही कभी-कभी मैं सखेद आपकी बात से असहमत होता हूं, क्योंकि आपने और मैंने बुरे दिनों में एक साथ काम किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह अन्तर-विभागीय वाद-विवाद है।

श्री के० नटवर सिंह : ठीक है, मैं यह कहूंगा, वह एक अच्छा आदमी है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। (**व्यवधान**)

तब श्री जैनुल बशर ने पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों का उल्लेख किया था।

[हिन्दी]

मैं उन्हें बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो ख्यालात इजहार किए हैं, हम उससे बिल्कुल वाकिफ हैं। हम आइंदा भी उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पालिसी है, उस पर वह उसी तरह जोर देते रहेंगे।

श्री जैनुल बशर : वाकिफ हैं या सहमत भी हैं।

श्री के० नटवर सिंह : सहमत भी हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी की टिप्पणियों के बारे में मैं उनकी टिप्पणियों और जो उद्धरण

उन्होंने पंडित जी के भाषण से दिए हैं, का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। परन्तु अब उन्होंने यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका की विदेश नीति भारत को कुदृष्टि के साथ जकड़े रखने की है। मैंने उन कारणों को स्पष्ट किया था, जिस ढंग से वे विश्व इस हिस्से पर नजर रखते हैं। उन्होंने कश्मीर के बारे में, वियतनाम के बारे में तथा पी०एल० 480 के बारे में अमरीका की नीति का उल्लेख किया था। इन सब बातों के बारे में, सदन को तथा माननीय सदस्यों को पता है। उन्होंने एन० पी० टी० का भी उल्लेख किया था और कहा था कि अमरीका और भारत के बीच सामान्य बोध बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम द्विपक्षीय आधार पर कार्य करते हैं और वे हमारे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं।

अमरीकियों के साथ लगभग 2000 सहयोग समझौते किए गए हैं। साथ ही श्री महन्ती का भाषण काफी औचित्यपूर्ण है। उन्होंने दिल्ली में श्री गोर्बाचौव के भाषण का उल्लेख किया था, जब उनसे इस मामले पर जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, कोई विशेष प्रश्न पूछा गया था। महोदय, आपने कहा है, कि हमें अमरीका में जन सम्पर्क के बारे में कुछ करना चाहिए। भारत सरकार जितना कर सकती है, कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रचार माध्यम किसी विशेष ढंग से कार्य करता है, लेकिन यदि आपके पास कोई सुझाव है तो महोदय, हम उन्हें आपसे प्राप्त कर अत्यधिक आभारी होंगे।

श्री वीरसेन जी ने पंडित जी के समय से, भारत के साथ अथवा पाकिस्तान तथा अन्य देशों के साथ अमरीका के सम्बन्धों के बारे में एक ऐतिहासिक विश्लेषण तैयार किया है। उनके विचार में ये सम्बन्ध हमारी सुरक्षा के प्रतिरोधी हैं। अधिकांशतया माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार, आपने जो कुछ कहा है, उसके अनुरूप हैं कि शस्त्रों की बिक्री से आवश्यक रूप से इस क्षेत्र में तनाव में वृद्धि होती है, शस्त्रों की दौड़ से हमारे खर्च में वृद्धि होगी। हमारी भी ये सब आशंकाएं हैं, जो आपने व्यक्त की हैं। आपने कुछ अन्य देशों के साथ सम्बन्धों का भी उल्लेख किया था, लेकिन यह वाद-विवाद की सीमा-क्षेत्र के बाहर की बात है और मैं उसे छेड़ना नहीं चाहूंगा।

अंत में सामान्य तौर पर श्री गोस्वामी···

श्री वीर सेन : मोनरो डॉक्ट्राइन के बारे में कोई विचार ?

श्री के० नटवर सिंह : मैं मोनरो डॉक्ट्राइन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि श्री गोस्वामी ने भी यह कहा था कि वे इसके विरोध में हैं—जिसकी वजह से मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, उसका भी एक कारण है, वह एक पेशेवर कूटनीतिज्ञ है, मैं 'तैयार विदेश नीति' बनाने के पूर्णतया विरुद्ध हूं। 'तैयार विदेश नीति' के अपने खतरे हैं और मैं राजनीति में इतने लम्बे अरसे से हू कि इसके खतरों को भलीभांति जानता हूं। लेकिन यदि आप चाहते हैं, तो मै इसके बारे में बाद में आपके साथ चर्चा करूंगा। परन्तु, मैं यहां आपके प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं देना चाहूंगा।

अंत में, श्री गोस्वामी ने कहा है कि हम यथासंभव ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ सम्बन्ध बनाने का निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और खास तौर पर अमरीका जैसे देश के साथ,

परन्तु उन्होंने पाकिस्तान को हथियारों तथा रक्षा उपकरणों की सप्लाई के बारे में जो कुछ घटित हो रहा है, उसकी भी आलोचना की है।

अंत में, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री गोस्वामी ने बताया है कि हमारा अपने पड़ौसियों के साथ एक प्रकार का बड़े भाई जैसा रवैया रहा है। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसके विपरीत पंडित जवाहर लाल नेहरू के दिनों से ही हमारी विदेश नीति जातिवाद तथा अलगाववाद को छोड़कर सभी के प्रति दोस्ताना तथा सद्भावनापूर्ण रही है।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व—क्या मुझे एक बार पुनः माननीय सदस्यों—उन बारह सदस्यों, जो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हम सबकी चिंता का विषय है, बोले थे, सदन के सभी सदस्यों, सदन के सभी वर्गों का क्योंकि सदन ने इस भाग में सुरक्षा सम्बन्धी विषय पर चर्चा की है, का धन्यवाद करना चाहिए, और अंत में मैं माननीय सदस्यों का मेरी बातों को इतनी शांति से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। महोदय, धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके भाषण से ऐसा प्रतीत होता है, आप अस्थिरता के किसी खतरे को महसूस नहीं करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह केवल प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के बीच विवाद के कारण ही है।

श्री के० नटवर सिंह : महोदय, मैं एक अत्यधिक अनुशासन-प्रिय व्यक्ति हूं, मैंने अपने आपको वाद-विवाद के विषय तक ही सीमित रखा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : लेकिन आप मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, क्या मैं कह सकता हूं··· (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने अस्थिरता का उल्लेख किया है। यदि 'अवाक्स' की सप्लाई तथा अमरीका की अन्य गतिविधियां भारत को अस्थिर नहीं कर रही हैं, तो उन्हें 'अवाक्स' लेने दीजिए। आप इसके बारे में इतने चिन्तित क्यों हैं ?

श्री के० नटवर सिंह : अस्थिर किसे ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हर बात को—हमारी नीतियों को, हमारी गुट-निरपेक्षता को तथा वही सब जो अपने कहा है। (**व्यवधान**)

श्री के० नटवर सिंह : महोदय, क्या मैं सादर यह निवेदन कर सकता हूं, कि मैंने यह कहा है कि विश्व के इस भाग में हथियारों का भेजे जाने से हमारे सम्बन्धों पर काफी दबाव पड़ रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यही सब कुछ नहीं है। भारत को अस्थिर करने के लिए, जिसमें खालिस्तानी आन्दोलन को बढ़ावा देना भी शामिल है, किए गए षडयंत्र में उनके शामिल होने की बात को वाद-विवाद के लिए उद्घाटित करने की आवश्यकता है।

श्री के० नटवर सिंह : हम भारत-अमरीकी सम्बन्धों के बारे में विचार कर रहे हैं और

मैंने अपने आपको केवल उसी विषय तक सीमित रखा है। अब यदि आप अन्य विषयों पर बात करना चाहते हैं तो किसी अन्य समय पर ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बिल्कुल इस विषय का ही एक अंग है। यह पूर्णतया संगत है। **(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा : माननीय मंत्री महोदय ने मुख्य रूप से भारत द्वारा निभाई जा रही रचनात्मक भूमिका का जिक्र किया है, जिसमें भारत ने 'सार्क' की स्थापना करने तथा हमारे पड़ौसी देशों में विकास के उद्देश्यों के लिए निधि का सृजन करने के लिए भी सफलता प्राप्त की है।

सभापति महोदय : क्या आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या आपने 'सार्क' के माध्यम से हमारे पड़ौसी देशों के बीच सहमति की भावना लाने के लिए हमारे द्वारा की गई शुरुआत तथा हमारे द्वारा निभाई जा रही भूमिका की ओर उनका ध्यान प्रमुख रूप से आकर्षित किया है ?

श्री के० नटवर सिंह : जी, हां, महोदय मैंने ऐसा किया है ?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या अन्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पालिटिकल अफेयर्स ने परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए हमें प्रलोभन देने हेतु अपने भाषण में किसी प्रकार के लालच का प्रस्ताव किया है। यह बात उन्हें परेशान किए हुए है।

श्री के० नटवर सिंह : मैं, काश परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी संधि के भाषण को पढ़ पाता। भारत-पाक परमाणु तनाव के बारे में उन्होंने यही कहा है ;

> "इस उप-महाद्वीप में परमाणु शस्त्रों का फैलाव क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार से महत्व की बात है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रभावी वैज्ञानिक तकनीकी क्षमताएं मौजूद हैं। दोनों के पास सिविल परमाणु शक्ति कार्यक्रमों का विकास करने के लिए उत्साहवर्धक प्रेरणाएं हैं; किसी ने भी परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और दोनों के पास असुरक्षित सुविधाएं मौजूद हैं।"

उन्होंने आगे भी कुछ कहा था। लेकिन मैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। परन्तु मैं इस उद्धरण विशेष को ज्यादा तरजीह नहीं दे सकता। परन्तु आप इस पर विचार कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आप इसे लम्बी चर्चा मत बनाइए।

श्री यतीश चन्द्र सिन्हा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या 4.2 बिलियन डालर की यह सहायता—सहायता ही है या कि ऋण ? यह आसान शर्तों वाला ऋण है या कठिन शर्तों वाला ऋण ? **(व्यवधान)**

श्री के० नटवर सिंह : आपका सोचने का ढंग बिल्कुल सही है। आप अस्थिरता के बारे में क्यों सोच रहे हैं ?

6 वर्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981 में संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान के बीच सहमति हुई थी, 3.2 बिलियन डालरों में से अंदाजन इसमें से आधा प्रत्यक्षतः मिलिटरी संघटकों से संबंधित है। अब, 1987 से 1993 की अवधि के लिए आधुनिकतम कार्यक्रम—संयुक्त राज्य अमरीका के प्रशासन ने 4.02 बिलियन डालर के अगले सहायता कार्यक्रम को कांग्रेस के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। इस सहायता कार्यक्रम में, पिछले वाले के समान 43% मिलिटरी सहायता का महत्वपूर्ण भाग है और पाकिस्तान को रक्षा प्रौद्योगिकी सप्लाई का निर्धारण किया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगली मद।

(व्यवधान)

श्री के० नटवर सिंह : मेरे पास विस्तृत विवरण है। किन्तु मेरे विचार में यह चर्चा समाप्त हो गयी है।

4.19 म० प०

जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) विधेयक (जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे, अर्थात् मद संख्या 12 पर विचार करेंगे। श्री रामनिवास मिर्धा द्वारा 5 मई, 1987 को किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात् :

> "कि कच्चे जूट और जूट पैकेज सामग्री के उत्पादन और उसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में कुछ वस्तुओं के प्रदाय और वितरण में जूट पैकेज सामग्री के अनिवार्य प्रयोग का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के लिए आवंटित कुल समय 2 घंटे है। इस पर पहले ही एक घंटा तीन मिनट लग चुके हैं। अब हमारे पास केवल 57 मिनट बाकी हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त 19 मिनट पहले ही ले चुके हैं। अब उनसे अनुरोध है कि वे अपना वक्तव्य समाप्त कर दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं दो या तीन मिनटों में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं कल इस बात पर जोर दे रहा था कि वर्तमान मूल्यों का स्तर पर पश्चिम बंगाल और अन्य पड़ोसी राज्यों के किसानों के लिए जूट अब लाभकारी स्थिति में नहीं है। यहां तक कि ए० बी० सी कन्सल्टेंट्स जैसे एक सर्वेक्षण संगठन ने पाया है कि आज कृषक नकद हानि उठा कर जूट की खेती कर रहे हैं। इससे जूट की खेती में कमी होना अनिवार्य है। इस बार-बार होने वाली समस्या के अलावा जो किसान कई वर्षों से इस बात का सामना कर रहे हैं अब कि एक नया

प्रयास किया जा रहा है कि बैग विनिर्माता जूट के स्थान पर सिन्थेटिक पी० वी० सी० फाइबर इस्तेमाल किया जाये। इसका मतलब यह हुआ कि जूट की मांग में और कमी आयेगी और मूल्यों में भी और अधिक कमी आयेगी और इसलिए किसानों के लिए जूट की खेती बहुत ही अलाभकारी हो जायेगी। इसलिए मैं इस प्रस्तुत किये गये विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इसका समर्थन उस सीमा तक करता हूं कि यदि वास्तव में इसका कार्यान्वयन कहां तक किया जाता है, यह अंशतः उस हानि को हटा देगा जो पिछले दो या तीन वर्षों से सिंथेटिक के प्रयोग से जूट उद्योग, जूट कामगारों और जूट के किसानों को हो रही है। जिसके लिए मैं पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं। वे यदि चाहते तो इस हानि को होने से बचा सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा होने दिया।

अंततः मैं यह कहना चाहता हूं मैंने अपनी यह बात कल कह दी थी कि इसे कुछ व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए न कि जूट के लिए इस तथाकथित न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में जो बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है अब सरकार को अन्य व्यावहारिक उपायों, जिनके बारे में वे हमेशा बात करते हैं, के साथ विचार करना चाहिए कि आजकल कृषकों को जो व्यय करना पड़ रहा है उस वास्तविक उत्पादन लागत पर आधारित वास्तव में लाभकारी मूल्य उनके लिए सुनिश्चित किया जाये और उनके लिए कुछ समय पहले जो निर्णय लिया गया था और जिसका कार्यान्वयन नहीं किया गया था कि जूट मिलें कच्चे जूट की अपनी खरीद भारतीय जूट निगम के माध्यम से ही करें। अन्यथा जूट निगम की स्थापना का फायदा क्या ? मिलें निरन्तर भारतीय जूट निगम को नजर अंदाज करती रही हैं और वे अपने बिचौलियों और एजेंटों के माध्यम से सीधी खरीद जारी रख रहे हैं और भारतीय जूट निगम कहता है कि कोई भी जूट नहीं ले रहा है। इसलिए मिल खरीददारी भारतीय जूट निगम के माध्यम से अवश्य ही करायी जानी चाहिए।

मैं कहूंगा कि एन० जे० एम० सी० जो एक राष्ट्रीयकृत क्षेत्र है, केवल छः मिलों को बहुत छोटा सा क्षेत्र है, पांच मिलें पश्चिम बंगाल में है और एक मिल बिहार में है, इस क्षेत्र का विस्तार क्यों न किया जाये। मुझे यह बात नहीं समझ में आ रही है। यहां तक कि यदि हम सभी जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते, तो कोई कारण नहीं है कि एन० जे० एम० सी० को अस्तित्व में लाया जाये, सरकार इतने वर्षों बाद अपने आपको इसके लिए अनुकूल बना करके इस उद्योग में कार्यरत किसी राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को इस बात के लिए आग्रह करेगी। यदि अन्य मिलों को बचाना है और उन्हें उन मिल मालिकों की मर्जी पर नहीं छोड़ना है जो वास्तव में इस उद्योग के प्रति अब रुचि नहीं रखते तो मैं इस बात पर जोर देता हूं कि अन्य कई मिलों को भी इस एन० जे० एम० सी० में मिला करके इसका विस्तार किया जाये। श्री राम निवास मिर्धा को जानना चाहिए मिल कि मालिक अब इस उद्योग को चलाने में और इसके विकास में रुचि नहीं रखते हैं। वे तो इस बात में रुचि रखते हैं कि कब वे जूट मिलों से पैसा पैदा करके उस पैसे को देश के अन्य भागों में अन्य उद्योगों पर लगा कर पैसा कमायें। वे यही करते हैं। श्री राजीव गांधी के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ या इसके लगभग रुपयों की पेशकश की बात कहने की बात से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यदि वे आधुनिकीकरण में रुचि रखते हैं तो मिल मालिकों को बहुत पहले कदम उठाना चाहिए था। वास्तव में, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के पास कई वर्षों से एक ऐसी योजना थी जिसके अनुसार आधुनिकीकरण प्रयोजन के लिए बहुत ही उदार

शर्तों पर उन्हें ऋण दिया जाता है। किन्तु जूट मालिकों ने कभी भी उसका लाभ नहीं उठाया। उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। इस उद्योग की बरबादी ही अथवा इन्हें कुछ भी हो उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वे अब अन्य उद्योगों में रुचि रखते हैं। इसे केवल एक दुधारू गाय मानते हैं और इसके अलावा वे इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं मानते। यदि इन मिलों की रक्षा करनी है यदि कामगारों और कृषकों के साथ-साथ इस उद्योग की रक्षा करनी है तो अवश्य ही एन० जे० एम० सी० का और विस्तार किया जाना चाहिए ताकि कुछ और मिलों को भी इसमें शामिल किया जा सके।

महोदय, फिर मैं कहूंगा कि आधुनिकीकरण को, यहां तक कि यदि सरकार कम से कम अपनी मिलों में, राष्ट्रीयकृत मिलों में, कतिपय सीमा तक लाना चाहती है तो आधुनिकीकरण इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि बड़ी सीमा में कामगारों की छंटनी करनी पड़े। वास्तव में, जूट मिलों में बैचिंग, कताई तथा तैयार करने संबंधी संचालन पहले से ही आधुनिक हैं। आगे और कुछ आधुनिक बनाने के लिए नहीं है। आधुनिक बनाने के लिए केवल एक ही संचालन कार्य बचा है तथा वह है बुनाई विभाग जहां पर करघे हैं। यदि अति आधुनिक करघे बाहर से आयात करके इन मिलों में लगाये भी जाते हैं, तो उनसे उत्पादित माल वे बेच नहीं पायेंगे क्योंकि बाहर उसकी मांग ही नहीं है। वास्तव में, पुराने करघों में स्वचलित शटल लगाकार तथा मशीनों में थोड़ा-सा फेर-बदल करने से वे अच्छा काम कर रहे हैं। अतः मेरे विचार से आधुनिकीकरण के नाम पर हमें सावधान रहकर बड़ी संख्या में कामगारों की छटनी नहीं करनी चाहिए। मैं सभा को याद दिलाता हूं कि पश्चिमी बंगाल की मिलों में सबसे अधिक या भारी संख्या में कामगार कई अन्य राज्यों से आए हैं। यह केवल वहां सेवारत बंगाल के लोगों का ही प्रश्न नहीं है। अधिकांश लोग बिहार, उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा तथा कई अन्य राज्यों के हैं और यहां तक कि आपके राज्य से भी आये बहुत से लोग पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में काम कर रहे हैं। वे यहां अपनी जीविका कमाने के लिए आए हैं। अब यदि आधुनिकीकरण के नाम पर, बड़ी संख्या में मजदूरों की छंटनी की जाती है, तो यह उन लोगों के लिए जो वास्तव में बहुत ही गरीब हैं, एक त्रासदी होगी।

अन्त में, मैं कहूंगा कि उत्पादों की विविधता एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कई वर्षों से काफी कुछ कहा गया है किन्तु किया कुछ नहीं गया है। केवल उन्हीं मानक उत्पादों का उत्पादन किये जा रहे हैं जिनका कि उत्पादन वे ब्रिटिश काल में, 150 वर्ष पहले, जब उस उद्योग को लगाया गया था, करते थे। उसी प्रकार की बोरी, बोरे पैकिंग, सब कुछ वैसा ही है जैसा उस समय था, वे किसी अन्य नए उत्पाद की ओर नहीं जाते, जिसका कि अर्थ है अनुसंधान, अनुसंधान पर किया गया खर्च तथा विविधता। उनकी इसमें रुचि नहीं है। यहां तक कि वियतनाम जैसे छोटे देश में, जिसका एक छोटा-सा पटसन जूट उद्योग है, जब मैं कुछ वर्षों पहले वहां था महोदय मैंने पाया, कि वे इस जूट से बहुत सी आकर्षक वस्तुएं जैसे—घर सजाने की वस्तुएं, पर्दे, जूते तथा यहां तक लेडीज जूते तथा हैंड-बैग और बहुत-सी अन्य वस्तुएं बनाते हैं। परन्तु हमारे देश में पटसन मिलों के मालिक इस प्रकार के अनुसंधान तथा विविधता में रुचि नहीं रखते। राष्ट्रीयकृत क्षेत्र एन० जे० एम० सी० के अन्तर्गत क्यों नहीं कुछ विविधता का कार्य अपने हाथ में लेकर लोगों को

यह दिखाता है कि जूट की सहायता से क्या-क्या किया जा सकता है। इसके बिना बाजार को कभी भी संरक्षित और सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है।

अन्त में, मैं कहूंगा कि इस उद्योग के अध:पतन का एक अन्य कारण है इसकी अनिश्चयता। यह विश्व का एक बहुत ही अनिश्चित व्यापार है। उपभोक्ता यह कभी भी नहीं जान पाता है कि अगले वर्ष कीमतें आसमान छूने लगेंगी या बिल्कुल नीचे आ जायेंगी। यह एक ऐसा अनिश्चित व्यापार है तथा भविष्य के बाजार तथा व्यापार के नाम पर यह उचित रूप से नियमित या नियंत्रित नहीं है। यह अनिश्चयता ही जूट उद्योग का दुर्भाग्य रही है तथा विशेषकर हमारे विदेशी खरीददार जो पहले काफी बड़ी संख्या में जूट की वस्तुएं खरीदा करते थे, अब कहते हैं : "हम वर्ष-दर-वर्ष का ठेका नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि कीमतों का झुकाव किस ओर होगा क्योंकि इसमें अनिश्चयता की दर अधिक है···" यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार को बहुत पहले ही हस्तक्षेप करना चाहिए था तथा इसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए था। परन्तु महोदय, अन्त में मैं कहूंगा कि दुर्भाग्यवश, जूट मिल के मालिकों की इच्छाओं, विशेषकर भारतीय जूट मिल एशोसिएशन जिनका अपना एक अलग ही तरीका था, के समक्ष सरकार द्वारा किए गये पूर्ण समर्पण का एक लम्बा इतिहास है। उन्होंने इस देश को लूटा है; उन्होंने कामगारों को लूटा है, उन्होंने किसानों को लूटा है तथा उन्होंने इस उद्योग को नष्ट कर दिया है। उन्होंने निर्यात बाजार को नष्ट किया है तथा हम आज उस स्तर तक पहुंच गए हैं जहां सरकार ने कैसी विडम्बना है, थोड़े बहुत बचे-कुचे पटसन उद्योग को भी नष्ट करने के लिए संश्लेषित सामग्री का आयात करना आरंभ कर दिया है। और फिर मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक वास्तव में ही प्रभावकारी बनाया जायेगा तथा क्रियान्वित किया जायेगा। सलाहकार समिति में, किसानों तथा कामगरों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जायेगा। अन्यथा यह आई० जे० एम० ए० के लोगों तथा सिन्थेटिक बैग उत्पादकों के बीच के झगड़ों का अखाड़ा बन जायेगा तथा लम्बी अवधि में इससे किसी का भी भला नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जूट पैकेज सामग्री, पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग बिल जो प्रस्तुत किया है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि जूट के प्रोडक्ट्स को सही ढंग से जहां तक इस्तेमाल करने का प्रश्न है और जैसा अन्य माननीय साथियों ने भी कहा है कि सिन्थेटिक का इस्तेमाल होने से जूट प्रोडक्शन पर बड़ा आघात हुआ है। जूट प्रोडक्शन पर आघात होने के साथ-साथ हमारे खेतिहर मजदूर और किसानों पर भी आघात हुआ है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, जहां हम विशेषकर कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम खेतिहर मजदूरों और जो किसान हैं, उनके प्रोडक्शन के काम में मदद करें।

अभी हमारे साथियों ने बेस्ट बंगाल की बात कही। बिहार में भी गंगा के उस पार उत्तर बिहार में बहुत-सी ऐसी भूमि है जहां जूट की लोग खेती करते हैं। जूट की खेती एक बहुत ही कठिन खेती होती है और किसानों को काफी परिश्रम करना पड़ता है। आज से नहीं बल्कि

काफी समय से जूट का प्रोडक्शन हमारे यहां होता रहा है और हमारी मिल्स में भी जूट के प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता था। आज हम देखते हैं कि जूट के प्रोडक्शन का इस्तेमाल धीरे-धीरे घट कर इतना नीचे गिर गया है, जिसका आघात हमारे खेतिहर किसानों पर पड़ा है, उसकी जगह सिन्थेटिक के प्रोडक्शन ने स्थान ले लिया है। जहां हम लघु उद्योग को प्रोत्साहन देते हैं वहां जूट के प्रोडक्शन की जो आवश्यकतायें हैं, उन आवश्यकताओं को हम किसी भी कीमत पर सिन्थेटिक के प्रोडक्शन से तुलना न करें और उससे उस खेती को और जो हमारा प्रोडक्शन होता है, उस पर आघात नहीं पहुंचायें। काफी समय से टैक्सटाइल मिल्स में जूट के प्रोडक्शन का जो कपड़ा बनता था और भी सामान बनता था वह आजकल बन्द हो गया है। पहनने के लिए जो कपड़ा जूट के प्रोडक्शन से बनता था, मंत्री महोदय उससे इन्कार नहीं करेंगे, वह बहुत ही सस्ती दर में मिलता था और जिनको हम गरीबों तथा किसानों के इस्तेमाल हेतु काम में लगाते थे। यह नहीं, हमारे गृह उद्योगों में और घरों के कामों में भी जूट के प्रोडक्शन का जो सामान था उसका बृहत् रूप से इस्तेमाल करते थे लेकिन आज वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। कम होने की वजह से नतीजा यह हुआ कि उसका आघात गरीब पर लगा और इसका प्रोडक्शन समाप्त हो गया। जूट मिल्स धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं और उसकी जगह सिंथेटिक ले रही है। इस धंधे में ढाई-तीन लाख मजदूर लगे हैं, खेतिहर मजदूर हैं इनको भूखों मरने की कगार पर भेजना और जूट का प्रोडक्शन समाप्त करना यह सम्भव नहीं है। जहां तक जूट के उत्पादन की खपत का जो बिल आप लाये हैं कम्पलसरी यूज के लिए, जितनी भी मिल्स हैं जहां जूट का उत्पादन होता है जूट के कपड़ों द्वारा, सामान द्वारा जो इस्तेमाल होना है इस बिल के माध्यम से आप उसे कम्पलसरी करने जा रहे हैं कि आवश्यक रूप से सारी मिलों को जूट उत्पादन का सामान इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुत से माननीय साथियों ने बोर्ड के निर्माण के सम्बन्ध में कहा है, मैं भी इससे सहमत हूं। मैं चाहूंगा कि आप समूचे सरकारी स्तर पर, भारतीय स्तर पर एक बोर्ड का निर्माण अवश्य करें और इसमें ऐसे लोगों को रखा जाये जो सिंथेटिक्स के काम में लोग लगे हुए हैं उनको दूसरे ढंग से, किसी तरह दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकें, जूट उत्पादन की कीमत पर।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपने जो बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, पटसन उद्योग जो कि हमारे देश के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है, वास्तव में ही एक बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। परन्तु मुझे सन्देह है कि क्या पटसन संवेष्टन सामग्री (वस्तुओं के संविष्टन में अनिवार्य उपयोग) विधेयक जैसे विधान द्वारा सरकार उन संश्लेषित कणियों के प्रयोग पर रोक लगा सकेगी, जिनके आयात की अनुमति दी जा चुकी है। सिन्थेटिक ग्रेनुले के उदार आयात की मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति दी गई है, जिससे उस संकट से उभरने में सहायता मिलेगी जिसका जूट उद्योग को सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, पटसन उद्योग की समस्याओं को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब हमारे देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की थी तथा बंगाल को विभाजित किया गया था। जब बंगाल को विभाजित किया गया था तो पटसन उत्पादक क्षेत्र तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में आ गए थे और सभी पटसन इकाईयां पटसन विनिर्माण इकाईयां पश्चिम बंगाल में रह गयी थीं। उस समय भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिम-बंगाल के किसानों से अपील की थी कि वे समुचित मात्रा में पटसन का उत्पादन करें ताकि पटसन मिलों को बन्द होने की समस्या का सामना न करना पड़े। पटसन उत्पादकों ने प्रधान मन्त्री की अपील का उत्तर दिया। उन्होंने अतिरिक्त मात्रा में पटसन का उत्पादन किया तथा भारत एक दशक में ही आत्म निर्भर बन गया। किन्तु उन पटसन उत्पादकों को, जिन्होंने अतिरिक्त पटसन का उत्पादन किया था, उनके परिश्रम के अनुकूल कीमतें प्राप्त नहीं हुईं।

वर्ष 1947-48 में पटसन का उत्पादन केवल 16.58 लाख गांठें ही था जबकि वर्ष 1961-62 में यह बढ़कर 82.62 लाख गांठें हो गया। उत्पादकों से पटसन खरीदने के लिए भारतीय पटसन निगम का गठन किया गया। परन्तु पटसन उत्पादकों का अनुभव यह रहा है कि भारतीय पटसन निगम उनके हितों को संरक्षण प्रदान करने में असफल रहा है। पटसन का सीजन जुलाई के प्रथम सप्ताह से आरंभ होता है तथा फसल जुलाई के अंत से आनी प्रारंभ हो जाती है। परन्तु भारतीय पटसन निगम अपना खरीद कार्य सितम्बर के अंत से प्रारंभ करता है जबकि बहुत से पटसन उत्पादक अपनी फसलों को सस्ते दामों पर बेच चुकते हैं।

सरकार द्वारा निर्धारित किये गए पटसन के दाम उसकी उत्पादन कीमत भी नहीं निकालते। मैं नहीं जानता कि वे कीमतें किस प्रकार निर्धारित की गई थीं, किससे सलाह ली गई थी, क्या पटसन की न्यूनतम सांविधिक कीमतें निर्धारित करते समय पटसन उत्पादक राज्यों की सरकारों से सलाह ली गई थी। पटसन उद्योग देश के लगभग आधा दर्जन एकाधिकारियों के स्वामित्व में है। एक समय राष्ट्र ने इसके निर्यात के द्वारा 41% विदेशी मुद्रा कमाई थी। इस उद्योग ने अपने स्वामियों को 1960 तथा 1971 के बीच इसके पूंजी निवेश पर 31% लाभ प्रदान किया था। परन्तु इस बड़े लाभ को आधुनिकीकरण, नवीनीकरण तथा विकास के लिए प्रयोग करने के स्थान पर उन्होंने इस निधि का प्रयोग अपना औद्योगिकी साम्राज्य खड़ा करने के लिए अन्य उद्योगों में किया। सीमेंट, नकली फाइबर, कैलशियम कारबाइड तथा अन्य क्षेत्रों में धन लगाने से बिरला जूट मिल बिरला जूट मिल्स तथा इन्डस्ट्रीज बन गई।

4.45 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसका लाभ वर्ष 1981-83 के दो वर्षों में 51 लाख रु० से बढ़कर 1000 लाख रु० हो गया। यह लगभग 20 गुना अधिक है। शक्तिशाली पटसन उद्योगपतियों द्वारा अनुसंधान और विकास कार्यों पर कोई अधिक धन राशि व्यय करने से मना करने के परिणामस्वरूप हमारे पटसन उत्पादों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतियोगी साख खो दी जिस पर कभी हमारा स्वामित्व था।

अब विश्व बाजार पर बंगलादेश का स्वामित्व है। आज वह पटसन निर्यातक बाजार का नेता बन गया है। उन्होंने भी पुराने संयंत्रों के नवीनीकरण और उन्हें बदलने के कार्य पर खर्च करने से मना कर दिया है तथा उनके कुप्रबन्धन के कारण यह उद्योग दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा है।

महोदय, आधुनिकीकरण आवश्यक है, क्योंकि पटसन उद्योग हमारे देश के पुराने उद्योगों में से एक है, परन्तु आधुनिकीकरण से कामगरों की छंटनी नहीं होनी चाहिए। पहले ही पटसन उद्योग में लगभग 1.5 लाख कामगर अपना व्यवसाय खो चुके हैं। पटसन उद्योग में अब केवल 2.5 लाख कामगर हैं। इसलिए यह आधुनिकीकरण कामगरों को बली चढ़ाकर नहीं होना चाहिए।

महोदय, यह अनुभव किया गया है कि संश्लेषित थैलों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि पी० वी० सी० संश्लेषित कणिका के आयात की अनुमति क्यों दी गई। संश्लेषित थैलों का विनिर्माण वर्ष 1964 में शुरू किया गया था, लेकिन जब ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात की अनुमति दी गई तथा वर्ष 1984 में इन संश्लेषित थैलों के विनिर्माण के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस दिए गए तो उन्होंने घरेलू बाजार पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। पटसन का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पहले ही सिकुड़कर कम हो गया है और अब छोटे या मध्यम एककों से, जिन्हें उदारता से लाइसेंस भी दिये गये थे और जो सिंथेटिक थैले बना रहे हैं, घरेलू बाजार को खतरा है। यहां तक कि भारतीय सीमेंट निगम लि० तथा भारतीय उर्वरक निगम लि० जैसे सरकारी उपक्रम भी पटसन की बोरियों, जिनका वे लंबे समय से उपयोग कर रहे थे, की जगह सिंथेटिक बोरियों का उपयोग कर रहे हैं।

महोदय, सिंथेटिक थैलों के उपयोग से स्वास्थ्य को भी खतरा है। यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी एक नई विचारधारा पनप रही है। स्वास्थ्य को खतरा होने के कारण वे फिर से पटसन के थैलों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश जो कि पटसन के थैलों के विनिर्माण में सबसे आगे है, सरकारी नीति के संरक्षण के अधीन सिंथेटिक माल की ओर जा रहा है। जब अन्य देशों में पटसन की घरेलू खपत बढ़ रही है तो हमारे यहां पटसन की घरेलू खपत के बढ़ने में क्या बाधा है ?

महोदय, विधेयक में यह प्रावधान है कि एक स्थायी समिति गठित की जाएगी। यह समिति केन्द्रीय सरकार को पटसन सामग्री के उपयोग तथा उसकी उपलब्ध मात्रा के बारे में बताएगी। विविधीकरण का प्रश्न भी शामिल किया जाना चाहिए। हमारे पटसन कारखाने बोरी और थैलों जैसे सारे परम्परागत सामान भी बना रहे हैं। तब से विविधीकरण नहीं हुआ है। अतः, उत्पादन में विविधीकरण भी शामिल किया जाना चाहिए जिसकी इस परामर्शदात्री समिति द्वारा सरकार को सिफारिश की जाएगी। इस उद्योग के अनुसंधान और विकास कार्य की ओर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि बंगलादेश ने पटसन के कालीन बनाने शुरू कर दिये हैं। उन्होंने विश्व बाजार पर आधिपत्य कर लिया है। उस प्रकार की वस्तुओं के निर्यात के उद्देश्य से हमारे पटसन कारखाने भी अच्छे किस्म के पटसन के कालीन बना सकते हैं।

महोदय, पटसन के थैलों का उपयोग न करने के लिए बहुत ही कम दंड है। इसके लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सरकार के आदेशों या अनुदेशों का पालन कौन नहीं करेगा ? महोदय, पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण से इसका समाधान होगा। राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, जिसके 6 कारखाने हैं अब इनका प्रबन्ध देख रहा है। पटसन उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। न केवल 2.5 लाख पटसन कामगारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि 40 लाख पटसन उत्पादकों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। इस उद्योग को बचाने के लिए व उबारने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अपबंधन को तोड़ा जाना चाहिए। यदि आप धन देते हैं तो भी कारखानों के ये मालिक उसका उपयोग नहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने विगत में किया वैसे ही वे धन का कहीं और उपयोग करेंगे। धन तो दिया गया था लेकिन उन्होंने इसका कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए उपयोग नहीं किया। उन्होंने कारखानों को बर्बाद कर के रख दिया। वे कारखानों के आधुनिकीकरण में रुचि नहीं रखते हैं। वे अपने उत्पादन में विविधता लाने के भी इच्छुक नहीं हैं। वे अब अन्य क्षेत्रों के कार्य-कलापों में रुचि रखते हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण उद्योग को बचाने का केवल एक मात्र उपाय इसका राष्ट्रीयकरण है, जो सरकार को करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री महेश्वर तांती (कलियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पटसन उद्योग में लगे उत्पादकों और कामगरों के कल्याण के लिए यह विधेयक बहुत अच्छा है। परन्तु मुझे यह आशंका है कि जब यह विधेयक पारित हो जायेगा तो स्वयं ही समाप्त हो जायेगा। अपने अनुभव से हमने यह देखा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिये श्रमिक वर्ग तथा इस राष्ट्र के लोगों के लिए अनेक कानून पारित किये गए लेकिन उन कानूनों को समुचित रूप से लागू नहीं किया गया तथा ये कानून मूक दर्शक बन कर रह गए। यद्यपि सरकार लोगों की सेवा के लिए वचनबद्ध है, लेकिन यह उन कानूनों, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग से संबंधित कानूनों को लागू करने में असमर्थ रही है।

असम एक प्रमुख पटसन उत्पादक राज्य है, परन्तु यदि आप असम जाएं तो आप एक भी पटसन उद्योग नहीं पाएंगे और न वहां पर भारत पटसन निगम या अन्य अभिकरण के द्वारा विपणन की सुविधायें दी गई हैं। लोग केवल उत्पादन कर रहे हैं और वे विपणन के लिए दलालों की दया पर हैं। जबकि दलाल पैसा बना रहे हैं, गरीब लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वे अपना उत्पाद कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य हैं तथा वहां इसकी जांच करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं है। मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है।

असम में सिलहट में केवल एक सरकारी पटसन कारखाना है और वह भी बन्द होने ही वाला है। वहां इसकी ओर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। हमने सरकार को इस बारे में बताया है लेकिन वह इस सम्बन्ध में मूक है।

यदि आप इस विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ें तो आप पायेंगे कि इसमें पटसन उत्पादकों की सुरक्षा और साथ ही साथ विपणन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

इस विधेयक की धारा 2 के अधीन एक स्थायी परामर्शदात्री समिति होगी, परन्तु समिति

के सदस्य कौन होंगे ? इसका गठन कैसे किया जायेगा ? इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यह दिखावे मात्र के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुमत है इसलिए मुझे विश्वास है कि यह विधेयक सभा द्वारा पारित कर दिया जायेगा, लेकिन यह कानून कोई उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से पटसन उत्पादन और उद्योग में लगे लोगों तथा उत्पादकों और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रगतिशील कानून लाने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय मन्त्री जी से इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने तथा विशेष रूप से उत्पादकों और कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए एक बार फिर अनुरोध करता हूं।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, सदन में इस विधेयक को जो आम समर्थन दिया है, उसके लिए उनका आभारी हूं। इस चर्चा में एक तरह से पटसन उद्योग के उत्पादकों से लेकर विपणन, विनिर्माण, निर्यात समेत सभी पक्षों को समेट लिया गया है। और माननीय सदस्यों ने इस पुराने उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर बल देते हुए इसमें रुचि दिखाई है, लेकिन इसी के साथ ही साथ यह उद्योग मात्र पूर्वोत्तर का ही नहीं है बल्कि कुल मिलाकर सारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है।

5.00 म० प०

इस विधेयक पर बोलते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि पटसन उद्योग के सभी पहलुओं तथा पटसन स्थिति से निपटने हेतु यह विधेयक एक व्यापक विधेयक नहीं है। उत्पादन और विपणन की बात से शुरू करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का एक बड़ा सीमित उद्देश्य है और पटसन उद्योग की कार्यदशा में सुधार करने तथा पटसन क्षेत्र के लिए पैकेजिंग (संवेष्टन) के कुछ स्थान को आरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक है। यह इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि, जैसाकि अनेकों माननीय सदस्यों, विशेषकर श्री बासुदेव आचार्य और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कणी के आयात तथा संश्लिष्ट द्वितीय उद्योग के बारे में कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य इस अत्यन्त आयायित स्थिति को दूर करना तथा विभिन्न उद्योगों में कतिपय संवेष्टन क्षेत्रों को केवल पटसन से लिए आरक्षित करना है जिससे पटसन मिलों के साथ ही पटसन उत्पादकों को भी बचाया जा सके।

अब मुझे इस बात के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है कि कणी का आयात क्यों शुरू किया गया; इतने संश्लिष्ट यूनिटों के लिए अनुमति क्यों दी गई लेकिन माननीय सदस्यों को एक तथ्य ध्यान में रखना होगा कि वर्ष 1984 और इसके आसपास पटसन की कीमतों पर भारी दबाव था और यह बहुत महंगा था, पटसन के बारे में और पटसन का अन्य सामान बड़ा महंगा हो गया था तो तब से ही ये संश्लेषित लोग सामने आए। उनको इस आशा से प्रोत्साहन दिया गया कि पटसन पैकेजिंग सामान आदि की कमी और पटसन की ऊंची कीमतों की संश्लिष्ट क्षेत्र से भरपाई की जा सकेगी। लेकिन एक तरह से यह बात वश में नहीं रही क्योंकि इतनी अधिक क्षमता पैदा हो गई है कि यह सुनिश्चित करने के लिए यह विधान लेकर आना पड़ा कि देश के

औद्योगिक क्षेत्र की पैकेजिंग आवश्यकताओं के लिए मुख्य अंश पटसन के लिए आरक्षित रखा जाए। यह इस विधेयक का भले ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

महोदय, पटसन उत्पादकों की बात शुरू करते हुए उन योजनाओं के समग्र विस्तार में जाने का तो मेरे पास अधिक समय नहीं है, जिन्हें हम आरम्भ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दो योजनाओं की घोषणा की है; आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रु० की योजना तथा विशेष पटसन विकास निधि के लिए 100 करोड़ रु० की योजना। इस 100 करोड़ रु० में से 25 करोड़ रु० कृषि क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए हैं तथा हम कृषि अनुसंधान कृषि प्रणालियां, विस्तार प्रणालियों और बीजों में सुधार के लिए धनराशि देंगे। अभी तक भी पटसन के बीजों की बंगाल की आवश्यकताएं महाराष्ट्र से पूरी की जाती हैं जिससे पश्चिम बंगाल जो कि एक प्रमुख पटसन राज्य है, का एक बहुत कम- जोर कृषि ढांचा प्रदर्शित करता है। हम इस असंतुलन को हटाना चाहते हैं। हम वहीं पर अनुसंधान शुरू करना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य ने उन पटसन उगाने वाले किसानों की प्रशंसा की है जिन्होंने पंडित नेहरू के कहने पर पटसन उत्पादन को लगभग नगण्य से बढ़ाकर अधिमात्रा की स्थिति में ला पहुंचाया तथा यह पटसन उत्पादक किसानों की बड़ी भारी उपलब्धि है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जैसा अनुसंधान समर्थन हमने गेहूं, हरित क्रान्ति अथवा कपास अथवा नई किस्म के बीजों के विकास को दिया वैसा पटसन को नहीं दिया गया है। इसे छोड़ ही दिया गया है।

हम इस 25 करोड़ रु० को कुछ मूलभूत अनुसंधान, नई किस्मों के उत्पादन, कृषि विस्तार कार्य तथा कृषि पक्ष की देखभाल पर, खर्च करना चाहते थे परन्तु जैसा कि मैंने कहा है इस पर अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसका दूसरा पहलू है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस कार्य को करने के लिए कौन-सी एजेंसी होगी।

श्री राम निवास मिर्धा : सभी तरह की एजेन्सियों; पश्चिम बंगाल अनुसंधान फार्म केन्द्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान आदि। उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और हम इन संगठनों को इस हेतु कार्य करने के लिए धन देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस उद्देश्यार्थ एक अलग संगठन स्थापित किया जाएगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : कुछ संगठन हैं जो पहले से ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हमें कोई नया संगठन नहीं चाहिए। इस सन्दर्भ में हम चाहते हैं कि वर्तमान आधारभूत ढांचे को ही मजबूत बनाया जाए और इन संगठनों की सहायता की जाए। यदि पश्चिम-बंगाल फार्मस् अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब हम उन्हें इस विशेष निधि से सहायता देंगे और यदि कृषि मन्त्रालय के फार्मस् अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम उनकी भी सहायता करेंगे। हम इस निधि का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। हो सकता है एक निगम अथवा कोई समन्वयक निकाय अपरिहार्य हो परन्तु मेरे विचार से ऐसा कोई संगठन आवश्यक नहीं है।

उत्पादन के बाद जे० सी० आई०—भारतीय पटसन निगम की भूमिका की बात आती है। भारतीय पटसन निगम के बारे में काफी कुछ कहा गया है और कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां भी

की गई हैं। मैं कहूंगा कि भारतीय पटसन निगम ने अच्छा काम किया है और कुछ सालों से इसके कार्य निष्पादन में सुधार हुआ। इस सन्दर्भ में कुछ तथ्य उल्लेखनीय हैं। वर्ष 1984-85 में भारतीय पटसन निगम ने देश में पैदा हुए कुल पटसन का 14 प्रतिशत खरीदा, 1985-86 में 23 प्रतिशत, और 1986-87 में यह बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया। हम इस संगठन को धीरे-धीरे मजबूत बना रहे हैं जिससे कि भारतीय पटसन निगम कुल उपलब्ध फसल का अधिकाधिक प्रतिशत कम से कम समर्थन मूल्य पर खरीद सके। यह ज्यादा कुछ क्यों नहीं कर सका, इसका एक कारण है कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र, जैसा स्वयं श्री इन्द्रजीत गुप्त ने माना है, बड़ा कमजोर है। हमारा इसे मजबूत बनाने का प्रस्ताव है और हम पहले ही ऐसा कर रहे हैं। उन सभी राज्यों में, जहां पटसन उगाया जाता है तथा इसकी वसूली की जाती है, केवल 197 भारतीय पटसन निगम के विभागीय केन्द्र हैं जबकि राज्य सहकारी केन्द्र 305 हैं। सभी राज्यों में सहकारी क्षेत्र कमजोर हैं। विपणन समितियां आगे नहीं आ रही हैं और भण्डारण सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। हम इस 100 करोड़ रु० की विशेष निधि में से 10 करोड़ रु० पटसन सहकारी समितियों को मजबूत बनाने तथा भारतीय पटसन निगम की भण्डारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। राज्य के समस्त सहकारी विभागों को सहकारी ढांचा मजबूत करने हेतु पैसा दिया जाएगा ताकि वे भारतीय पटसन निगम की यथासम्भव माल लेने में सहायता करने हेतु सहकारी ढांचे को सशक्त बना सकें जिससे कुल फसल वसूली प्रतिशत आज जितना है उससे कहीं ज्यादा हो सके।

श्री वसुदेव आचार्य : बाजार में पटसन की फसल आने के तुरन्त बाद ही भारतीय पटसन निगम खरीददारी शुरू क्यों नहीं कर देता है ?

श्री राम निवास मिर्धा : ऐसा कहना सही नहीं है। वे हमेशा तैयार रहते हैं। परन्तु महोदय आप यह कल्पना तो कर सकते हैं कि पांच सात व्यक्ति सैकड़ों पटसन कार्डधारी व्यक्तियों से घिरे बैठे होते हैं। मुझे पता चला है कि वह सारी रात वहां बैठे रहते हैं। भंडारण की भी कोई जगह नहीं है। एक ही व्यक्ति पटसन तौलता है। कोई श्रेणीकरण वहां नहीं होता है। जिस दबाव और तनाव में वह कार्य करते हैं क्या वह सोच सकते हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इन परिस्थितियों में, वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु हम सहकारी समितियों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं जिन्हें हम सशक्त बनाना चाहते हैं। हम यह देखेंगे कि वे ठीक समय पर तैयार रहें। यदि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें पहले से ही तैयार रहने के लिए कहेंगे। कभी-कभी अनजाने में हम पकड़े जाते हैं। उदाहरणस्वरूप भारतीय कपास निगम के मामले में ऐसा हुआ था। एक बार फसल पहले ही आ गई और वे मामूली तौर पर अनजाने में पकड़ में आ गए। अतः ऐसा हो सकता है। निश्चय ही हम आपका सुझाव लेंगे और यह देखेंगे कि सब कुछ सही ढंग से किया जाए ताकि सही समय एवं तरीके से खरीद शुरू की जा सके।

अब मैं गुणवत्ता और विविधता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पटसन की किस्म जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक विविधता नहीं लाई जा सकती। अभी भी अच्छी किस्म के पटसन की कमी है। यह अच्छे दाम की मांग करता है। पूरे मौसम में फसल आने के समय से ही अच्छी किस्म के पटसन की कमी रहती है तथा इसका बहुत अधिक दाम रहता है। इसलिए फसल का एकड़वार क्षेत्र बढ़ाने के बदले जैसा कि श्री मनोज पांडे, बिहार के हमारे मित्र ने कहा है, हम प्रति एकड़ में पटसन की उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तथा दूसरे हम अच्छी किस्म का पटसन

खरीदना चाहते हैं जिसकी मांग की कोई कमी नहीं है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विविधता लाई जाएगी। हम दस करोड़ रुपये अनुसंधान के लिए रख रहे हैं, जिसमें विविधीकरण भी शामिल है। हमें विविधता लाकर नए क्षेत्रों में जाना है। पारम्परिक पैकेजिंग क्षेत्र से प्रारंभ में अधिक नहीं मिलता। दूसरे, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अधिक नहीं है, जो कि अधिक हो सकता है। यदि हम अच्छी किस्म का उत्पादन करेंगे तो हमें अच्छा मूल्य मिलेगा तथा हम अच्छी तरह प्रतियोगिता भी कर सकते हैं। हमारे यहां कृषि लागत तथा मूल्य आयोग है जो इन सब तथ्यों को देखता है तथा रुई, पटसन तथा अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि यहां जो कुछ भी कहा गया है वे उस पर ध्यान रखेंगे तथा देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना अधिक हो कि वह लाभकर हो। परन्तु जब तक पटसन की किस्म में सुधार नहीं होगा तब तक जितना हम चाहते हैं वह उतना लाभकर नहीं होगा। यहां पर आधारभूत अनुसंधान प्रयत्न किया जाना चाहिए।

दूसरी बात विधेयक के बारे में कही गई है, जिसका जिक्र मैं अवश्य करना चाहूंगा अर्थात् कुछ कमियों के बारे में है; उदाहरणस्वरूप निरेहता की शक्ति। हम किसी और तरीके से शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते यदि करना भी चाहें तो हमें सभा के समक्ष आना होगा। विधि मंत्रालय तथा अन्य सलाहो पर ऐसा हुआ है। यदि कुछ कठिनाई हुई तो उनको नोट किया जाएगा।

जुर्माना खंड के बारे में भी कुछ जिक्र किया गया है। झूठा वक्तव्य देने, झूठी आय-कर विवरणी देने अथवा विवरणी न भरने पर 5000 रु० का जुर्माना होगा। यह इस अधिनियम की पूरी अवहेलना करने पर जुर्माना नहीं है। यह केवल झूठे विवरण आदि के लिए जुर्माना है। अवहेलना करने पर पटसन की पैकेज सामग्री की लागत की दुगनी राशि चूककर्ता एकक द्वारा जुर्माने के रूप में भरी जाएगी। अतः यह पर्याप्त होगी। यदि वंचना पर्याप्त है तो चूक की गई राशि की दुगनी रकम भरनी होगी। वह कई लाख गांठें भी हो सकती हैं या सैंकड़ों अथवा हजारों वैगन भी हो सकती हैं। यदि आपको इस लागत की दुगनी राशि को देखना पड़े तो यह काफी अधिक होगी। इसलिए मेरे विचार से इस पर ध्यान रखा जाएगा। हम विधि मंत्रालय से भी परामर्श कर रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि सब ठीक हो जाना चाहिए। हम पटसन की परिभाषा के सम्बन्ध में भी विधि मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं। जैसा कि इन्द्रजीत जी ने भी कल कहा है दूसरे संदर्भ में भी इसे लिया जा सकता है तथा हमें यही सलाह दी गई कि पटसन शब्द आवश्यक है क्योंकि कभी-कभी उसमें सुतली भी होती है। तथा कभी-कभी···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुतली अलग से आती है।

श्री राम निवास मिर्धा : वहां यह अलग होती है। परन्तु उन्होंने कहा है कि इससे कुछ और भी अभिव्यक्ति निकल सकती है। इसलिए सावधानी ही क्यों न बरती जाए। यदि आपको ध्यान हो तो, यह कहा गया है कि···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भगवान ही हमें बचाए।

श्री राम निवास मिर्धा : जहां तक स्थायी परामर्शदात्री समिति का संबंध है, उसके गठन के बारे में कई सुझाव आए हैं। हमने गठन के बारे कुछ भी निश्चित नहीं किया है परन्तु हमने

मात्र यही कहा है कि इसमें वही लोग शामिल होंगे, जिन्हें इस या उसकी कुछ जानकारी है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि समिति में मिल के हितों को रखा गया तो, अन्य हित जिसमें श्रम तथा खेतिहरों के हित भी शामिल हैं, रखे जायेंगे। अभी हमने यह निश्चय नहीं किया है कि यह किस प्रकार की समिति होगी क्योंकि इसकी एक बार बैठक होगी तथा कुछ समय के लिए यह प्रतिशत तथा इसके क्षेत्र के बारे में निर्णय लेगी। यह थोड़ा सा जटिल है। उसके प्रयोग के बारे में उन्हें व्यक्ति की क्षमता को देखना होगा। उदाहरण के तौर पर सीमेंट अथवा उर्वरक को लीजिए गेहूं अथवा धान के लिए कितनी बोरियों की आवश्यकता है तथा फिर यह देखना होगा कि उस विशेष-वर्ष पटसन की उपलब्धता कितनी है ? इसलिए, सरकारी स्तर पर तो यह कुल मिलाकर एक विशेषज्ञ समिति होगी। मेरे विचार से इस प्रकार की कार्यवाही करनी आवश्यक है उसके बाद पटसन की पैकेजिंग के प्रतिशत के स्तर का अनुमान लगाना ठीक होगा। यदि पटसन की कमी है तो बाद में प्रतिशत भिन्न आ सकता है। इसलिए हम उन्हें समय-समय पर बैठक करने और सरकार को प्रतिशत और जिन क्षेत्रों में यह सब किया जाना है, का सुझाव देने का आदेश देते रहते हैं।

अन्त में उपयुक्त कार्यान्वयन के बारे में भी मैं कुछ कहूंगा। निस्सन्देह इसका अथवा किसी अन्य लाभकारी विधान का यह मूल प्रश्न है जिसे हम लाना चाहते हैं। महोदय आपके माध्यम से मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जो भी हमसे हो सकेगा उसे हम अवश्य करेंगे।

इस सम्बन्ध में हम राज्य सरकार के प्रशासन को भी शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरी चीज को केन्द्रीयकृत रूप से संचालित करना नहीं चाहते हैं। उल्लंघनों को राज्य स्तर पर नोट किया जा सकता है। इसमें ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा हम केन्द्रीय सरकार के किसी अधीनस्थ मंत्रालय अथवा किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे किसी अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकते हैं। हमने अधिकार हासिल किया है और जब हम इसका कार्यान्वयन आरम्भ करेंगे तब हम देखेंगे कि लाभकारी उपाय कार्यान्वित किये जाएं और जिस प्रयोजन के लिए यह बनाया गया है, उसको पूरा करें। धन्यवाद

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कच्चे जूट और जूट पैकेज सामग्री के उत्पादन और उसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में कुछ वस्तुओं के प्रदाय और वितरण में जूट पैकेज सामग्री के अनिवार्य प्रयोग का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 17 तक विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किए जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.15 म० प०

गोवा, दमण और दीव खनन रियायत (उत्सादन और खनन पट्टा के रूप में घोषणा) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं० 17, अर्थात गोवा दमण और दीव खनन रियायत उत्सादन और खनन पट्टा के रूप में घोषणा) विधेयक पर विचार करेंगे ।

श्री बसंत साठे

ऊर्जा तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री बसंत साठे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में प्रचालित और पहली तथा दूसरी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनन रियायतों के उत्सादन का और ऐसी खानों के, जिनसे ऐसी रियायतें संबंधित हैं, विनियमन और संघ के नियंत्रणाधीन खनिजों के विकास की दृष्टि से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन खनन पट्टों के रूप में ऐसी खनन रियायतों की घोषणा का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, आपकी अनुमति से, इस विधेयक पर सभा द्वारा विचार करने के लिए इसे प्रस्तुत करते समय मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 में संघ के नियंत्रणाधीन खानों के विनियमन तथा खनिजों के विकास का प्रावधान है । 20 दिसम्बर, 1961 से गोवा, दमण तथा दीव के भारत संघ का एक अंग बन जाने के बाद खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के उपबंधों को 1 अक्तूबर, 1963 से गोवा पर भी लागू कर दिया गया, सिवाए अधिनियम की धारा 16 के । अधिनियम की धारा 16 केन्द्रीय सरकार को 25 अक्तूबर, 1949 से पूर्व मंजूर किये गये खनन पट्टे में रूप भेद करने की शक्ति प्रदान करती है । यह वही तारीख है जिन दिन मूल खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 लागू किया गया था । धारा 16 के उपबंध गोवा, दमण तथा दीव पर 15-1-1966 से लागू किये गये थे । यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी खनन पट्टे को केन्द्रीय अधिनियम तथा उसके

अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुरूप किया जा सके। चूंकि तत्कालीन पुर्तगाली औपनिवेशिक विधियों, जिन्हें 1906 की डिक्री भी कही जाती है, के अन्तर्गत दी गई अनेक रियायतें अभी भी दी जा रही थीं, खनन पट्टा नियंत्रक अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये खनन पट्टा (शर्तों का उपांतरण) नियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत ऐसी रियायतों के उपांतरण की कार्यवाही शुरू की और रियायतों को अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुरूप करने के लिये आदेश किये। रियायतधारिकों ने इस कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि उन्हें जो रियायत प्राप्त है वे खनन पट्टा (शर्तों का उपांरण) नियम, 1956 के नियम 2 की धारा (ग) के अर्थ के अन्तर्गत "विद्यमान खनन पट्टा" नहीं थीं और इसलिए उनमें उपांतरण नहीं किया जा सकता।

खान और खनन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 16 में वर्ष 1972 में संशोधन किया गया था ताकि यह उपबंध किया जा सके कि वर्ष 1972 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पूर्व मंजूर किये गये सभी खनन पट्टों को अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके। तदनुसार खनन पट्टा नियंत्रक ने नये सिरे से कार्यवाही आरम्भ की और नये सिरे से नोटिस जारी किये। रियायत धारकों ने खनन पट्टा नियंत्रक द्वारा जारी किये गये नोटिस के उत्तर में बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें जो रियायत प्राप्त है उसका स्वरूप अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये पट्टों के स्वरूप से भिन्न है और अधिनियम के उपबंध, 1972 के संशोधन के बावजूद, 1906 की पुर्तगाली डिक्री के अन्तर्गत मंजूर की गई रियायतों पर लागू नहीं हो सकते तथा लागू नहीं होता है। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 29-9-1983 के अपने निर्णय में यह निर्णय दिया कि रियायतों में खनन पट्टा नियंत्रक द्वारा उपांतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत खनन पट्टा नहीं हैं।

इस निर्णय का असर यह हुआ कि रियायतों में उपांतरण नहीं किया जा सका ताकि उन्हें खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके। इसका दूसरा असर यह हुआ कि चूंकि रियायतों को खनन पट्टा नहीं माना गया और चूंकि अधिनियम के उपबंध उन पर लागू नहीं होते थे, उनके द्वारा निकाले गये खनिजों पर रायल्टी न्यायालय में विवाद का विषय बन गया।

अतः इन रियायतों को खान और खनन (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने के लिए विधान बनाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि इस बात पर आशंका प्रकट की गई है कि क्या ये रियायतें खनन पट्टे हैं या नहीं। इस विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि पुर्तगाली औपनिवेशिक खनन विधि 1906 (20 सितम्बर, 1966 की डिक्री) के अन्तर्गत मंजूर की गई सभी रियायतों को गोवा, दमण और दीव को भारत संघ में विलय होने की तारीख से समाप्त कर दिया जाये। इन रियायतों को विधेयक की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। कतिपय रियायतें गोवा, दमन और दीव के भारत संघ में विलय होने के बाद भी स्वीकृत की गई हैं। इन रियायतों को विधेयक की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। इन रियायतों को भी उनकी मंजूरी की तारीख से अगली तारीख से समाप्त

करने का प्रस्ताव है। तथापि, ऐसी खनन रियायतों को, जो गोवा, दमण और दीव के विलय के समय मौजूद थीं, तथा जो बाद में समाप्त हो गई थीं, इन अनुसूचियों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इनका अब वजूद ही नहीं है।

हमारा इरादा यह नहीं है कि रियायत समाप्त होते ही वर्ष 1906 की पुर्तगाली डिक्री के अन्तर्गत मंजूर की गई खनन रियायतों के तहत जो क्षेत्र उनके पास है, उसके वास्तविक कब्जे से उन्हें वंचित कर दिया जाये अथवा किसी खनन कार्य करने से उन्हें रोक दिया जाए। अत: विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक खनन रियायत, समाप्ति के पश्चात्, खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत खनन पट्टा समझी जाएगी। अत: रियायत पाने वाले लोग अपने खनन अधिकारों का उपयोग करते रहेंगे परन्तु पट्टेदार के रूप में, रियायत पाने वालों के रूप में नहीं। उन पर खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के उपबंध लागू होंगे तथा इस विधेयक के सहमति की तारीख से छः मास की अवधि तक इस पट्टे को बढ़ाया जाएगा और इस अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार इसके नवीकरण के बारे में भी प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

रियायतों की समाप्ति तथा इन्हें खान-पट्टों के रूप में घोषित करने के लिए रियायत पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रियायत के संबंध में विधेयक की प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची में निर्धारित किये गये अनुसार निश्चित राशि जमा की जाएगी। इस विधेयक में ऐसी रीति तथा व्यक्ति को निर्दिष्ट करने का प्रावधान भी किया गया है जिसके अनुसार इस राशि को वितरित करने इसके सभी अनुषंगी विषयों को निपटाने का उल्लेख किया गया है।

गोवा, दमन और दीव के भारत संघ में विलय के बाद भी रियायत प्राप्तकर्ताओं को ये रियायतें प्राप्त होती रहेंगी। वे खनन कार्य करते रहे हैं तथा उन्होंने रायल्टी भी दी है, उनमें से कुछ ने तो रायल्टी के भुगतान का विरोध करते हुए इसका भुगतान किया है। चूंकि उत्सादन की तारीख से प्रत्येक खनन रियायत को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत खनन पट्टा माना जाएगा, इसकी रायल्टी तथा पट्टे का किराया रियायतों की समाप्ति की तारीख से देय हो जायेगा। अत: विधेयक में रियायतों की समाप्ति तथा उनके खनन पट्टे के रूप में घोषणा की तारीख से पट्टे के किराये अथवा रायल्टी, जैसा भी मामला हो, के भुगतान की व्यवस्था की गई है। रियायत पाने वाले व्यक्तियों के द्वारा दी गई राशि का समुचित रूप से समायोजन किया जायेगा।

रियायत पाने वाले व्यक्तियों को इस विधान के अधिनियम तक रियायतों के अधिग्रहण की तारीख से अदा की गई किसी भी रायल्टी, करों तथा देयताओं की वसूली का कोई अधिकार नहीं होगा।

खनिजों के खनन के दौरान अन्य सह-उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। अत: इनके वैज्ञानिक रीति से खनन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने आवश्यक हैं; इसी के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना भी जरूरी है। देश की समस्या खनन गतिविधियों को केवल खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत लाकर ही

ऐसा किया जा सकता है। हमारा आशय केवल यही है कि गोआ, दमण और दीव की समस्त खनन संबंधी गतिविधियों को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाये। अत: मैं सदन द्वारा इस अधिनियम को स्वीकार किये जाने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में प्रचालित और पहली तथा दूसरी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनन रियायतों के उत्सादन का और ऐसी खानों के, जिनसे ऐसी रियायतें संबंधित हैं, विनियमन और संघ के नियंत्रणाधीन खनिजों के विकास की दृष्टि से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन खनन रियायतों की घोषणा का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

***श्री सी० सम्बु** (बापतला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक साधारण विधेयक है, जिसमें गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में उपलब्ध खनन सम्बन्धी रियायतों को समाप्त करने का प्रावधान है। इस विधेयक के पुर:स्थापन से न्यायालयों के समक्ष लम्बित सभी कानूनी विवाद तथा मुकदमे समाप्त समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में यह विधेयक बहुत पहले लाना चाहिए था। अन्तत: इसके सभा में पुर:स्थापन से मुझे खुशी हुई है। देर आयद दुरस्त आयद। गैरकानूनी खनन आदि के द्वारा करोड़ों रुपयों की हानि के बाद कम से कम अब सरकार ने इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने की आवश्यकता को महसूस किया है। अपनी और अपनी पार्टी की ओर से मैं खानों में विद्यमान खराब स्थिति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं।

इस विधेयक के पुर:स्थापन से गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में लागू पुर्तगाली खनिज कानून, 1906 समाप्त हो जायेगा और इसके स्थान पर खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 को लागू किया जायेगा।

महोदय, इस विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने पर हमें देश में खानों और खनिजों के विकास पर चर्चा करने का मौका मिला है। देश की प्रगति उसके उद्योगों पर निर्भर करती है तथा उद्योग खनिज सम्पदा पर निर्भर करते हैं। यह प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार अपनी खनिज सम्पदा का बेहतर दोहन तथा उपयोग कर पाते हैं। उद्योगों के विकास के लिए खनिज आवश्यक हैं। महोदय, जापान जैसे औद्योगिकीकरण में अग्रगण्य देश अयस्कों का भारी मात्रा में आयात करते हैं। जापान अयस्कों का आयात करके तैयार माल का निर्यात करता है। वह देश खनिज सम्पदा के उपयोग का सबसे अच्छा ढंग जानता है। परन्तु हमारे देश में हमारे पास भारी मात्रा में खनिज सम्पदा है किन्तु हम उसका उपयोग नहीं कर पाये हैं। किसी सरकार ने हमारी खनिज सम्पदा के दोहन में कोई रुचि नहीं दिखाई है। अभी तक किसी भी सरकार ने इतनी विशाल खनिज सम्पदा के दोहन का कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। यह दुख की बात है कि इस क्षेत्र में हम अभी भी विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। हम भारी मात्रा

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में विदेशी मुद्रा इस प्रौद्योगिकी के आयात पर खर्च कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए खनिजों के दोहन में अपनी प्रौद्योगिकी विकसित करना आवश्यक है।

महोदय, खान तथा खनिज विभाग के खराब कार्यनिष्पादन के कारण हमें आज भी कोयले का आयात करना पड़ रहा है। आज भी कोयले के भारी भण्डार का आयात किया जा रहा है। आजादी के 40 वर्ष बाद भी हम अपने खनिजों का दोहन करने में असफल रहे हैं। इसी प्रकार, हम खनिज लोहा निर्यात कर रहे हैं और इस्पात आयात कर रहे हैं। खनिज लोहे को सस्ती दर पर निर्यात करके तथा इस्पात को बहुत ऊंची दर पर आयात करके हम अपनी कीमती विदेशी मुद्रा को कम कर रहे हैं। यदि हमने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को समय पर पूरा कर लिया होता, तो शायद देश को ऐसी दुखद स्थिति का सामना न करना पड़ता। सरकार विजाग इस्पात संयंत्र को समय पर स्थापित एवं चालू करने के लिए पर्याप्त धन का आवंटन नहीं कर रही हैं। यदि हम इस संयंत्र को जल्दी पूरा कर लें तो हम अपनी खनिज लोहे का बेहतर उपयोग कर सकेंगे तथा आयातित इस्पात पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। हम न केवल अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त इस्पात का उत्पादन कर सकते थे अपितु उसे निर्यात भी कर सकते थे। इसमें हमें बहुत विदेशी मुद्रा की बचत तथा आय हो सकती थी। इसलिए कम से कम अब सरकार को इस संयंत्र को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धन-राशि जारी करनी चाहिये।

महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अपने विशाल खनिज संसाधनों के दोहन के लिए हमारी एक निश्चित नीति होनी चाहिए। इन संसाधनों का दोहन हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी तक कई दलों ने देश का शासन चलाया है। पहले कांग्रेस पार्टी थी, फिर जनता पार्टी तथा अब पुनः कांग्रेस पार्टी का शासन है। कल तेलगूदेशम सत्ता में आ सकती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि देश का शासन किसके हाथ में है। नीतियां तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। शासक दल का उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति तथा सभी की खुशहाली होना चाहिए। महोदय, मेरा राज्य आंध्र प्रदेश में खनिज संसाधनों के मामले में धनी है। इस बारे में अभी तक कोई उचित अध्ययन नहीं किया गया है। अतः भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग को इस बारे में राज्य का गहन अध्ययन करना चाहिये। यह कहा जाता है कि अनंतपुर जिले में हीरों का विपुल भण्डार है। इन भण्डारों का पता लगाकर उन्हें निकालने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये। रायलसीमा में माइका बहुतायत में उपलब्ध है। इन खानों का पता लगा कर इनका दोहन किया जाना चाहिये। महोदय, राज्य में कुछ माइका खानें अभी भी गैर-सरकारी ठेकेदारों के हाथों में हैं। सरकार को इनका अधिग्रहण करके मजदूरों की रक्षा करनी चाहिये। इस समय माइका खानों में कार्यरत मजदूरों को उचित मजदूरी नही मिल रही है। सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिये और इन मजदूरों को कम-से-कम न्यूनतम मजदूरी दिलानी चाहिये। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश में माइका खानों को विकसित करने पर उचित ध्यान दे। महोदय, चित्तूर तथा अनन्तपुर जिलों में सोने की खानें हैं। इस समय राज्य की सोना खानों से खनिज सोना परिष्करण के लिये कोलार खानों को भेजा जाता है। राज्य के खनिज सोने को परिष्करण के लिये कर्नाटक में ले जाना उचित नहीं है। रायलसीमा एक पिछड़ा क्षेत्र है और

इसलिये यदि यहां एक सीमा कारखाना स्थापित किया जाये तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पिछड़े क्षेत्र की प्रगति होगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रायल सीमा में सीमा फैक्टरी स्थापित करे। मुझे आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा करेगी। महोदय मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि सरकार देश में विभिन्न खनिज भण्डारों का पता लगाने तथा इनका दोहन करने के संबंध में एक निश्चित नीति का अनुपालन करेगी और इस प्रकार देश की त्वरित प्रगति का रास्ता खोलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा, दमन और दीव खनन रियायत (उत्सादन और खनन पट्टा के रूप में घोषणा) विधेयक, 1987 सिद्धांततः एवं बुनियादी रूप से स्वागत योग्य विधेयक है। संघ राज्य क्षेत्र को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त कराने के बाद यह स्वाभाविक है कि देश में लागू सारे कानून इस क्षेत्र में भी लागू किये जाएं। कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है, तथा अन्यथा मैं तो कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि इस देश में लागू कानूनों को कई वर्षों बाद क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है।

कुछ समय पूर्व, पिछले वर्ष में, मैंने लोकसभा में एक प्रश्न पूछा था कि इस समय इस क्षेत्र में पुर्तगालियों के लिए कितने कानून लागू हैं। मुझे उत्तर दिया गया था कि गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में फिलहाल ऐसे 43 कानून लागू हैं। मेरा दृढ़ मत है कि इस क्षेत्र में पुर्तगालियों के जितने भी कानून लागू हैं वे सभी धीरे-धीरे समाप्त किये जाने चाहिए और उनके स्थान पर भारतीय कानून लागू होने चाहिए। इसलिए, इस संदर्भ में भी यह विधेयक स्वागत योग्य है कि खनन संबंधी हमारा मुख्य अधिनियम इस क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा।

जैसा कि विदित है, किसी समय इस शताब्दी के शुरू में गोवा के एक तालुक बिकोलिन में एक फ्रांसीसी फर्म द्वारा खनिज अयस्क के भण्डारों का पता लगाने का प्रयास किया गया था परन्तु इस प्रयास में अधिक सफलता नहीं मिली। इसके बाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर एल० एल० फर्मर ने 1909 में गोवा का दौरा किया और बिकोलिन तालुक में खनिज भण्डारों का अध्ययन करने का प्रयास किया और इसमें भी अधिक सफलता नहीं मिली। 1954-57 के दौरान पुर्तगाली सरकार ने एक जर्मन भूवैज्ञानिक डा० ओरटल को इस क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने का कार्य सौंपा और इस प्रयास में कुछ परिणाम सामने आये। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति तक कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए। गत 20 वर्षों में खनिज अयस्क निकालने की दिशा में किये गये प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं। खान मालिकों द्वारा 1986-87 में 181 करोड़ रुपये का खनिज निकाला गया तथा एम० एम० टी० सी० के माध्यम से 32 करोड़ रुपये का सरणीबद्ध अयस्क निकाला गया। इस प्रकार निर्यात में भारी प्रगति हुई है। यह बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के अर्जन में अत्यन्त लाभदायक रहा है।

जब हम स्वतन्त्र हुए उस समय हममें से कुछ की यह धारणा थी कि समस्त लौह अयस्क हमारे देश में ही इस्तेमाल हो जायेगा। यह हमारी अकस्मात धारणा थी। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। आज 25 वर्ष के बाद भी, हम पूरा अयस्क इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं।

मुझे पता है कि साठे जी कुछ समय पूर्व गोवा गए थे और उन्होंने गोवा वाणिज्य मंडल द्वारा आयोजित एक समारोह में इसका विशेष उल्लेख किया था। यद्यपि, साठे जी इस विभाग का केवल अतिरिक्त भार संभाले हुए हैं, तथापि संयोगवश जब यह मामला शुरू किया गया था उस समय यह विभाग उन्हीं के पास था और आज भी इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के समय भी यह विभाग उन्हीं के पास है। मैं आशा करता हूं कि वह इस विधेयक के कार्यान्वयन के लिए अपना बहुमूल्य समय देंगे।

मैं कुछ पहलुओं को उजागर करना चाहूंगा कि पुर्तगाली शासन के कानूनों के अन्तर्गत दी जा रही रियायतों को अब पट्टे के रूप में घोषित किया जाएगा। मुझे पता लगा है कि गोवा में खान मालिकों ने भी गोवा प्रशासन से स्वयं सम्पर्क किया था और उन्होंने एक प्रकार का फार्मूला दिया था जिसके अन्तर्गत वे कुछ घोषणा पत्र देंगे और रियायतें स्वयंमेव पट्टे में परिवर्तित हो जाएंगी। आप इस विषय में प्रकाश डालिए कि इस स्वैच्छिक प्रयास की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया क्योंकि हमें रियायतें समाप्त करने के लिए कानून बनाना है जिससे यह इंगित होता है कि यह राष्ट्रीयकरण का ही प्रतिरूप है। जब पार्टियां स्वयं आ रही थीं तो विधेयक क्यों लाना पड़ा ? यदि स्वेच्छा से किए गए प्रयास इतने प्रभावी नहीं थे तो आप हमें वैसा ही बताइए। परन्तु मुझे बताया गया है कि ये प्रयास किये गए थे। दूसरी बात यह है कि खण्ड 4(1) में व्यवस्था है :

> "पहली अनुसूची में विनिष्ट प्रत्येक खनन रियायत, नियत दिन से ही उत्सादित हो गई समझी जायेगी और उस दिन से खान और खनिज अधिनियम के अधीन अनुदान खनन पट्टा समझी जाएगी तथा उस अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ऐसे खनन पट्टों पर लागू होंगे।"

यदि ऐसा है तो वे नियत दिन अर्थात 20 दिसम्बर, 1961 से उत्सादित हो गए समझे जाएंगे। तब क्या होगा ? पट्टे की अवधि शुरू में 20 वर्ष होती है और उसका नवीकरण प्रत्येक 10 वर्षों बाद करना होता है। यदि नियत तारीख 1961 है तो 1981 में यह अवधि पहली बार समाप्त होगी और इस प्रकार उन्हें दूसरी बार 1991 में नवीकरण कराना होगा। क्या यही स्थिति है या नहीं ? आप स्पष्ट कीजिए।

नवीकरण के बारे में, मूल खण्ड 6 में कहा गया है :

> "कोई व्यक्ति किसी खनिज या सहचारी खनिजों के विहित समूह के बारे में किसी एक राज्य में—
>
> (क) ऐसी एक या अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां अर्जित नहीं करेगा जिनका क्षेत्रफल 25 वर्ग कि० मी० से अधिक हो; या
>
> (ख) ऐसे एक या अधिक खनन पट्टे अर्जित नहीं करेगा जिनका क्षेत्रफल कुल मिला कर दस वर्ग कि० मी० से अधिक हो।"

यह कहा जाता है कि गोवा में अधिकांश खानें 10 कि० मी० से लम्बी हैं। इसलिए खान मालिकों के मन में यह आशंका है कि पट्टों के नवीकरण अथवा घोषणा के समय, यह समस्या सामने आ सकती है क्योंकि अधिकांश खानें दस वर्ग कि० मी० से लम्बी हैं। परन्तु धारा 6 में एक परन्तुक है जिसमें कहा गया है; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी व्यक्ति को ऐसी एक या अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां या खनन पट्टे अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकेगी जिनका क्षेत्रफल कुल मिलाकर उपर्युक्त अधिकतम से अधिक हो।"

मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस परन्तुक का उन्हें लाभ दिया जाएगा।

5.41 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

दूसरी बात यह है कि इस नए कानून के सम्बन्ध में, हमें इस बात पर भी विचार करना है कि निर्यात बढ़ाने के लिए हम बुनियादी रूप से खान मालिकों के हितों का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। यद्यपि निसन्देह उनके हितों की रक्षा की जानी है, परन्तु निर्यात को भी बढ़ाना है। उस प्रकार यदि इन्हें दस वर्ष या कम अवधि के पट्टे पर दे दिया जाए तो विदेशी खरीदारों में विश्वास की कुछ कमी आएगी क्योंकि पहले इन लोगों को रियायतें मिल रही थीं और आज इन्हें पट्टे मिल रहे हैं। अतः मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि ऐसी रियायतें समाप्त नहीं की जानी चाहिए परन्तु मेरे विचार में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रयास किये जाने चाहिए कि खरीदारों का विश्वास न हिले। वास्तव में इन पट्टों में कुछ वैधानिक अधिकार है। इस सम्बन्ध में मैं उनके साथ पत्र-व्यवहार करने की सलाह दूंगा और उन्हें एक दम रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रश्न यह है कि उनको हमारा लौह अयस्क खरीदना होगा और हमेशा खरीदना पड़ेगा। हमारे निर्यात में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, हमारी विदेशी मुद्रा की आमदनी में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मुख्य प्रश्न यह है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में विदेशी खरीदारों को वे जो भी आश्वासन दें, उस पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए।

दूसरा पहलू धारा 12 है, मैं आपसे धारा 12 का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है—

> "धारा 6 या 7 में निर्दिष्ट पूर्णतः या भागतः रकम प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के अधिकार के बारे में कोई सन्देह या विवाद की दशा में आयुक्त मामले के विनिश्चय के लिए न्यायालय को निर्देशित करेगा और न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार संवितरण करेगा।"

यदि कुछ सन्देह हो तो आयुक्त मामले को न्यायालय में भेजेगा, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि सरकार को एक पक्ष होना चाहिए। खनन पट्टे अथवा इससे संबद्ध किसी भी बात का भविष्य केवल दो विवादग्रस्त खान मालिकों के निर्णय पर नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है ऐसे मामले में

सरकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका न हो लेकिन ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिनसे सरकार के हितों पर प्रभाव पड़ता हो। इसलिए मैं सोचता हूं कि वहां पर ऐसा कुछ किया जाय ताकि आयुक्त द्वारा मामले को न्यायालय में सौंप देने के बाद सरकार को एक पक्ष बनाया जाय।

हमने पहले भी, इस अधिनियम में पर्याप्त संशोधन किया था और इसमें हमने धारा 4-क शामिल की थी जो एक अतिरिक्त धारा है। मैं प्रदूषण के पहलू का उल्लेख कर रहा हूं। संघ राज्य क्षेत्र गोआ दमण ड्यू में विशेष रूप से मेरे चुनाव क्षेत्र में अनेक खानें हैं और खानों से निकलने वाली धूल अनेक घरों में जाती है। धान के खेत उससे मर जाते हैं और किसान धान पैदा नहीं कर सकते। कुछ वर्ष पूर्व जो पानी के सोते झरते थे वे अब विलुप्त हो गए हैं; प्रदूषण का यह हाल है। हमारा मामला क्या है ? एक तरफ तो गोआ प्रशासन अथवा हम स्वयं हैं और हमें अपने निर्यात को बचाना है क्योंकि यह हमारी कीमती विदेशी मुद्रा का स्रोत है, दूसरी ओर हमें अपने गरीब नागरिकों, कृषि और उन लोगों के हितों को भी देखना है जो प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमें सन्तुलन बनाए रखना है जो एक बहुत कठिन कार्य है, परन्तु सौभाग्यवश सरकार के पास प्रभावी विधान है। मेरे विचार से प्रदूषण के संबंध में इससे अधिक प्रभावी कोई दूसरा खण्ड नहीं है। तत्संबंधी खण्ड 4 क (1) में कहा गया है :—

> "राज्य सरकार के साथ परामर्श के पश्चात जहां पर केन्द्र सरकार की यह राय है कि खानों और खनिजों के विनियमन, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण, प्रदूषण से बचाव अथवा जन स्वास्थ्य को हानि से बचाने अथवा संचार या भवनों, स्मारकों या अन्य निर्माण कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने अथवा खनिज स्रोतों के संरक्षण अथवा खानों में सुरक्षा प्रबन्ध बनाये रखने या इस प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार जो भी उचित समझे, वह राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग में किसी लघु खनिज को छोड़ कर किसी भी खनिज के संबंध में लाइसेंस या खनिज पट्टे के समय से पहले रद्द करने का अनुरोध कर सकती है।"

मैं यह नहीं कहता हूं कि खनन के पट्टों को समय से पहले रद्द कर दिया जाना चाहिए। परन्तु यह धारा विशेष रूप से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जोड़ी गई है। इसलिए, जहां कहीं भी इसका उल्लंघन हो रहा है वहां पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए, जहां पर कोई व्यक्ति प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है क्योंकि कानून बहुत स्पष्ट है। इसलिए महोदय, इस विधेयक का लाभ उठाते हुए मैं आपके समक्ष यह बात रख रहा हूं कि जहां हम अपने निर्यात की सुरक्षा करते हैं, जहां पर हम अपने खान-मालिकों की, जहां तक उनके भावी भुगतानों, छूटों आदि का सम्बन्ध है, के हितों की रक्षा करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि विदेशी खरीदारों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हमें यह देखना है कि उनके हित सुरक्षित रहें, साथ ही हमें यह धारा भी लागू करनी है ताकि खानों से होने वाले प्रदूषण से गरीब और सामान्य जनों की जिन्दगी पर दुष्प्रभाव न पड़े। धन्यवाद।

*श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : सभापति महोदय, मैं गोवा, दमण और दीव खनन रियायत (उत्सादन और खनन पट्टा के रूप में घोषणा) विधेयक, 1987 का सामान्य तौर पर

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं इसके बारे में चन्द बातें कहना चाहूंगा। गोवा, दमण और दीव में सन् 1906 से खानों में पुर्तगाल के खनन कानूनों के अनुसार काम हो रहा है। वर्ष 1961 में जब गोवा मुक्त हुआ और भारत संघ का अंग बना तो उस समय यह महसूस किया गया था कि हमारे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 का विस्तार उन क्षेत्रों के लिए भी किया जाय। तदनुसार इस अधिनियम को 1963 में वहां पर भी लागू नहीं किया गया। परन्तु अधिनियम की धारा 16 को प्रारम्भ में उस क्षेत्र में लागू नहीं किया गया। मैं यहां पर स्पष्ट तथा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस धारा को उस समय क्यों लागू किया गया ? गोवा में वर्ष 1963 में अधिनियम की धारा 16 को लागू करने में उस समय क्या कठिनाई या बाधा थी ? यदि माननीय मन्त्री इस बात को सदन को बताएं तो बेहतर होगा। तथापि गोवा, दमण और दीव के लिए इस अधिनियम की धारा 16 को 1966 में खानों के कार्यकरण के लिए लागू किया गया। तदुपरान्त खान मालिकों ने बम्बई उच्च न्यायालय की शरण ली और उनके पक्ष में वहां पर निर्णय हो गया। इसके कारण ही वर्तमान विधेयक लाना पड़ा।

महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं परन्तु एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस विधेयक को लाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ। बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय तो सन् 1983 में ही आ गया था। सदन में इस विधेयक को स्वीकृति के लिए पेश करने में साढ़े तीन वर्ष का समय क्यों लगा। इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि इसे गोवा के खान मालिकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वे छूट प्रणाली समाप्त करके स्वेच्छा से पट्टा शुरू करना चाहते थे। मेरे पूर्व वक्ता ने यही कहा था। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मेरे विचार से इतनी महत्वपूर्ण और गम्भीर बात खान मालिकों की इच्छा पर नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए गोवा में खानों में काम करने के संबंध में माननीय मन्त्री द्वारा रखे गये विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

इस संदर्भ में कुछ अन्य मुद्दों का उठना स्वाभाविक है। महोदय, गोवा में लौह अयस्क और मैंगनीज के पर्याप्त भण्डार हैं और लगभग 600 खान मालिक वहां पर काम कर रहे हैं। सरकार इन खानों के राष्ट्रीयकरण की बात क्यों नहीं सोच रही है। वहां पर निर्यात के काम की देख-रेख खनिज और धातु व्यापार निगम कर रहा है जो केन्द्र सरकार का प्रतिष्ठान है। परन्तु आम तौर पर खनिज और धातु व्यापार निगम केवल बिचौलिए का काम कर रहा है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि यह बेहतर रहेगा कि गोवा में सभी खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ताकि राष्ट्र के हित में सम्पूर्ण खनिज सम्पदा का उचित प्रयोग किया जा सके। मुझे आशा है कि सरकार इस दिशा में आला कदम उठायेगी।

गोवा में खानों के उचित प्रबन्ध और उपयोग के लिए सही आधार ढांचे का सृजन करना आवश्यक है। इस प्रयोग के लिए यह जरूरी है कि गोवा को बड़ी रेल लाइन से जोड़ा जाय। यदि गोवा को बड़ी लाइन से जोड़ दिया गया तो गोवा के खनिज सम्पदा को देश के अन्य भागों तक ढुलाई सम्भव हो जायेगा। साथ ही इससे गोवा में पर्यटन का भी विकास होगा जो गोवा की दूसरी सम्पदा है। इसलिए सम्पूर्ण देश के हित में गोवा को बड़ी लाइन से जोड़ने की

नितान्त आवश्यकता है। अपने वक्तव्य को और अधिक लम्बा किये बिना मैं पुनः विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार गोवा की खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए निकट भविष्य में एक और विधेयक लायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय, माननीय इस्पात और खान मंत्री ने यह विधेयक रखा है और मैं उनसे कुछ खास प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब 25 साल पहले गोवा भारत के साथ मिलाया गया था उस समय इन खनिज अयस्कों को निर्यात किया जाता था और इस्पात बनाया जाता था तथा वापस भारत लाया जाता था। यह मेरे जन्म स्थान के बिल्कुल पास है। मैं प्रायः उस स्थान का दौरा करता हूं। ये सभी खनिज बहुत बड़ी छुपी हुई आय है और ईश्वर ने गोवा को इन्हें दिया है। इसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है बल्कि सारे राष्ट्र से है। परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल चार या पांच परिवारों—साल गोओगर, डेम्पू, डिगलो, चौगुले—का इस पर नियत्रण है। ये सब छोटे पट्टेधारी, जिनका आपने अनुसूची में जिक्र किया है, केवल नाम मात्र के लिए हैं, ये इन लोगों को जमीन दे देते हैं। आज केवल चार या पांच व्यक्ति इस धन को निकाल रहे हैं, इसे अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं, और करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैं इस सभा में यह कहना चाहूंगा कि उनकी आय, उनका राजस्व गोवा क्षेत्र की आय, राजस्व से ज्यादा है। आप पूछताछ कर सकते हैं। 200 करोड़ रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपये से ज्यादा तक मूल्य के अयस्क के द्वारा उन्होंने गोवा का भूगोल ही बदल दिया है। यदि आप 200 फुट अथवा 300 फुट नीचे जाएं तो आप पाएंगे, जैसा कि श्री शांताराम नायक ने कहा है, कि लोह-अयस्क साफ किया जाता है और वहां नालियां होंगी, पानी बह रहा होगा। किसी भी व्यक्ति को इसका ध्यान नहीं है। वहां प्रदूषण भी है लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता। यह इसलिए है क्योंकि सभी ग्रामीण वहां काम कर रहे हैं। गोवा की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या खानों में काम कर रही है। इसलिए ये खान मालिक देश के राजा हैं। यद्यपि आपने 25 साल पहले विदेशी शासन को जड़ से समाप्त कर दिया है फिर भी गोवा में ये राजा अभी राज कर रहे हैं। उनका गोवा के लगभग सभी उद्योगों पर नियंत्रण है। उनका गोवा के 50 प्रतिशत होटलों पर नियंत्रण है। इनका किस चीज पर नियंत्रण नहीं है ? उनका आपकी सरकार सहित हर चीज पर नियंत्रण है। आप कहेंगे मुख्यमंत्री आपका है। परन्तु वे गोवा के 90 प्रतिशत 'प्रैस' सहित हर चीज पर नियंत्रण कर रहे हैं। जब कामगारों ने चाहा कि मैं वहां जाऊं और मैंने वहां जाने का प्रस्ताव किया तो इन मालिकों ने कहा, "नहीं, दत्ता सामन्त को नहीं आना चाहिए" सरकार ने भी वही बात कही। सभी कामगार अपनी शिकायतें लेकर मेरे पास आए। उन्हें 12 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। देश के किसी कारखाने में इस प्रकार की प्रणाली नहीं है। इस बड़े राज्य में प्रदूषण पैदा करने के अलावा कामगारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि गोवा की 50 प्रतिशत जनसंख्या वहां काम कर रही है, यह मजबूर है। यह एक गम्भीर स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय श्री साठे से अनुरोध करूंगा कि वे वहां जाएं और देखें कि गोवा में इन कामगारों के साथ क्या हो रहा है और गोवा का समस्त धन किस तरह लूटा जा रहा है। अब मैं नहीं समझता कि इसके लिए कुछ और बाकी रह गया है। सरकार 25 वर्ष क्यों

सोती रही है ? मैं नहीं जानता। सरकार चुप रही है क्योंकि अन्यथा गैर-सरकारी हितों में रुकावट आ जाएगी। आयुक्त ने 1957 में एम० एम० अधिनियम पास कर दिया है। कुछ कठिनाइयां आई हैं। 1972 में, वे उच्च न्यायालय में गए थे। 1982 में उच्च न्यायालय का निर्माण आया है। इन 25 सालों से सरकार क्या कर रही है ? उच्च न्यायालय का निर्णय 1983 में भी आया है। आप 5 वर्ष से क्या कर रहे हैं ? चार मास पहले मैं गोवा गया था। ये सभी खनिज खोद कर निकाले जाते हैं। वहां कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। मैं इस सरकार से पूछता हूं कि पिछले 25 सालों से राज्य से खोद कर निकाले गए इन खनिजों का मात्रा-वार मीट्रिक ट्न वार तथा मूल्य-वार औसत क्या है ? मैं यह आंकड़ा चाहता हूं। मेरे मित्र ने कहा है कि यह लगभग 212 करोड़ रुपए है। परन्तु उससे ज्यादा, आप प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये दे रहे हैं। यहां तक कि सातवीं योजना के दौरान आप गोवा को 20 करोड़ रुपये दे रहे है। लोगों ने आपके द्वारा गोवा को दी गई सहायता से ज्यादा वहां से निकाल दिया है। इस देश में इस धन की इस प्रकार की लूट हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैं आंकड़े चाहता हूं। आखिर में जाकर अन्य कुछ करते हैं और कहते हैं कि "ठीक है यह कर दिया गया है।" मैं यह बात नहीं चाहता। इन खानों के मालिकों द्वारा कितना धन निकाला गया है ? उन्होंने अब तक राज्य सरकार को कितने राजस्व का भुगतान किया है ? यह मामूली नहीं है। उन्होंने रियायत दी है। मैं समझता हूं यह अच्छी बात है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि एक मी० टन अयस्क निकाल लिया जाता है तो आपके पट्टे के किराए में क्या जा रहा है ? यह राष्ट्र हित में है। हम यह चाहते हैं। मैं सरसरी तौर पर यहां वाद विवाद नही चाहता हूं। इन लोगों द्वारा कई सौ मी० टन अयस्क निकाल कर बाहर भेजा जाता है। आप इन लोगों से पट्टे का कितना किराया ले रहे हैं ? यह काफी महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्र की सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति इन लोगों की नहीं है। वस्तुत: अब तक इसके 3/4 भाग में खनन चल रहा है। सरकार को भारी शुल्क लेना चाहिए। इसकी गणना की जानी चाहिए। आपके सरकारी सचिव सहित सभी अधिकारी इन लोगों के अधीन कार्य कर रहे हैं। मेरा यह अनुभव है। वे मंत्री को बुलाएंगे और वहां अनुदेश जारी करेंगे। मेरा बड़ा कड़वा अनुभव है। गोवा की जनता बड़ी सीधी-सादी है। वे ऐसी अर्थ-व्यवस्था के साथ समायोजना करते चले जाते हैं। सारी अर्थ-व्यवस्था ऐसे लोगों द्वारा चलाई जाती है और इसलिए पट्टे का किराया निर्धारित किया जाना चाहिए। वे जो भी खनिज निकाल रहे हैं उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं। 25 करोड़ रुपये के माल का क्या हुआ ? मेरी जानकारी के अनुसार यह इस देश के 4-5 लोगों द्वारा कामगारों को तकलीफ देकर हड़प लिया गया है। गोवा में प्रदूषण है। वहां गोवा में जल-प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा धूल प्रदूषण मौजूद है। आप जाइए और एक छोटे से राज्य गोवा को देखिए। यह एक बड़ा उद्योग है। वहां हरेक चीज निकाली गई है। क्योंकि वहां गरीब व्यक्ति काम कर रहे हैं। सरकार उनके अधीन काम कर रही है। वे आपके गोवा पर शासन कर रहे हैं। आप नहीं। अतएव, मैं सरकार में यह पूछ रहा हूं कि इस छुपे हुए धन को जो वहां मौजूद है देश को देने की बजाए आप इसे पट्टे पर क्यों दे रहे हैं ? आप इसे मत दीजिए। आप इसे बाहर निकालिये। यह वस्त्र और पटसन की तरह नहीं होगा। परन्तु यह एक बहुत बड़ी सम्पत्ति है जिसके आधार पर सरकार उस क्षेत्र के आस-पास एक इस्पात संयंत्र शुरू कर सकती है। लेकिन इस धन को निर्यातकों द्वारा निकालने की अनुमति मत दीजिए। धन कहां जा रहा है ? निर्यात का धन इन

पांच परिवारों को जाता है। अन्य सभी लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस जमीन को मामूली किराए पर इन बड़े खलीफाओं को दे दिया है। मैं पट्टा देने तथा इन सब बातों के हक में नहीं हूं। लेकिन यह सारा क्षेत्र जिसमें इस्पात की भारी क्षमता है, यदि सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान करती है तो यह लौह-अयस्क का एक बड़ा एकक बन जाएगा जो इस्पात संयंत्र की मदद करेगा। इस सारे क्षेत्र का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिए। यह आपका है। किसी भी कीमत पर यह उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जिन्होंने वस्तुतः करोड़ों में धन कमा लिया है और देश तथा गोवा की समस्त अर्थ-व्यवस्था तहस-नहस हो गई है। आप इस सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण कर लें। यह मेरी मांग है। यहां इस्पात मौजूद है जिसका आसानी से निर्यात किया जा सकता है। यदि आप गोवा जाएं तो आप पाएंगे कि गोवा प्रमुख रूप से केवल खनन, इसका 90 प्रतिशत, के लिए ही बना है। अतएव, आपको इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र को किराए के आधार पर अथवा लम्बे समय तक पट्टे के आधार पर दिया जाए। इससे काम नहीं चलेगा। इन सभी बातों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए और इसलिए इस सभा में पुनः यह मांग करता हूं कि इसे पट्टे पर न दें और इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा यह कार्य सरकार द्वारा किया जाए।

*श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, गोवा, दमन, और दीव खनन रियायत (उत्सादन और खनन पट्टा के रूप में घोषणा) विधेयक, 1987 पर सभा में चर्चा की जा रही है। मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं। यह विधेयक सभा के समक्ष बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। इसे इतनी देर से सभा के समक्ष लाने को मैं न्यायसंगत नहीं मानता। यद्यपि देर से प्रस्तुत किया है तथापि यह बहुत उपयोगी विधेयक है और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

महोदय, सरकार रियायतधारियों को पट्टे पर खानें देना चाहती थी। रियायतधारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय में खान नियंत्रक के निर्णय को चुनौती दी। बम्बई उच्च-न्यायालय से रियायतधारियों के हक में निर्णय दिया और इस कारण से सरकार को यह विधान सभा के समक्ष लाना पड़ा। गोवा भारत का एक अभिन्न अंग है। अतः गोवा के खान स्वामियों को भी वही रायल्टी उपकर इत्यादि देना होगा जैसाकि विभिन्न राज्यों के खान स्वामियों पर लागू होता है। इस संदर्भ में मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि अब यह कठिनाई क्यों हो रही है। यह अधिनियम 1957 में या जब गोवा भारत का एक भाग बना था तब क्यों लागू नहीं किया गया। उस समय विद्यमान भारतीय कानून गोवा पर भी लागू किये जाने चाहिये थे। उस समय सरकार से यह चूक हो गयी थी। तथापि मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार ने कठिनाइयों को समझा है और यह विधान प्रस्तुत किया है। अतः मैं सरकार को बधाई देता हूं। महोदय रियायतधारियों की सूची विधेयक की पहली अनुसूची में दी गयी है। मैंने देखा कि 591 रियायतधारी हैं। ये खान स्थायी बहुत समय से गरीब खान कामगारों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने खानों से अर्जित लाभ से बहुत धन जमा कर लिया है। वे न तो गोवा, दमन, और दीव के संघराज्य क्षेत्र प्रशासन को और न ही भारत सरकार को राजस्व कर देते थे।

*मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रो० एम० वी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान हम कितनी देर तक बैठे रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : सभापति महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है। मैं समझती हूं कि हमें 15 मिनट और बैठना चाहिए ताकि हम इस विधेयक को पारित कर सकें।

सभापति महोदय : मैं इसे सभा पर छोड़ता हूं, क्या हम इसे 15-20 मिनटों में पूरा कर लेंगे।

श्री अनादि चरण दास : इसलिए मैं कुछ सुझाव देकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मंत्री जी को उत्तर देना है और विधेयक को पारित किया जाना है। मेरे विचार से वह क्षतिपूर्ति जो आप 591 खान स्वामियों को देने वाले हैं, नहीं दी जानी चाहिए। जब उन्होंने इतना लाभ कमाया है तो उन्हें और क्षतिपूर्ति देने की क्या आवश्यकता है। उन्हें वे खाने पट्टे पर नहीं दी जानी चाहिए।

दूसरे, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि गोवा, दमण एवं दीव सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित खानों की एक सूची बनायी जाए। तब आप सभी खानों का राष्ट्रीयकरण करें। कोई भी खान किसी व्यक्ति या निजी कम्पनी के स्वामित्व में या उसे पट्टे पर नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वे खानें लम्बे अरसे से उन खानों में काम करने वाले कामगारों को पट्टे पर दी जानी चाहिए। आप कामगारों की एक सोसायटी बना कर उन्हें उन खानों के प्रबन्ध में सक्रिय भाग देने की अनुमति दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो गरीब कामगारों को लाभ होगा। मेरे द्वारा दिए गए सभी सुझावों को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। आपने क्षतिपूर्ति के रूप में रियायतधारियों को 60,55,615 रु० देने का निर्णय किया है। हमने क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने के लिए संविधान का संशोधन किया है। तो आप क्षतिपूर्ति की इतनी बड़ी राशि क्यों देने जा रहे हैं? वे गरीब लोग नहीं हैं। वे अच्छे खाते पीते लोग हैं। यदि आप क्षतिपूर्ति देना ही चाहते हैं तो आपको मुआवजा चरण-बद्ध ढंग से अर्थात किश्तों में देना चाहिए। खान मालिक जो लाभार्जन कर रहे हैं पूंजीपति हैं। इसलिए विधेयक में उन खान मालिकों को खनन पट्टे न देने के लिए प्रावधान करना चाहिए। खेद का विषय है कि विधेयक में ऐसे प्रावधान नहीं किये गये हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में बहुत सतर्क रहेगी और जिन पूंजीपतियों ने बहुत लाभ उठाये हैं उन्हें ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं पूरी आशा करता हूं कि सरकार उन गरीब कामगारों को लाभ देने के लिए जिनका काफी अरसे से रियायतधारी लोग शोषण कर रहे थे, एक अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी। सरकार को कामगारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में वे एकजुट हो सकें। केवल तभी देश में समाजवाद की स्थापना हो सकेगी। अन्यथा पूंजीवादी गरीब कामगारों और राष्ट्र को और अधिक नुकसान पहुंचायेंगे।

यद्यपि विलम्ब से किंतु सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

6.00 म० प०

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं बहुत कीमती सुझावों के लिए माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूं। वास्तव में यह विधेयक तथाकथित रियायतों को परिवर्तित करने के साधारण प्रयोजन के लिये है जिनको उच्च-न्यायालय ने असंशोधनीय या अपरिवर्तनीय बताया था। अतः हम उन्हें देश के अन्य भागों में विद्यमान कानूनों के समकक्ष ला रहे हैं। राष्ट्रीयकरण इत्यादि के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा सकता है। मैं मामले को बंद नहीं कर रहा क्योंकि मैं गोवा का दौरा कर चुका हूं। पहले जब मुझे इस विभाग का कार्यभार सौंपा गया था तो सबसे पहला काम मैंने गोवा जाने का ही किया था। और मैंने इस खनन इत्यादि के कार्य को देखा था। जैसाकि श्री नायक ने कहा है, मैंने गोवा में ही अपने विचार दृढ़ता से व्यक्त कर दिये थे। मेरा यह स्पष्ट विचार है कि हमारे बहुल खनिज संसाधनों को निर्यात करने के स्थान पर जोड़े गये मूल्य उत्पादों में बदला जाना चाहिए। उदाहरणार्थ लौह अयस्क के इस्पात में और इस्पात के किसी सामान के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। यदि आप निर्यात करके अर्जन करना ही चाहते हैं तो आपको अन्य उत्पाद का निर्यात करना चाहिए जिस पर आप जोड़े हुए मूल्य के उत्पाद लाभ अर्जन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में विशेषतया गोवा में और देश के अन्य भागों से भी बहुत अधिक एफ ई तत्व वाला विश्व में सर्वोत्तम लौह अयस्क उपलब्ध है। उदाहरणार्थ दो टन लौह अयस्क को परिवर्तित करने पर इससे एक टन इस्पात प्राप्त होता है। आज औसतन दो टन लौह अयस्क पर हमें 150 टन अर्थात 75 रु० प्रति टन पर लाभ होगा। हम गोवा से इसी आधार पर 200 करोड़ टन के मूल्य का निर्यात कर रहे हैं। अंदाजा लगाइये कि यदि इस लौह अयस्क को इस्पात में परिवर्तित कर लिया जाये तो स्थिति क्या होगी। मान लो आप इस्पात का उपयोग नहीं करना चाहते। निश्चय ही यह एक बहुत दुखद बात है कि विकसित देशों के 400 कि०ग्रा०, 500 कि०ग्रा० और 600 कि०ग्रा० की तुलना में सारे देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 16 किलो है और आपके माध्यम से मैं अपने मित्र श्री वसुदेव आचार्य को बताना चाहूंगा कि 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिए प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति यह खपत 3 किलो है। आप कौन से औद्योगीकरण की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : और हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं। यही मुझे बुरा लगा। हमें लौह अयस्क को इस्पात में परिवर्तित करना चाहिए था।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आप थोड़ा विषय से हट रहे हैं।

श्री वसंत साठे : मैं विषय से हट नहीं रहा। इस पहलू की चर्चा श्री नायक ने की थी। मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं कि मैं भी इससे सहमत हूं। यदि आप नहीं चाहते तो आज नहीं तो कभी तो यह सभा विचार करेगी कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को तैयार माल में अधिक जुड़े हुए मूल्य उत्पादों में परिवर्तित करने में क्यों असफल रहे हैं। यह ऐसे है कि जनवादी ढंग से, जिसके लिए संभवत डा० दत्ता सामंत और मैंने भी किसी सीमा तक योगदान किया है,

हमने लौह अयस्क या कच्चे काल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी अधिक मूल्य पर तैयार माल के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। हम 8,000 रु० प्रति टन या 7,000 रु० प्रति टन की दर से इस्पात क्यों नहीं बेच सके। मैं डा० दत्ता सामंत या श्री बसुदेव आचार्य या श्री माधव रेड्डी या मेरे अन्य साथियों से पूछना चाहूंगा कि भारतीय समाज का कौन-सा वर्ग इस्पात खरीद सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : उत्पादन लागत कम करें।

श्री वसंत साठे : हमें इस बात पर विचार करना है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, सक्षम उत्पादन कैसे किया जा सकता है। मैं कामगारों की भागीदारी चाहता हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास एक नई पूर्ण भागीदारी संस्कृति और वास्तविक भागीदारी व्यवस्था नाममात्र की न होकर वास्तविक न हो। किंतु जैसा कि श्री माधव रेड्डी कहते हैं, यह बात से थोड़ा हटने वाली बात है, किंतु मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने इसकी चर्चा की थी। यह सच है। किंतु जहां तक आज के विधेयक का संबंध है उसका सीधा-सा उद्देश्य है कि हम एक समान छूटें देना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। बैठने से पहले मैं प्रथम अनुसूची की कुछ तकनीकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाऊंगा। मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने प्रथम अनुसूची के इन संशोधनों को सभा पटल पर रख दिया है।

डा० दत्ता सामंत : रायल्टी का क्या होगा ?

श्री वसंत साठे : हम इसे भूतलक्षी प्रभाव से वसूल करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : सभापति महोदय, क्या मैं एक साधारण प्रश्न पूछ सकता हूं ? अब सरकार ने गोवा को एक राज्य बनाने का निर्णय ले लिया है तथा हम कल या परसों में यह विधेयक पारित करने जा रहे हैं। इस परिस्थिति में विधेयक को लाने की ऐसी क्या जल्दी थी, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य को धातु अधिकार कर लगाने का भी अधिकार प्राप्त है। आप अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा कर सकते थे।

श्री वसंत साठे : यह कोई विवाद का विषय नहीं है। यदि गोवा राज्य बन भी जाता है तो वे उस अधिनियम के अंतर्गत भी इसे लगा सकते हैं। यह केन्द्र का अधिनियम है तथा धातु अधिकार के अंतर्गत जब तक हम समानता के आधार पर इसे लाकर गोवा नहीं भेजते हैं, वे उसके अंतर्गत भी कोई कार्य नहीं कर सकेंगे। अतः इसमें कोई भ्रांति नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में प्रचालित और पहली तथा दूसरी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनन रियायतों के उत्सादन का और ऐसी खानों के, जिनसे ऐसी रियायतें संबंधित हैं, विनियमन और संघ के नियंत्रणाधीन खनिजों के विकास की दृष्टि से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन खनन पट्टों के रूप में ऐसी खनन रियायतों की घोषणा का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार प्रारंभ करेंगे। 2 से 22 तक के खंडों में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये।

प्रथम अनुसूची

संशोधन किये गये*।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बसंत साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11-00 बजे पूर्वाह्न पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.14 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 7 मई, 1987/17 वैशाख, 1909 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*ये संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53